भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति
(1991 से अब तक)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,लखनऊ से
राजनीति विज्ञान विषय में पीएच०डी०
की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

शोध पर्यवेक्षक
प्रो0 रिपु सूदन सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोधकर्ता
अवनीश कुमार गौतम
नामांकन संख्याः 1275/15
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2021

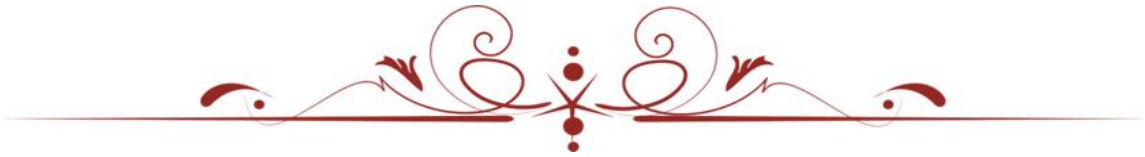

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध, मैं अपने माता–पिता एवं अपने शोध पर्यवेक्षक को समर्पित करता हूँ।

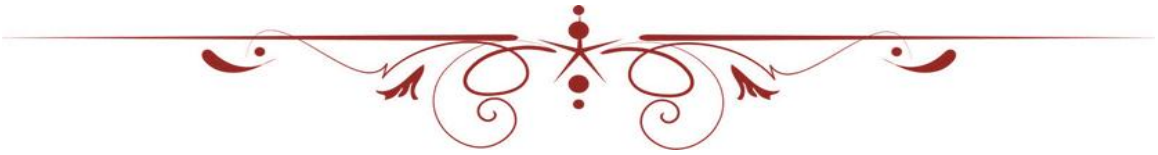

<u>उद्घोषणा</u>

मैं **अवनीश कुमार गौतम** यह घोषणा करता हूँ कि मैने **"भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति (1991 से अब तक)"** विषय पर शोध कार्य प्रो0 रिपु सूदन सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध पीएच0डी0 की उपाधि हेतु मेरा मौलिक शोध कार्य है। प्रस्तुत यह शोध–प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह शोध प्रबन्ध पूर्णतया साहित्यिक चोरी (Plagiarism) मुक्त है।

दिनांक 18-01-2021

Aneesh Kumar

अवनीश कुमार गौतम
(शोध–छात्र)
नामांकन संख्याः 1275/15
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

CERTIFICATE

This is certify that the thesis titled **"भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति (1991से अब तक)"** submitted by **Mr. Avneesh Kumar Gautam** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The thesis submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D.) regulations-1999 as amended in 2008/2010/2013* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the university.

Date: 18-01-2021

Supervisor
Prof. Ripu Sudan Singh
Research Supervisor
DPS/SAS/BBAU

Head of the Department
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
बी०बी०ए०यू०, लखनऊ
Head
Deptt. of Political Science
B.B.A.U., Lucknow

आभार

जनसंख्या में विश्व में पॉचवें नम्बर पर और भारत में जनसंख्या में पहले नम्बर और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नम्बर पर खड़ा उत्तर प्रदेश पर भूमण्डलीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनो ही प्रभाव पड़ा। यहॉ भी बहुत ही तेजी से पर्यावरणीय समस्याओं ने जन्म लिया है जिसके चलते यहॉ पर विभिन्न समस्यायें जिसमें जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का ह्रास एवं ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं समस्याओं के चलते उत्तर प्रदेश के लोगों में इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

मुझे अपने शोध विषय **"भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति (1991 से अब तक)"** के चयन हेतु मैं अपने श्रद्धेय शोध निर्देशक **प्रो0 रिपु सूदन सिंह** जी का हमेशा ऋणी रहूॅगा जिन्होने मेरी अभिरूचि के अनुरूप शोध विषय को चुनने में मेरी मदद की। साथ ही उनके द्वारा अपने व्यस्ततम समय को निकाल कर लगातार मार्गदर्शन करते रहे। मैं इसके लिये भी हमेशा उनका ऋणी रहूॅगा, मेरे शोध में समय–समय पर मेरा पूरा मार्गदर्शन किया जिससे मैं अपने शोध को पूरा करते हुए उसे सम्पूर्णता की ओर ले जा सका।

अपने शोध के दौरान मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गया जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी **के0 एन0 राय** उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपने मौलिक विचार दिये। प्रदेश के चारों भागों के जिले जिसमें हमीरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विजय द्विवेदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूॅ जिन्होंने खनन से जुड़ी समस्याओं को समझाने में मदद की। इसके साथ ही मैं अवध प्रदेश से सीतापुर, पूर्वांचल से बहराइच, पश्चिमांचल से शाहजहॉपुर एवं बुन्देलखण्ड से हमीरपुर के लोग पर्यावरण से अधिक प्रभावित थे वहॉ के लोगों ने मुझे स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय समस्ययाओं से अवगत कराकर बहुत सहयोग किया है। तथा मेरे द्वारा दी गयी प्रश्नावली को भरकर उन्होंने मेरे शोध कार्य को आसान बनाया जिसके द्वारा मैं अपने शोध के एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुॅच सका मैं उन सभी का आभारी रहूॅगा।

मैं अपने विभाग के विभागाध्यक्ष **प्रो0 शशिकान्त पाण्डेय** जी का हमेशा ही आभारी रहूॅगा जिन्होंने विभाग में शोधार्थियों के लिये उचित माहौल दिया हैं। इसी

क्रम में **प्रो0 सार्थिक बाग, डा0 सिद्धार्थ मुखर्जी, डा0 प्रीती चौधरी, डा0 मंजरी** आदि का हृदय से हमेशा आभारी रहूँगा। जिन्होंने मुझे समय–समय पर उचित मार्गदर्शन देकर मेरे द्वारा शोध कार्य में मेरी मदद की। विशेषतौर पर मैं **डा0 सिद्धार्थ मुखर्जी** जी का आभारी रहूँगा, जिन्होंने पीएच0डी0 कोर्स वर्क के दौरान शोध से सम्बन्धित 'रिसर्च शोध कार्य प्रणाली' को अत्यन्त सरल विधि से समझाने एवं समझने में मदद की, जिससे मैं अपने शोध को पूरा करने में सफल हो सका।

इसी क्रम में मैं बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग एवं वहॉ के **प्रो0 आर0 पी0 सिंह, प्रो0 डी0 पी0 सिंह, प्रो0 एस0 के0 द्विवेदी** आदि का भी मैं आभारी रहूँगा। जिनके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर पर्यावरण जैसे विषय को मैं भली प्रकार से समझ सका तत्पश्चात् मैं उसका राजनीतिक परिपेक्ष में विश्लेषण कर सका। गिरि इन्सटीट्यूट ऑफ डेवलपमेण्ट लखनऊ के **प्रो0 के0 श्रीनिवास राव, डा0 मंजूर अली, डा0 मनीष राय** का भी आभारी रहूँगा।

मैं अपने देवतुल्य परमपूज्य पिता **स्व0 श्री राम रतन गौतम** का सदैव आभारी रहूँगा जो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे तथा मुझे शोध कार्य करने हेतु प्लेटफार्म प्रदान किया जो कि मेरे शोध कार्य के दौरान अल्पापु में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गये। मैं अपनी पूज्य माता **श्रीमती राजेश्वरी** का हमेशा आभारी रहूँगा जिन्होंने शोध कार्य हेतु मेरा हमेशा ही हौसला बढ़ाया है। मैं अपने अनुज भाइयों **अनिल कुमार गौतम** एवं **अखिलेश कुमार गौतम** तथा अपनी बहन **सोनी** का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने सारे पारिवारिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया जिससे मैं स्वतंत्र रूप से शोध में अपना ध्यान लगा सका। मैं अपनी अर्धांगिनी **श्रीमती रंजीता देवी** जिन्होंने सारे दुःख दर्द सहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया जिससे मैं अपने शोध कार्य को समय दे सका। तथा शोध के दौरान हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अपनी दोनों पुत्रियों **आरोही** एवं **आरूषी** का भी आभारी रहूँगा।

इसी क्रम में मैं आर0 एम0 पी0 पीजी कॉलेज, सीतापुर के अपने पूज्य गुरू **डा0 रजनीकान्त श्रीवास्तव** जी का भी आभारी रहूँगा जो मेरे पथ प्रदर्शक/मार्गदर्शक रहे हैं जिन्होंने मुझे सही दिशा निर्देश दिया तथा समय समय पर अपना अमूल्य समय पढ़ाई एवं शोध निर्देशन में दिया। इसी कालेज के आचार्यों

डा0 आर0 सी0 वार्ष्णेय, डा0 जे0 पी0 श्रीवास्तव, डा0 रितु शाही जी का भी हमेशा ही आभारी रहूँगा।

अपने शोध के दौरान मेरे द्वारा विभिन्न पुस्तकालयों का भी विजिट किया गया। जिसमें मैं सर्वप्रथम अपने विश्वविद्यालय बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ के गौतम बुद्ध पुस्तकालय का हमेशा ही ऋणी रहूँगा जहाँ पर मेरे शोध से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें मुझे अध्ययन हेतु प्राप्त हुई। इसके साथ ही मेरे द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, गिरि इन्सटीट्यूट ऑफ डेवलपमेण्ट लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय सीतापुर आदि का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया वहाँ से मुझे अपने शोध से सम्बन्धित बहुमूल्य पुस्तकों से परिचय एवं उन्हें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ जिससे मैं अपने शोध से सम्बन्धित सामग्री को जुटा सका।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के सभी शोधार्थी मित्रों **डा0 अनिल जी, डा0 राम बच्चन जी, डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, डा0 अजय कुमार पाठक, डा0 संदीप कुमार, श्री उपेन्द्र, डा0 राजीव प्रजापति, डा0 राम सूरत, डा0 माया भारती, डा0 सैफाली, श्री मेंहदी अली, श्री दिनेश कुमार जी, श्री प्रमोद पाण्डेय जी, श्री संजय कुमार जी, श्री विकास जी** आदि का भी मैं हमेशा आभारी रहूँगा, जिनसे मुझे उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही मैं विभाग के **श्री बृजेश कुमार, श्री स्वपनेश मिश्र, आशीष जी** का भी मैं आभारी रहूँगा।

अन्त में मैं अपने विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति **प्रो0 आर0 सी0 सोबती,** वर्तमान कुलपति **प्रो0 संजय सिंह** का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु अनुशासन एवं शान्ति का माहौल दिया। जिसके चलते मैं अपने शोध को पूरा कर सका।

अवनीश कुमार गौतम
(शोध–छात्र)
नामांकन संख्याः 1275/15
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अनुक्रमणिका

- *शपथ पत्र*..... i
- *प्रमाण पत्र*..... ii
- *आभार*..... iii
- *शब्द संक्षेप सूची*..... vi
- *अनुक्रमणिका*..... viii

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्रथम अध्याय	**प्रस्तावना**	**1–29**
	शोध साहित्य की समीक्षा	5
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	19
	पर्यावरण एवं गांधी दर्शन	19
	शोध प्रश्न	22
	उद्देश्य	23
	परिकल्पना	23
	शोध प्रविधि	23
	अध्यायीकरण	25
द्वितीय अध्याय	**भूमण्डलीयकरण, पर्यावरण एवं राजनीति**	**30–77**
	पर्यावरण	30
	पर्यावरण का अर्थ	32
	पर्यावरण का परिभाषायें	33
	पर्यावरण के प्रखण्ड	34
	पर्यावरण की संरचना	35
	स्थलमण्डल	35
	वायुमण्डल	38
	जलमण्डल	40

	पर्यावरणीय चुनौतियॉ	41
	पर्यावरणीय संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	45
	भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाये गये कानून	51
	भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आन्दोलन	54
	भूमण्डलीकरण	56
	भूमण्डलीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	56
	भूमण्डलीकरण का अर्थ	58
	भूमण्डलीकरण की परिभाषायें	59
	भूमण्डलीकरण के लक्षण	59
	भूमण्डलीकरण के प्रभाव	60
	सतत् विकास	63
	सतत् विकास की चुनौती	64
	राजनीति	65
	राजनीति का अर्थ व परिभाषा	66
	राजनीति विज्ञान की परिभाषायें	67
	राजनीति विज्ञान का परम्परावादी दृष्टिकोण	68
	निष्कर्ष	71
तृतीय अध्याय	**उत्तर प्रदेश में पार्क निर्माण एवं राजनीति**	**78–107**
	परिचय	78
	बौद्ध विहार शान्ति उपवन लखनऊ	84
	डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क लखनऊ	88
	गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ	91
	जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ	92
	साइकिल ट्रैक निर्माण	95
	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ	96
	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क मैनपुरी	99
	बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ	101

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर 103
पार्क एवं निष्कर्ष 104

चतुर्थ अध्याय उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण एवं राजनीति 108–151
सड़कों के प्रकार 108
उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस वे 111
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे 111
इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेस वे 117
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे 119
दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे 121
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे 123
फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेस वे 129
गंगा एक्सप्रेस वे 137
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 138
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 140
अवर गंगा एक्सप्रेस वे 144
यमुना एक्सप्रेस वे 146
निष्कर्ष 149

पंचम अध्याय उत्तर प्रदेश में खनन व राजनीति 152–186
खनिकर्म का अर्थ 152
खनिकर्म के विभाग 153
तलीय खनन 153
जलोढ़ खनन 155
भूमिगत खनन 157
भूमिगत खनन एवं दुर्घटनाए 158
खनन एवं राजनीतिक संस्कृति 159

	उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति–2017	168
	नई खनन नीति एवं सरकार	170
	हमीरपुर खनन एवं अवैध खनन	180
	निष्कर्ष	184
षष्ठ्म अध्याय	**उपसंहार**	**187–218**
	छाया चित्र	**219–223**
	संदर्भित ग्रन्थ–सूची	**i-xv**
	प्रकाशित शोध पत्र	**A**
	परिशिष्ट	-----

शब्द–संक्षेप सूची

1.	बी0इ0टी0	बीट एयर पॉलुशन
2.	सी0एफसी0	क्लोरोफ्लोरोकार्बन
3.	सी0ओ02	कार्बनडाई आक्साइड
4.	सी0ओ0पी0	कांफ्रेन्स ऑफ द पार्टीज
5.	ई0ई0सी0	एनर्जी इफीसिएन्सी काउन्सिल
6.	ई0ई0आई0	इमेर्जिंग इनवायरमेण्टल इस्सूज
7.	ई0आई0ए0	इनवायरमेण्टल इम्पैक्ट असेसमेण्ट
8.	ई0आई0एस0	इनवायरमेण्टल इनफार्मेशन सिस्टम
9.	ई0पी0एफ0	इनवायरमेण्टल प्रोटेक्सन फण्ड
10.	ई0पी0ए0	इनवायरमेण्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी
11.	ई0आई0आर0	इनवायरमेण्टल इम्पैक्ट रिर्पोट
12.	ई0एम0डी0	इनवायरमेण्टल मैनेजमेण्ट डिपॉर्टमेण्ट
13.	ई0एम0यू0	इनवायरमेण्टल मैनेजमेण्ट यूनिट
14.	ई0यू0	यूरोपियन संघ
15.	एफ0डी0आई0	फॉरेन डारेक्ट इनवेस्टमेण्ट
16.	जी0ए0पी0	गंगा एक्सन प्लान
17.	जी0इ0एफ0	ग्लोबल इनवायरमेण्टल फैसलटीज
18.	जी0एच0जी0	ग्रीन हाउस गैसेज

19.	एल0पी0जी0	लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस
20.	एन0ए0पी0	नेशनल एक्सन प्लान
21.	एन0सी0आर0	नेशनल कैपिटल रेजिन
22.	एन0ई0ए0पी0	नेशनल इनवायरमेण्टल एक्सन प्लान
23.	एन0एच0ए0आई	नेशनल हाइवे एथॉरिटी ऑफ इण्डिया
24.	टी0ई0आर0आई0	टाटा एनर्जी रिसर्च इन्सटीट्यूट
25.	एस0डी0यू0	सस्टनेबल डेवलपमेण्ट यूनिट
26.	यू0एन0डी0पी0	यूनाइटेड नेसन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम
27.	यू0एन0ई0पी0	यूनाइटेड नेसन्स इनवायरमेण्ट प्रोग्राम
28.	यू0एन0ओ0	यूनाइटेड नेसन्स आर्गानाइजेसन
29.	डब्लू0एच0ओ0	वर्ल्ड हेल्थ आर्गानाइजेशन
30.	पी0आई0एल0	पब्लिक इन्ट्रेस्ट लेटिजेशन
31.	यू0पी0ई0आई0डी0ए0 एथॉरिटी	यूपी एक्सप्रेसवेज इण्डस्टरियल डेवलपमेण्ट

अध्याय–प्रथम
प्रस्तावना

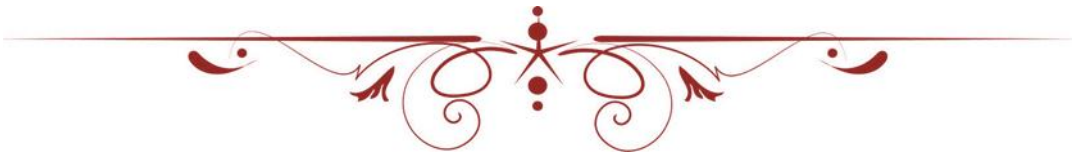

अध्याय–प्रथम

प्रस्तावना

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा बदलते हुए पर्यावरण से है। पर्यावरण में बदलाव होने के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौती है वहीं पर हमारी भविष्य की पीढ़ियॉ भी इससे बहुत दुष्प्रभावित होगी, इस समय जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखना, वहीं पृथ्वी की भावी पीढयों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करना है वरना कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जीवन को दुर्लभ बना ले।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जहॉ अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य मतभेद तेज हुये, वही पर इनके मध्य शस्त्र एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा को बढावा दिया जाने लगा, परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं उनके प्रयोग को लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य जैसे होड़ सी मच गयी। परमाणु अस्त्रों का सूत्रपात होने से सम्पूर्ण मानवजाति एवं पर्यावरण के विनॉश को लेकर खतरा मड़राने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव स्वरूप ही एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों से ब्रिटिश प्रभुत्व कमजोर हुआ और ये राष्ट्र धीरे–धीरे ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त होते चले गये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके फलस्वरूप राज्यों की संख्या पहले से अधिक हो गयी, जहॉ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को लेकर शस्त्रों के निर्माण एवं उनके प्रयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, वहीं पर दूसरी ओर नव स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपने देश में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।[1] अंधाधुन्ध शस्त्र प्रतिस्पर्धा एवं विकास को बढ़ावा देने से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् तीव्र गति से पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का हरास प्रारम्भ हुआ। सन् 1950 से 1970 के मध्य राष्ट्रों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को पूरी तरह से दरकिनार किया गया।

[1] पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2011

हमारे देश में भी स्वतंत्रता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अपनाने के फलस्वरूप विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्यौगिकीकरण को अपनाया गया[2], स्वाभाविक रूप से औद्यौगिकीकरण के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्यायें जन्म लेने लगी। भारत में सन् सत्तर के दशक में खाद्यान की समस्या उत्पन्न हुई, उस समय खाद्यान फसलों को बढ़ावा देने के लिये हरित क्रान्ति कार्यक्रम अपनाया गया जिससे खाद्यान उत्पादन में तो तेजी से वृद्धि हुयी, परन्तु कृषि क्षेत्रफल का विस्तार होने से वनों के विनाश में तेजी आयी।

सन् 1970 के उपरान्त भारत में पर्यावरण चिन्तन को लेकर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके चलते सन् 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसके द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगायी गयी एवं इसके साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों एवं अभयारण्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। सन् 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए जल प्रदूषण पर नियन्त्रण लगाना था। इसी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 1977 में जल प्रदूषण पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से 1980 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 1986 में ''पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम'' लागू किया गया।

1991 के दिसम्बर माह में सोवियत यूनियन के पतन से उत्पन्न शीतयुद्ध की समाप्ति का राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जहॉ वैश्विक संदर्भ में द्विध्रुवीकरण का अन्त हुआ और विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में सत्ता का एक केन्द्र विकसित हुआ, वहीं पर समूची दुनिया में भूमण्डलीकरण की शुरूआत हुयी।[3] इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय राजनीति की तमाम नीतियों को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रक्रिया का जबर्दस्त प्रभाव

[2] रमेश सिंह,(2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, सातवां संस्करण

[3] पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2011

भारतीय राष्ट्रीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से तो पड़ा ही तमाम राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं रहीं।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् राष्ट्रों के मध्य अवरोध की जंजीरे तोड़ दी गयी। विश्व में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, राष्ट्रों ने तीव्र विकास हेतु अधिक से अधिक अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में औद्यौगिकीकरण को तीव्र बढ़ावा मिला एवं औद्योगिकीकरण का बढ़ावा होने से राष्ट्रों की विकास की गति तीव्र हुई। विश्व के लगभग सभी देशों ने पर्यावरण की चिंता को दरकिनार कर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन किया, जिसके फलस्वरूप विश्व में पर्यावरण का संतुलन धीरे–धीरे बिगड़ने लगा तथा भूमण्डलीकरण के पश्चात् विश्व में जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का हरास एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्यायें बढ़ने लगी। इन सभी में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आयी, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक स्तर पर देखा गया। यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर राष्ट्रों के मध्य राजनीति तेज हुयी।

भूमण्डलीकरण से पहले पर्यावरण संरक्षण पर राजनीति केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा थी लेकिन इसके पश्चात् अब यह राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दा भी बन चुकी है। भारत में भूमण्डलीकरण के पश्चात् पहचान की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ जिसके चलते जाति और धर्म केन्द्रित राजनीति की शुरूआत हुयी। 1989 के चुनाव में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और अनेक दलों के धड़ों के मिश्रण के रूप में जनता दल सत्ता में आरूढ़ हुआ और उसी के बाद मिलीजुली और गठबन्धन के सरकारों के युग का सूत्रपात हुआ। 1991 में राजीव गॉधी की निर्मम हत्या के पश्चात् जोकि कॉग्रेस पार्टी सत्ता में आयी पर एक कमजोर स्थिति में ही रही। पर वैश्विक बदलाव और दवाब के चलते कमजोर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में भारत में उदारीकरण की नीति को भी अपनाया। केन्द्र में तो कांग्रेस रही पर राज्यों में गठबन्धन की राजनीति के चलते क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी जिसके चलते उन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकार आने के पश्चात् देश के संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना आरम्भ किया जिससे कि जहॉ एक

ओर वे सभी अपने अपने राज्यों में विकास कर सके जिससे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। उन्होंने ऐसी नीतियॉ एवं कानून पास करवाये जिससे वे लाभान्वित हो। यही से भूमण्डलीकरण के अंधी दौड़ में भारत में पर्यावरण का क्षय और विनाश होने लगा एवं पर्यावरणीय समस्याओं में अनावश्यक वृद्धि हुई। अब पर्यावरण संरक्षण चिन्ता का विषय नहीं रहा वरन् पर्यावरण का प्रयोग अपने निहित राजनीतिक फायदों हेतु किया जाने लगा।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राजनीति परिदृश्य में परिवर्तन आया यहॉ पर भाजपा, सपा एवं बसपा का वर्चस्व बना रहा। ज्यादातर बसपा एवं सपा पार्टी की सरकारें आयी जिन्होंने लगभग जो भी नीतियां एवं कानून बनाये उनको मुख्य मकसद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ ही रहा। इन सभी ने पर्यावरण की चिन्ता को दरकिनार किया लेकिन फिर भी जाने–अनजाने में ही भूमण्डलीकरण के दौर में पर्यावरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बन गयी है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है इसके अन्तर्गत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, संस्कृति एव ंहम सभी लोग आ जाते है सरकारों द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से किसी न किसी पर अवश्य पड़ता है।

जहॉ राजनीति का लक्ष्य होता है कि शासन व्यवस्था को इस प्रकार से चलाया जाये कि वह सकारात्मक, स्वाभाविक एवं निर्विवाद रूप से चलती रहे, वही पर राजनीति का यथार्थ लक्ष्य होता है कि सत्ता की प्राप्ति के जाये। सत्ता प्राप्ति का मतलब केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं होता है बल्कि सत्ता के विभिन्न केन्द्र होते है अर्थ, संस्कृति, धर्म, जाति इत्यादि में सारी चीजें सत्ता में पायी जाती है इनका राजनीति से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध होता है। वर्तमान सन्दर्भ में राजनीति में अर्थ का विशेष महत्व है।

उत्तर प्रदेश में सन् 2002 में ताज कोरीडोर योजना बसपा सरकार के कार्यकाल में आयी, जिसमें करोड़ो रूपये खर्च हुए जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी लम्बित है। बसपा के कार्यकाल में ही गंगा एक्सप्रेस–वे प्लान आया जिसका भी

राजनीतिकरण हो गया और पूरी परियोजना को रोकना पड़ा। इसी प्रकार से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अम्बेडकर पार्क एवं अन्य पार्को का निर्माण कराया गया जिसमें भी अरबों के खर्चे को लेकर जॉच पड़ताल चल रही है। इस प्रकार बसपा सरकार के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किये गये उनका जाने अनजाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में भी अनेक योजनायें चलायी गयी जिसमें इटावा में लायन शफारी, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया गया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न शहरों में यातायात में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये सड़को के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ''क्लीन यूपी–ग्रीन यूपी'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके तहत प्रदेश में लाखों की संख्या में नये पौधे लगाये गये है। इन सभी योजनाओं का यथार्थ मकसद करने की आवश्यकता है।

उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के पश्चात् यथार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु राजनीति के यथार्थवादी पक्ष को अपनाया है। वर्तमान समय में जो भी नीतियॉ बनायी जाती है उनका इनके निजी स्वार्थ से सापेक्ष–सम्बन्ध होता है यही कारण है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की चिन्ता को दरकिनार कर अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाती है राजनीतिक दलों के इसी स्वार्थमय भावना के कारण प्रदेश में पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

शोध साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

पर्यावरण को बचाने हेतु 1970 के दशक में पश्चिमी राजनीति में हरित राजनीति (Green Politics) एक बड़ा मुद्दा उभर कर विश्व के सामने आया, और धीरे–धीरे पूरे विश्व में फैल गया। कुछ देशों जिसमें न्यूजीलैण्ड, प0 जर्मनी और ब्रिटेन में राजनीति दल भी बने, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने हेतु अपनी पार्टी

के मेनीफेस्टो में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया तथा चुनाव भी लड़े गये, हालांकि चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई।[4]

1973 में अमेरिका के प्रमुख पर्यावरणविद् ई0एफ0 सूमेकर की प्रसिद्ध पुस्तक ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' आयी। इस पुस्तक में आधुनिक पूँजीवादी समाज की समीक्षा प्रस्तुत की गयी इसमें बताया गया कि किस तरह से आधुनिक औद्योगिक समाज तीव्र विकास हेतु पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को अपूर्णनीय क्षति पहुँचा रहा है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे है जो वर्तमान विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी भावी पीढ़ियों की धरोहर का उपयोग कर रहा है। वर्तमान समाज का यह मानना है कि टेक्नालॉजी के द्वारा औद्योगिक विकास को प्राप्त किया गया है परन्तु औद्योगिक विकास से पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को कितनी क्षति हो रही है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ई0 एफ0 सूमेकर ने लिखा है कि ''आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना ही परिष्कृत क्यों न हो, वह जिस नींव पर खड़ा है उसे ही खोद रहा है। हमें धरती एवं इसके अपूर्णनीय साधनों को ऐसी पूँजी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जिसका हम सृजन और व्यय अथवा निवेश करते है। वस्तुतः बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का सृजन ही नहीं किया जा सकता है उन्हें बढ़ाना तो सर्वथा असम्भव है इसका उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी जमा पूँजी को खाये जा रहा है वह अपनी कब्र स्वयं खोद रहा है''।[5]

ई0 एफ0 सूमेकर ने विश्व में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के हास को बचाने हेतु विश्व को बौद्ध अर्थव्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। जिसमें संतुलित एवं सम्पोषणीय विकास पर बल दिया जाता है इन्होंने बताया है कि स्वीडन देश विश्व में बौद्ध अर्थव्यवस्था के मार्ग पर चल रहा है।

इस पुस्तक में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के हास पर चिंता तो व्यक्त की गयी तथा इसके पर्यावरणीय समस्याओं समाधान हेतु जो बौद्ध अर्थव्यवस्था

[4]http//policy.greenparty.org.uk/philosophical-basis.html
[5]Sumeker, E.F.- Small is Beautiful (New Yark 1973).

अपनाने का सुझाव दिया गया यह अतार्किक है तथा यह धर्म विशेष को महत्व देता है।

अमेरिका के प्रमुख पर्यावरण विद् नील कार्टर की पुस्तक ''द पॉलिटिक्स ऑफ द इनवायरमेन्ट : थिंकिग एक्टिविटीज एण्ड पॉलिसी''–2007 में आयी। इसमें यह बताया गया कि लगातार विकासवादी नीति के कारण बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र संकट ग्रस्त हुआ है इसमें पर्यावरणीय राजनीति के सम्बन्ध में विचार, क्रियाकलाप एवं नीतियों का विस्तृत एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें प0 यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया के औद्योगीकृत देशों की चर्चा की गयी है, इसमें वहॉ के देशों की नीतियों एवं पर्यावरण पर पड़ने वाल प्रभावों का अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर चर्चा की गयी है। इसके साथ ही इन्होंने भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं व्यापार तीनों का एक दूसरे से सम्बन्ध दर्शाने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रों की नीतियॉ एवं उनके क्रियाकलाप पर्यावरण ह्रास हेतु जिम्मेदार होते है। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक निर्णय के द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की तो व्याख्या की है परन्तु राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण एवं इसके पारिस्थितिकी के ह्रास को किस प्रकार से रोका जा सकता है इसका कोई उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत नही किया है।[6]

C.M. Jariwala ने अपनी पुस्तक ''Environment and Justic-2004'' में अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में 'क्लीन सिटी' का जिक्र किया है। जिसमें यह बताया है कि शहरों को स्वच्छ बनाये रखना स्थानीय संस्थाओं का संवैधानिक कर्तव्य है एक साफ सुथरे शहर में ही लोग स्वस्थ होते है एवं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण होता है। लेकिन यह दुःखद है कि स्थानीय संस्थायें लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति सजग नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली प्रदूषित शहरों में से एक है ऐसा ऑकलन किया गया है कि दिल्ली संसार के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। 'बधेरा केश' में दिल्ली का जो परिदृश्य दर्शाया गया है वह चौंकाने वाला है। इसमें

[6]Carter, Neil- The politics of the Environment : Thinking, Activitieis and policy (New Delhi, 2007).

कहा गया है कि वातावरण की जो वायु है वह इतनी प्रदूषित है कि लोग को सांस लेने में समस्या, स्वसन सम्बन्धी बीमारियॉ तथा गले में संक्रमण की समस्यायें आम है। वहॉ पर यमुना नदी में ज्यादातर नालियों एवं कारखानों का गंदा पानी ही बहता है।[7]

इसी प्रकार से दिल्ली में यातायात प्रदूषण की भी समस्या हैं। भारत सरकार के सरकारी प्रकाशन व्हाइट पेपर में बताया गया है कि 1985 में पर्यावरण प्रदूषण 1970 के तीन गुना से भी अधिक था। और अब तो कई गुना अधिक हो गया है। इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव मानव, जीव–जन्तुओं एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है। इसके साथ ही अपने इसी अध्याय ने इन्होंने जीव जन्तुओं का संरक्षण, प्राकृतिक आवास के संरक्षण पर विशेष प्रकाश डाला है। जो कि पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

Joan Martinez-Alier ने अपनी पुस्तक The Environmentalism of the poor-2005 में पर्यावरणवीय की तीन लहरों की चर्चा की है। जिसमें (1) The cult of the wilderness. (2) The Gospel of Eco-Efficiency (3) The Environmentalism of the poor आदि हैं। जिसमें प्रथम लहर The cult of the wilderness के अर्न्तगत बताया है कि यह विचारधारा आर्थिक वृद्धि पर कोई प्रहार नहीं करती है और न ही शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण का कोई विरोध करती है यह विचारधारा केवल प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्राचीन सभ्यता को बचाये रखने का समर्थन करती है। यह विचारधारा प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक खतरा जनसंख्या वृद्धि एवं विज्ञान को मानती है। इसी प्रकार से दूसरी लहर "Gospel of Eco- Efficiency" के अन्तर्गत सम्पोषणीय विकास का समर्थन किया है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग का बल दिया गया है ताकि प्राकृतिक पर्यावरण को भविष्य हेतु सुरक्षित रखा जा सके। यह विचारधारा जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं नवीन कृषि पद्धति को पर्यावरण के लिए सर्वाधिक खतरा मानती है। यह नवीन टेक्नालॉजी

[7] C.M. Jariwala- "Environment and Justic-2004

एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण में विश्वास करती है। यह विचारधारा 1890 से 1920 के मध्य 'संयुक्त राज्य' अमेंरिका में पनपी।[8]

इसी प्रकार से तीसरी लहर "The Environmentlism of the poor" उपरोक्त पहली एवं दूसरी लहर के स्थान पर वर्तमान में पनपी है। जिसको गरीबों के लिए पर्यावरणवाद, लोकप्रिय पर्यावरणवाद एवं पर्यावरणीय न्याय आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह विचारधारा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कलह एवं संघर्ष की मुख्य वजह सामाजिक असमानता एवं आर्थिक विकास को मानती है। यह अत्यधिक धन का प्रयोग, प्रकृति में मनुष्य का ज्यादा दखलन, अत्यधिक जनसंख्या, असमान पारिस्थितिकी विनियम आदि का विरोध करती है। इस प्रकार इस पुस्तक में सर्वाधिक चिन्ता पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं गरीबों हेतु पर्यावरणीय न्याय को लेकर की गयी हैं।

Sunsan Bakingham एवं Mike Turner ने अपनी पुस्तक Understanding Environmental Issues-2008 में ग्रीन राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया है जिसमें इन्होंने यह बताया है कि ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन ग्रीन पार्टियों का गठन हुआ उनको काफी सफलता भी मिली। ब्रिटेन में गीन पार्टी के दो उम्मीदवार सन् 2004 में यूरोपियन पार्लियामेण्ट के सदस्य भी चुने गये। इसमें इन्होंने पर्यावरणीय न्याय का भी जिक्र किया है। इसमें पर्यावरणीय संसाधनों का बॅटवारा, विषैले अवशिष्ट, एवं प्रदूषण की समस्या का जिक्र किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पर्यावरणीय आन्दोलनों का उदय हुआ एवं राजनीति का रूप ले लिया।[9]

इसके साथ ही इन्होंने अपनी पुस्तक में पर्यावरणीय 'अर्थशास्त्र एवं विकास' विषय पर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किये है पर्यावरण एवं विकास के मध्य इन्होंने संवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाया है। इन्होंने तकनीकि ज्ञान के विकास के साथ इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी इन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ–साथ इन्होंने भोजन, अवशिष्ट एवं वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला

[8] Joan Martinez-Alier-The Environmentalism of the poor-2005
[9] Sunsan Bakingham and Mike Turner- Understanding Environmental Issues-2008

है। इनकी पुस्तक मात्र पर्यावरणीय मुद्दो पर प्रकाश डालती है जबकि पर्यावरणीय मुददों के समाधान पर मौन है।

Normal J. Vig and Michael E. Kraft की पुस्तक Environmental Policy आयी। जिसका उपशीर्षक था New Direction for the 21st century इस पुस्तक में पर्यावरणीय राजनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी। पुस्तक के पहले अध्याय में पर्यावरणीय नीति पर राजनीतिक प्रभावों का वर्णन किया गया है, इसके अन्तर्गत 1970 से लेकर 2010 तक अन्तर्राष्टीय स्तर पर पर्यावरणीय चिंतन को लेकर जो प्रयास किये गये है उन पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की गयी है। वास्तव में अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणीय चिंतन का प्रारम्भ 1972 के स्टाकहोम सम्मेलन से हुआ था तथा भूमण्डलीकरण के जन्म के साथ 1990 के दशक में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व स्तर पर राष्ट्रों के द्वारा अनेक सम्मेलन किये गये, जिसमें न्यूयार्क सम्मेलन, मांट्रियल प्रोटोकाल, जोहेन्सवर्ग सम्मेलन आदि प्रमुख रूप से हैं। सन् 2001 से 2010 के मध्य भी विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग एवं कार्बन उर्त्सजन को लेकर राष्ट्रों के मध्य कई सम्मेलन हुये। इसी अध्याय के अन्तर्गत राज्य सरकारों का पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके द्वारा लिये गये निर्णयों की चर्चा की गयी है। इसी के अर्न्तगत जन स्तर पर होने वाले मतभेदों अथवा झगड़ो एवं इनका पर्यावरणीय आन्दोलनों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। यहॉ पर यह स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आन्दोलन चलाये जाते है उनकी सफलता के लिये जन सहयोग अनिवार्य होता है, वगैर जन सहयोग के कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है।[10]

इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय में पर्यावरणीय नीति के सन्दर्भ में बाजार आधारित सिद्धांतों की चर्चा की गयी है। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ही बाजार अर्थव्यवस्था टिकी है, अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन किया जाता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों की अहम भूमिका होती है, इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार आदि आते है। इसके साथ ही इन्होंने उत्पादन क्रियाओं में

[10] Norman J. Vig and Michael E. Kraft (2015) -Environmental Policy- New Direction for the 21st century, ninth edtion

"सम्पोषणीय उत्पादन" की अवधारणा पर बल दिया है इसके अनुसार उत्पादन क्रियायें इस प्रकार सम्पन्न की जायें कि प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम हॉनि हो अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के बरकरार रखने पर बल दिया जाता है। इसी पुस्तक के चौथे अध्याय में इन्होंने बौद्धिक स्तर पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी चर्चा की है। इसमें चीन देश के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी पर भी चर्चा की गयी है इस पुस्तक में पर्यावरण एवं राजनीति के आपसी मुददों को मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है।[11]

अरूण बेंकट ने अपनी पुस्तक Environmental Law and Policy 2011 में भारत में पर्यावरणीय कानूनों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें भारतीय संविधान के अन्तर्गत दिये गये पर्यावरणीय कानूनों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पर्यावरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने पर्यावरण प्रदूषण का वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने राष्ट्रों के आर्थिक विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की है।[12]

आर्थिक विकास का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े इसके लिए इन्होंने धारणीय विकास अपनाने पर बल दिया। धारणीय विकास में आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े इसको लेकर चला जाता है अर्थात् धारणीय विकास के अन्तर्गत पर्यावरण को बिना हॉनि पहुॅचाये आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें इन्होंने भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण हेतु बनाये गये कानूनों एवं नीतियों की चर्चा की है। यह पुस्तक विभिन्न कानूनों एवं अधिनियमों की नकल मात्र है। पुस्तक में पर्यावरण से सम्बन्धित कोई नया विचार नहीं दिया गया है।

Elena Blamco एवं Jona Razzaque ने अपनी पुस्तक Globlization and Natural Resources Law-2011 में अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में बताया है कि उपनिवेशवाद एवं भूमण्डलीकरण प्राकृतिक संसाधनों के दोषपूर्ण क्षरण का मुख्य

[11]Normal J. Vig and Michael E. Kraft, (2015), Environmental Policy- New Direction for the 21st century

[12] Arun Venkat-Environmental Law and Policy- 2011

कारण है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उत्तर एवं दक्षिण संवाद प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर ही है जहॉ एक ओर उपनिवेशवादी देशों ने गरीब दक्षिणी देशों का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शोषण किया वही पर इनके प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में अपनी भूमिका अदा की। उत्तर एवं दक्षिण देशों के मध्य मुख्य असमानता का कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही है। जहॉ एक ओर उत्तर के विकसित देशों ने औद्योगिकीकरण को पूरी तरह से अपनाकर अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण किया वहीं पर इन्ही देशों ने दक्षिण के देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित का इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोषपूर्ण दोहन किया है।[13]

अपनी पुस्तक के इसी अध्याय में इन्होंने Global Government पर चर्चा की है। ग्लोबल गर्वमेन्ट से आशय है कि जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक, एवं सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध बनाये रखने में मदद करे। ज्यादातर जो सरकारें बनी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय थी तथा इन्होंने राज्य की सीमाओं के अन्दर ही काम किया। यद्यपि बीसवी शताब्दी के मध्य में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी तथा इसके साथ–साथ आर्थिक विकास एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं गैट जैसी संस्थाओं की स्थापना की गयी। इन सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास एवं, बाजारीकरण को बढ़ावा देना ही रहा परन्तु पर्यावरण के संकट को लेकर कोई चिनता नही की गयी। इन्होंने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की है जो कि पर्यावरण के संरक्षण एवं उसके विकास में राष्ट्रों को सहयोग मदद एवं नियंत्रण करें।

Ronald B. Mitchell ने अपनी पुस्तक International Politics and The Environment जो कि 2010 में आयी। उसमें मिसेल ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय राजनीति पर विस्तृत लेख प्रस्तुत किया है इनकी पूरी पुस्तक पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पत्ति एवं उस पर होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर आधारित है। अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याओं के स्रोतों का जिक्र किया है। जिसमें इन्होंने IPAT की वर्णन किया है, जिसमें I का मतलब प्रभाव

[13]Elena Blamco and Jona Razzaque- Globlization and Natural Resources Law-2011

(Imacts), P का मतलब जनसंख्या (Population), A का मतलब अमीरी (Affluence) तथा T का मतलब तकनीकी (Technology) को बताया है। लेखक का कहना है कि इन चार मुख्य कारणों, प्रभाव, जनसंख्या, अमीरी और तकनीकी वृद्धि के कारण ही आज विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही है।[14]

इसके साथ ही अपनी पुस्तक के इसी अध्याय में इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याओं हेतु छः दृष्टिकोणों का भी वर्णन किया है जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं हेतु इन्होंने मूल्यों, ज्ञान, अधिनियिम, असक्षमता, शक्ति आदि की भूमिका का वर्णन इन्होंने किया है। इसमें इन्होंने मूल्यों का दार्शनिक–पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अर्न्तगत वर्णन किया है। इसके अर्न्तगत इन्होंने बताया है कि वर्तमान में लोग एक–एक करके व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से समाज से अलग हो रहे है। स्वाभाविक है यह लोग अन्य किसी दूसरे जगह पर अपना निवास एवं आजीविका बना रहे है इस कारण भी प्रकृति का विनाश हो रहा है। जिसमें इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार धारणा अथवा धर्म है। वर्तमान में समाज में मूल्यों के ह्रास के कारण भी पर्यावरणीय समस्यायें जन्म ले रहे है। इसी प्रकार से पर्यावरणीय ह्रास में इन्होंने ज्ञान का वैज्ञानिक–दृष्टिकोण के सन्दर्भ में वर्णन किया है इनका कहना है कि समाज में जैसे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है पर्यावरणीय समस्याओं में भी उतनी ही तीव्र वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से इन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं हेतु वैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को भी जिम्मेदार ठहराया है। लेखक का मानना है कि पर्यावरणीय कानूनों के होते हुए स्वार्थवश इनको नजर अन्दाज किया जाता है यही कारण है कि पर्यावरणीय क्षति की जा रही है। इसके अलावा इन्होनें सरकारी असक्षमता या नाकामियों को भी पर्यावरणीय ह्रास हेतु जिम्मेदाद माना है। एक असफल एवं अस्थिर सरकार कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। जिसका दुष्प्रभाव देश के हर क्षेत्र में पड़ता है। यहॉ पर स्वाभाविक है कि पर्यावरणीय क्षेत्र में भी ह्रास होना काफी हद तक सरकारें जिम्मेदार होती है।

मिसेल ने पर्यावरणीय ह्रास हेतु सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में दिया जाने वाले प्रोत्साहन को भी जिम्मेदार माना है। सरकार समय–समय विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

[14] Ronald B. Mitchell- International Politics and The Environment- 2010

को बढ़ावा देने अथवा उद्योग की स्थापना हेतु प्रोत्साहन राशि अनुदान, छूट आदि के रूप में होती है। इस कारण आर्थिक क्षेत्र का विकास तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों का ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार से पर्यावरणनीय ह्रास हेतु राजनीति शक्ति को भी जिम्मेदार माना है। किसी देश में राजनीतिक ढॉचा जितना अधिक सुदृढ़ होगा उस देश में सरकारें उतनी ही मजबूत होगी तथा पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ देशों के राजनीतिक दलों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने मेनीफेस्टों में मुख्य स्थान दिया हैं ग्रीन पॉलिटिक्स इसी का ज्वलंत उदाहरण है।

अपनी पुस्तक के पॉचवे अध्याय में इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पत्ति में जिम्मेदार कर्ताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्ताओं के पर्यावरणीय चिन्तन को लेकर उनके मध्य होने वाली वार्ताओं को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने माना है कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तभी सम्भव है जब सभी राष्ट्र एक मंच पर आकर पर्यावरण संरक्षण हेतु विचार विमर्श कर आवश्यक कदम उठाये। इसके साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का भी उल्लेख किया है। पुस्तक के सातवे अध्याय में इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में होने वाले पर्यावरणीय राजनीति पर चिन्तन किया है। इनका मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय समस्या दशकों से धीरे–धीरे बढ़ रहा है। जिसका मुख्य कारण वैश्विक जनसंख्या, प्रभाव एवं तकनीकी में वृद्धि होना है। इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं हेतु जिम्मेदार घटकों सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक घटको का वर्णन किया है। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कर्ताओं को पर्यावरण ह्रास एवं संरक्षण हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है।[15]

Bell, Michael Mayerfeld- An Invitation to Environmental Society, 4th edtion, 2012. अपनी इस पुस्तक में M.M. Bell ने पर्यावरण एवं आधुनिक समाज के बीच सम्बन्धों की व्याख्या की है। पुस्तक के पहले अध्याय में इन्होंने ''पर्यावरणीय समस्यायें एवं समाज'' का जिक्र किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद ये दोनों ही आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं के मुख्य अवयवों में

[15] Ronald B. Mitchell- International Politics and The Environment- 2010

से एक हैं। आधुनिक मानव उपभोक्तावाद का आदी हो गया है। वह अधिक से अधिक अपने जीवन को सरल बनाने के लिये दोषपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कर रहा है। इसके साथ ही मानव भौतिकतावाद के चक्कर में पड़कर अपने आस पास के पर्यावरण को और अधिक हॉनि पहुॅचा रहा है। मनुष्य जितना अधिक भौतिकतावाद की ओर जा रहा है, वह उतना ही अधिक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि पैसा और मशीन (Money and Machines) का समाज में जितना अधिक प्रचलन होगा, पर्यावरण को उतनी ही अधिक हॉनि होगी। अर्थात् समाज जितना अधिक पैसों से सम्पन्न होगा, वह उतना ही अधिक अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिये यन्त्र अर्थात् मशीनों का उपयोग करेगा। जनसंख्या और विकास को लेकर भी इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, क्योंकि जैसे–जैसे किसी देश या समाज की जनसंख्या बढती है यह देखने को मिलता है कि देश का विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। यह विकास खासतौर पर आर्थिक क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन एवं विद्युत आदि में अधिक होता है तथा इनका बढ़ना पर्यावरण में संकट पैदा करता है।[16]

पुस्तक के दूसरे अध्याय में लेखक ने पर्यावरणीय विचारधारा का वर्णन रोम, ग्रीस एवं चीन देशों के सम्बन्ध मे किया है। इन्होंने बताया कि प्राचीन समय में इन देशों में प्रकृति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था उस समय नैतिकता के आधार पर लोग पर्यावरण से जुड़े रहते थे परन्तु वर्तमान समय में इन देशों में इसका बिल्कुल उल्टा है, आज का समाज पर्यावरण संरक्षण के अपने नैतिक कर्तव्य से अलग हो रहा है, इसकी तुलना थॉमस कोहन के ''Paradigsm Shift'' थ्योरी से की जा सकती है। क्यों कि प्राचीन समय में लोग पर्यावरण में रहते थे, इसमें रूचि लेते थे, उसका संरक्षण करते थे परन्तु वर्तमान समय उपरोक्त अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है, अर्थात् Paradigsm Shift थ्योरी यहॉ पर लागू हुयी है। इसके अलावा वर्तमान समय में मनुष्य का प्रकृति से अलगाव हो रहा है, अर्थात मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इस कारण भी पर्यावरणीय समस्यायें जन्म ले रही है। इन्होंने यह भी बताया कि जैसे–जैसे मनुष्य की सोचने की तर्क शक्ति बढ़ रही

[16] Bell, Michael Mayerfeld- An Invitation to Environmental Society, 4th edtion, 2012

है, मनुष्य पर्यावरण के लिये खतरा बन रहा है। इस पुस्तक में पर्यावरण एवं समाज के आपसी सम्बन्धों की भूत एवं वर्तमान के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। इस उद्देश्य में पुस्तक अद्वितीयक है।[17]

Walter A. Rosenbaum ने अपनी पुस्तक Environmental Politics and Policy-2014 के नवे संस्करण में पर्यावरण एवं राजनीति दोनों को एक दूसरे पर निर्भर बताया है। उन्होनें बताया है कि पर्यावरण पर राजनीति की मुख्य रूप से शुरूआत अमेरिका से हुई। सन् 1969 रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियम बनाने की पहल की तथा इसके साथ ही अमेरिका की इकाइयों को भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियम बनाने का निर्देश दिया। और यही से अमेरिका में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेट दोनों ही राजनीतिक दलों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक दूसरे से अपने आपको श्रेष्ठ दर्शाना प्रारम्भ कर दिया।

इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने आपको अमेरिकी जनता के सामने पर्यावरण हितैषी होने का एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दावा किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी जनता ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर रूचि लेना शुरू किया। दोनों ही अमेरिकी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जीवन हेतु क्लीन इनवायर्मेण्ट प्रदान करना था। इसी के चलते अमेरिका में 1970 में प्रथम ''अर्थ–डे'' का आयोजन किया गया जिसमें अमेरिका के राजनेताओं ने बढचढ़ कर हिस्सा लिया। पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण पर चिन्ता व्यक्त करने हेतु अब प्रतिवर्ष इसे मनाया जाने लगा। यहीं से अमेरिका के प्रमुख ने पर्यावरण संरक्षण पर रूचि लेना प्रारम्भ कर दिया।[18]

अपनी इसी पुस्तक में इन्होनें पर्यावरण एवं उसके ह्रास पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पर्यावरणीय न्याय पर भी चर्चा की है। तथा इसके साथ ही इन्होंने पर्यावरण पर राजनीति का विस्तृत उल्लेख किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजनीति की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।

---

[17] Bell, Michael Mayerfeld- An Invitation to Environmental Society, 4th edtion, 2012
[18]Walter A. Rosenbaum- Environmental Politics and Policy-2014

Hegade, N.G.- Strategies for Creating Environmental Awarness- 2003 एन0 जी0 हेगेड ने अपने लेख में वर्तमान में जो पर्यावरणीय समस्यायें पनप रही है उसके लिये जोकि देश के प्रशासनिक विभाग है जोकि विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु हैं को जिम्मेंदार ठहराया है। लेखक का कहना है कि विभाग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे है। क्षेत्र की दृष्टि से उन्होंने पर्यावरण को दो भागों में बॉटा है– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्यायें इसलिये पैदा हो रही हैं क्यों कि वहॉ पर जंगलों में हरास, कृषि में वृद्धि, सिंचाई हेतु असंतुलित जल हा प्रयोग, जानवरों के शिकार पर अत्यधिक प्रतिबन्ध आदि देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में कूड़ा करकट, नालियों एवं औद्योगिक अवशिष्ट तथा अत्यधिक यातायात के साधनों का प्रयोग होता है। जिससे शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्यायें पनपी है। लेखक का कहना है कि उपरोक्त शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जीवन की गुणवत्ता, असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र एवं खाद्य सृंखला, बाढ़ एवं सूखा, विभिन्न प्रकार की बीमारियॉ आदि उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन परत का ह्रास आदि हमारी पृथ्वी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे है। लेखक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहा तो वह दिन जरूर आयेगा, जब पृथ्वी जीवन के अनुकूल नहीं बचेगी। लेखक का कहना है कि उपरोक्त समस्याओं से निजात पाने के लिये जो सरकारी विभाग पर्यावरणीय घटकों के प्रति जिम्मेंदार है उनको अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना होगा।

इसके साथ ही समाज के विभिन्न समूहों (युवा, महिलायें, बच्चे, शिक्षित लोग) को पर्यावरण के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी इन दोनों ही स्तरों पर लोगों को पर्यावरण के प्रति विभिन्न तरीकों से जागरूक करना होगा। इन्होने उन लोगों की चर्चा की है, जो इसके प्रति जागरूकता लाने में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान एवं इसके सहयोगी अंग, स्कूल अध्यापक, मजदूर, नेता, गॉव के शिक्षित व्यक्ति आदि वहॉ के लोगों को पर्यावरण के प्रति अच्छी प्रकार से जागरूक कर सकते है। इसी प्रकार से

शहरी स्तर पर विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, कवि, अभिनेता, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु इन्होंने विभिन्न संस्थाओं यथा मीडिया, स्कूल, एन0 सी0 सी0 ग्रुप, युवा समूह एवं खेल समूह, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान देने की बात की है। इस लेख में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की बात की गयी है।[19]

Agrawal, Anil- Politics of Environment-2007 में अनिल अग्रवाल जी ने अपने लेख में भारत में वर्तमान में पनप रहे पर्यावरणीय संकट की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। इनका मानना है कि भारत में आजादी के बाद से जल, वायु एवं वन संरक्षण हेतु अनेक अधिनियम बनाये गये हैं, परन्तु इनका ठीक प्रकार से अभी तक पालन नहीं कराया जा सका है। हमारे देश में पर्यावरण एवं विकास को लेकर आम जनता के मध्य समझ की कमी है। और न ही इसके पीछे कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत में अन्धाधुन्ध विकास को लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि ''यहॉ के लोग जिस डाली पर बैठे है उसी को काट रहे हैं''। यद्यपि भारत में कुछ राज्यों जिसमें चिपको एवं एप्पिको जैसे पर्यावरणीय संरक्षण हेतु आन्दोलन चलाये गये जिनका एक मात्र उद्देश्य यह दर्शाता है कि यहॉ अब भी लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति रूचि है। हमारे यहॉ पर दैनिक समाचार पत्र भी पर्यावरणीय मुद्दों को अधिक से अधिक वरीयता दे रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी कार्यक्रमों में भी वृद्धि हो रही है।

इनका मानना है कि पर्यावरण के विनाश हेतु ज्यादातर उत्तरदायी अमीर देश हैं। क्योंकि इन देशों में औद्योगिकीकरण के साथ–साथ उपभोग का अत्यन्त उच्च स्तर है। अर्थात् ये देश उच्च औद्योगिकीकरण एवं उच्च उपभोग दोनों को ही बढ़ावा दे रहे है। इन देशों में विज्ञान एवं तकनीकी के बढ़ते हुये प्रभाव के कारण भी पर्यावरणीय क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो रहे है। बढ़ते तकनीकी प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर असमानता उत्पन्न हुयी है। इसमें कुछ देश बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये है। वहीं पर दूसरी ओर इन्होंने गरीब देशों को भी पर्यावरणीय

[19] Hegade, N.G.(2003) , Strategies for Creating Environmental Awarness

संकट हेतु कम जिम्मेंदार नहीं ठहराया है। यहॉ के लोग अपने उपभोग एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। इस कारण जहॉ एक ओर धीरे–धीरे वनों का विनाश किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर कृषि के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है इस प्रकार इनका मानना है कि गरीब एवं अमीर दोनों ही देशों के माध्यम से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है।[20]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– पर्यावरण को बचाने हेतु सर्वप्रथम 1972 में स्वीडेन की राजधानी स्टाकहोम में शिखर सम्मेलन हुआ जिसे स्टाकहोम शिखर सम्मेलन–1972 के नाम से जाना जाता है। जिसमें राष्ट्रों के मध्य पर्यावरणीय ह्रास पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी। इसके पश्चात् 1992 में ''पृथ्वी शिखर सम्मेलन'' ब्राजील की राजधानी रियो–डी–जेनेरियो में सम्पन्न हुआ, इसी प्रकार से पर्यावरण को बचाने हेतु 1972 से लेकर अब तक लगभग दस शिखर सम्मेलन राष्ट्रों के मध्य सम्पन्न हो चुके है इन सम्मेलनों का अभी तक नतीजा शून्य ही रहा है केवल कागजों पर ही कार्यवाही की गयी।[21]

पर्यावरण एवं गांधी दर्शन– भारत में महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिन्द स्वराज–1909 (Hind Swaraj) में पर्यावरण को बचाने हेतु वकालत की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में औद्योगिकीकरण की निंदा की तथा उद्योगों में मशीनीकरण का विरोध किया, क्योंकि मशीनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को अपूर्णनीय क्षति पहुॅचती है। इसके साथ ही मनुष्य अपनी श्रम शक्ति का भरपूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य शरीर से धीरे–धीरे जर्जर एवं आलसी हो जाता है गांधी जी ने बड़े–बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे–2 श्रम प्रधान कुटीर उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया, क्योंकि इनमें मशीनों के स्थान पर मानवीय श्रम पर अधिक बल दिया जाता है तथा इन उद्योगों से पर्यावरण को भी अधिक क्षति नहीं पहुॅचती है। गांधी जी ने उस समय जब पर्यावरण पर चिंता व्यक्त

[20] Agrawal, Anil(2007)- Politics of Environment
[21] http://sustainabledevelopment.un.org

की थी तब समाज में पर्यावरण के प्रति लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं थी और न ही पर्यावरण के ह्रास जैसा कोई मुद्दा था।[22]

उत्तराखण्ड राज्य जो कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, में चमोली जिले के अन्तर्गत चिपको आन्दोलन–1973 में चलाया गया।[23] इसका नेतृत्व डॉ0 सुन्दर लाल बहुगुणा एवं चण्डी प्रसाद भट्ट ने किया, यह आन्दोलन पर्यावरण संरक्षण के साथ वृक्षों की रक्षा करना व स्थानीय वनों की कटाई को रोकने के लिये प्रारम्भ किया गया था। जो अब भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में फैल चुका है कर्नाटक राज्य में यह एप्पिको आन्दोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार से भारत में 1991 में नर्मदा बचाओ आन्दोलन मेंद्या पाटेकर के नेतृत्व में एवं केरल राज्य में पर्यावरण एवं जैव विविधता को बनाये रखने हेतु शान्त घाटी आन्दोलन चलाया गया। इन सभी आन्दोलनों से आम जनता में पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूकता तो पैदा हुई परन्तु उपभोक्तावाद के आगे यह सभी आन्दोलन फीके पड़ गये।[24]

भारत में पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लाया गया, इसके पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आया, इन दोनों ही अधिनियमों में वनों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया इस साथ ही इनमें वन्य जीव जन्तुओं की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर बल दिया गया। इन दोनों ही अधिनियमों को समाहित कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आया, जिसको सम्पूर्ण देश में वृहद स्तर पर लागू किया गया। इन सभी अधिनियमों में कार्यवाही केवल कागजों पर की जाती है प्रतिदिन हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जाता है तथा इतने ही प्रतिदिन जंगली जानवरों का शिकार कर उन्हें मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इन सभी अधिनियमों को लागू किया है लेकिन इन अधिनियमों के लागू होने के बावजूद प्रदेश में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे है।

---

[22] महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, प्रथम संस्करण, 1938

[23] Ramachandra Guha- Environmentalism : A Global history, 2018, p.no.159

[24] डा0 रविशंकर पाण्डेय,पर्यावरण चिंतन, प्रथम संस्करण 2011, पृ.12

उत्तर प्रदेश में सन् 2002 में ताज कोरीडोर योजना आयी, उस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी। इस योजना का उद्देश्य ताजमहल के आस–पास टूरिज्म का विकास करना था, उस समय केन्द्र में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में मायावती की इस योजना का समर्थन किया। यह योजना केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बगैर आरम्भ की गयी थी। बाद में भाजपा ने बसपा से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस योजना पर रोक लगा दी गयी और सुश्री मायावती पर रूपये के गवन एवं पर्यावरण को हॉनि पहुॅचाने का मुकदमा चलाया गया जो कि आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें कोई भी आरोप सिद्ध न होने के चलते मुकदमें को न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया।

इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे प्लान 2007 में आया। उस समय भी प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी, इस योजना का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोयडा से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया को जोड़ना था। इन दोनों ही जिलों के मध्य गंगा नदी के पश्चिमी तरफ से होकर 1047 किमी0 आठ लेन (Eight Lane) सड़क का निर्माण करना था। स्वाभाविक है कि इस योजना को पूरा करने हेतु नोयडा से बलिया तक गंगा नदी के किनारे के बहुमूल्य वनों को काटना पड़ता। सन् 2009 में उच्च न्यायालय ने मायावती के इस प्रोजेक्ट कर मानवीय एवं पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए रोक लगा दी। अभी तक केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं मिल पायी है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार पुनः इस पर कार्य कर रही है।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती के पिछले कार्यकाल (2007–12) में प्रदेश में लखनऊ शहर में अम्बेडकर पार्क एवं अन्य पार्को का निर्माण किया गया, इन पार्कों के निर्माण में जहॉ करोड़ों रूपये खर्च किये गये वही पार्क निर्माण हेतु सैकड़ो वृक्षों को काट दिया गया तथा पार्को में अनेक नये वृक्ष लगाये भी गये। यहॉ पर यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि पार्को के निर्माण से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यावरण को क्षति हुयी अथवा पर्यावरण के उत्थान में मदद मिली।

उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के द्वारा क्लीन यू0पी0 ग्रीन यू0पी0 कार्यक्रम चलाया गया है जिसका उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक नये वृक्षों को लगाना एवं उन्हें संरक्षण देना है ताकि प्रदेश को हरा भरा बनाया जा सके। इसी कार्यक्रम के तहत 7 नवम्बर 2015 को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कुल आठ घण्टे में दस लाख नये पौधे लगाये गये। प्रदेश सरकार के इस कारनामें को गिनीज बुक आफ द वर्ड में दर्ज किया गया है।[25]

इसी प्रकार से सरकार द्वारा 11 जुलाई 2016 को 5 करोंड़ पौधे वन विभाग के माध्यम से लगााने का लक्ष्य रखा गया। ताकि प्रदेश भर में शहरीकरण की लगातार वृद्धि से जो पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके।[26]

पर्यावरण एवं वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश में इटावा में लॉयन सफारी का निर्माण किया गया है इसके साथ ही पीलाभीत में टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया है, अमेठी में मेगा फूड पार्क, के निर्माण पर राजनीतिक बहस जोरों पर है प्रदेश में गंगा की सफाई हेतु गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जनवरी 2016 से प्रदेश में पॉलीथीन की ब्रिकी एवं उसके प्रयोग को प्रतिबन्धित कर दिया गया है यहॉ पर प्रदेश में सरकारें वाकई में पर्यावरण को बचाने हेतु चिन्तित है या इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पीछे उसका कोई राजनीति स्वार्थ है। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें भी ऐसे निर्णय लिये गये है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर रहे है। जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है।

<u>शोध प्रश्न (Research Questions</u>)-

1. प्रदेश में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण है?
2. प्रदेश में पर्यावरण हास में क्या सरकारें ही जिम्मेंदार रही है?
3. भूमण्डलीकरण से प्रदेश में पर्यावरण को लाभ पहुचा है या हानि?

[25] दैनिक जागरण, 8 नवम्बर 2015
[26] Tennews.in, 11 july 2016

4. क्या सरकारें प्रदेश में राजनीतिक स्वार्थवश ही पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रमों में रूचि ले रही हैं?
5. राजनीति एवं पर्यावरण दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे है ?
6. उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम अपने उदेश्यों की पूर्ति में कहॉ तक सफल है ?

उद्देश्य (Objectives)–

1. पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना।
2. समावेशी विकास के प्रति जागरूकता फैलाना।
3. पर्यावरण हितैषी तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
4. पर्यावरण के उत्थान में राजनीतिक दलों के योगदान का अध्ययन करना।
5. पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का सरकारी नीतियों के सन्दर्भ में अध्ययन करना।

परिकल्पना (Hypothesis)-

1. पर्यावरण की राजनीति और पर्यावरण को लेकर राजनीति चल रही है और दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सम्बन्ध है।
2. उत्तर प्रदेश में लोगों में पर्यावरणीय राजनीतिक जागरूकता का अभाव है जिसके चलते नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से उसका प्रयोग निहित फायदे के लिए कर रहा है।
3. वैधानिक नियमों की सक्रियता और निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से सार्थक सम्बन्ध है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)-

प्रस्तुत शोध में विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, विवरण और अनुभवजन्य शोध पद्धति को अपनाया गया है। आंकड़ों का संग्रह करने के लिये विभिन्न तकनीकें जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। साथ ही

अध्ययन की सामग्री संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में बुद्धिजीवियों एवं शोधार्थियों से उनके मंतव्य एवं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया हैं। द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न पुस्तकों, शोध–प्रबंधों, पत्र पत्रिकाओं, जर्नल, इन्टरनेट एवं अन्य साधनों का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिये शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श (Probability Sampling) के अन्तर्गत सोद्देशीय न्यादर्श (Purposive Sampling) के माध्यम कुल 250 लोगों को लिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चार भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थे। इन भागों में से एक–एक जिले जिसमें अवध से जिला सीतापुर, पूर्वांचल से जिला बहराइच, पश्चिमांचल से जिला शाहजहॉपुर, बुन्देलखण्ड से हमीरपुर जिले का चयन किया गया। इन जिलों का चयन इस लिये किया गया क्योंकि ये जिले पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले के अर्न्तगत एक–एक गॉव/कस्बे का चयन किया गया जो कि उन जिलों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे जिसमें जिला सीतापुर के अर्न्तगत रतौली गॉव, जिला बहराइच के अर्न्तगत नानपारा, जिला शाहजहॉपुर के अर्न्तगत पुवायां, हमीरपुर जिले से नगर हमीरपुर का चयन किया गया। इन सभी जगहों से 50–50 लोगों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से उनके विचार लिये गये। इसके साथ ही 10 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञों, 10 खनन के जानकारों एवं 10 सड़क एवं एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों तथा साथ ही 6 राजनीति विज्ञान विषय विशेषज्ञों एवं 4 अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञों को लिया गया। साक्षात्कार के माध्यम से एवं साथ ही सभी को शोधकर्ता द्वारा तैयार की गयी प्रश्नावली प्रदान की गयी जो कि उनके विषय से सम्बन्धित थी इस प्रकार कुल 200 जनता से एवं 50 विशेषज्ञों सहित कुल 250 लोगों से उनके विचार लिये गये। जिसके आधार पर परिणामों को निकाला गया, जिनको सारणी एवं ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है।

अध्यायीकरण–

अध्याय प्रथम : प्रस्तावना– वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा हुए पर्यावरण से है। पर्यावरण में बदलाव होने के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौती है वही पर हमारी भविष्य की पीढियॉ भी इससे बहुत दुष्प्रभावित होगी, इस समय जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखना, वहीं पृथ्वी की भावी पीढ़ियों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करना है वरना कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जीवन को दुर्लभ बना ले। भूमण्डलीकरण के पश्चात् राष्ट्रों के मध्य अवरोध की जंजीरे तोड़ दी गयी। विश्व में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, राष्ट्रों ने तीव्र विकास हेतु अधिक से अधिक अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में औद्यौगिकीकरण को तीव्र बढ़ावा मिला एवं औद्योगिकीकरण का बढ़ावा होने से राष्ट्रों के विकास की गति तीव्र हुई। विश्व के लगभग सभी देशों ने पर्यावरण की चिंता को दरकिनार कर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन किया, जिसके फलस्वरूप विश्व में पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ने लगा तथा भूमण्डलीकरण के पश्चात् विश्व में जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का ह्रास एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्यायें बढ़ने लगी। इन सभी में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आयी, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक स्तर पर देखा गया। यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर राष्ट्रों के मध्य राजनीति तेज हुयी। इन पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साथ–2 राष्ट्रीय एवं राज्यों पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई पड़ा है जिसके चलते विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रदेश के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजनीति देखी गयी। प्रदेश में जाने अनजाने में ही सही पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

अध्याय द्वितीय : भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति– 1980 के दशक में विश्व में उदारवादी नीति के चलते भूमण्डलीकरण की नींव पड़ी।[27] जिसके फलस्वरूप राष्ट्रों के मध्य तमाम अवरोध की जंजीरें तोड़ दी गयी। जिससे विश्व भर में राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला। अब औद्योगिकीकरण कुछ ही देशों में सीमित रहकर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। जिसका तेजी से भार प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा। जिसके दुष्प्रभाव स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं ने जन्म लिया। जिसमें वनों का ह्रास, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमिगत जल में कमी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्यायें प्रमुख रूप से है। जिन पर चिंतन व्यक्त करने हेतु राष्ट्रों के मध्य पर्यावरणीय राजनीति को बढ़ावा मिला। जिसके चलते विभिन्न राष्ट्रों एवं संस्थाओं के मध्य अनेक सम्मेलन एवं वार्तालाप हुयें। जिनका प्रभाव राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर भी पड़ा। यहॉ पर भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति तीनों ही एक दूसरे से प्रभावित हैं।

अध्याय तृतीय : उत्तर प्रदेश में पार्क निर्माण एवं राजनीति– उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के हृदय स्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के एक बेहद ही समृद्ध राज्यों में से एक है। जो कि राजनीति से लेकर पर्यटन में नम्बर वन है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उप–महाद्वीप की महान प्राचीन नदियों गंगा, यमुना और गोमती के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्‌गम हुआ। इतिहास गवाह है कि महान नदियों के किनारें ही गौरवशाली सभ्यताओं और नगरों का विकास हुआ है। भारत में गंगा, यमुना और गोमती के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परम्पराओं का विकास हुआ है उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है। कवि, बौद्धिक जन और राजनेता हुए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अनुपम और अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मूलतः ढेर सारे पर्यटन गंतव्यों का केन्द्र है। यह बात महत्व नहीं रखती कि पर्यटक क्या देखना चाहते हैं, यहां ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के

[27]पंत, पुष्पेश, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 2011

लिए रूचि का कारण बन सकती हैं। यहां अनेक ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन अभयारण्य, धार्मिक केन्द्र, पार्क, स्मारक और रोमांचक पर्यटन स्थल हैं। जिसके लिए पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं।

वास्तव में उत्तर प्रदेश के जीवन और सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। इस यात्रा में आप देखेंगे ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थस्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक। उत्तर प्रदेश में इस तरह के स्थानों को लेकर काफी राजनीति भी गरम रहती है। आज के समय राजनीति में धर्म और जाति का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। इसलिए लगभग सभी पार्टियां किसी न किसी धर्म या जाति को ज्यादा समर्थन करती हैं। यही कारण है कि उनके धर्म या जाति से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्मारक, पार्क या तीर्थस्थलों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहां पर यह विचारणीय है कि पार्कों या तीर्थस्थलों का निर्माण आवश्यक है चाहे वह किसी धर्म या जाति से सम्बन्धित ही क्यों न हों। क्योंकि पर्यावरण को व्यवस्थित रखने में यह पार्क अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहॉ पर पार्कों के निर्माण की आड़ में बड़े स्तर पर सरकारी धन का दुरूपयोग एवं घोंटाले देखने को मिलें। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य राजनीति एवं एक दूसरे की आलोचना अवश्य ही देखने को मिली है।

अध्याय चतुर्थ : उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण एवं राजनीति– भारत के किसी भी प्रदेश का विकास उस प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा किया जाता है और प्रदेश में विकास से सम्बन्धित जितना भी निर्माण कार्य होता है उसमें जमकर राजनीति भी होती है। यही कारण है कि हमारा देश विकसित न होकर विकासशीलता की श्रेणी में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई भी निर्माण कार्य बिना राजनीति के सम्भव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिकरण तो अपने चरमोत्कर्ष पर है, बल्कि यूं कहें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सड़कों के निर्माण या किसी अन्य निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर राजनीति होती रही है।

एक्सप्रेसवे क्या होता है, यह जानना हम सभी के लिए अतिआवश्यक है– हाई–स्पीड ट्रैफिक के लिए डिजाइन किये गये एक व्यापक हाईवे को एक्सप्रेसवे कहते हैं। एक्सप्रेसवे एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ है द्रुतगामी मोटरमार्ग। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजतीतिक दलों के द्वारा पार्को का निर्माण कराया गया जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेसवे, बुद्धा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे आदि प्रमुख हैं। तथा इनके निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य जमकर राजनीति देखी गयी है।

अध्याय पंचम : उत्तर प्रदेश में खनन व राजनीति– पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकर्म या खनन (Mining) कहलाता है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गयी है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती जा रही है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी–बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव भी हुआ है। फलस्वरूप खनिकर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है इसीलिए इसको खनन इंजीनियरी कहते हैं।

संसार के अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसीलिए छोटी–छोटी खान ही पर्याप्त थी। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहां पानी निकल आया करता था, वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं थे। खनन की वजह से सरकार को राजस्व हॉनि के साथ ही प्राकृतिक दैवीय खनिज की क्षति हो रही है। जिसको रोकने के लिए सरकार व जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। इस खनिज का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से पड़ रहा है। इस पर्यावरण में रहने की वजह से इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। लेकिन कोई भी इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते

हैं। नदियों व तालाबों से खनन करके लाई गई रेत या बालू का परिवहन खुले वाहनों में किया जाता है जो हवा के साथ उड़कर पर्यावरण को दूषित करती है। रेत के सूक्ष्म कण हवा में फैलने से वह सांस लेने पर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। ये धूल के कण हमारी आंखों के लिए भी हॉनिकारक होते हैं। इतना ही नहीं कई बार रेत या बालू से भरे ट्रक, ट्रैक्टर आदि ओवरलोड होने की वजह से सड़क किनारे पलट जाती हैं जिससे सड़क पर जाम तो लगता ही है साथ ही अन्य वाहन आदि भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, तथा उसमें सवार मजदूरों की मौत तक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण में चल रहे खनन इस कारोबार को शासन व प्रशासन बंद कराने में असमर्थ है। नई खनन नीति–2017 का वर्णन, उसका महत्व एवं उसके प्रभावों का भी इसमें संक्षिप्त वर्णन है।

अध्याय षष्ठम् : उपसंहार– इस अध्याय में शोधकर्ता द्वारा ली गयी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा व्याख्या की गयी है साथ ही शोधकर्ता द्वारा प्रथम अध्याय– प्रदेश में पार्क निर्माण एवं उस पर राजनीति, द्वितीय अध्याय– प्रदेश में एक्सप्रेसवेज निर्माण एवं उस पर राजनीति, तृतीय अध्याय प्रदेश में खनन एवं उस पर राजनीति आदि पर विष्लेषणात्मक चर्चा की गयी है इस अध्याय के अन्त में शोधकर्ता द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार व आम जनता दोनों के लिये ही अलग–अलग सुझाव दिये गये हैं।

अध्याय–द्वितीय

भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति

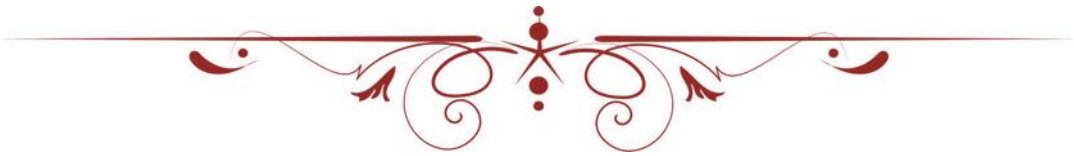

अध्याय–द्वितीय

भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति

1980 के दशक में विश्व में उदारवादी नीति के चलते भूमण्डलीकरण की नींव पड़ी।[1] जिसके फलस्वरूप राष्ट्रों के मध्य तमाम अवरोध की जंजीरें तोड़ दी गयी। जिससे विश्व भर में राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला। अब औद्यौगिकीकरण कुछ ही देशों में सीमित रहकर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। जिसका तेजी से भार प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा। जिसके दुष्प्रभाव स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं ने जन्म लिया। जिसमें वनों का ह्रास, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमिगत जल में कमी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्यायें प्रमुख रूप से हैं। जिन पर चिंतन व्यक्त करने हेतु राष्ट्रों के मध्य पर्यावरणीय राजनीति को बढ़ावा मिला। जिसके चलते विभिन्न राष्ट्रों एवं संस्थाओं के मध्य अनेक सम्मेलन एवं वार्तालाप हुए। जिनका प्रभाव राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर भी पड़ा। यहॉ पर भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति तीनों ही एक दूसरे से प्रभावित हैं जिनके अर्थ को पहले अलग–अलग समझना आवश्यक है। तभी इनका विश्लेषण करना उचित होगा जोकि इस प्रकार है–

पर्यावरण

पर्यावरण समस्त जीवधारियों के जीवन का आधार है। पर्यावरण के अभाव में जीवन की परिकल्पना करना असम्भव है। जीवधारियों एवं पर्यावरण का आदिकाल से ही सम्बन्ध रहा है।[2] इसके साथ ही जीवधारियों ने पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मनुष्य ने अपने ज्ञान से पर्यावरण का अधिक दोहन किया है। वर्तमान समय के मनुष्य का प्रकृति के साथ सम्बन्ध सकारात्मक न होकर विध्वंसात्मक होता जा रहा है। इसलिये पर्यावरण को लेकर जो समस्यायें उत्पन्न हुयी हैं। वो स्थानीय, राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक हो गयी

[1]पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2012

[2] Raman singha- Environment in historical perspective, frist edtion, 2007, new delhi. Page no. 236-237

है। वर्तमान समस्या में पर्यावरण को होकर जो समस्यायें उत्पन्न हुयी हैं उनसे समस्त मानव जाति प्रभावित हुयी है। पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रभाव प्रत्येक जीवधारी पर पड़ा है।

जैसे–जैसे समय बीतता जा रहा है विज्ञान की प्रगति एवं नये आविष्कारों में वृद्धि होती जा रही है। जिस कारण प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होने से पर्यावरण की उपेक्षा की जाने लगी है। वहीं पर पृथ्वी पर धीरे–धीरे जनसंख्या में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि एवं शहरीकरण के विस्तार हेतु पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अतः पर्यावरण का विनाश होना स्वाभाविक है। जिससे पर्यावरणीय घटकों के क्षरण से समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। अतः पर्यावरण का विषय आज वैश्विक स्तर पर चिंतन का विषय बन गया है।

पर्यावरण का चिन्तन एक बहुआयायी विषय बन चुका है। विकास की दौड़ में प्रकृति का असीमित दोहन न केवल मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिये खतरे की घण्टी है अपितु अन्य जीवों के लिये भी विनाश की चेतावनी है।

आधुनिक तकनीकि मानव के जीवन के विलासिता के उद्देश्यों एवं अपने आर्थिक उद्श्यों की पूर्ति के लिये प्रकृति से छेड़छाड़ के क्रिया कलापों से पर्यावरणीय संतुलन को हॉनि पहुँची है। जिससे प्रकृति द्वारा निर्मित व्यवस्था या अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। इससे पर्यावरण को क्षति पहुँची है। वर्तमान समय की भयावह समस्यायें जिसमें प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य को अपनी जीवनशैली पर विचार करने हेतु विवश कर रही हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि इन उभरती पर्यावरणीय समस्याओं पर सम्पूर्ण मानव जाति अपनी आँखे खोले नहीं तो वह समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब सम्पूर्ण मानवजाति इसकी चपेट में आ जायेगी। यदि ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो भी शहरी समाज के अत्यन्त जागरूक लोग भी इन पर्यावरणीय समस्याओं को नजरन्दाज करते आ रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली एवं इसके vkl–पास के इलाके में प्रदूषित वायु एवं कोहरे में धुँध की समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षति के कारण उत्पन्न हो रही है। अगर यही हाल

रहा तो लगभग सभी महानगरों में ऐसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पर्यावरण का अर्थ –

पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है परि + आवरण।[3] जिसमें 'परि' संस्कृत भाषा के उपसर्ग से बना है। जिसका अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढकने से है।[4] अतः पर्यावरण से आशय है कि ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। चारों ओर प्रकृति के द्वारा बनाये गये घेरे के अंतर्गत मुख्य रूप से हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश पेड़–पौधे एवं जीवधारी आदि आते हैं। प्रकृति के इन्ही तत्वों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तथा इन्ही तत्वों पर समस्त जीवधारियों के साथ–साथ मनुष्य का जीवन भी निर्भर है। पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना करना असम्भव है।

अन्य अर्थ में पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जैविक–अजैविक तत्वों, तथ्यों प्रक्रियाओं एवं घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और प्रत्येक घटना इसी के अन्दर घटित होती है। सभी जीवधारी अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवधारियों एवं पर्यावरण के मध्य अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।[5]

पर्यावरण दो घटकों में विभक्त है– जैविक एवं अजैविक। जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े–मकौड़े सभी जीवधारी एवं पेड़–पौधे आते हैं। जैविक घटकों में जीवन रहित तत्व एवं उनसे जुड़ी क्रियायें आती हैं। जैसे चट्टान, नदी, पर्वत, जलवायु एवं हवा आदि। हमारी पृथ्वी के भौतिक घटकों में मनुष्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

---

[3] डा0 रवि शंकर पाण्डेय– पर्यावरण चिन्तन, प्रथम संस्करण(2011 नई दिल्ली) पृष्ठ. 1
[4] Hindi.Indiawaterportal.org, 05.07.2011, 12:14 IST
[5] तिवारी, महेन्द्र कुमार– पर्यावरण शिक्षा, प्रथम संस्करण (2013, नई दिल्ली) पृष्ठ. 3

पर्यावरण की परिभाषायें:

1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद के अनुसार– ''मनुष्य की मूल पर्यावरण सम्बन्धी प्रणाली में न केवल जैव मण्डल सम्मिलित है बल्कि उसके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ उसकी अन्तर्क्रियाए भी सम्मिलित हैं।''

2. इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटनी के अनुसार– ''पर्यावरण को जीव, भौतिक तथा जैविक दोनों पर कार्य करते हुए बाह्य प्रभाव का सम्पूर्ण क्षेत्र अर्थात् अन्य जीव व्यक्ति की प्रतिवेशी प्रकृति का बल के रूप में परिभाषित किया गया है।''[6]

3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (क) के अनुसार– "पर्यावरण में जलवायु तथा भूमि और अर्न्तसम्बन्ध शामिल होता है जो जलवायु तथा भूमि एवं मानवजीवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों और जैविक के बीच विद्यमान है।''

4. भूगोल परिभाषा कोष के अनुसार– ''पर्यावरण चारों ओर की उन बाह्य दशाओं का सम्पूर्ण योग है। जिसके अन्दर एक जीव अथवा सम्पूर्ण समुदाय रहता है। या तो कोई वस्तु उपस्थित रहती है"।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसके अन्तर्गत वह समस्त कारक आ जाते हैं जो एक जीवधारी के चारों ओर से घेरते हैं। इसके अन्तर्गत वायु, जल, आकाश एवं प्रकाश आते हैं। तथा इसके साथ–2 इसमें पेड़–पौधे समस्त जीवित एवं मृत प्राणी आ जाते हैं"।[7]

[6] डा0 बी. एल. शर्मा, 2012,– पर्यावरण शिक्षा

[7] तिवारी, महेन्द्र कुमार– पर्यावरण शिक्षा, प्रथम संस्करण (2013, नई दिल्ली) पृष्ठ. 3

1–3 पर्यावरण के प्रखण्ड–

पर्यावरण को मुख्य तौर पर प्राकृतिक, नैसर्गिक एवं कृत्रिम, मानव निर्मित पर्यावरण के रूप में विभाजित किया जा सकता है ।

नैसर्गिक पर्यावरण–

प्रत्येक जीवित जीव का एक विशिष्ट परिवेश होता है। जिसमें विभिन्न क्रियाऐं करता हुआ अपने आप को उस परिवेश में अनुकूल बना लेता है। इसी को प्राकृतिक/ नैसर्गिक पर्यावरण कहते हैं। नैसर्गिक पर्यावरण को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) निर्जीव अथवा जैविक घटकों के अन्तर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं–

(क) जलवायु से सम्बन्धित घटक जिसमें सौर विकिरण, तापमान, वायु, जलधारा तथा वर्षा।

(ख) भौतिक घटक तथा प्रकाश , हवा, दबाव, तथा गुरूत्व।

(ग) नैदानिक कारक जैसे ऑक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, अम्ल, लवण एवं अकार्बनिक पोषक तत्व।

(2) जीवित या जैविक कारक जिसमें जीवाणु, पेड़–पौधे, जानवर एवं मनुष्य तथा समस्त जीवित जीवधारियों के द्वारा कार्बनिक उत्पाद आते हैं।

कृत्रिम पर्यावरण–

जैसे– 2 समय बीत रहा है मनुष्य ने विज्ञान एवं तकनीकि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है इन दोनों के ही प्रयोग से मनुष्य ने पर्यावरण को अपनी जरूरतों के अनुसार ढालना आरम्भ कर दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप मानव निर्मित या कृत्रिम पर्यावरण का अवतरण हुआ है। अतः जहाँ पहले इसके अन्तर्गत पर्यावरण में केवल वायु, पृथ्वी एवं जल आदि ही निहित होते थे। वही पर अब इसमें शस्त्र क्षेत्र, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र, आटोमोबाइल, विद्युत शक्ति प्लांट, दूरसंचार के साधन एवं अन्य बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है।

पर्यावरण की संरचना–

1.4 पर्यावरण को वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इसे हम निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं–

1.4 सामाजिक पर्यावरण– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है "उपरोक्त कथन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा दिया गया । यही कारण है कि मनुष्य सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। परिवार सामाजिक पर्यावरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। समाज में ही मनुष्य अपनी विभिन्न क्रियाओं में संलिप्त है। तथा अपनी धरोहर को जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नैसर्गिक को भावी पीढ़ियों में सौपते हैं। परिवारों से मिलकर ही समुदायों का निर्माण होता है। तथा हम सभी से मिलकर सामाजिक पर्यावरण का उत्थान होता है।

पृथ्वी का पर्यावरण– पृथ्वी के पर्यावरण से तात्पर्य है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न घटकों से है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों, राकेटों एवं उपग्रहों आदि के द्वारा इनके विषय में पता लगाया जाता है। पृथ्वी के पर्यावरण को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है। जो कि इस प्रकार है।–

(1) स्थल मण्डल **(2) जलमण्डल** **(3) वायुमण्डल**

(1) स्थलमण्डल–

स्थल मण्डल का निर्माण विभिन्न शैलों के टूटने से हुआ है। यह चट्टानों का बाह्य आवरण है जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है। इस ऊपरी सतह पर ही पेड़–पौधे एवं झाड़ियाँ उगते है तथा नष्ट हो जाते है। मिट्टी इसका प्रमुख घटक है। मिट्टी के सूक्ष्म जैविक पदार्थ का अपघटन होता रहता है। जिससे मिट्टी की ऊपरी परत उपजाऊ होती रहती है। मूल चट्टानों के अपक्षय से जो मृदा के मूल तत्व मिलते हैं। उनमें पानी, खनिज एवं जैविक–अजैविक पदार्थ मुख्य हैं।

मिट्टी के जैविक भाग के अन्तर्गत पौधों का जीवपुंज होता है। जो अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। इसमें बड़ी संख्या में जीवाणु, शैवाल, दीमक एवं केंचुए निवास करते हैं। पौधों की पोषक तत्व देने में मिट्टी का अहम योगदान होता है।

स्थल मण्डल में विभिन्न प्रकार की मिट्टियॉ पायी जाती हैं जिसमें दोमट मिट्टी, बलुई, चिकनी , काली, लैटेराइट आदि। स्थलमण्डल में ही लोहा, ताँबा, सोना, चाँदी, निकिल आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि तत्व पाये जाते हैं। शैलों में आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं रूपान्तरित शैल आदि प्रमुख रूप से पाये जाते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29 प्रतिशत भाग पर स्थलमण्डल का विस्तार है।

स्थलमण्डल की संरचना–

(1) **सियॉल–** स्थलमण्डल की यह सबसे ऊपरी परत है इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पायी जाती है। इन दोनों पदार्थो के मिश्रण से ही इसका नाम सियॉल पड़ा है। पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण सियॉल पदार्थो से ही हुआ है। इस परत का घनत्व 2.9 तथा गहराई 50 से 500 किमी0 तक है।

(2) **सिमा–** सियॉल के ठीक नीचे सिमा परत है पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे मैण्डल की परत पायी जाती है यह परत सिलिका एवं मैग्नीसियम पदार्थों से मिलकर बनी है इसलिये इसे सिमा कहते हैं। यह परत ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देने में सहायक है। इस परत की गहराई 1000 किमी0 से 2000 किमी0 तक होती है।

(3) **नीफे**– इस परत को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह परत मुख्य रूप से फैरम (लोहा) जैसी भारी एवं कठोर धातुओं से बनी है। इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। इसका औसत घनत्व 11 है। उच्च तापमान एवं भारी दबाव के कारण यह परत गाढ़े तरल द्रव व प्लास्टिक के रूप में पायी जाती है। निकिल एवं लोहे की प्रधानता की वजह से यह भूगर्भ के चुम्बकीय शक्ति को प्रकट करती है।

चट्टानें एवं शैल– भूपृष्ठ की रचना जिन तत्वों से हुयी है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं शैल शब्द का आशय उन सभी कठोर एवं प्रतिरोधी वस्तुओं से है जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर एवं संगमरमर । शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से हुआ है शैलों का निर्माण करने वाले सामान्य खनिज फेल्सपार तथा स्फटिक होते हैं। गाद, बालू, बजरी, चाक कोयला आदि शैलों में ही आते है। लोहा, ताँबा, सोना, आदि शैल बहुत ही बहुमूल्य होते हैं।

शैलों के प्रकार–

1. आग्नेय शैल– इनका निर्माण पृथ्वी के ज्वालामुखी के अन्दर से निकलने वाले लावा से हुआ है। लगभग 95 प्रतिशत शैल इसी प्रकार के होते हैं। इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। स्थल मण्डल के नीचे अत्यन्त गर्म पिघला द्रव होता है। जिस पर ऊपर से शैलों का भारी दबाव भी रहता है जब यह पिघला पदार्थ ठण्डा होकर कठोर हो जाता है तो आग्नेय शैल बन जाते हैं। जिस समय धरातल पर इन शैलों की उत्पत्ति हुयी थी, तब धरातल पर जीव–जन्तु एवं वनस्पतियों का आवरण नहीं था। इसी कारण इन शैलों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट इन शैलों के उत्तम उदाहरण हैं।

2. अवसादी शैल– जब शैलों के छोटे–2 कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भू–भाग पर परतों में जमा करते हैं तो इस प्रकार के जमें हुये पदार्थ को अवसाद कहते हैं। जब अवसाद की परते अपने भार या ऊपर से समुद्र के पानी के दबाव के कारण कठोर हो जाती है तो उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। अवसादों की परतों के कारण ही इन्हें परतदार शैल भी कहा जाता है। इन शैलों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि प्रमुख उदारहण हैं।

3. कायान्तरित शैल– जिन शैलों का निर्माण आग्नेय तथ परतदार शैलों के रूप में परिवर्तन के कारण होता है उन्हे कायान्तरित या रूपान्तरित शैल कहा जाता है। कायान्तरित शब्द अंग्रेजी भाषा के मेटामारफिक शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। कायान्तरण की प्रक्रिया में शैल अपना मूल रूप बदल देते हैं तथा पुराने खनिज

नया रूप धारण कर लेते हैं। जिससे नये खनिजों का निर्माण होता है संगमरमर, स्लेट, नाइस आदि इन शैलों के प्रमुख उदारहण हैं।

वायुमण्डल–

हम सभी अपने चारों ओर जो हवा मौजूद है तथा जिसका हम आभास करते हैं। उसे ही वायुमण्डल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमण्डल में अनेक गैसे पायी जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, कार्बनडाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन एवं हाईड्रोजन जैसी अनेक गैसें मौजूद हैं। इन सभी गैसों को मिलाकर ही वायुमण्डल की रचना हुयी है। इसमें निचले स्तर पर वायुमण्डल का संगठन लगभग समान रहता है। ऊँचाई पर जाने पर गैसों की अपेक्षित मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमण्डलीय गैसों का वितरण इस प्रकार है। नाइट्रोजन (78:), ऑक्सीजन (20.75:), कार्बनडाई ऑक्साइड (0.03), आर्गन (0.93:), निऑन (0.0018), अन्य गैसें हैं[8] जिनको नीचे दिये गये पाईग्राफ द्वारा दर्शाया गया है–

पाईग्राफ चार्ट

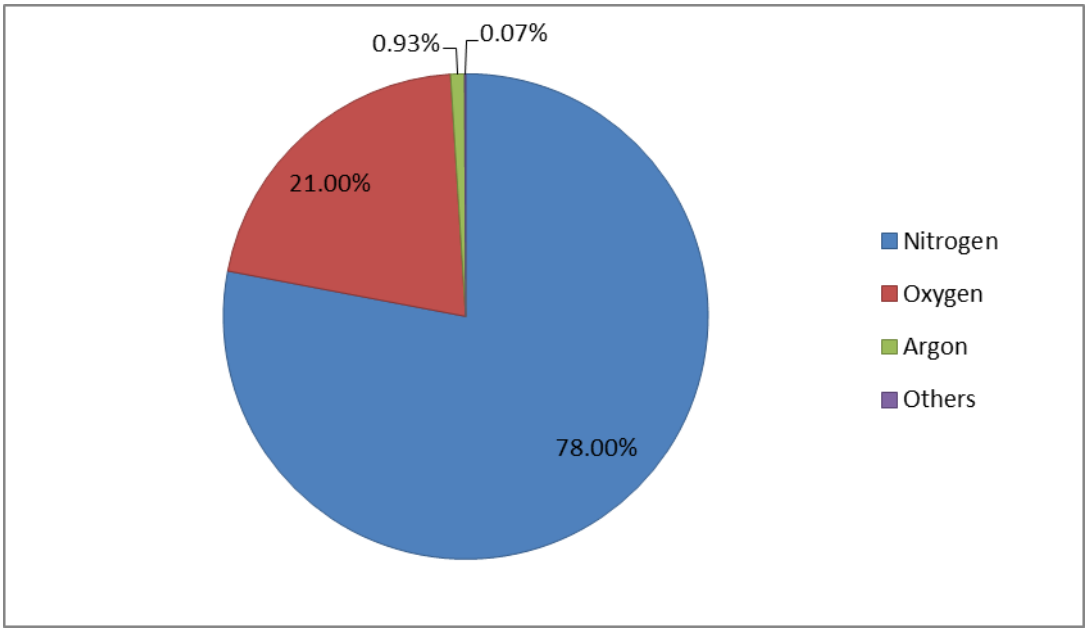

[8] अरूण कुमार–पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण (2012, दिल्ली) पृष्ठ. 13

वायुमण्डलीय परतें– वायुमण्डल का घनत्व ऊँचाई के साथ–2 घटता जाता है। वायुमण्डल को कुल पांच परतों में बाँटा गया है।[9]

(1) क्षोभमण्डल

(2) समताप मण्डल

(3) मध्य मण्डल

(4) आयन मण्डल

(5) बर्हिगमन मण्डल

(1) **क्षोभमण्डल**– इसे अंग्रेजी भाषा में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। मौसम सम्बन्धी सभी घटनायें इसी परत में घटित होती हैं। यह पृथ्वी पर वायुमण्डल का सबसे घना भाग है। वायुमण्डल में इसके ऊपर की ओर जाने पर वायु का घनत्व घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊँचाई पर जाने पर इसमें तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। यह परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 किमी0 ऊँचाई तक फैली होती है। चूंकि मौसम सम्बन्धी सभी घटनायें जिसमें बाढ, वर्षा, सूखा, आँधी आदि इसी में घटित होती हैं। इसलिए यह परत सभी जीवधारियों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है।[10]

(2) समताप मण्डल– क्षोभमण्डल के ठीक ऊपर जो परत पायी जाती है उसे समताप मण्डल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। यह परत 20 से 50 किमी0 की ऊँचाई पर पायी जाती हैं। इसी मण्डल में ओजोन परत भी लगभग 30 से 60 किमी0 की ऊँचाई पर पायी जाती है। इस मण्डल में तापमान समान रहने के कारण एवं मौसम की घटनाओं से मुक्त होने के कारण इसे वायुयानों के उड़ान भरने के लिए इसे आदर्श माना जाता है। इसी मण्डल में स्थित ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी हॉनिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है।

[9] डा0 बी. एल. शर्मा, 2012, पर्यावरण शिक्षा, पृ.83

[10] डा0 रविशंकर पाण्डे, 2011– पर्यावरण चिंतन,प्रथम संस्करण, शुलभ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.21

(3) ओजोन मण्डल– मध्यमण्डल समताप मण्डल के ठीक ऊपर जो परत पायी जाती है उसे ओजोन मण्डल कहते हैं। इसका विस्तार 50 किमी0 से 80 किमी0 के मध्य रहता है। इसमें ऊँचाई बढ़ने के साथ– 2 तापमान में कमी होती जाती है। इसमें ओजोन परत पायी जाती है। जो कि सूर्य की हॉनिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इस कारण इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।

(4) आयनमण्डल– धरातल से 80 से 400 किमी. के मध्य आयनमण्डल फैला होता है। यहाँ पर तापमान की मात्रा अधिक होती है जिसके फलस्वरूप दबाव में कमी रहती है। रेडियों की तरंगों का संचालन इसी परत से होता है ।

(5) बाह्य मण्डल– आयन मण्डल के ठीक ऊपर अर्थात 400 किमी0 की ऊँचाई से बाह्यमण्डल की शूरुआत होती है। इसमें हाईड्रोजन एवं हीलियम गैसे अधिक मात्रा में पायी जाती हैं। इसके साथ ही इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बनडाई ऑक्साइड, हीलियम एवं हाईड्रोजन की अलग–2 परतें भी पायी जाती हैं।

जलमण्डल–

सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड में पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर भारी मात्रा में जल पाया जाता है जो हमारी पृथ्वी को अन्य ग्रहों की तुलना में भिन्न बनाता है। सम्पूर्ण पृथ्वी पर लगभग 71 फीसदी भाग पर जल पाया जाता है। जलमण्डल के अन्तर्गत महासागरों, झीलों, नदियों एवं तालाबों के जल को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। जिसमें महासागरों का जल पृथ्वी के सम्पूर्ण जल का लगभग 97.5 फीसदी है। बाकी का 2.5 फीसदी ताजे जल के श्रोत हैं। जिसमें लगभग 68 फीसदी जल बर्फ के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जिसमें 1.7 फीसदी जल भूमिगत जल से रूप में पाया जाता है। लगभग 1 फीसदी से भी कम जल हमारे उपयोग के लिये बचता है।[11]

[11] सिंह, एस0 के0– सामान्य अध्ययन, षष्ठ संस्करण(2011, पटना) पृष्ठ. 197

पर्यावरणीय चुनौतियॉ –

लगभग पिछले सौ वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुयी है जिसके कारण विशेषकर रोटी, कपड़ा और मकान की आवष्यकताओं में भारी वृद्धि हुयी है इसके साथ ही बिजली, सड़क, वाहन, एवं अन्य वस्तुओं में भी वृद्धि हुयी है जिसकी पूर्ति हेतु हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा है परिणाम स्वरुप प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन हुआ है जिससे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुयी है। इसके साथ ही अन्य पर्यावरणीय समस्यायें जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत ह्रास जैसी चुनौतीपूर्ण समस्यायें उत्पन्न हुयी हैं जोकि निम्नलिखित हैं–

1. वायु प्रदूषण
2. जल प्रदूषण
3. मृदा प्रदूषण
4. जैव विविधता ह्रास
5. ओजोन परत ह्रास
6. ग्लोबल वार्मिंग
7. ग्रीन हाउस प्रभाव

इन सभी का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है–

(1) वायु प्रदूषण– वर्तमान समय में प्रदूषण में जोकि वायु प्रदूषण है यह मनुष्य के लिये सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि वायु हमारी जिन्दगी का सबसे आवश्यक तत्व है आज लगभग विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पर एकदम शुद्ध वायु मिलती है। वायु सभी जीवित जीवधारियों के लिये अत्यन्त आवश्यक है बगैर वायु के जीवन सम्भव नहीं है जैसे–2 मनुष्य आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा

है पर्यावरण प्रदूषण को भी जन्म दे रहा है क्यों कि धीरे–धीरे वृक्षों का हनन हो रहा है जोकि पर्यावरण की वायु को शुद्ध करने मे सहायक हैं।[12]

वायु प्रदूषण के कारण–

1. औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएँ एवं रासायनिक अवयवों से।
2. आटोमोबाइल्स से निकलने वाले धुएँ से।
3. घर के चूल्हे से निकलने वाले धुएँ से।
4. परमाणु संयन्त्र एवं मिसाइलों से निकलने वाले धुएँ से।
5. पेंड़–पौधौं की अंधाधुन्ध कटाई से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है।

(2) जल प्रदूषण– प्रदूषण का जो दूसरा महत्वपूर्ण रूप है वो जल प्रदूषण है प्रदूषित जल मनुष्य एवं सभी जीवधारियों के लिये हानिकारक होता है। जल प्रदूषण से शुद्ध पेय जल का भी संकट पैदा हो जाता है जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. मल का नदियों, नालों, तालाबों आदि में बहाना।
2. विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के नदियों एवं तालाबों में मिलने से।
3. नदियों, तालाबों में जानवरों के नहलाने से भी जल प्रदूषण होता है।
4. नदियों एवं तालाबों में कूड़ा कचरा, शवों एवं पारस्परिक प्रथाओं के द्वारा मूर्तियों, कपड़ों आदि का विसर्जन करना।

(3) मृदा प्रदूषण– मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है कि मिट्टी में कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थों का मिल जाना जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का हरास हो। वर्तमान समय में मृदा प्रदूषण द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है जिससे कृषि की

[12] अरूण कुमार, पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण, 2012, दिल्ली, पृ. 21–23

उत्पादकता में भी कमी आयी है जो कि एक चिन्ता का विषय है। मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

1. कृषि में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग।
2. औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को खुले में फेंकना।
3. प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग कर फेंकने से भी मृदा प्रदूषण होता है।
4. पेड़ों की कटाई से भी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
5. घरों, होटलों एवं उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट खुलें में फेंकने से।

(4) जैव विविधता ह्रास– पृथ्वी पर जैसे–जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ रही है मनुष्य तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कर रहा है प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे एवं जीव–जन्तु पाये जाते हैं जो कि जैव विविधता बनाये रखने में सहायक हैं इनमें मनुष्य के अधिक हस्ताक्षेप के कारण ही आज इन पर संकट उत्पन्न हो गया है जिससे इसमें तेजी से कमी हो रही है। इसके साथ ही पृथ्वी के तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी दलदल क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं जिससे जैव विविधता में कमी आयी है। इसका पहला दुष्प्रभाव यह है कि इससे धीरे–2 पृथ्वी से जीव–जन्तु विलुप्त हो रहे हैं तितलियाँ एवं आर्किड ऐसे ही जीव है जिन्हे अपनी सुन्दरता की कीमत चुकानी पड़ी है। आज हालात यह है कि जन्तुओं एवं पौधों की लगभग 1,35,000 प्रजातियॉ हमारी सम्पदा में से लगभग 90 प्रतिशत संकट ग्रस्त हैं। इनमें से कुछ तो हाल ही में लुप्त हुये हैं जैसे चीता हमारे देखते–देखते गायब हो गया है जिसके लिये हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

(5) ओजोन परत का ह्रास– ओजोन वह महत्वपूर्ण परत है जो कि क्षोभमण्डल के ठीक ऊपर समताप मण्डल में पायी जाती है जो कि लगभग 15 से 60 किमी0 मध्य पृथ्वी तल से ऊँचाई पर होती है ओजोन परत सूर्य की हॉनिकारक पराबैंगनी किरणों (अल्ट्रावाइलेट रेज) को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इस प्रकार यह सूर्य

की पराबैंगनी किरणों को जो कि मनुष्य सहित सभी जीव–जन्तुओं एवं पेड़ो के लिये हॉनिकारक होती है उनको पृथ्वी तक आने से रोकने में एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है।

सबसे पहले 1985 ई. में अन्टार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था जिसके आकार में लगातार बढोत्तरी हो रही है।[13] ओजोन परत के विघटन के लिये हानिकारक गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। और इन गैसों में लगातार वृद्धि लिये सन् 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में राष्ट्रों के मध्य एक कान्फ्रेंस हुयी जिसे ''वियना कान्फ्रेंस'' के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण पर चिन्ता व्यक्त करना था। इसके पश्चात् दिसम्बर 1987 में ओजोन पर के ह्रास को लेकर कनाडा की राजधानी मांट्रियल में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 33 देशों के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। जिसे ''मांट्रियल प्रोटोकाल'' के नाम से जाना जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य ओजोन परत को हॉनि पहुँचाने वाली क्लोरो–फ्लोरो कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी की जा सके ताकि पृथ्वी पर जीवन दायी ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(6) ग्लोबल वार्मिंग– आज हमारी पृथ्वी को सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से हैं। जिसके चलते आज पृथ्वी पर तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तापमान वृद्धि के चलते पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ जैसी विकराल समस्यायें जन्म ले रही है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि होना है ग्रीन हाउस गैसों में कार्बनडाई–ऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस आक्साइड, जलवाष्प, क्लोरो–फ्लोरो कार्बन आदि प्रमुख हैं[14] जो कि पृथ्वी के तापमान वृद्धि में सहायक हैं इन गैसों के उत्सर्जन का प्रमुख कारण एयर–कन्डीसनर (ए.सी.),फ्रिज, कम्प्यूटर, स्कूटर, कार आदि का अधिक प्रयोग है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा है इस समस्या की गम्भीरता पर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वान की मून ने पेरिस सम्मेलन में कहा था कि ''वैश्विक जलवायु की

[13] डा0 वसीम अहमद खान, पर्यावरणीय समस्यायें, प्रथम संस्करण, रजत पब्लिकेशन,नई दिल्ली, 2012, पृ. 115
[14] अरूण कुमार, पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण, 2012, दिल्ली, पृ. 62

सुरक्षा किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है यह सम्पूर्ण विश्व की समस्या है और इसके लिये साझा रणनीति बनाने की जरूरत है"।

ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में 18वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम है जिसका श्रीगणेश 18वी सदीं के पूर्वाद्ध में यह पूर्वी यूरोप से होकर अमेरिका तक तेजी से फैल गया था। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में जीवश्म ईधन के लगातार प्रयोग के चलते वातावरण में लगातार कार्बन–डाई–आक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इसका सीधा असर पृथ्वी की गर्माहट के रूप में हमारे सामने है।

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में पिछली शताब्दी की अपेक्षा इस शताब्दी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुयी है एक अन्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2080 तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की सम्भावना है यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 100 वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर में 15 सेमी0 से 95 सेमी0 तक की वृद्धि हो सकती है इसके परिणाम भयावाह हो सकते हैं।[15]

<u>पर्यावरण संरक्षण पर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–</u>

(1) स्टाकहोम सम्मेलन , 1972– मानव एवं पर्यावरण पर चिन्तन व्यक्त करने हेतु 1972 में स्वीडेन की राजधानी स्टाकहोम सम्मेलन हुआ जिसमें वैज्ञानिकों ने नदियों के जल के प्रदूषण, लगातार वृक्षों के कटान, नगरों एवं महानगरों में प्रदूषण, उपभोग की वस्तुओं में नशीले पदार्थों को मिलाया जाना आदि विषयों पर चिंता व्यक्त की गयी। इन समस्याओं के अलावा शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, न्यूक्लियर परीक्षण, रासायनिक युद्ध पद्धति एवं औद्योगिक बस्तियों के विस्तार को भी शामिल किया गया। इसमें कुल 119 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमें ''एक ही पृथ्वी'' की विचारधारा को स्वीकार किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण अभिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाये जाने पर घोषणा की गयी। सम्मेलन में मानवीय

[15] प्रो. सोहन राज तातेड़ एण्ड डा. विजेन्द्र सिंह, 2016– पर्यावरण शिक्षण, प्रथम संस्करण, जयपुर, पृ.18

पर्यावरण के संरक्षण हेतु एवं उसमें सुधार करने हेतु देशों एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किये गये।

इस घोषणा पत्र में कुल 26 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया जिसमें मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, आणविक शस्त्रों के परीक्षण के निन्दा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना भविष्य में भी इसी तरह से पर्यावरणीय सम्मेलनों का आयोजन करना आदि प्रमुख मुद्दे शामिल थे।

इसी सम्मेलन के पश्चात् 1977 में अर्जेन्टीना में जल संरक्षण पर विचार करने हेतु एक सम्मेलन हुआ जिसमें जल प्रदूषण एवं स्वच्छ पेयजल पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इसके पश्चात् 1982 में नैरोबी में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें स्टाकहोम सम्मेलन के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श हुआ। इसी तरह सन् 1984 में अम्लीय वर्षा (एसिड रैन) की समस्या पर विचार करने एवं इस समस्या से निपटने हेतु विचार विमर्श हुआ।

(2) रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992– जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो–डी–जेनेरियो में स्टाकहोम सम्मेलन की बीसवी वर्षगाँठ पर चिन्तन व्यक्त करने हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतकरघाली ने किया। इसे मानवीय एवं विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 150 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।[16]

इस सम्मेलन में विश्व के प्रदूषण से बचाने हेतु वित्तीय प्रबन्ध, जैव विविधता, वनों का संरक्षण, पर्यावरण एवं तकनीकी, सतत् विकास आदि प्रमुख पहलुओं पर चिंतन व्यक्त किया गया साथ ही इनके प्रबन्धन की भी चर्चा की गयी।[17]

[16] डा0 वसीम अहमद खान, पर्यावरणीय समस्यायें, प्रथम संस्करण, रजत पब्लिकेशन,नई दिल्ली, 2012, पृ. 83
[17] Dr. anand s. bal - An introduction to environmental managemet, third edtion, 2009, new delhi, p. 252-253

इस सम्मेलन में दो दस्तावेजों को शामिल किया गया–

(1) रियो घोषणा पत्र ।

(2) एजेण्डा–21

(1) रियो घोषणा पत्र– इस घोषणा पत्र में पर्यावरण चिंतन को लेकर जो पूर्व सम्मेलन हुये थे उन पर विचार–विमर्श किया गया। एवं इसके साथ ही पूर्व के अभिलेख में बिना किसी महत्वपूर्ण फेरबदल के इसे पेश किया गया। इस घोषणा पत्र में पर्यावरण की रक्षा एवं विकास के लिए 22 प्रावधान किये गये हैं। इसमें विचार विमर्श के बाद फेरबदल हुआ इसीलिये इसका नाम ''अर्थ चार्टर'' से बदलकर ''रियो डिक्लेरेशन'' हो गया। इस घोषणा पत्र में पर्यावरण संकट के चलते संतुलित विकास पर बल दिया गया है। जिससे कि जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं उनसे निपटा जा सके।[18]

(2) एजेंडा–21– यह एक आठ सौ पृष्ठीय दस्तावेज है जिसमें 40 अध्याय हैं। इसमें समुद्र के तापमान एवं जैव विविधता पर चर्चा की गयी है। तथा ऐसे रास्ते सुझाए गये हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ–2 विकास पर भी बल दिया जा सके। इसमें वायुमण्डल की रक्षा, जंगलों की सुरक्षा, मिट्टी के कटाव एवं मरूस्थलीय करण पर रोक आदि पर बल दिया गया है।[19]

एजेंडा–21 में अल्पविकसित देशों के औद्योगिक विकास को भी ध्यान में रखा गया है। ताकि इन देशों का विकास प्रभावित न हो। इसमें तीसरी दुनिया के गरीब देशों को विकसित देशों द्वारा उनके विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से निपटने के लिए आर्थिक अनुदान पर का भी प्रावधान किया गया है। इसमें वन संरक्षण एवं उनके अन्धाधुंध दोहन पर काफी गम्भीरता से विचार किया गया कि इसमें कटौती की जाये किन्तु विकासशील देश विशेष रूप से मलेशिया एवं भारत इसके पक्ष में नहीं थे कि वे बगैर किसी लाभ के ऐसा प्रावधान अपने देश में लागू करें।

[18] A. kannan, Golbal Environmental Governance and desertification, New delhi page no.8-9
[19] अरूण कुमार, पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण, 2012, दिल्ली, पृ .69

इस सम्मेलन में पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रण में लाने के मुद्दे पर विचार–विमर्श के दौरान विश्व बिरादरी दो हिस्से में बँटी देखी गयी। इस बॅटवारे का आधार है उत्तरी देशों की सम्पन्नता एवं दक्षिणी देशों की विभिन्नता। इस सम्मेलन में दक्षिणी देशों ने उत्तरी देशों को पर्यावरण असंतुलन का दोषी ठहराया, इसलिये पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करने का खर्चा उत्तरी देश ही उठाये। यह बात बहुत हद तक सही भी थी ।

(3) संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1997)– इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 1997 में न्यूयार्क में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन 23 जून से 27 जून 1997 (पाँच दिवसीय) तक चला। इस सम्मेलन में कुल 170 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया। इसका आयोजन 1992 में सम्पन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिये किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व में लगातार घट रहे वन संकट, नष्ट हो रही प्रजातियों एवं घटते मत्स्य उत्पादन पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इसमें विकाशील देशों के विकास के लिये उचित पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल दिया गया जिसमें इन देश को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विकसित देशों द्वारा आर्थिक अनुदान पर भी चर्चा की गयी। अन्त में यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष के चलते समाप्त हो गया।

(4) ग्लोबल वार्मिंग एवं क्वोटो प्रोटोकाल (1997)– बढ़ते वैश्विक तापमान की समस्या से निपटने के लिये 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया।[20] इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इस सम्मेलन में विकासशील एवं विकसित देशों सहित कुल 159 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें यह छः गैसें शामिल थी– कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रक्स आक्साइड, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन, एवं सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैसें। इस गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका द्वारा 6 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव रखा गया। जिसे सभी देशों के द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। विकासशील देशों पर कटौती के सम्बन्ध में कोई विशेष शर्त नहीं

[20] डा0 रवि शंकर पाण्डेय– पर्यावरण चिन्तन, प्रथम संस्करण(2011 नई दिल्ली) पृष्ठ. 237

लगायी गयी। इसमें अलग–2 देशों पर कटौती का प्रतिशत अलग–2 रखा गया है। जनवरी 2009 तक इस संधि पर कुल 183 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गये है। इसमें विकासशील देशों द्वारा अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने के लिये वित्तीय फण्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी की गयी थी।[21]

(5) संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता सम्मेलन (2005)– पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन कनाडा शहर के मांट्रियल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 13 दिन तक बहस चली। इसमें 189 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में क्वाटो प्रोटोकाल पर भी चर्चा की गयी। इस सम्मेलन में 2008 से 2012 के मध्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी का प्रस्ताव रखा गया।

(6) बाली सम्मेलन (2007)– सन् 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती लाने के उद्देश्य को कायम रखने पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन इण्डोनेशिया के शहर बाली में किया गया। इस में 192 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में क्वाटो सन्धि से आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। विश्व के 27 देशों पर लागू क्वाटो सन्धि जो कि 2012 में समाप्त हो रही थी। जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का स्तर घटाते हुये जो 37 देशो पर 1990 के स्तर तक लाने का प्रावधान था पर विचार किया गया। यह सम्मेलन लगभग दो सप्ताह तक चला। जिसमें अगले बैठक को लेकर भी चर्चा की गयी।

(7) कोपेन हेग सम्मेलन (2009)– जलवायु परिवर्तन के विषय पर चर्चा करने के लिये डेनमार्क की राजधानी कोपेन हेग में 7 से 12 दिसम्बर के मध्य 2009 मे एक सम्मेलन हुआ। इसमें कुल 192 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें साथ ही विश्व भर के 15 हजार से अधिक अधिकारी, पर्यावरणविद् एवं पत्रकारों ने भाग लिया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। राष्ट्रो के काफी माथा पच्ची के बाद यह सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजें के

[21] अरूण कुमार, पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण, 2012, दिल्ली, पृ. 70–73

समाप्त हो गया। इसे कोप–15 नाम दिया गया था। भारत की तरफ से इसमें पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने हिस्सा लिया था।

(8) कानकुन सम्मेलन (2010)– कोपेन हेग के बाद जो अगला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया वह मैक्सिको के कानकुन शहर में सम्पन्न हुआ। जो कि 29 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2010 में सम्पन्न हुआ। इसमें कुल 194 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के अन्त में कार्बन कटौती में देशों की मदद के लिये 100 अरब डालर के ग्रीनफण्ड की स्थापना पर सहमति बनी। लेकिन फण्ड किन स्त्रोतों आयेगा इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं था। सम्मेलन में भारत ने अपनी कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई क्यों भारत अगर सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं को अपनाता तो भारत की अर्थव्यवस्था पर यह इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता था। अभी भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किसी बाध्यकारी, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अपनाने के पक्ष में नहीं था।[22]

(9) संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन (2012)– संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 20–22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने किया। लगभग 100 देशों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 के रियो शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। इसमें हरित अर्थव्यवस्था के लोकतंत्रीकरण पर जोर देने की वकालत की गयी।[23]

(10) जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता– जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु वार्ता स्टाकहोम से प्रारम्भ होकर रियो–डी–जेनेरियो, क्योटो, डबरन आदि के रास्ते से पेरिस तक आ गयी। इसे कोप–21 के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस समझौता 30 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। जिसमें साझी धरती, साझा भविष्य, साझा प्रयास को अपनाने पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में कुल 21 देशों द्वारा 20 अरब डॉलर से एक

[22]ओझा, एस0 के0– पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्यारहवा संस्करण(2017, इलाहाबाद) पृ.265
[23] समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 एनसीईआरटी 2016

महत्वाकांक्षी अभियान मिशन इनोवेशन प्रारम्भ किया गया। जिसके तहत प्रत्येक देश स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा अनुसंधान में अपने वर्तमान बजट को दोगुना करने की शपथ के साथ सम्मिलित हुआ। इस मिशन में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं जापान जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों सहित 21 देश शामिल हैं। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोप–21 सम्मेलन में 'जलवायु न्याय' की स्थापना पर बल दिया। उन्होने विश्व के सभी लोगों से पर्यावरणीय खतरों के मद्देनजर संयमित जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।

कोप–21 में गहन विमर्श के पश्चात् सदस्य देश पेरिस के ऐतिहासिक समझौते पर सहमत हुए। जिसके तहत 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होने दिया जा जाने पर बल दिया गया एवं वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि को निर्धारित किया गया।

(11) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (2017)– जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय के पक्षकारों के द्वारा कोप–23 का आयोजन 6–17 नवम्बर 2017 के मध्य जर्मनी के बान शहर में किया गया। सम्मेंलन में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के परिपालन हेतु आवश्यक कदम उठाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। जिसके द्वारा शताब्दी के अन्त तक औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होने दिया जा जाने पर पुनः बल दिया गया। इसके साथ ही अब पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर भी बल दिया गया। जलवायु परिवर्तन एवं महासागरों के मध्य सम्बन्ध का पता लगाने के लिये Ocean pathway partner- ship का शुभारंभ किया गया।[24]

भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाये गये कानून

1. वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972 (Wild Life Protection act,1972)
2. जल एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 (Water Protection and Control of Pollution act, 1974)

[24]https://plus.google.com./+ssgcpssgcp

3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation act, 1980)

4. वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air Protection and control of Pollution act,1981)

5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1886 (Environment Protection act, 1986)

6. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (National Environmental Tribunal act, 1995)

7. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010)

1. **वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972 (Wild Life Protection act,1972)-** पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर भारत में सबसे पहले 1972 में यह अधिनियम लाया गया । इसके तहत प्रकृति में पाये जाने वाले वन एवं वन्य जीव–जन्तु आदि आते है।[25] इसमें वन्य जीवों का शिकार करना अवैध घोषित किया गया है। इसके साथ ही इसमें कानूनी रूप से दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत किसी अभयारण्य के 10 किलोमीटर के घेरे में हथियारों का लाइसेंस न जारी करने, वन्य जीवों का शिकार न करने, वन के दुर्लभ पेंड़ पौधों को हॉनि न पहुचाने, जानवरों की चमड़ी, हड्डियों आदि के क्रय–विक्रय को अपराध घोषित किया गया है।[26]

2. **जल एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 (Water Protection and Control of Pollution act, 1974)-** यह अधिनियम जल प्रदूषण एवं जल के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके तहत केन्द्र में केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड एवं राज्यों में राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना की गयी है।[27] बाद में इस अधिनियम में 1978 एवं 1988 में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बनाया गया। यह अधिनियम लोगों को जल के प्रदूषण से बचाने एवं रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही जल

[25] डा. रवि शंकर पाण्डेय,(2011), पर्यावरण चिंतन
[26] अनुपम मिश्र, जीवन संपदा और पर्यावरण, नई दिल्ली, 2017, पृ. 67
[27] अनुपम मिश्र, जीवन संपदा और पर्यावरण, नई दिल्ली, 2017, पृ. 68–69

प्रदूषण के अध्ययन एवं इस पर शोध पर बल देता है। इसके तहत औद्योगिक प्रदूषण का स्तर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो जल को प्रदूषित होने से बचाने एवं रोकने हेतु योजनाएं बनाये।[28]

3. **संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation act, 1980)-** 1980 के दशक में जब स्थानीय आबादी वनों का दोहन तीव्र गति से किया जाने लगा तब वनों के विनाश को रोकने एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया, जिसके द्वारा वनों का चयन करके उसमें आबादी के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। साथ ही लकड़ी काटने एवं वन्यजीवों के शिकार पर को प्रतिबन्धित कर दिया गया। साथ ही इसमें पशुओं के चरागाह पर भी रोक लगा दी गयी।[29]

4. **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1886 (Environment Protection act, 1986)-** पर्यावरण को विस्तृत रुप से संरक्षण प्रदान करने हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु 1986 में यह अधिनियम लाया गया।[30] इसके अन्तर्गत निम्न प्रावधान किये गये हैं–

   1. पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना।
   2. मानव, जीव जन्तुओं एवं पेंड़ पौधों सभी को पर्यावरण संकट से संरक्षण प्रदान करना।
   3. इसमें विभिन्न सरकारी कर्मचारियों एवं एजेंसियों की भूमिका तय करना।
   4. स्टाकहोम 1972 में सम्पन्न हुई बैठक की पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को तय करना।

---

[28] Uttar pradesh pollution control board, Lucknow

[29] Dr. anand s. bal - An introduction to environmental managemet, third edtion, 2009, new delhi, p. 258-259

[30] तिवारी, महेन्द्र कुमार– पर्यावरण शिक्षा, प्रथम संस्करण (2013, नई दिल्ली) पृष्ठ. 197

5.पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करना।

6.पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु दण्ड का प्रावधान करना।

7.राज्यों द्वारा इस अधिनियम के पालन की रूप रेखा को निर्धारित करना।

5. **राष्ट्रीय हरित अभिकरण, 2010** (National Green Tribunal Act, 2010)– राष्ट्रीय हरित अभिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गयी थी। इसकी स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा एवं पहला विकासशील देश बन गया। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों को तेजी से निपटारा करवाना है। जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। यह छः माह के भीतर पर्यावरणीय मुकदमों का निपटारा करता है। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण में यह बहुत ही महत्व भूमिका अदा कर रहा है।

भारत में वनों की रक्षा हेतु चलाये गये प्रमुख आन्दोलन–

1. **चिपको आन्दोलन–** इस आन्दोलन के प्रणेता श्री चण्डी प्रसाद भट्ट जी है। इस आन्दोलन की शुरूआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में और वर्तमान उत्तराखण्ड में चमोली नामक जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। डा0 सुन्दर लाल बहुगुणा को इस आन्दोलन का जनक माना जाता है। यह आन्दोलन वृक्षों के काटने के विरूद्ध था। जब सरकार के अधिकारी वहॉ पर पेड़ों को काटने गये तब वहॉ के स्थानीय निवासियों ने कटाई का विरोध किया तथा पेड़ों से चिपक गये और अन्ततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसीलिये यह आन्दोलन चिपको आन्दोलन के नाम से जाना गया।[31]

[31]डा. रवि शंकर पाण्डेय,(2011), पर्यावरण चिंतन, पृ 12

2. **एप्पिको आन्दोलन–** चिपको आन्दोलन की तर्ज पर ही एप्पिको आन्दोलन दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में चलाया गया। एप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है–चिपको। जब वहॉ के स्थानीय निवासियों को यह लगने लगा कि सरकारी हस्तक्षेप के चलते धीरे–धीरे वहॉ के पेड़ गायब हो रहे है। तब वहॉ की जनता ने इसके विरूद्ध आवाज उठायी और अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। इस आन्दोलन का नेत्रृत्व श्री पांडुरंग हेगड़े ने किया।[32]

3. **नर्मदा बचाओं आन्दोलन–** इस आन्दोलन की प्रणेता मेघा पाटेकर जी है। अरून्धती राय एवं बाबा आम्टे ने इनका सहयोग किया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एवं इसके जैव विविधता (Bio-diversity) एवं आदिवासियों के संरक्षण के लिये यह आन्दोलन चलाया गया।

4. **शान्त घाटी आन्दोलन–** यह आन्दोलन केरल राज्य में चलाया गया। वहॉ पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना के कारण वहॉ की जैव विविधता को जो क्षति हो रही थी। उसको रोकने एवं परियोजना के विरोध में यह जन जागरूकता आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। इस आन्दोलन के चलते केरल राज्य ने उस स्थान को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया एवं वहॉ की जैव विविधता के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।[33]

5. **मैत्री आन्दोलन–** उत्तरांचल में पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने हेतु 1995 में यह आन्दोलन चलाया गया। इसे श्री कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया। यह आन्दोलन उत्तरांचल की महिलाओं पर आधारित है। वहॉ क्षेत्रीय भाषा में मैत्री का अर्थ मायका (मां का घर) से है। इसमें लड़कियॉ अपने विवाह के समय मायके में स्मृति के तौर पर पौधे का रोपड़ करती हैं। आगे चलकर यह आन्दोलन काफी लोकप्रिय हुआ।[34]

---

[32] S.N. Pawar, R.B. Patil, S.A. Salunkhe- Environmental Movements in India, 2005 , New Delhi, p. 84

[33] S.C. Sharma- Environmental Science, Kolkata, 2013, p.no. 1421

[34] एस. के. ओझा, (2017), पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पृ.259

भूमण्डलीकरण

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्व में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आमूल–चूल परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हुआ। शीत युद्ध के अन्त में सोवियत संघ के विघटन एवं यूरोप से साम्यवाद के पतन, जर्मनी के एकीकरण एवं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था की ओर ढकेल दिया एवं नई विश्व व्यवस्था को बल प्रदान किया विश्व अर्थव्यवस्था को दृश्य एवं अदृश्य आने वाले बदलाओ ने। जिसके पहल नई आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की लगी। जिसके तहत भूमण्डलीकरण आर्थिक उदारीकरण, बाजारोउन्मुख अर्थव्यवस्था जैसे शब्द गूँजने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप की वित्तीय और व्यापारिक अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार प्रभावी जैसे निकायों का निर्माण एवं उनकी प्रभावी भूमिका रही।

1980 के बाद भूमण्डलीकरण का जो रूप विश्व के सामने आया उसको विश्व के राष्ट्रों के मध्य आर्थिक स्वार्थ के रुप में ही देखा गया। इस दौरान भारत सहित अनेक देशों में उदारीकरण को अपनाया गया और उदारीकरण की प्रक्रिया ने भूमण्डलीकरण को बढ़ावा दिया। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण ने सभी राष्ट्रों को एक विश्व में जोड़ दिया। जिससे सभी राष्ट्रो की सीमायें टूट गयी। बहुत सारे प्रतिबन्धों को हटा दिया गया। राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा जिसके परिपेक्ष में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निगमों एवं कम्पनियों ने दूसरे देशों ने व्यापार के उद्देश्य से निवेश कर अपनी फैक्ट्रियॉ लगायी। भूमण्डलीकरण को विश्व के राष्ट्रों द्वारा मुख्य रूप से आर्थिक रूप में देखा गया। परन्तु इसके जो दूरगामी परिणाम सामने आये हैं वो चौकाने वाले है।

भूमण्डलीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

भूमण्डलीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम आज के लगभग सौ वर्षो पहले हुयी थी। यह सर्वप्रथम 1870 के आसपास शुरु होकर 1914 तक आते–आते रुक गयी। इस विषय का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) का प्रारम्भ हो जाना। उस समय की विश्वव्यवस्था कई तरह से आज की विश्व व्यवस्था के समकक्ष थी।

19वीं सदी के अन्त में भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह ही संगठित थी। उन दिनों दो देशों के बीच सामान पूँजी एवं श्रम के आवागमन पर कोई रोक नहीं थी । पानी के जहाजों, रेलगाड़ियों एवं तारों के जरिये यातायात एवं संचार में भारी बदलाव आये थे। उस समय उद्योगों में नई नई प्रबन्ध एवं उत्पादन तकनीके अपनायी जा रही थी। जिस प्रकार से आज विश्व बाजार में अमेरिकी प्रतिनिधित्व विद्यमान है ठीक उसी प्रकार से उन दिनों ग्रेट ब्रिटेन का विश्व बाजार पर वर्चस्व था इसका प्रमुख कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति एवं विश्व के अधिकांश देशों पर उसका उपनिवेश था। वर्तमान डालर के स्थान पर पाउण्ड एवं स्टर्लिंग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की भूमिका में थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर श्रमिकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह था।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियाँ ब्रेटनवुड्स सम्मेलन की व्यवस्था के तहत संचालित होने लगी। जुलाई 1944 में चालीस देशों के प्रतिनिधि नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के निर्माण के लिये न्यू हैम्पसायर के ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर एकत्र हुये थे जिसमें अधिकांश देशों का मत था जो कि पुरानी मौद्रिक प्रणाली थी वो अब अप्रासंगिक हो चुकी थी। और आगे सभी देशों को मिलजुलकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के प्रबन्ध की जिम्मेदारी लेने के पक्ष में आना होगा। अमेरिका देश उस समय प्रमुख आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में अवतरित हुआ था जिसने युद्धोत्तर काल में नई मौद्रिक व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी ली थी। इसके तहत यह व्यवस्था की गयी कि उस पर आर्थिक प्रणाली जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होगी जो स्थायी एवं टिकाऊ विश्व शान्ति की गारन्टी देगी उत्तर–ब्रेटनवुड्स युग ने विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटनायें घटी। जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक उपव्यवस्थाओं का विकास और बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार 1990 के दशक में यूरोपीय अर्थव्यवस्था साझे के बाजार से शुरु होकर यूरोपियन संघ के रूप में परिवर्तित हो गयी। प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसी ही आर्थिक व्यवस्थायें पनपी। लन्दन, टोक्यो एवं न्यूयार्क

में वित्तीय एवं प्रतिभूति बाजारों का उद्भव क्षेत्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय गठबन्धन में जरिये भूमण्डलीकरण के उद्भव के लक्षण हैं।[35]

लगभग 27 वर्षों बाद 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज निक्सन ने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अन्त की घोषणा कर दी। इसके साथ उन्होने यह भी घोषित किया की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अब अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के नियमों का अनुपालन करने के लिये बाध्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट, बाजार व्यवस्था में असंतुलन और औद्योगिक देशों की विकास दर में लगातार ह्रास होना आदि इन सभी कारणों के चलते 1980 के दशक में भूमण्डलीकरण की शुरुआत हुयी।

भूमण्डलीकरण/वैश्वीकरण का अर्थ– भूमण्डलीकरण शब्द आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है यह शब्द व्यापार के अवसरों की जीवन्तता एवं उसके विस्तार का द्योतक है। भूमण्डलीकरण का शब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया है। यह व्यापारिक क्रिया कलापों एवं घटनाओं विपरण सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीय करना है। जिसमें सम्पूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। भूमण्डलीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के रूप में व्यक्त प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी का प्रवाह, प्रवास एवं औद्योगिकी के प्रसार में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण के सन्दर्भ में व्यक्त किया जाता है।[36]

दूसरे शब्दों में भूमण्डलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजार के लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतक रूप से पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबन्धित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं के अन्तर्गत अग्रसर होता है।[37]

---

[35] पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2012

[36] अभय कुमार दुबे, भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन पृ0 61

[37] Manish k. verma- Globlization and environment: Discorce, policies and practices , 2015, New delhi, p. no.- 28-29

भूमण्डलीकरण की परिभाषाए–

(1) डा0 विमल जालान के अनुसार– भूमण्डलीकरण शब्द का प्रयोग इस तरह से हुआ है एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है, दुनिया काफी छोटी हो चुकी है। और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग थलक रख सकता है इसके दूसरे अर्थ के अनुसार यह देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है।

(2) टॉम जी0 पामर के अनुसार– वैश्वीकरण को निम्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ''जिसमें सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबन्धों के ह्रास या विलोपन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्वस्तरीय तंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं"।

(3) थामस एल0 फ्राइडमैन के अनुसार– ''वैश्वीकरण दुनिया के सपाट होने के प्रभाव की जाँच करता है और तर्क देता है की यह वैश्वीकृत व्यापार , आउटसोर्सिंग आपूर्ति की श्रृंखला और राजनीतिक बलों ने दुनिया को बेहतर और बदतर दोनों रूपों में स्थाई रूप से बदल दिया है वे यह तर्क भी देते हैं कि वैश्वीकरण की गति बढ़ रही है और व्यापार संगठन तथा कार्य प्रणाली पर इसका प्रभाव बढ़ता ही जायेगा"।

इस प्रकार हम कह सकते है कि "भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण एकरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण विश्व सिमट कर एक हो जाता है एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेनदेन होना प्रारम्भ हो जाता है जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है" कुछ विद्वानों ने भूमण्डलीय करण को एक भूमण्डलीय गाँव के रूप में परिभाषित किया है।

भूमण्डलीकरण के लक्षण–

1. विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य बिना किसी अवरोध के वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिये व्यापारिक अवरोधों में कटौती करना।

2. आधुनिक नवीन प्रोद्योगिकी का निर्बाध रूप से प्रवाह हेतु उपयुक्त वातावरण विकसित करना।

3. संसार के विभिन्न देशों के मध्य श्रम का निर्बाध प्रवाह सम्भव बनना।

4. विश्व के विभिन्न देशों के मध्य पूँजी का स्वतन्त्र प्रवाह सम्भव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा करना।

संक्षेप में भूमण्डलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर–पार विशेष रूप से आर्थिक इसके साथ ही राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भूमण्डलीकरण माना जाता है विश्व अर्थव्यवस्था में पनपा खुलापन, आपसी जुड़ाव एवं परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमण्डलीकरण की संज्ञा दी जाती है ।

भूमण्डलीकरण के प्रभाव–

भूमण्डलीकरण का प्रभाव भिन्न–2 देशों पर भिन्न–2 ढंग से पड़ा है। इसका प्रभाव एक देश में कुछ तो दूसरे देश में कुछ और होता है। भूमण्डलीकरण का विकसित देशों पर प्रभाव विकासशील देशों से अलग होता है। विकसित देशों में जहाँ भूमण्डलीकरण से नौंकरियों मे कमी आयी है क्यों कि वहाँ की बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ दूसरे विकासशील देशों में निवेश हेतु बेहतर अवसर चुन रही है वही पर दूसरी तरफ विकसित देशों की आय में वृद्धि हो रही है क्यों कि इन बहुराष्ट्रीय निगमों को विकासशील देशों में बहुत आर्थिक लाभ मिल रहा है।

इसी प्रकार से जो कि विकासशील देश है जहाँ पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव के चलते जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ स्थापित हुई है इन देशों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हुए हैं इसके साथ ही इन देशों में आर्थिक विकास को भी गति प्रदान हुयी है इस प्रकार से भूमण्डलीकरण के चलते दोनों ही प्रकार के देशों जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों को लाभ पहुॅचा है।

भूमण्डलीकरण का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा है कुछ देशों पर इसका प्रभाव कम तो कुछ देशों पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा

है इन सभी में सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक रूप से भूमण्डलीकरण द्वारा सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है। भूमण्डलीकरण का प्रभाव निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है

(1) आर्थिक प्रभाव– 1980 के दशक में जो भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना था इस क्षेत्र में व्यापत रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को एक दूसरे देशों से जोड़ना। इसके साथ ही भूमण्डलीकरण से अन्य देशों से पूँजी, श्रम, तकनीकी एवं मशीनरी का व्यापक रूप से आगजन हुआ इसमें उत्पादन के दो साधनों जिसमें विशेष रूप से श्रम एवं पूँजी में व्यापक रूप से गतिशीलता है। बहुत सारे विकासशील देशों जिनका आर्थिक विकास लगभग स्थिर बना था भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही आज जो इन देशों में आर्थिक विकास देखने को मिलता है, भारत में 1990 में जो उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया वह भूमण्डलीकरण का ही एक हिस्सा थी।

(2) राजनीतिक प्रभाव– भूमण्डलीकरण सभी स्तर की गतिविधियों का नियंत्रित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को देता है जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीतिक स्तर पर विश्व भर में 20 वीं सदी से लेकर आज तक विश्व के राष्ट्रों के मध्य अनेक सम्मेलन हो चुके हैं जो कि भूमण्डलीकरण का ही हिस्सा रहे हैं। भूमण्डलीकरण के द्वारा राष्ट्रों के बीच राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आयी है। इसी के प्रभाव के चलते विश्व स्तर पर अनेक राजनीतिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, गैट, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन जी–20, विश्व व्यापार संगठन, इब्सा आदि प्रमुख संस्थाओं का जन्म हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है।

(3) सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव– भूमण्डलीकरण के द्वारा जो व्यापक स्तर पर प्रभाव देखने को मिला उससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार की अवधारणा थी लेकिन जब से भूमण्डलीकरण का दौर आया है तब से व्यापक स्तर पर लोगों का प्रवास एक स्थान से दूसरे

स्थान पर हुआ जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन एवं एकांकी परिवारों का जन्म हुआ है साथ ही भूमण्डलीकरण के चलते ही आज विश्व स्तर पर लोग के रहन–सहन, खानपान एवं वेशभूषा में भी परिवर्तन देखने को मिला है जो कि सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ सांस्कृतिक परिवर्तन का भी अंग है। वर्तमान समय में जन्म दिन, शादी, साल गिराह आदि जो मनाये जाते है वह भूमण्डलीकरण के प्रभाव के चलते ही पनपे हैं। इसके साथ ही विभिन्न समुदायों के लोगों के तीज त्यौहार का विश्व स्तर पर भूमण्डलीकरण हुआ है। वर्तमान समय में भारत में जिस पाश्चात्य वेषभूषा को युवा पीढ़ी अपना रही है वह भूमण्डलीकरण से ही संभव हुआ है। भूमण्डलीकरण का जो सर्वाधिक प्रभाव सूचना–मीडिया पड़ा है। उसी के चलते आज पूरे विश्व में तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान सम्भव हुआ है।

(4) पर्यावरण पर प्रभाव– 1980 के दशक में जो भूमण्डलीकरण ही प्रक्रिया आयी जिसके द्वारा विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा व्यापक स्तर पर विकासशील एवं पिछड़े देशों में निवेश का विभिन्न कम्पनियॉ एवं संयन्त्र स्थापित हुये इन कम्पनियों एवं संयन्त्रों से विभिन्न, अवशिष्ट पदार्थ जिसमें धुँआ, दूषित जल, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ, कूड़ा, कचड़ा निकलता है उससे भूमण्डलीकरण के द्वारा ही पर्यावरण को भारी क्षति पहुँची है। इसके साथ ही इन विकासशील एवं गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र एवं दोषपूर्ण दोहन इन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया है। जिससे विश्व स्तर पर प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ है जिससे कि पर्यावरणीय समस्यायें जन्म ले रही है। वर्तमान में भूमण्डलीकरण प्रभाव के चलते जो आटोमोबाइल्स में वृद्धि हो रही है उसके धुऍ से पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅची है। या यू कहे कि भूमण्डलीकरण के पश्चात् ही विभिन्न पर्यावरणीय समस्याये जिसमें प्रमुखतः ग्लोबल वार्मिंग ,बाढ़, सूखा, प्रदूषित वायु, कोहरा, धुंध आदि सभी समस्यायें व्यापक रूप से सामने आयी हैं जो कि आज सभी राष्ट्रों के मध्य एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुयी हैं।

सतत् विकास (Suntainable Development)-

सतत् विकास सामाजिक आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की क्षमता एवं सहनशक्ति के अनुसार विभिन्न देशों के विकास की बात की जाती है सतत् विकास की अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई, जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों से अवगत हुए। सतत् विकास का उद्‌भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उनके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणाली के धीमे होने या बंद होने के भय से हुआ है। विकास की अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालच एवं दोषपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सतत् विकास कोयला, पेट्रोलियम तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीको, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के सम्बन्ध में दीर्घकालीन योजना को प्रस्तुत करता है।

सतत् विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में हुई जब वैज्ञानिक राकल कार्सन ने अपनी पुस्तक ''द साइलेंट स्प्रिंग'' लिखी। इस पुस्तक में हॉनिकारक कीटनाशकों के प्रयोग से वन्य जीवन को होने वाले नुकसान की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर सम्बन्धों के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। 1968 में जीव वैज्ञानिक पाल एर्लिच ने अपनी पुस्तक ''द पापुलेशन बम'' प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या तथा पर्यावरण के बीच सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है। 1969 में गैर सरकारी संस्था ''फ्रेंड्स ऑफ अर्थ'' बनाई गई, जिसका उद्‌देश्य पर्यावरण की रक्षा में नागरिकों को प्रति भाग लेने हेतु सशक्त बनाना। सन् 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने ''प्रदूषण खर्चा दे'' सिद्धांत बनाया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु उसकी भरपाई की कीमत देनी चाहिए। इसी प्रकार से 1972 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह ''क्लब ऑफ रोम'' में अपनी रिपोर्ट ''लिमिट्स टू ग्रोथ'' प्रकाशित की जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान

विकास दर को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों के भुगतने की भविष्यवाणी की गई।

इसी प्रकार से 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार विश्व समुदाय में इस बात पर सहमति बनी कि पर्यावरण संकट एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना पर बल दिया गया। सतत् विकास की अवधारणा का विकास सबसे पहले 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट ''अवर कॉमन फ्यूचर'' के प्रकाशन के साथ हुआ। इसमें सतत् विकास को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। सतत् विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दिसम्बर 1992 में ''संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास आयोग'' का गठन किया गया।

सतत् विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत् विकास न केवल पर्यावरण से सामंजस्य लाता है बल्कि यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की स्थिति, तथा संस्थापक परिवर्तनों को वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं के भी अनुकूल बनाया जा सके। यह आर्थिक विकास की दौड़ के प्रति विश्व को सचेत करता है ताकि विकास तो हो परन्तु प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति अथवा उसके पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुॅचे।

सतत् विकास की चुनौती–

सतत् विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास की रफ्तार को रोके बिना पर्यावरण संरक्षण एवं संसाधनों का प्रबंध करना है। यह पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास का मुख्य अंग मानता है इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हलों को प्राप्त करने में उत्तर–दक्षिण विभाजन बातचीत के बीच बाधा

बनता है, विकासशील देश मानते हैं कि पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू कर विकसित देश उन्हें विकास की प्रक्रिया में उन्हें पीछे धकेल रहे हैं संसाधनों का अधिकतम उपयोग विकसित देश करते हैं जबकि गरीब देशों को उपभोग की कीमत प्रदूषण, जैव विविधता ह्रास, जंगल के कटने तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोषपूर्ण दोहन के रूप में चुकानी पड़ती है। विकसित देश गरीब देशों से उनके जंगलों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे अपने यहॉ अत्यधिक उत्पादन एवं उपभोग की जीवन शैली को बदलने को तैयार नहीं है जलवायु सम्मेलन अथवा क्वाटो प्रावधानों पर भी विकसित और विकासशील देश एकमत नहीं है विकासशील देशों का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण औद्योगिक देशों की उपभोक्तावादी जीवन शैली है इसलिए पर्यावरण संरक्षण अथवा सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित देशों द्वारा गरीब देशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए परन्तु इस पर भी देशों के मध्य सहमति नहीं बनी है सतत् विकास की अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर मानना आसान है परन्तु इस को व्यवहारिक रूप से लागू करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसके परिणामों पर सहमति नहीं है जहॉ राष्ट्रों का हित आर्थिक विकास प्राप्त में है वहीं वास्तविक चुनौती यह है कि विकास का ढांचा खड़ा किया जाए जो आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना सके।

राजनीति

राजनीति अंग्रेजी भाषा के शब्द Politics का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है शासन करने की कला अथवा शासन के देख–रेख से सम्बन्धित है। प्रारम्भ में राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र दोनो एक ही विषय थे। अरस्तु वह पहला विचारक था जिसने अर्थशास्त्र से राजनीति विज्ञान को पृथक कर उसे एक स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान किया। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक ''पालिटिक्स'' इसके लिये मील का पत्थर साबित हुई।

राजनीति शब्द का प्रयोग हम अपनी दैनिक बातचीत में भी करते हैं एवं दैनिक अध्ययन में भी किया करते हैं। परन्तु जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में

करते है वह राजनीति इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। क्यों कि वैज्ञानिक राजनीति एक घटना का क्रमबद्ध अध्ययन है, एवं इसमें हम तर्क वितर्क एवं चिन्तन का सहारा लेते हैं। सामान्यतः राजनीति का प्रयोग इन्ही अर्थों में ही किया जाता है।

राजनीति या राजनीतिशास्त्र एक अत्यंत प्राचीन विषय है, यूनानी विचारक प्लेटो ने इसकी नींव रखी जबकि अरस्तु जो कि प्लेटो का ही शिष्य था, उसने राजनीति शास्त्र के वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया। जिस कारण अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। इससे पहले इसे एक स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी राजनीति का अध्ययन नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विधिशास्त्र के रूप में भी किया जाता था। आधुनिक समय में न केवल इसे एक स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुयी है बल्कि अन्य शास्त्रों की तरह इसका भी पर्याप्त विकास हुआ है।

आज राजनीति विज्ञान का अध्ययन पहले की अपेक्षा और अधिक जटिल हो गया है क्योंकि पहले राजनीति शब्द का प्रयोग केवल शासन, सत्ता तक ही सीमित था जबकि वर्तमान सन्दर्भ में राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत शासन के साथ–2 लोक कल्याण के अध्ययन पर भी अधिक जोर दिया जाने लगा है। जिससे यह विषय अन्य शास्त्रों की तरह ही पहले की अपेक्षा और अधिक प्रभावशाली तरीकों से बनकर उभरा है।

प्राचीन यूनानी विचारकों से लेकर आधुनिक काल के विभिन्न विचारकों, चिन्तकों, सिद्धान्त वेत्ताओं एवं विश्लेषकों ने इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा जिसके साथ ही राजनीति विज्ञान की शाखायें दो भागों में सामान्य रूप से बँट गयी– परम्परागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। जिसमें इसका परम्परागत दृष्टिकोण राज्य एवं शासन के अध्ययन पर बल देता है। जबकि इसका आधुनिक दृष्टिकोण इसके प्रक्रियात्मक अध्ययन पर अधिक जोर देता है।

राजनीति विज्ञान का अर्थ– राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द Politics का हिन्दी रूपान्तरण है Politics शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस (polis) से

हुयी है जिसका अर्थ नगर अथवा राज्य से होता है। प्राचीन समय में यूनान में छोटे–2 नगर राज्य हुआ करते थे जिनको पोलिस कहा जाता था। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान में नगर राज्यों के अध्ययन हेतु किया गया। वर्तमान में राजनीति–विज्ञान का प्रयोग मनुष्य के उन क्रिया कलापों के अध्ययन हेतु किया जाता है, जिसका सम्बन्ध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से पहलू से होता है।[38]

राजनीति विज्ञान परिभाषायें–

(1) गार्नर के अनुसार– "राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरम्भ एवं अंत राज्य के साथ होता है"।[39]

(2) लीकॉक के अनुसार– "राजनीति विज्ञान सरकार से सम्बन्धित है। उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है''।

(3) गिल क्राइस्ट के अनुसार– " राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है"।

(4) राबर्ट ए0 डहल– "किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, शासन एवं सत्ता का बड़ा महत्व होता है।[40]

(5) लासवेल के अनुसार– ''राजनीति विज्ञान का अभीष्ट वह राजनीति है जो यह बताये कि कौन ,क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है''।

इस प्रकार संक्षेप में राजनीति विज्ञान मानव के उन क्रिया कलापों का अध्ययन करता है जिसका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है तथा उस अध्ययन में मानव के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक सन्दर्भ में विस्तृत अध्ययन करता है।

दूसरे अर्थ में राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति एवं संस्थाओं के सन्दर्भ में विस्तृत अध्ययन करता है।

---

[38] जे. सी. जौहरी, आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, 2012, पृ. 2
[39] ओ0 पी0 गाबा– राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, 2010, पृ. 2
[40] Who governs, Robert A. Dahal, 1963

उपरोक्त परिभाषाओं का यदि विश्लेषण करे तो राजनीति विज्ञान की दो विचारधारायें सामने आती है जिसमें परम्परावादी दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण।

राजनीति विज्ञान का परम्परावादी दृष्टिकोण– परम्परावादी राजनीति विज्ञान को क्लासिक राजनीति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यह कल्पना पर आधारित है इसकी जड़े इतिहास एवं दर्शन है। इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, संस्थागत, तुलनात्मक पद्धतियों को महत्वपूर्ण माना जाता है राज्य, राज्य की प्रकृति, कानून, प्राकृतिक कानून, नैतिकता, राजनीतिक, संस्थायें आदि परम्परागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख विषय रहे है। परम्परागत राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रणाली की ओर निर्देशित किया जाता है जिसका विकास प्राचीन युग में छठी शताब्दी ई. पू. में पॉचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन तक हुआ। प्राचीन राजनीति दर्शन को देखने से प्रतीत होता है कि जो भी राजनीति वेत्ता हुए उन्होनें राजनीतिक सिद्धॉतों का प्रतिपादन करते समय अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया। प्लेटो से लेकर काण्ट, एक्वीनाश एवं हीगल आदि ने राजनीति विज्ञान में जो सिद्धान्त दिये, उसमें आचारशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र को विशेष महत्व दिया। उस समय के राजनीतिक विचारकों में जिसने प्लेटो, अरस्तू, मैकियावली आदि ने तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने मानव जीवन का उत्थान एवं सामाजिक मूल्य की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया । फिर चाहे यूनानी विचारकों जिसमे एक्वीनाश की ईश्वरीय सत्ता में विश्वास हो या आदर्श वादी विचारकों द्वारा राज्य को स्वरूप मानना। उनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिन्तन, कल्पना एवं आध्यात्म आदि पर आधारित थे। शास्वत एवं उच्च स्तरीय तत्वों से सम्बद्ध होने के कारण उनकी चिन्तन प्रणाली काल्पनिक एवं निगमनात्मक है । वे मानो कि आकाश में बैठकर पृथ्वी की ओर देखते थे।[41]

परम्परागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषतायें–

1. परम्परागत राजनीति शास्त्र कल्पना एवं आदर्श पर आधारित था।

2. इसमें नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता था।

[41] ओ0 पी0 गाबा– राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, 2010, पृ. 39–40

3. परम्परागत विचारकों जिसमें प्लेटो ने प्रमुख रूप से राज्य को एक नैतिक संस्था माना है।

4. परम्परागत राजनीतिक विज्ञान दर्शनशास्त्र एवं आचार शास्त्र से प्रेरित थी।

5. परम्परागत राजनीति विज्ञान केवल पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था के अध्ययन पर बल देती है जो कि केवल राज्य के कार्यक्षेत्र तक ही सीमित थी जो कि राजनीति विज्ञान का संकुचित दृष्टिकोण था।

6. परम्परागत राजनीति विज्ञान ऐतिहासिक अध्ययन पर ही बल देता है यह राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार एवं न्याय तक ही सीमित रहा।[42]

इस प्रकार परम्परागत राजनीति विज्ञान में अनेक खामियाँ देखने को मिलती है क्यों कि इसका निर्माण जिन लोगों ने किया उन्होने इसमें अपने विचार एवं मूल्यों को थोपा यही नहीं इन्होनें राज्य के कार्यक्षेत्र को भी सीमित बनाये रखा एवं काल्पनिकता को अपने लेखन में विशेष महत्व दिया। राबर्ट ए0 डहल ने उनकी विचारधारा को पराभानुवादी (Trans Empirical) या इन्द्रियों से परे माना है।

आधुनिक राजनीति विज्ञान– यूरोप में जो 16वीं सदी में औद्योगिक क्रान्ति पनपी जिससे यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को मदद मिली। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हुआ। प्रतिनिधि शासन प्रणाली के विचार के उदय के साथ ही जनता की शासन में भागीदारी पर मुहर लगने लगी। अगस्त काण्टे जैसे समाज वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षवाद पर विशेष बल दिया। जिससे राजनीति विज्ञान में भी निश्चयवादी परिणाम स्वरूप स्वप्न लोकीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान की आधुनिक विचारधारा को वैज्ञानिकता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में यूरोप से यह विचारधारा अमेरिका में पहुॅची जिससे ग्राहम वालास– ह्यूमन नेचर इन पालिटिक्स एवं लेविस मेरियम ने इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा।[43]

---

[42]राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओ.पी. गाबा, 2010

[43] ज्ञान सिंह संधु, राजनीति सिद्धांत, 2009, पृ. 25

अमेरिका में डेविड ईस्टन, आमण्ड पावेल, राबर्ट डहल, लासवेल आदि ने राजनीति विज्ञान को आधुनिकता प्रदान करने में योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों को तथ्यों से पृथक करने को जो प्रयास किया गया वह एक कठिन समस्या बनी रही। इसी के साथ जो अमेरिका में व्यवहारवादी चिन्तन आया बाद में उसमें भी परिवर्तन करना पड़ा क्यों कि उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माताओं में डेविड ईस्टन, हैराल्ड, कार्ल डायश, लूसियन पाई, जान रास आदि प्रमुख है।[44]

आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताये–

(1) आधुनिक राजनीति विज्ञान पर आगमनात्मक अध्ययन पर विशेष रूप से अरस्तु ने बल दिया।

(2) आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान के स्वतन्त्र अस्तित्व का समर्थक है।

(3) आधुनिक राजनीति विज्ञान आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के महत्व संतुलन स्थापित करता है।

(4) आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य एवं व्यक्ति में व्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया।

(5) आधुनिक राजनीति विज्ञान में मानवीय व्यवहार की व्याख्या करने में विशेष रूचि ली गयी है।

(6) वर्तमान में इसके अन्तर्गत लोक कल्याण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा है।

(7) आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है।

[44] राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओ.पी. गाबा, 2010

(8) आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था के सूक्ष्म अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। यथा स्थानीय शासन, प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं बाद में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन।

इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का पक्षधर रहा है इसमें राजनीति विज्ञान में क्रमबद्धता को ध्यान में रखकर ही विचारकों ने अपने सिद्धान्तों की व्याख्या की। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य में मनुष्य को विशेष स्थान दिया गया। इसमें राज्य के आदर्शात्मक अध्ययन के साथ–2 व्यावहारिक अध्ययन के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष–

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जब भूमण्डलीकरण की नीव पड़ी जिसका सीधा सम्बन्ध आर्थिक प्रगति एवं सुधारों से था। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप विश्व दो गुटों में बॅट गया– पूॅजीवाद एवं साम्यवाद। जिसमें पूॅजीवाद के गुट का नेतृत्व अमेरिका एवं साम्यवाद समर्थक राज्य सोवियत संघ था। इसके साथ ही कुछ देश जो इन दोनों ही के समर्थन में नहीं रहना चाहते थे वो निर्गुट राज्य कहलाये। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका द्वारा जब जापान के दो बड़े महानगरों हिरोशिमा एवं नागाशाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया तब विश्व के सभी देश परमाणु बम के आविष्कार से परिचित हुये। यही से जहॉ सोवियत संघ परमाणु अस्त्र बनाने हेतु जुट गया, वही पर अन्य देशों ने भी इसके निर्माण में रूचि लेना प्रारम्भ किया। सन् 1960 तक अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन एवं फ्रांस परमाणु अस्त्रों के निर्माण में सफलता पा चुके थे। जहॉ चीन ने 1964 में परमाणु बम का परीक्षण किया वही पर इसके दस साल पश्चात् भारत ने भी 1974 में इसका परीक्षण किया। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्रों के मध्य घातक परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं उनके परीक्षण को लेकर होड़ मच गयी।

सन् 1960 के दशक में जब परमाणु अस्त्रों के निर्माण में तेजी आयी, तब पर्यावरण एवं पृथ्वी के संरक्षण को लेकर भी राष्ट्रों के मध्य वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। जिसके फलस्वरूप 1963 में आंशिक परमाणु निषेध संधि आयी। जिसमें

भूमिगत परमाणु परीक्षणों को छोड़कर अन्य सभी यथा जल, वायु एवं आकाशमें किये जाने वाले परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस सन्धि पर अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन सहित भारत ने भी हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् 1968 में परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) आयी। जिसमें भूमिगत, वायु, जल एवं आकाश सभी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस संधि के द्वारा परमाणु अस्त्र सम्पन्न राज्यों द्वारा परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र बनाने की कोई जानकारी या इस कार्यक्रम हेतु कोई तकनीकी सहायता न करने एवं परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्रों के निर्माण के विचार को त्याग देने का प्रावधान किया गया तथा इसके साथ ही परमाणु अस्त्र सम्पन्न राज्यों को इस संधि द्वारा अपने परमाणु अस्त्र के रख रखाव एवं अनुसंधान हेतु आवश्यक छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया। स्वाभाविक है कि यह संधि परमाणु अस्त्र सम्पन्न एवं परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों के मध्य एक बड़ी खाई पैदा करने की दृष्टि से लायी गयी थी। इसका समर्थन परमाणु अस्त्र सम्पन्न राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं सोवियत संघ ही कर रहे थे जब कि परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों ने इसका विरोध किया, क्यों कि यह भेदमूलक संधि थी। यहॉ पर यदि इस संधि के समर्थन में अधिकांश देश आ जाते एवं परमाणु अस्त्रों के निर्माण के विचार को त्याग देते तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के पर्यावरण को कम से कम हॉनि पहुॅचती। अतः पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संधि साबित हो सकती थी। राजनीतिक यर्थाथ के चलते यह संधि क्रियाशील नहीं की जा सकी।

इसके पश्चात् 1970 से लेकर 1990 के मध्य अनेक संधियॉ परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं कटौती को लेकर अमेरिका एवं सोवियत संघ के सम्पन्न हुई जिससे पृथ्वी के पर्यावरण को परमाणु अस्त्रों के होने वाले नुकसान से बचाया जा सके तथा दोनों के मध्य तनाव को कम किया जा सके। इसमें अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य कूटनीतिक प्रक्रिया अधिक देखने को मिली। इसके पश्चात् 1996 में परमाणु अस्त्रों के निर्माण में प्रतिबन्ध लगाने हेतु ''व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि'' लाई गयी। यह संधि समस्त प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगााती है। इस संधि का अगुआकर्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका था वह 1999 में इस संधि से

अलग हो गया। जिससे आगे चलकर यह संधि भी बिना किसी नतीजे के खतम हो गयी।[45]

इसी प्रकार से पर्यावरण चिंतन को लेकर राष्ट्रों के मध्य 1950 से लेकर अब तक अनेक सम्मेलन हुए जिसमें लेक लेक्स, स्टाकहोम, रियो–डी–जेनेरियो, क्योटो, डबरन, पेरिस आदि प्रमुख है। इन सभी में पर्यावरण चिंतन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया परन्तु राष्ट्रों की स्वार्थमयी भावना के चलते यह सब कागजों तक ही सीमित रहा। इसी का परिणाम है कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की विकराल समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है जो कि एक चिन्ता का विषय है। एक अनुमान के मुताबिक सन् 2100 के अन्त तक नदियों के जल में 1.4 मी0 तक वृद्धि होगी जिससे लगभग 20 करोड़ लोग विस्थापित होगे[46]।

पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन पर विभिन्न विशेषज्ञों से बात की गयी जिनका विवरण निम्नलिखित है– पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध के उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरणीय विशेषज्ञ के0 एन0 राय जी ने अपने दिये गये साक्षात्कार में बताया 1974 में जो जल प्रदूषण अधिनियम लागू किया गया उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 1981 में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया। जिसके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्डों के गठन का प्रस्ताव पास किया गया जो कि उद्योगों पर निगरानी रखेगें कि कहीं कोई उद्योग मानक के विपरीत जल का दोहन तो नही कर रहे है या फिर जल को प्रदूषित तो नहीं कर रहा है।

बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होंने समाज के दायित्तों की भी बात की। उन्होंने बताया कि हमारा समाज पॉलीथीन के प्रयोग पर अधिक बल दे रहा है। पर जहॉ आवश्यक हो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाये तो इसके द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसी के चलते विगत 5 जून 2018 को ''बीट प्लास्टिक पोल्यूसन'' की थीम रखी गयी। जिसके तहत निम्नलिखित नारा दिया गया–

[45] पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2012
[46] Hindustan 9 january 2020 page no. 18

प्लास्टिक का प्रदूषण खत्म करेगें

कपड़े के झोलों का प्रयोग करेगें।।

इसी तरह से 5 जून 2019 को ''बीट एअर पोल्यूसन'' की थीम दी गयी। प्लास्टिक से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने एवं प्लास्टिक के कचड़े के सदुपयोग हेतु प्लास्टिक की सड़क निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने उद्यमी एवं जनता द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु उनकी जिम्मेंदारियों के निर्वहन पर बल दिया।

गिरि इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेण्ट के एसोसिएट प्रोफेसर के0 श्रीनिवास राव ने बताया कि ''बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं इसकी चुनौतियों हेतु कृषि क्षेत्र का विस्तार अधिक जिम्मेंदार है जिसके चलते पेंड़ों का विनाश किया गया और यही नहीं कृषि में अधिक उपज हेतु कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक खादों के अधिक इस्तेमाल हेतु भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके साथ ही सरकारी नीतियॉ एवं वन नीतियों को भी पर्यावरणीय समस्याओं के लिये जिम्मेंदार ठहराया। इसके अलावा उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट–आउटपुट की प्रकिया भी इसके लिये जिम्मेंदार है।''

वहीं के राजनीति विज्ञान विषय के प्रो0 मंजूर अली ने बताया कि प्रदेश में पर्यावरणीय समस्याओं पर विकास अधिक हावी है क्यों कि अभी तक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में गिना जाता था। इसलिये यहॉ के तीव्र गति से विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बल दिया गया। जिसके फलस्वरूप यहॉ की पर्यावरणीय चुनौतियों पर विकास हावी है। प्रदेश की तीव्र विकास की नीतियों के चलते पर्यावरणीय समस्यायें भी तीव्र गति से बढ़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा यदि इन समस्याओं से निपटने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये गये तो प्रकृति स्वतः इन पर काबू पा लेती है। उत्तर प्रदेश में 2013 में केदारनाथ आपदा इसी का उदाहरण है।

बीबीएयू के प्रोफेसर आर0 पी0 सिंह ने बताया कि प्रदेश में भूमण्डलीकरण के पश्चात् तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्वि हुई है जिसके चलते निवास हेतु गॉवों, शहरों एवं खेतों का विस्तार होने से अधिक तेजी वनों का विनाश हुआ है। फलतः

पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हुई है। हालांकि इन समस्याओं से निपटने हेतु सरकार ने अनेक नीतियॉ बनायी है, पर वे अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। इस समस्याओं से निपटने हेतु इन्होंने टिकाऊ विकास को अपनाने का सुझाव दिया।

बीबीएयू के ही प्रोफेसर डी0 पी0 सिंह ने बताया कि उपभोक्तावाद के युग के चलते पॉलीथीन, एयर कंडीशनर, फ्रिज एवं अन्य आरामदायक वस्तुओं के प्रयोग के चलते तीव्र गति से पर्यावरण दूषित हुआ है। इन समस्याओं हेतु हमारी जीवन शैली पूरी तरह से जिम्मेंदार है। इसके साथ ही अधिक लाभ की सोच के चलते भी प्राकृतिक समस्यायें पैदा हुई है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' 2020 (Environment Performance Index- EPI)

हाल ही में 'येल विश्वविद्यालय' द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किये जाने वाले 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' 2020 (Environment Performance Index- EPI) में भारत का स्थान 180 देशों में 168 पर रहा है।

'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' येल विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी' तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क' की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' को 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum- WEF) के सहयोग से तैयार किया जाता है।

'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' विश्व के विभिन्न देशों की सतत् विकास की स्थिति का आंकलन विभिन्न प्रदर्शन आँकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जैव विविधता और आवास, पारिस्थितकी सेवाएं, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, मत्स्य जलसंसाधन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण उत्सर्जन, कृषि, अवशिष्ट प्रबन्धन, भारी धातु आदि श्रेणियों को शामिल किया जाता है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' 2018 में भारत का स्थान 177वाँ तथा स्कोर 30. 57 के स्कोर (100 में से) रहा था। जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' 2020 में भारत का स्थान 168 वाँ तथा स्कोर 27.6 रहा है। अतः इस वर्ष भारत की रैंकिंग में 9 स्थानों का सुधार हुआ है।[47]

भारत केवल 11 देशों बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में है। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' रैंकिंग में भारत से आगे हैं।

EPI रैंकिंग यह समझने में मदद करता है कि कौन–से देश पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अन्य देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की नीतियों के अनुसार अपनी घरेलू नीतियों में आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं।

भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रमुख मापदण्डों जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं इसमें भारत का प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों पर भी भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम रहा है। जोकि एक चिंता का विषय है। दक्षिण एशियाई देशों में 'जलवायु परिवर्तन' संकेतकों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान (106 वॉ स्थान) पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, विगत 10 वर्षों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

सुशासन किसी भी देश की पर्यावरणीय स्थिति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिये नीति निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, पारदर्शी विनियमन, लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों पर खुली बहस, स्वतंत्र मीडिया,

[47] https//epi.yale.edu/epi-results/2020

गैर–लाभकारी संगठनों की उपस्थिति, कानून के शासन आदि की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष रूप में 21वीं शताब्दी का आने वाला प्रत्येक साल अपने पिछले साल के मुकाबले अधिक तापमान को दर्शा रहा है। जिसके भयावाह परिणाम अत्यधिक बाढ़, सूखा एवं दूषित वायु आदि हमारे सामने है। पृथ्वी पर से धीरे–धीरे जीवधारी विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन भी दुर्लभ होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2080 के पश्चात् ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी पर मानव जीवन दुर्लभ हो जायेगा। जिसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं होगे। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाये, अधिक से अधिक जल बचायें, पॉलीथीन का उपयोग न करें एवं प्लास्टिक न जलायें। जिससे पर्यावरण का संरक्षण सम्भव हो सके।

अध्याय–तृतीय

उत्तर प्रदेश में पार्क निर्माण एवं राजनीति

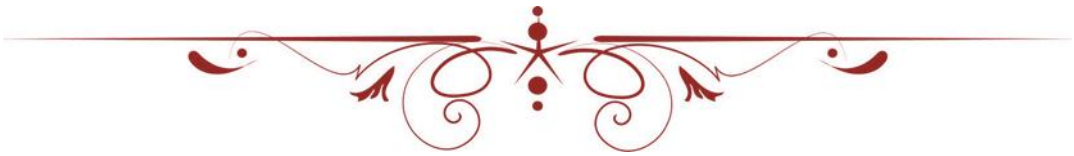

अध्याय–तृतीय

उत्तर प्रदेश में पार्क निर्माण एवं राजनीति

परिचय–

पर्यावरण एक बहुआयामी विषय है। साथ ही उस का राजनीतिकरण भी आम बात हो गयी है। आज भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हमारा देश भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।[1] पर्यावरणीय राजनीतिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट है जिसमें केवल राजनीति को ही महत्व दिया जाता है। पर्यावरण जो विकास की भेंट चढ़ जाता है आज यहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद पर्यावरण संरक्षण जो विकास की भेंट चढ़ रही है और राजनीतिक लाभ जो वास्तव में आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है। जिसे पाने के लिए सभी राष्ट्र होड़ में लगे हुए हैं और इस लाभ की राजनीति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाने, उसकी समयबद्ध जिम्मेदारी निभाने से मुंह चुरा लिया गया है। पर्यावरणीय राजनीति विकास के नाम पर ऐसा प्रतिरूप (Model) है। जिसमें संसाधनों की पूंजी (capital) समझता है। प्राकृतिक सम्पदा को "Comodity" के रूप में लिया जाता है तथा जल, जंगल, जमीन और खनिज पदार्थों को रूपांतरित कर देती हैं। क्योंकि राज्य का चरित्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दिशा निर्धारक होता है। पर्यावरणीय राजनीति (Envirmental Politics) जो कि विकास (Development) के नाम पर उपभोक्तावादी, बाजारवादी और सुविधापूर्ति बन चुका है। यह संसाधनों के प्रत्येक वस्तु को वैश्विक पूंजीवाद से जोड़ देना चाहता है। पर्यावरणीय राजनीति विकास का प्रतिरूप है जो कि शुद्ध ''उपयोगितावाद'' पर आधारित होते हैं और सचमुच में यह एक ऐसी बिडम्बना है कि यह सब कुछ देश के आधुनिकीकरण राष्ट्र निर्माण, बहुमुखी विकास और सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में वृद्धि के नाम पर किया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि मानों विकास और पर्यावरण के बीच में युद्ध छिड़ गया है। पर्यावरणीय

[1] त्रिपाठी दयाशंकर, ''पर्यावरण अध्ययन'' , प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, वर्ष 2005, पृष्ठ–329

राजनीति एक ऐसा नमूना (Model) है जिसमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर पूर्ण उपयोगितावादी, उपभोगवादी संस्कृति का निर्माण करना जो केवल सुविधापूर्ति के रूप में, लोभ और लालच को पूरा करने का एक तरीका है। जो अपने आपको विकसित और अन्य राष्ट्रों को यह भ्रमित करता है कि तुम पिछड़ी राष्ट्र हो। तुम अभी विकासशील राष्ट्र हो और इन राष्ट्रों में ऐसी संस्कृति का पाठ पढ़ाना कि अब तुम भी विकसित राष्ट्र बनो। पर्यावरण राजनीति (Environment Politics) उन राष्ट्रों की राजनीति है जो वे उन राष्ट्रों को पिछड़ी हुयी या अल्प विकसित बनाकर उन्हें विकास के भ्रम जाल में डाला जाता है। उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को वैश्विक पूंजी से जोड़ा जाता है और जंगल, जल, जमीन को अर्थव्यवस्था का अविभाज्य हिस्सा बनाकर भरपूर दोहन किया जाता है।

यहॉ पर पर्यावरण क्या है इस विषय को भी अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। वास्तव में पृथ्वी के पर्यावरण को दूषित कर रही मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना एक दुष्कर कार्य है क्योंकि पर्यावरण अपघटन की कोई सीमा नहीं है। यदि मानव जाति का अस्तित्व बनाये रखना है तो हमें अपनी हॉनिकारक गतिविधियों पर अंकुश लगाना ही होगा। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार से सम्बन्धित विचारधारा तथा सामाजिक आन्दोलन पर्यावरणवाद है। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण की कानून द्वारा रक्षा करना, सुधार करना तथा पुनर्स्थापन का पक्ष लेता है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक राज्य का मौलिक कर्त्तव्य है कि उस राज्य में पार्कों और उद्यानों का विकास करना और यह विकास पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिए तथा इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में विकास के नाम पर बहुत ही गहरी राजनीति होने लगी है। जो कि किसी भी कार्य को पूर्णतया या साफ–सुथरे तरीके से होने नहीं देती है। चूंकि पर्यावरण हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जिसके बिना हमारे समाज की प्रगति अधूरी है।[2]

प्राकृतिक संसाधनों का सम्बन्ध सीधे पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणवाद (environmentalism)] हरित राजनीति

[2] एम. सालवी दिलीप, ''पर्यावरण प्रश्नोत्तरी'', प्रकाशकः सत्साहित्य प्रकाशन, वर्ष 2003, पृष्ठ–192

(Green Politics) पर्यावरणीय नारीवाद प्रमुख अवधारणा रहे हैं। जो एक सामाजिक आन्दोलन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा के लिए, जिसमें पर्यावरण के प्रति सामाजिक शिक्षा पर्यावरण सक्रियता के माध्यम से पर्यावरणीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और पर्यावरणीय मानकों को अपने अवधारणाओं में निर्धारित किया जाता रहा है। हरित राजनीति एक पर्यावरणीय जनक्रांति है जबकि पर्यावरणीय राजनीति का सम्बन्ध विकास के नाम पर संसाधनों का दोहन करना और विकास को ही प्राथमिकता मानकर पर्यावरण को नजरअंदाज किया जाना। पर्यावरणीय राजनीति एक नवीन अवधारणा के रूप में है। जिसमें राजनीति (Politics) को महत्व दिया जाता है और पर्यावरण को जानबूझ कर नजरअंदाज किया जाता है। पर्यावरणीय राजनीति एक राजनीतिक चाल (षडयंत्र) है जिसमें राजनीति एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के पर्यावरणीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है व उनका दोहन करने का एक तरीका है। पर्यावरणीय राजनीति एक पूंजीवादी विकासवादी राजनीति (Capatiliesm Development Politics) का नमूना है। जिसमें विकास के नाम पर संसाधनों की लूट मचायी हुयी है।

पिछले कुछ सालों में पर्यावरण सम्बन्धी इस तरह की रिपोर्ट और चेतावनी आने के बावजूद पर्यावरण का मुद्दा हमारे देश के राजनीतिक दलों के एजेण्डे में शामिल ही नहीं है। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र में पर्यावरण सम्बन्धी किसी भी मुद्दे को जगह देना जरूरी नहीं समझा। लगभग हर देश में हर जगह हर तरफ हर पार्टी विकास की बातें करतीं हैं। लेकिन ऐसे विकास का क्या फायदा जो लगातार विनाश को आमन्त्रित करता है। ऐसे विकास को क्या कहें जिसकी वजह से सम्पूर्ण मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। कुछ राजनीतिक पार्टियॉ तो फैक्ट्रियों और उद्योगों को अधिकाधिक अपनाकर देश को बेरोजगार मुक्त करना चाहती हैं परन्तु उन्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अधिकतर

उद्योग हमारे पर्यावरण के लिए घातक साबित होते हैं। अगर उन्हें रोजगार देना ही है तो पहले खाली पड़ी रिक्तियों को पूरा करना चाहिए।[3]

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के हृदयस्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के एक बेहद ही समृद्ध राज्यों में से एक है। जो कि राजनीति से लेकर पर्यटन में नम्बर वन है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उप–महाद्वीप की महान प्राचीन नदियों गंगा, यमुना और गोमती के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्‌गम हुआ। इतिहास गवाह है कि महान नदियों के किनारें ही गौरवशाली सभ्यताओं और नगरों का विकास हुआ है। भारत में गंगा, यमुना और गोमती के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परम्पराओं का विकास हुआ है उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है।

उत्तर प्रदेश में इन नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में एक यादगार और रोमांचक अनुभव है। हेरिटेज आर्क इस यात्रा का हर पल आनन्द उठाने का एक नया आयाम है। इस यात्रा से आप उत्तर प्रदेश के लोगों और जनजीवन का एक नया रूप देख सकते हैं। हेरिटेज आर्क में प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है, और आप प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुन्दर और जीवंत समाज से रूबरू होते हैं। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में और इनके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थानों की यात्रा कराती हैं। यहॉ हर साल पर्यटक आगरा, वाराणसी, लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य शहरों में घूमने आते हैं।

उत्तर प्रदेश में अनेक विचारक, दर्शन शास्त्री, कलाकार, नेता, नृत्य कला के प्रवीण, कवि, बौद्धिक जन और राजनेता हुए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अनुपम और अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मूलतः ढेर सारे पर्यटन गंतव्यों का केन्द्र है। यह बात महत्व नहीं रखती कि पर्यटक क्या देखना चाहते हैं, यहॉ ऐसी

[3] द्विवेदी शशांक, ''राजनीतिक दलों के ऐजेंडे में शामिल ही नहीं है पर्यावरण'', सम्पादक : विज्ञानपीडिया डॉट कॉम, वर्ष 2015, नीमराना, राजस्थान

ढेर सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए रूचि का कारण बन सकती हैं। यहॉ अनेक ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन अभयारण्य, धार्मिक केन्द्र, पार्क, स्मारक और रोमांचक पर्यटन स्थल हैं। जिसके लिए पर्यटक यहॉ आना पसंद करते हैं।

वास्तव में उत्तर प्रदेश के जीवन और सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। इस यात्रा में आप देखेंगे ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थस्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक। उत्तर प्रदेश में इस तरह के स्थानों को लेकर काफी राजनीति भी गरम रहती है। आज के समय राजनीति में धर्म और जाति का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। इसलिए लगभग सभी पार्टियॉ किसी न किसी धर्म या जाति को ज्यादा समर्थन करती हैं। यही कारण है कि उनके धर्म या जाति से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्मारक, पार्क या तीर्थस्थलों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहॉ पर यह विचारणीय है कि पार्कों या तीर्थस्थलों का निर्माण आवश्यक है चाहे वह किसी धर्म या जाति से सम्बन्धित ही क्यों न हों। क्योंकि पर्यावरण को व्यवस्थित रखने में यह पार्क अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 1991 से लेकर अब तक अनेक सरकारें अपने–अपने राजनीतिक लाभ की रोटियां सेक चुकी हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी राजनीतिक पार्टियॉ रही हैं जो पर्यावरणीय राजनीति के होते हुए भी पर्यावरण के सुधार के लिए अनेक पार्कों व स्मारकों का निर्माण किया है। राजनीतिकरण आज के समय में समाज का अनिवार्य अंग हो गया है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करता है। इसीलिए आज की बढ़ती राजनीति के कारण ही लोग पर्यावरण को ध्यान में न रखते हुए पार्कों के निर्माण को लेकर भी राजनीति करने लगे हैं। पर्यावरण संरक्षण की यदि हम बात करें तो उसमें सर्वप्रथम पार्कों के निर्माण की ही बात आयेगी। पर्यावरण अर्थात् वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ सम्बन्धित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु

मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। सभी ने उत्तर प्रदेश को 'ग्रीन यूपी क्लीन यूपी' की तर्ज पर कितना बेहतर बनाया यह कहना थोड़ा मुश्किल है परन्तु इन सभी सरकारों में बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को भलीभांति चमकाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक बीएसपी सरकार ने पार्कों व स्मारकों के विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है।

उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थल अपने आप में अत्यन्त गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। शान्ति, श्रृद्धा और विश्वास की अमिट एवं अविस्मरणीय छवि यहॉ के स्मारकों व अवशेषों से परिलक्षित होती है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, कुशीनगर व कपिलवस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। इन सभी तीर्थस्थलों तथा लखनऊ के सौन्दर्यीकरण को लेकर एक ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में पार्कों और स्मारकों का अद्वितीय निर्माण करवाया है। समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करने हेतु तथागत गौतम बुद्ध के महान मानवतावादी दर्शन एवं आदर्श के प्रति समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक कार्य किया है। इस कार्य के साथ ही इस सरकार पर विपक्ष की ओर से जमकर राजनीति भी हुई है। अपने चारों शासन काल के दौरान सुश्री मायावती जी ने गौतम बुद्ध एवं बौद्ध परिपथ से जुड़े स्थानों का विकास तथा सौन्दर्यीकरण सुनिश्चित कराया। इस तरह के पार्कों और स्मारकों के निर्माण से पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश को भारत तथा शेष विश्व का प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल बनाने की दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। इनमें से एक निर्णय के तहत चार नये जनपदों यथा गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, श्रावस्ती और कौशाम्बी का गठन किया गया। इन चारों जनपदों का गहरा सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन से रहा है। इसी तर्ज पर उन्होंने निम्नलिखित सराहनीय कार्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। इन कार्यों में प्रमुख कार्य हैं– बौद्ध शान्ति विहार उपवन तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सामाजिक परिवर्तन स्थल प्रमुख हैं। लेकिन ये सारे निर्माण कार्य स्थानीय सरकार द्वारा ही कराये जाते रहे हैं इसी कारण इस पर विपक्ष द्वारा जमकर राजनीति भी होती है। कोई भी देश हो या प्रदेश यदि वहॉ पर पार्क और स्मारकों का अच्छा विकास होता है तो वह स्थान अद्वितीय हो जाता है। क्योंकि ऐसे स्थान पर पर्यटकों और दार्शनिकों का तांता लगा ही रहता है। इसके साथ ही उस राज्य या देश के राजकोष में इससे काफी आमदनी भी होती है। इसी तर्ज पर बौद्ध परिपथ में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं के सृजन हेतु अनेक कार्य किये गये।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्कों का निर्माण एवं उनका विश्लेषण–

बौद्ध विहार शान्ति उपवन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के कर–कमलों द्वारा दिनांक 25 जून 2009 को आयोजित एक समारोह में ''डॉ0 भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल'' के विभिन्न स्थलों एवं ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल'' व मान्यवर श्री कांशीराम जी पार्क'' तथा ''बौद्ध विहार शान्ति उपवन'' आदि स्थलों का लोकार्पण तथा इनमें स्थापित सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता–सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है।[4]

चित्र– बौद्व विहार शान्ति उपवन, लखनऊ

[4] उत्तर प्रदेश पर्यटन बुक, 2007

इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह स्मरण कराया कि देश की आजादी के बाद यहॉ बनी विभिन्न सरकारें यदि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में पैदा हुए महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों की स्मृति में भी कुछ वैसे ही भव्य स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां व पार्क आदि स्थापित करवा देतीं, जैसा कि उन्होंने समाज के अन्य सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों की स्मृति में, उनके नाम पर पूरे देश में स्थापित करवाये हैं, तो आज उत्तर प्रदेश सरकार को यहॉ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों की स्मृति व सम्मान में स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां व पार्क आदि स्थापित करवाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती?

बौद्ध विहार शान्ति उपवन का संक्षिप्त परिचय, लखनऊ

देश में सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों को बौद्ध संस्कृति ने अत्यन्त प्रभावित किया है और तथागत गौतम बुद्ध द्वारा मानव समाज के समक्ष प्रदर्शित नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशीलन तथा मानवीय मूल्यों का मार्ग सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तम्भ रहा है।[5] अतः व्यापक मानव संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का आधार रही बौद्ध दृष्टि एवं संस्कृति प्रेरणा प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन व शोध केन्द्र के रूप में बौद्ध विहार शान्ति उपवन की स्थापना की गयी। यह ''बौद्ध विहार शांति उपवन'' लखनऊ शहर में शारदा नहर के किनारे लगभग 27 एकड़ क्षेत्र पर ''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल के निकट स्थित है। लगभग 27 एकड़ में फैले ''बौद्ध विहार शांति उपवन'' के मुख्य शंकुल का क्षेत्र विस्तार लगभग 6 एकड़ होगा जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की 18 फिट ऊँची संगमरमर की चहुमुंखी प्रतिमा स्थापित की गयी। इसके साथ–साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी की इच्छा के अनुसार उनकी एक मात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी माननीय सुश्री मायावती जी की भी 16 फिट ऊँची संगमरमर की चहुमुखी प्रतिमाएं स्थापित की गयी। प्रतिमाओं के दोनों ओर समान रूप से दो ब्रांज फाउण्टेन स्थापित किये गये हैं। जो कि 28 फिट ऊँचे तथा 24 फिट व्यास के हैं। शान्ति

[5] Raman singha- Environment in historical perspective, frist edtion, 2007, new delhi. Page no. 238-239

उपवन के अन्तर्गत लगभग 230 मीटर लम्बा भव्य गलियारा (कालोनेड) बनाया गया है।

अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए आने वाले प्रशिक्षुओं/बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए तीन मंजिला ''विहार भवन' निर्मित किया गया है, जिसके भूतल पर एक बड़ा डायनिंग हाल एवं आधुनिक किचेन, प्रथम तल पर दो डॉरमेट्री एवं कार्यालय तथा द्वितीय तल पर बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने हेतु 16 कमरे निर्मित किये गये है।

शांति उपवन में स्थापित किये गये भवन के भूतल पर एक आधुनिक पुस्तकालय निर्मित किया गया है, जिसमें लगभग 150 व्यक्तियों के बैठने एवं अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है। भूतल पर ही स्वाध्याय हाल निर्मित किया गया है, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति एक साथ बैठकर स्वाध्याय कर सकेंगे। इस भवन के द्वितीय तल पर उपवन से सम्बन्धित कार्यालय तथा साधना कक्ष (Meditation Hall) की भी व्यवस्था की गयी है। यह मानव कल्याण के लिए बहुत ही सर्वोत्तम कार्य है क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य ही सब कुछ है और इस तरह के स्थान सदैव मन को शान्ति व सुख प्रदान करते हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं।

''बौद्ध विहार शान्ति उपवन'' में लगभग 20 एकड़ में फैला एक विशाल पार्क भी स्थापित है। इस पार्क में एक छोर पर फव्वारा तथा मध्य में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वॉच टावर बनाये गये है। पार्क में मिट्टी के ऊँचे–ऊँचे टीलों पर हरी घास आच्छादित है तथा हरे–भरे फूलों की क्यारियां, सर्कुलर माउण्ड, मनोरम पर्यावरण व हरियाली को बढ़ाने वाली नयनाभिराम दृश्यावली दृष्टिगोचर

होगी। दोनों ओर की चहारदीवारी के साथ–साथ फुटपाथ बनाये गये हैं। तथा पाम वृक्षों की कतारें लगायी गयी हैं।

पार्क में विभिन्न प्रजातियों एवं किस्मों की सब्जियों, फलों व फूलों व फूलों के उत्पादन करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गयी है। कानपुर रोड के साथ लगे भाग में प्लाजा निर्मित किया गया है, जिसमें सीढ़ियों, प्रसाधन व्यवस्था, वॉच टावर व फव्वारे हैं। आगन्तुकों के बैठने के लिए जगह–जगह ग्रेनाइट बेन्चें भी लगायी गयी हैं। परिसर को आलोकित रखने के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत नहर व सड़क सौन्दर्यीकरण के कार्य भी कराये गये है। इस सौन्दर्यीकरण के कारण ही पर्यावरण भी शुद्ध रहता है।

बुद्ध विहार शान्ति उपवन भगवान बुद्ध की स्मृति में बनाया गया विहार है। भारत संतों एवं महापुरुषों की भूमि रही है। जहॉ समय–समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भूमण्डल को अपने ज्ञान से आलोकित किया है। महापुरुषों की इस श्रृंखला में विश्व में समता के प्रतिष्ठापक, एशिया के प्रकाश पुंज, दया और करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध का नाम आता है जिनका जन्म 563 ई0 पू0 वैशाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में शाक्यगण के प्रधान राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र के रूप में हुआ। जो बाल्यकाल से ही चिन्तनशील प्रवृत्ति के थे। जीवन में अनेक सुखदायी वस्तुओं एवं विलासतापूर्ण जीवन के होते हुए भी सिद्धार्थ सांसारिक मोह–माया में नहीं बंध सके। जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। शाक्य गणराज्य एवं कोलिय गणराज्य के मध्य सीमा के रूप में रोहिणी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके जल से दोनों राज्यों के लोग खेतों की सिंचाई करते थे। रोहिणी के जल को लेकर दोनों राज्यों में विवाद शुरु हो गया जो युद्ध में शीघ्र ही परिवर्तित हो रहा था। सिद्धार्थ गौतम ने इस युद्ध का विरोध करते हुए कहा कि ''युद्ध से किसी समस्या का चिरस्थायी हल नही निकाला जा सकता क्योंकि वैर से वैर नहीं मिटाया जा सकता, जैसे– आग से आग नहीं बुझायी जा सकती'', किन्तु शाक्यगण सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की सलाह पर असहमति व्यक्त करते हुए युद्ध करने की घोषणा कर दी, जिस घटना से व्यथित

होकर सिद्धार्थ ने राज्य त्याग दिया। आगे चलकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसके चलते यह एशिया के ज्योति कुंज कहलाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, में गोमती नदी के तट पर स्थापित ''डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल'' का निर्माण, सुश्री मायावती जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक परिवर्तन के महानायक एवं भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में तथा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है।

स्मारक की आधार शिला पहली बार 1995 तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा रखी गयी थी इससे पहले पार्क का नाम डा0 भीमराव अम्बेडकर उद्यान था। जब सन् 2007 में सुश्री मायावती जी चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई पार्क के आगे का नवीनीकरण और विकास किया। इसे शुरू में 14 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री मायावती ने जनता के लिए खोल दिया था। इसमें पूरे स्मारक राजस्थान से लाए गए। यह पार्क लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया। यह भारत में सबसे बड़ी योजना बनाई। आवासीय कालोनी गोमतीनगर के पॉश इलाके में स्थित है। इस स्मारक की लागत लगभग 7 अरब रूपए हैं। इसका नाम मई 2012 अंबेडकर पार्क से भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क में में बदल गया था।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ

14 अप्रैल 2008 गुलाबी पत्थरों से लखनऊ में बना अंबेडकर पार्क बसपा सुप्रीमों मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। दलित समुदाय भी इसे अपने उत्थान का प्रतीक मानता है। लोगों का कहना है ''कम से कम मायावती जी ने एक ऐसा स्थल बनवा दिया है, जिससे हमें गर्व की अनुभूति होती है''।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ

डॉ अंबेडकर पार्क एक सार्वजनिक पार्क है। और गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारत में स्मारक है। यह अधिक औपचारिक रूप से डॉ भीम राव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रांत स्थल के नाम से जाना जाता है। और इसे अंबेडकर पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पार्क ज्योतिराव फुले, नारायण गुरू, विरसा मुंडा, शाहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम के जीवन और यादों का सम्मान करते हैं और जिन्होंने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने अपने प्रशासन के दौरान बनाया था जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किया था।

सन् 2009 के बाद से स्मारक एक कानूनी लड़ाई में शामिल किया गया है। जून 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना पर और इमारत के खिलाफ रोक जारी की, जब तक कि इन खर्चों पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका (पीआइएल) का निपटारा नही किया गया था। शुरूआत में भी रख–रखाव लागत को खारिज करने के बावजूद दिसम्बर 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार को पार्क का रख–रखाव और पूरा करने की अनुमति प्राप्त हुई। हॉलांकि यह मुकदमा 2015 तक चला।

बॉलीवुड फिल्म यंगिस्तान (2014) में अभिनेता जैकी भगनानी और नेहा शर्मा ने अंबेडकर मेमोरियल पार्क में गोली मार दी और अपने विशाल स्तर में आश्चर्य चकित हुए। मार्च 2014 में स्मारक के बाहर शूटिंग की अनुमति के बाद आदित्य राय कपूर और परिणिति चोपड़ा ने रंगराली गाने की फिल्म दावत–ए–इश्क को गोली मार दी। नवबंर 2015 में रवि किशन ने अंबेडकर मेरियल पार्क के लिए भोजपुरी फिल्म के लिए गोली मार दी। फरवरी 2016 में मीका सिंह और उर्वशी राउतेला ने भी अपने नये संगीत वीडियों के लिए गोली मार दी, जिसका नाम लाल दुपट्टा कुर्ता चिकन का था जो स्मारक के बाहर था।

डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर जिनके नाम पर सामाजिक परिवर्तन स्थल पार्क व स्मारक का निर्माण किया गया वह बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय, भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित

बौद्ध आन्दोलन को प्रेरित किया और अछूतों के खिलाफ समाज में हो रहे सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। अम्बेडकर जी विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारम्भिक करियर में वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं उन्होंने वकालत भी की। बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और बातचीत में शामिल हो गये। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा मरणोपरान्त 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''भारत रत्न'' से सम्मानित किया गया था। अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। जिसका अद्वितीय निर्माण बसपा सरकार ने अपने तीनों कार्यकाल में पूरा किया। जिस पर विपक्ष द्वारा जमकर राजनीति हुई।

गौतम बुद्ध पार्क, लखनऊ

गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ के कई ऐतिहासिक स्मारकों और पार्कों में से एक है। जो इन सभी में से सबसे नवीनतम है। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकॉश समय उत्तर प्रदेश में बिताया था और लखनऊ का प्राचीन नाम नखलऊ हुआ करता था जो भगवान बुद्ध के नाखून के नाम से व्युत्पन्न हुआ था। इस पार्क को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1980 में दस एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किया गया था। इस पार्क में भगवान बुद्ध की संगमरमर की विशाल प्रतिमा लगी हुई। इस पार्क को तब हॉनि हुई जब वहॉ से निकले मार्ग का चौड़ीकरण किया गया था। छत्ते के पुल से लेकर पार्क के सामने तक आये दिन

लगने वाले जाम के कारण इस मार्ग को बढ़ाया गया। इस पार्क में कलात्मक उद्यान, फब्वारे, कई तरह के पेंड़–पौधे और छोटी–2 मूर्तियॉ भी लगी हुई हैं। यह पार्क अपने शान्त वातावरण एवं उत्तम सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह पार्क लखनऊ में आने वाले पर्यटकों एवं यहॉ के स्थानीय निवासियों के लिए काफी पसंदीदा स्थल है

जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वह इसे हर सम्भव प्रयास के साथ बड़ा बनाने में लगे हुए थे। अखिलेश यादव जी ने इस पार्क का निर्माण अपने पिता के कहने पर प्रारम्भ किया था। इस पार्क को एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होने का भी दर्जा प्राप्त है।

वर्ष 2012 में इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसकी लागत में 168 करोड़ रूपए खर्च किये जा चुके हैं। पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। पार्क तकरीबन 376 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम पं0 जनेश्वर मिश्र जो कि समाजवादी पार्टी के एक राजनेता थे उनके नाम पर पड़ा। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके दृढ़ निश्चय के कारण वे छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कई बार लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य रहे उन्होंने मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और इंन्द्रकुमार गुजराल के मंत्रिमंडलों में काम किया। सात बार केन्द्रीय मंत्री रहने के बाद भी उनके पास न अपनी गाड़ी थी और न ही बंगला।

जनेश्वर मिश्र का जन्म 5 अगस्त 1933 को बलिया के शुभनथही के गांव में हुआ था। इनके पिता रंजीत मिश्र किसान थे। बलिया में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1953 में इलाहाबाद पहुंचे जो उनका कार्य क्षेत्र रहा। जनेश्वर को आजाद भारत के विकास की राह समाजवदी सपनों के साथ आगे बढ़ने में दिखी। और समाजवादी आंदोलन में इतना पगे कि इन्हें छोटे लोहिया के तौर पर ही जानने लगे।

इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक कला वर्ग में प्रवेश लेकर हिन्दू हास्टल में रहकर पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही छात्र राजनीति से जुड़े। छात्रों के मुद्दे पर इन्होंने कई आंदोलन छेंडें। जिसमें छात्रों ने बढ़–चढ़कर साथ दिया। 1967 में उनका राजनैतिक सफर शुरू हुआ वह जेल में थे तभी लोक सभा का चुनाव आ गया। फूलपुर सीट पर 1969 में उपचुनाव हुआ तो जनेश्वर मिश्र सोशलिस्ट पार्टी से मैदान में उतरे और जीते। लोक सभा में पहुंचे तो राजनारायण ने इन्हें छोटे लोहिया का नाम दिया।

उन्होंने 1972 के चुनाव में यहीं से कमला बहुगुणा को और 1974 में इंदिरा गांधी के अधिकवक्ता रहे सतीश चन्द्र खरे को हराया। इनके बाद 1978 में जनता पार्टी के टिकट से इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव मैंदान में उतरे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को पराजित किया। उसी समय वह पहली बार केन्द्रीय पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बने। इसके कुछ दिन बाद ही वह अस्वस्थ हो गये। स्वस्थ होने के बाद इन्हें विद्युत, परंपरागत ऊर्जा और खनन मंत्रालय दिया गया। चरण सिंह की सरकार में जहॉजरानी व परिवहन मंत्री बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर इलाहाबाद से लड़ा और कमला बहुगुणा को हराया इस बार संचार मंत्री बने। फिर चंद्रशेखर की सरकार ने 1991 में रेलमंत्री और एचडी देवगौड़ा की सरकार में जल संसाधन तथा इंद्रकुमार गुजराल की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री बनाये गये। 1992 से 2010 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

फोटो– जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ

इमामबाड़ा, भूल–भुलैया, रूमी गेट की तरह ही लखनऊ की शान में एक और नाम जुड़ गया है जनेश्वर मिश्र पार्क का। एशिया के सबसे बड़े पार्क का रूतबा प्राप्त कर लिया है। लखनऊ शहर में गोमती नगर एक्सटेंशन में लगभग 376 एकड़ में स्थित यह पार्क देख कर आपको यकीन ही नहीं होगा कि लखनऊ में ऐसा पार्क भी हो सकता है। यह पार्क समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से बना है। जो कि अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था इसीलिए इसका कार्य बड़ी तेजी से हुआ था। पार्क में सिर्फ सजावटी पौधे ही नहीं लगाये गये हैं बल्कि नीम, बरगद, आंवला, पीपल जैसे उपयोगी पेड़ लगाये गये हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहॉ पर वृक्ष लगाये गये हैं वहॉ बहुत सघनता है।

जनेश्वर मिश्र पार्क में लंदन की तर्ज पर 'लखनऊ आई' झूला भी लगाये जाने का प्रावधान था। लेकिन किसी कारणवश यह कार्य पूरा नहीं हो सका। शायद इस पर कोई राजनीति हो गयी या फिर समाजवादी पार्टी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इस झूले के लग जाने से पूरे लखनऊ की रौनक में चार चांद लग जाते। इस झूले की खास बात यह थी कि यह झूला 45 मीटर ऊंचा तथा लगभग 41 मीटर चौड़ा होता। इस झूले पर बैठकर पूरे लखनऊ के हवाई दर्शन किये जा सकते थे। झूले में 36 कैप्सूल थे जिनमें प्रति कैप्सूल आठ लोग बैठ सकते थे, ये कैप्सूल पूरी तरह से एयरकंडीशनर था। इनके घूमने की गति बेहद कम थी। ये अपना पूरा चक्कर करीब 50 मिनट में पूरा करता। इस झूले पर घूमते हुए आप पार्टी सेलीब्रेट कर सकते थे और कैन्डल लाईट डिनर का भी मजा ले सकते थे, और तो और इस झूले पर बैठकर पूरे लखनऊ को देखा जा सकता था।

समाजवादी पार्टी ने इस पार्क को विश्वस्तरीय दर्जा देने की हरसम्भव कोशिश की है। सपा के आला नेता इस पार्क को विश्व की अहम धरोहर के तौर पर देखते हैं और इनका मानना है कि यह पार्क पैरिस से लेकर सिंगापुर के अहम पर्यटन स्थल को टक्कर देता है।

इस पार्क में मिग–21 को स्थापित किया गया है। यही नहीं गंडोला बोट भी यहॉ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। यह बोट इटली की अहम विरासत में से एक मानी जाती है। जिसे जनेश्वर मिश्र पार्क में स्थापित किया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क में एरियल व्यू सबको आकर्षित करता है। गोमती नगर में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क और डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में दो पुराने स्टीम लोकोमोटिव इंजन रखे जाने हैं। हेरिटेज रेलवे बोर्ड के स्टीम इंजन वाईजेड 3334 और वाईजेड 3318 आवंटित किये हैं। इसके लिए एलडीए 37 लाख 72 हजार 174 रूपये रेल विभाग को देना था। गोमती नगर विस्तार योजना में 263 करोड़ में 376 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहा एशिया का सबसे बड़ा पार्क होने के साथ ही जनेश्वर मिश्र पार्क में अन्य सुविधाएं भी बिल्कुल अलग है। यहॉ म्यूजिकल फाउंटेन, सबसे ऊँचा तिरंगा, गंडोला और बोट के अलावा स्टीम इंजन भी दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र है।

राज्य सरकार ने इसके लिए रेल विभाग को लेटर लिखा था। इसके बाद लखनऊ विभाग प्राधिकरण और रेल विभाग के बीच एक अनुबन्ध हुआ था। इस अनुबन्ध के तहत एलडीए को दोनों पार्कों में दो रेल इंजन के संरक्षण और इसके रखरखाव के लिए रेलवे की निर्धारित गाइडलाइन को अपनाना होगा।

खास बात यह है कि रखरखाव में किसी प्रकार का संशोधन अथवा बदलाव बिना रेलवे विभाग की परमिशन के नहीं किया जायेगा। इसके अलावा जिस स्थान पर इनके स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें बदलाव के लिए रेलवे प्रशासन से लिखित आदेश लेना होगा। प्राधिकरण और रेलवे के बीच अनुबन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर भारतीय रेलवे से अधिकृत किसी अधिकारी मामले का निपटारा करेगा जिसका फैसला अंतिम और मान्य होगा।

साइकिल ट्रैक का निर्माण

जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने लखनऊ में अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया एवं उसमें अपनी पार्टी के राजनीतिक चिन्ह हाथी की प्रतिमायें बनवायी। ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के

राजनीतिक चिन्ह साइकिल को लेकर साइकिल ट्रैक का निर्माण प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2015 में आरम्भ करवाया।

चित्र– साइकिल ट्रैक का उद्घाटन करते हुए मा. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी

(चित्र स्त्रोत– UttarPradesh.images.app.Google)

इसका मुख्य उद्देश्य यातायात हेतु साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देना था ताकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसमें लगभग 1100 पेड़ों को गया। लगभग 21 किमी0 ट्रैक का निर्माण किया जाना था एवं इस योजना पर कुल 27.5 करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान किया गया था। बाद में आगरा, नोयडा एवं प्रदेश के अन्य महानगरों भी इस योजना से जोड़ा गया। इसके पश्चात् 2017 में सपा की सरकार चली गयी एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर इस योजना पर रोक लगा दी गयी।

राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमतीनगर ,लखनऊ

लोहिया पार्क का निर्माण 2007 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर में महान समाजवादी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया की स्मृति में

करवाया गया है। यह पार्क 80 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। यहॉ की विशेषताओं में सुंदर बागवानी, पैदल ट्रैक, एक कृत्रिम झील और एक टावर है।

लोहिया पार्क में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब लोहिया पार्क में प्राकृतिक वातावरण के लुफ्त के साथ खान–पान का जायका भी मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण पार्क में फूड प्लाजा बनाने की तैयारी कर रहा है।

गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क के गेट नंबर दो और चार के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दो फूड प्लाजा का निर्माण किया जाना प्रावधानित है। पर्यटकों के लिए जल्द ही फूड प्लाजा की व्यवस्था की गयी है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्क में बन रहे पाथ–वे और यहॉ हो रहे दूसरे निर्माण कार्यों पर एलडीए के ही एक चीफ इंजीनियर ने सवाल खड़े कर दिये थे। इन्होंने इसमें भारी गड़बड़ी के सुबूत भी दिये थे। उनके मुताबिक पार्क में करोड़ों रूपये के काम बिना किसी जरूरत के करवाये गये थे। इसके लिए अधिकारियों ने यहॉ के मूल डिजाइन को भी दर–किनार कर मनमाने ढंग से निर्माण करवाया था। महकमे के ही चीफ इंजीनियर की तरफ से खोले गये मोर्चे से महकमे के अधिकारी सांसत में हैं।

लोहिया पार्क में पिछले दोनों पाथ–वे बनाने की कवायद शुरू हुई इसके लिए खुदाई शुरू हुई। लेकिन इस बीच विवाद खड़ा हो गया था। तत्कालीन प्रमोट होकर आये चीफ इंजीनियर संजीव सिंहा द्वारा पार्क में कराये गये इस निर्माण में भारी गड़बड़ियों के आरोप लगाये थे। उनके मुताबिक लोहिया पार्क योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया था। पार्क की वर्तमान क्षमता यहॉ आने वालों की 100 गुना है। यहॉ पहले ही 35 किमी लम्बा पाथ–वे बना हुआ है। उन्होंने एलडीए उपाध्यक्ष राजशेखर को भेजी जानकारी में इस बात पर हैरानी जताई थी कि पार्क के मूल डिजाइन के साथ छेड़–छाड़ कर अधिकारी मनमाने तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पहले भी ऐसा ही किया गया था, इस पर करीब एक करोड़ रूपये खर्च आया था।

चित्र– राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमतीनगर ,लखनऊ

लोहिया पार्क के पुर्ननिर्माण को लेकर इसमें होने वाले करोड़ों रूपये के कार्यों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार पर पहले भी कई अहम सवाल उठ चुके हैं। लोहिया पार्क इकलौता पार्क है, जिसको सबसे ज्यादा बजट आवंटित हुआ था। मनमाने निर्माण को लेकर पिछले सचिव और उपाध्यक्ष अष्टभुजा प्रसाद तिवारी भी सवाल उठा चुके हैं। उनकी आपत्ति के बाद योजना का काम देख रहे अधिकारियों ने उनके पास फाइल भेजना ही बंद कर दिया था। बतखों के लिए बने पॉन्ड में टाइल्स लगाने पर भी सवाल उठाये थे। कर्मचारी संघ ने नये टाइल्स तोड़ कर दोबारा टाइल्स लगवाने के आरोप लगाये थे। इसके बाद विधान सभा में भी सवाल उठा था।

लोहिया पार्क में गड़बड़ी की आंशका जताने वाले चीफ इंजीनियर संजीव सिन्हा पर भी मनमाने तरीके से कार्य करवाने के आरोप लग चुके हैं। कानपुर रोड योजना के एल्डिको उद्यान दो में झील के सुन्दरीकरण में संजीव सिन्हा पर ज्यादा मिट्टी खनन करवाने के आरोप लगे थे। जिला प्रशासन ने जांच के बाद उनसे 36 लाख रूपये वसूली के आदेश भी जारी किये थे। हालांकि यह वसूली अब तक नहीं हो पायी है। झील के सुन्दरीकरण का टेंडर होने के बाद बिना खनन की अनुमति

लिए संजीव सिन्हा ने ठेकेदार के साथ मिली भगत कर कई लाख रूपये की मिट्टी का खनन अपने स्तर से करवा दिया था।

राम मनोहर लोहिया पार्क, मैनपुरी

मैनपुरी पार्क अपने हरियाली, स्पार्कलिंग पानी के फव्वारे, बच्चों की सवारी, खेल क्षेत्र, पानी के तालाबों और आंखों को पकड़ने वाले रंगीन फूल पौधों के लिए जाना जाता है। यह लोहिया पार्क मैनपुरी, उत्तर प्रदेश–205001 मील का पत्थर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय फूलबाग जेल चौराहा, हारवंश नगर मैनपुरी।

लोहिया पार्क की तस्वीर भले ही बदल गयी हो लेकिन उद्यान विभाग इसे अपने अधीन लेने को तैयार नहीं था। विभागीय अधिकारी पार्क के निर्माण में कमियां ढूंढने में लगे थे। ताकि कार्यदायी संस्था पर दबाव बनाकर हैंडओवर की प्रक्रिया को रोका जा सके। पिछली बार भी पार्क तैयार होने के बाद उद्यान विभाग के हैंडओवर न होने की वजह से चोरों ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया था। इस बार भी उद्यान विभाग पार्क के रख–रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता है तो फिर लाखों रूपये का नुकसान होने के बाद पार्क को वीरान होने से नहीं रोका जा सकेगा।

लोहिया पार्क का 15 अगस्त 2014 को उद्घाटन होना तय हुआ था। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लोहिया पार्क को चमकाने में जुटा था ताकि उद्घाटन से पहले उद्यान विभाग को हैंडओवर किया जा सके। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मसूद अहमद का मानना है कि लोहिया पार्क का निर्माण 90 फीसद पूरा हो चुका था। अब सिर्फ मरम्मत का काम बाकी है। मरम्मत का काम 10 अगस्त से पहले ही पूरा करने का लक्ष्य था। ताकि उद्घाटन से पहले उद्यान विभाग को हैंडओवर किया जा सके।

लोहिया पार्क के निर्माण पर उद्यान विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए थे। उद्यान विभाग के अधिकारियों का मानना था कि अभी सिंचाई के लिए अंडर ग्राउंड डाली गई पाइप लाइन नहीं शुरू हो सकी थी। लाइट की व्यवस्था भी नहीं की गई थी लॉन में घास तो लगाई गई थी। लेकिन अभी पार्क हरा–भरा नहीं हुआ था।

जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार कहना था कि जब तक लोहिया पार्क का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह अपने अधीन नहीं लेंगे। तैयार होने के बाद जांच कमेटी फिर जांच करेगी। अगर वह पार्क के निर्माण में किसी प्रकार की कमी नहीं पकड़ेगी, तभी वह पार्क को अपने विभाग के अधीन लेंगे। यहॉ पर एक बात तो सीधे तौर पर तय हो जाती है कि आखिर जिला उद्यान अधिकारी उद्यान का भार क्यों ले रहे थे। अधिकारियों को उद्यान का भार अपने अधीन न लेने का कारण आखिर क्या हो सकता है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि जरूर ही उपरोक्त निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई होगी।

तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री की फटकार के बाद लोहिया पार्क का काम तेज हुआ तो था लेकिन अब उसके हैंडओवर की समस्या खड़ी हो गई थी। जब तक पार्क का निर्माण पूरा होने के बाद सारी जांच नहीं हो जाती तब तक उसे उद्यान विभाग अपने अधीन नहीं लेना चाहता था। इसको लेकर अब उद्यान विभाग और राज्य निर्माण निगम में रस्साकशी शुरू हो गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम अब जल्द से जल्द लोहिया पार्क को उद्यान विभाग के हैंडओवर करना चाहता था। लेकिन लोहिया पार्क के निर्माण में मिली कमियों के कारण उद्यान विभाग पार्क को अपने अधीन नहीं लेना चाहता था। हैंडओवर के बाद अगर किसी जांच में कमी मिले तो सीधे तौर पर उद्यान अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसलिए वह जब तक मानक के अनुसार लोहिया पार्क के निर्माण कार्य की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी कीमत पर उसे लेने को तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मसूद अहमद का कहना था कि लोहिया पार्क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया गया है। अराजकतत्वों ने पाथ–वे और फव्वारों के पत्थर चुरा लिए थे। उन्हें फिर से लगवाया जा रहा है। उसके बाद पार्क का निर्माण पूरा हो जायेगा, जिसे उद्यान विभाग के हैंडओवर कर दिया जायेगा।

प्रोजेक्ट के अनुसार जब तक लोहिया पार्क तैयार नहीं होता है, तब तक वह अपने अधीन नहीं लेंगे। जांच टीमों को जो कमियां मिली हैं। वह कमियां दूर

होने के बाद अंतिम जांच टीम की रिपोर्ट अगर निर्माण कार्य पूर्ण दर्शायेंगे, तभी उसे विभाग अपने अधीन लेगा।

उपरोक्त जानकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पार्कों व उद्यानों के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जाती है और किसके सिर पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है। यदि हम देखें तो कहीं न कहीं इस गोरखधंधे में मौजूदा सरकार की ही कमी होती है। इस तरह के कार्यों में ऐसी गंदी राजनीति देश के विकास में बाधक सिद्ध होती है।

बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ

यह पार्क लखनऊ शहर के केन्द्र में होटल अवध क्लार्क, परिवर्तन चौक के पास में स्थित एक ऐतिहासिक पार्क है। जो हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी महिलाओं की वीरगाथा की याद दिलाती हैं। बेगम हजरत महल पार्क को अवध के आखिरी नवाब, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम की स्मृति में उनके नाम पर ही बनाया गया था। जब नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया था तो बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ के मामलों का प्रभार संभाला था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी थी और इसके चलते इन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में 1879 में इनकी मृत्यु हो गयी।

लखनऊ में 1857 की क्रान्ति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर विठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमीदार, किसान और सैनिक इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबांज सिपाहियों की उन्होंने भरभूर हौसला आफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन–रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गई और वहॉ भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरतमहल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं भी शामिल थीं।

लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था जिसमें फौजी भेष अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अग्रजों से जमकर लोहा लिया।

लखनऊ की तवायफ हैदरीबाई के यहॉ तमाम अंग्रेज अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बात किया करते थे। हैदरीबाई ने पेशे से परे अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गयीं।

बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ

आजादी के पश्चात् भारत सरकार ने बेगम हजरत महल की याद में एक स्मारक का निर्माण करवाया और उसे 15 अगस्त 1962 को आम जनता के लिए खोल दिया। इस स्मारक में एक संगमरमर की टेबल है। जिसमें चार सर्कुलर पीतल की प्लेट और भुजाओं के कोट सजे हुए है जो अवध के शाही परिवार के हैं। आज के समय में यह पार्क शहरवासियों के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए स्पेशल जगह बन चुकी है। पार्क में चारों ओर हरी भरी घास बिछी हुई है और बीच–बीच में मार्बल के रास्ते बने हुए हैं। शाम को इस पार्क में दिल को खुश कर देने वाला

नजारा देखने को मिलता है। कई फव्वारे एक साथ चलते हैं और पार्क में मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। इस तरह के पार्क लखनऊ की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। लेकिन बस आने वाली सरकारें यदि इसके मरम्मत व देख– रेख के लिए अच्छा प्रयास करें तो इनकी दशा सुधरी रहेगी।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर

दुधवा नेशनल पार्क भारत की सीमा पर नेपाल के पास 811 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैला है जहॉ उत्तरी उष्णकटिबन्धीय अर्थ सदाबहार वन, नम पतझड़ी वन, नम सवन्ना वन और उष्णकटिबंधी, मौसमी दलदली वन पाये जाते हैं। हिरण की एक अत्यंत दर्लभ प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहॉ का स्वाम्प डीयर अब केवल 1500 की संख्या में हैं। यहॉ स्तनधारियों की कम से कम 37 प्रजातियां हैं, 16 प्रकार के सरीसृप और 400 प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं। कहा जाता है कि दुधवा में 101 बाघ और चार चीते हैं। हाल ही में इस क्षेत्र में हिसपिड हेयर देखा गया है। हिमालय की तराई के पास होने के कारण दुधवा में ठण्ड के मौसम में ढेर सारे प्रवासी जन्तु आते हैं।

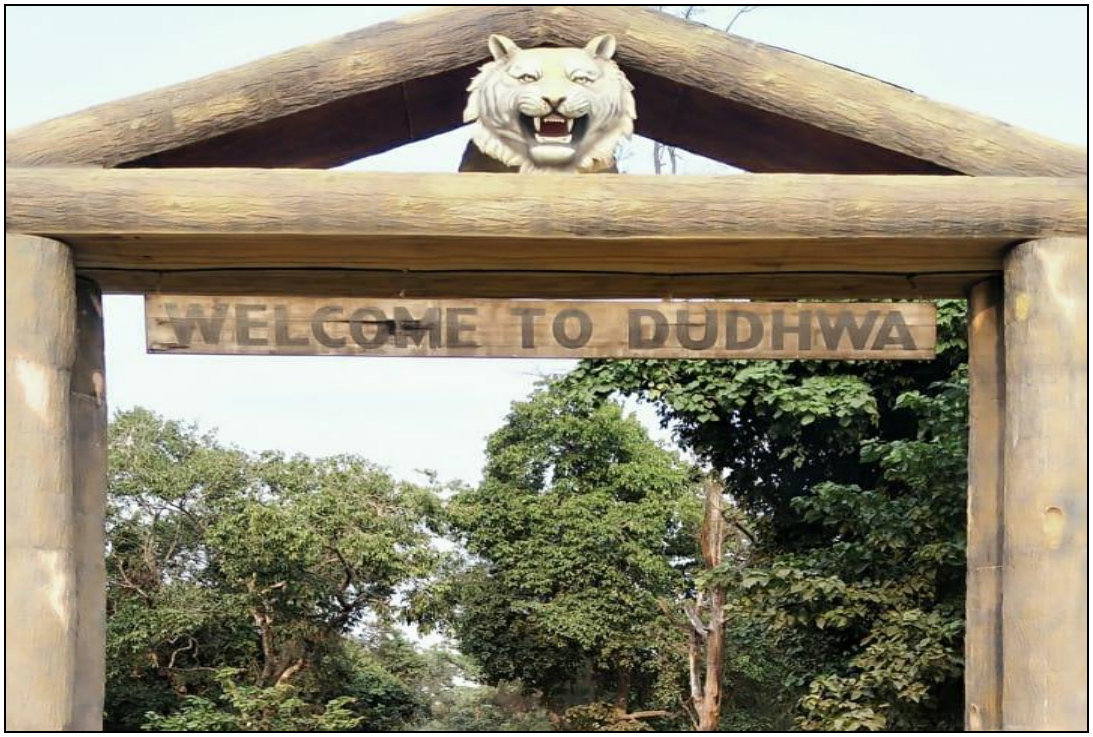

चित्र–दुधवा राष्ट्रीय पार्क, लखीमपुर खीरी

यहॉ पर इस पार्क को वर्णित करने का तात्पर्य यह है कि इस पार्क के नाम को लेकर राज्य सरकारें राजनीति करती आयी हैं। इसके नाम को बदलने के लिए इस पार्क पर बहुत राजनीति हुई है। लेकिन जितना नाम को लेकर राजनीति हुई उतना काम को लेकर नहीं।

पार्क एवं निष्कर्ष–

मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है चिन्तन के द्वारा वह सम्पूर्ण विश्व की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करता है चिन्तन के कारण ही मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह शक्ति उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है परन्तु वह प्रकृति का ध्यान क्यों नहीं देता यह विचारणीय प्रश्न है। कहीं न कहीं राजनीति भी चिन्तन और मनन का ही एक अंग है। प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रकृति का कोप सारे कोपों से बढ़कर होता है। हमारे शास्त्रों में प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानते हुए न सिर्फ इसके संरक्षण के विधानों का उल्लेख है बल्कि प्रकृति के कोप को ईश्वर के कोप के समतुल्य बताते हुए इसके कोप के शमन हेतु इसको पूजने का विधान भी बताया गया है। जो कि प्रकृति पालक है, कुपित होने पर संहारक के रूप में कुछ इस तरह सामने आती है कि उसके कोप का सामना कर पाना मनुष्य के वश में नही रहता है। प्राकृतिक कोपों के सामने मनुष्य असहाय और बौना नजर आता है। उसकी सारी की सारी तकनीकी तरक्की एवं वैज्ञानिक विकास धरा का धरा रह जाता है। प्रकृति के कोप में बाढ़ जैसी घटनाओं के रूप में हमें प्रकृति की विनाश लीलाओं का साक्षी बनना पड़ता है। इसीलिए हमें प्राकृतिक वस्तुओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए

प्रकृति के विरुद्ध हमारे आचरण के कारण तथा प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि के अभाव में प्रकृति का कोप भले ही अभी अपनी पराकाष्ठा पर न पहुंचा हो, किन्तु यह इसके काफी नजदीक अवश्य पहुंच चुका है। पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। तो यह अकारण नहीं है। यह प्रकृति के क्षरण व दोहन का ही नतीजा है। इसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। इन प्रभावों के रूप में कुछ प्रमुख घटनाओं पर गौर करें। भारत की देवभूमि कहे जाने वाले

उत्तराखण्ड में पिछले दिनों बादल फटने के कारण बाढ़ के प्रभाव से जो कुछ हुआ, प्राकृतिक कोप के इस स्वरूप को क्या आप 'खंड प्रलय' नहीं कहेंगे। उत्तराखंड की घटना ने हमें हिलाकर रख दिया। ये घटनाएं प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ही हो रही हैं। इन घटनाओं से निजात पाने में पार्कों की बहुत बड़ी भूमिका है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमण्डलीकरण का उद्‌भव सभ्यता के अस्तित्वमान होने के साथ होती है। गैम्बूल का मानना है कि भूमण्डलीकरण का आरम्भ सभ्यता के साथ हुआ है। लेकिन भूमण्डलीकरण के प्रारम्भ के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण को स्वीकारने में सर्वप्रमुख समस्या सभ्यता के आरम्भ के सम्बन्ध में है अर्थात् सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई यह बताना कठिन है।

ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा खतरा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के रूप हमारे सामने हैं। इसकी शुरुआत वैश्विक तापन वृद्धि के रूप में हो चुकी है। मानव ने अपने विविध उद्देश्यों, मसलन कृषि व निजी जरूरतों की पूर्ति हेतु वनों का सफाया तो तेजी से किया, किन्तु उस अनुपात में वृक्षारोपण नहीं किया लेकिन पार्कों के माध्यम से ही वृक्षारोपण करके प्रकृति की रक्षा की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में पार्कों का निर्माण और उस पर होती राजनीति पर वन इंडिया ने अपनी नजरों से अंबेडकर पार्क की हालत झांकने की कोशिश की और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। अंबेडकर स्तूप में लगी लिफ्ट बंद है। टूटा डिस्पले बोर्ड और स्विच से व्यवस्थाओं की ढ़ीलाहवाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सबके इतर स्तूप के ऊपर जाने पर लिफ्ट के पास गंदगी एकत्र है। यहॉ तक कि खंभों के लगी कई सारी लाइटें खराब हो चुकी हैं। लोगों की मानें तो बसपा सुप्रीमों के कार्यकाल के वक्त यहॉ ढेर सारे लोग आते थे। लेकिन अब लोगों की कतारें पहले की तर्ज पर नहीं लगतीं।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दलितों के मसीहा माने जाने वाले सभी महापुरूषों को सम्मान देते हुए अंबेडकर पार्क का निर्माण कराया। हालांकि विरोधियों ने गुलाबी पत्थरों में लोगों का पैसा व्यर्थ करने के आरोप भी लगाए। इस पार्क में करीबन एक

हजार करोड़ रूपए खर्च किए गए। लेकिन फिलवक्त पार्क की हालत बद्तर होती नजर आ रही है।

अंबेडकर पार्क में अंबेडकर स्तूप के ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियों की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मायावती की मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित है, उसके पीछे निकास मार्ग पर शाम को लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। कई बार अंधेरा होने की वजह से लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अंबेडकर पार्क में अपने परिवार के साथ घूमने आये लोगों को वाकई काफी निराशा होती है कि इतने बड़े और सुंदर पार्क में इस तरह की अव्यवस्थाएं जो कि पार्क का जीवन खत्म करती जा रही हैं। इसमें काफी सुधार की जरूरत है। जो लोग यहॉ घूमने आते हैं उन्हें भी ख्याल रखना होगा कि पार्क को गंदा न करें। पार्क में लगे फव्वारें वगैरह खराब होने के कारण पार्क में देखने जैसा कुछ भी नहीं रहा। इसी वजह से भीड़ भी पहले की तर्ज पर नहीं होती। जिम्मेवार संस्था को इसे ठीक करना चाहिए।

करोंड़ों की लागत से बनी ये गुलाबी दुनिया जिसमें लोगों के पैसे को बेधड़क बहाया गया है। विकास की उम्मीदों को 107 एकड़ जमीन के नीचे दफन कर दिया गया है। कम से कम उसके देखरेख सलीके से होती रहे, इस बात की जरूरत है। इन पार्कों की देख रेख का जिम्मा वर्तमान सरकार का होता है। लेकिन यदि उस पार्क का निर्माण उस सरकार के द्वारा उसके कार्यकाल में नहीं हुआ है तो वह सदैव उसकी देखरेख को नजरअंदाज करती रहती है और इसके साथ ही उसके मरम्मत आदि पर होने वाले खर्च को भी बंद कर देती है।

इन सभी पार्कों का समीक्षात्मक अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आती है कि उक्त सभी पार्क पर्यावरण के हित की बात को प्राथमिकता न देकर राजनीतिक लाभ तथा अपना उल्लू सीधा करने हेतु ही तैयार किये गये हैं। यदि जनेश्वर मिश्र पार्क की बात करें तो उसके निर्माण में करोंड़ों का घोटाला प्रकाश में आया। उस पार्क में होने वाले बहुत सारे कार्य अधूरे ही रह गये। अगर ये कहें कि जितना बड़ा पार्क उतना बड़ा घोटाला तो ये बात तर्क संगत ही होगी। इसी तरह

सपा सरकार में गोमती नदी रिवर फ्रन्ट में निर्माण कार्य हुआ उसमें भी काफी खामिया नजर आयीं। साथ ही उसमें भी बड़े घोटाले का अंदेशा हो रहा है जिसकी सीबीआई जांच भी हो रही है।

उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियॉ मुख्यतया सपा, बसपा व भाजपा की समीक्षा करने से पता चलता है कि इन पार्टियौं में सपा व बसपा ने सबसे अधिक पार्क व स्मारकों का निर्माण कराया है, जबकि भाजपा ने सिर्फ चौराहे आदि पर लगी मूर्तियों का ही नवीनीकरण किया है। उसने पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कोई खास कार्य पार्क का निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर देखने को मिली है कि भाजपा सरकार के द्वारा सदैव दूसरी पार्टियों द्वारा कराये जा रहे पार्कों के निर्माण की जमकर आलोचना की गयी है। हॉ वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी पार्टी के महापुरूषों जिसमें अटल बिहारी बाजपेई, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदि के नाम पर पार्को के निर्माण की योजना बनाई है। जिसमें उनकी ऊॅची– ऊॅची मूर्तियों को लगाया जाना प्रस्तावित है। परन्तु यदि इन पार्कों में हरियाली का ध्यान रखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होगा।

अब यदि अन्त में निष्कर्ष की बात करें तो पार्को के निर्माण में पैसा तो खर्च ही हुआ तथा साथ ही राजनीति भी हुई लेकिन इन सबके बावजूद पार्क के निर्माण से जहॉ लोगों को रोजगार मिला है वहीं पर प्रदेश एवं स्थानीय पर्यावरण को फायदा पहुॅचा है, साथ ही पर्यटन का विकास हुआ है। जिसके चलते यह राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तक के साबित हो रहे हैं क्यों कि स्थानीय स्तर पर जहॉ भू–जल स्तर को बनाये रखने, वहॉ के पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करते है। घने शहरों एवं महानगरों के बीच में प्राकृतिक छटा देखने को मिले ये सब पार्कों के माध्यम से ही सम्भव हो पाया है।

अध्याय–चतुर्थ
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस–वे निर्माण एवं राजनीति

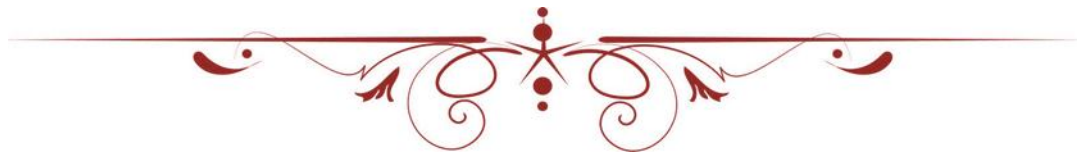

अध्याय–चतुर्थ

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस–वे निर्माण एवं राजनीति

भारत के किसी भी प्रदेश का विकास उस प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा किया जाता है और प्रदेश में विकास से सम्बन्धित जितना भी निर्माण कार्य होता है उसमें जमकर राजनीति भी होती है। यही कारण है कि हमारा देश विकसित न होकर विकासशीलता की श्रेणी में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई भी निर्माण कार्य बिना राजनीति के सम्भव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिकरण तो अपने चरमोत्कर्ष पर है, बल्कि यूं कहें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सड़कों के निर्माण या किसी अन्य निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर राजनीति होती रही है।

एक्सप्रेसवे क्या होता है, यह जानना हम सभी के लिए अतिआवश्यक है– हाई–स्पीड ट्रैफिक के लिए डिजाइन किये गये एक व्यापक हाईवे को एक्सप्रेसवे कहते हैं। एक्सप्रेसवे एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ है द्रुतगामी मोटरमार्ग।

आज भारत के समक्ष सड़क दुर्घटना सबसे बड़ी चुनौती है। आये दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। पिछले दशक में ही इेश में सड़कों पर होने वाली मौतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थिति की गम्भीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के कुल वाहनों में केवल एक प्रतिशत ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में दस प्रतिशत हादसे भारत में होते हैं। यह चिंता का विषय है, इसलिए इन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सड़कों का विकास अत्यन्त आवश्यक है।

सड़कों के प्रकार–

भारत में सड़कों पर आपको हर वक्त जबरदस्त भीड़ देखने को मिल जाती है। गाड़ियों के जनजाल ने तो जैसे सड़कों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन भारत

में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों और उनसे जुड़े नामों को या तो जानते नहीं या फिर उनके बारे में उन्हें गलत पता है। इसलिए सड़कों को परिभाषित करते हुए उनके आकार व बनावट के आधार पर निम्नवत नाम अंकित किये जा रहें है।

- **AVENUES-** (AVENUES) के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, इसका मतलब होता है, ऐसी सड़क जो काफी चौड़ी हो तथा जिसके किनारे घने पेड़–पौधे हो या दीवार हो। हर शहर में एक सड़क का AVENUE नाम जरूर होता है। दरअसल Avenue उस रोड को कहते हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हो और एवेन्यु ज्यादातर दो मुख्य सड़कों को मिलाने वाली रोड को कहा जाता है।[1]
- **BELTWAY-** दिल्ली की रिंग रोड को तो हर कोई जानता है। शहर के बाहरी परिसर में जो रोड पूरे शहर को घेर कर रखती है तो उसे बेल्टवे कहते हैं। दिल्ली की रिंग रोड भी वेल्टवे ही है।[2]
- **BOULEVARD-** शहर की वह रोड जो सबसे बड़ी हो और उसमें कई लेंस हों तो उसे Boulevard कहा जाता है।[3]
- **BYPASS-** बिना शहर की भीड़ में फंसे अगर आपको कोई सड़क बाहर निकाल दे तो उसे बाईपास कहते हैं। इसके बारे में तो आपको पता होगा ही।[4]
- **CAUSEWAY-** नदी या तालाब पर बने रोड को अक्सर हम पुल कहते हैं लेकिन ये गलत शब्द है। इसे Causeway कहा जाता है।[5]
- **COURT-** जिस सड़क का अन्त किसी घर पर हो उसे कोर्ट कहा जाता है।
- **DRIVEWAY-** मुख्य सड़क के बराबर में जो सड़क होती है जिसे आमतौर पर सर्विस लेन कहा जाता है। उसका असलियत में नाम ड्राइववे होता है।

---

[1] स्रोत–Delhirealestateguy
[2] स्रोत– BBRindia
[3] स्रोत–Indiatvnews
[4] स्रोत–Indiatoday
[5] स्रोत–Wamu

- **HIGHWAY-** भारत में अक्सर दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क को हाईवे कहा जाता है। लेकिन हाइवे का मतलब होता है एक ऐसी रोड जो शानदार तरीके से बनाई गयी हो, और उस पर भारी ट्रैफिक आराम से चल सके।[6]
- **EXPRESSWAY-** एक्सप्रेसवे गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर इतना होता है कि एक्सप्रेसवे पर आपको रेड लाईट्स मिलेंगी।[7]
- **FREEWAY-** बिना किसी रेड लाईट पर अटके अगर आप एक सड़क से दूसरी सड़क पर पहुंच जाते है वो भी ओवर पास या फिर अंडर पास के जरिए उस रास्ते को फ्रीवे कहा जाता है।[8]
- **INTERSTATE-** दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को इन्टरस्टेट कहा जाता है। इस तरह की सड़क को हाईवे नहीं बल्कि इन्टरस्टेट कहना ज्यादा उचित है।[9]
- **TURNPIKE-** जिस सड़क पर चलने के लिए हमें पैसे का भुगतान करना पड़े तो उसे टर्नपाईक कहा जाता है। भारत में इसे लोग टोल रोड के नाम से जानते हैं।[10]
- **ROUNDABOUT-** चौराहों पर रेड लाईट से होने वाले जाम को रोकने के लिए जिस सर्कल का उपयोग किया जाता है उसे **Roundabout** कहा जाता है।[11]
- **STREET-** स्ट्रीट उसको कहा जाता है जिसके दोनों तरफ इमारतें हों। साथ ही दोनों तरफ फुटपाथ बना हो और थोड़े–थोड़े अन्तर पर जेबरा क्रॉसिंग बनी हो।[12]

उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे–

6 स्रोत–dnaindia, Deligent Media Corporation Limited, 11th floor, Tower-3, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road- West Mumbai- 400013
7 स्रोत–traveltriangle, Holiday Tringle Travel Private Limited, Plot No. 29, 3rd and 4th Floor, Dynamic House, Maruti Industrial Complex, Sector 18, Gurugram-122015, Haryana.
8 स्रोत–Monitor
9 स्रोत–Tean
10 स्रोत–Catholicbridge
11 स्रोत–Catholicbridge
12 स्रोत–traveltriangle

1. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
2. इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेसवे
3. बुद्धा एक्सप्रेसवे
4. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे
5. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे
6. ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे
7. फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे
8. गंगा एक्सप्रेसवे
9. नोएडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे
10. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
11. अवर गंगा केनल एक्सप्रेसवे
12. यमुना एक्सप्रेसवे

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे

राज्य के विकास को इसकी सड़कों की स्थिति के माध्यम से तय किया जा सकता है। राज्य की प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को जानने के लिए, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका उल्लेख किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड के तहत कार्यान्वित, लखनऊ एक्सेस कंट्रोलेड एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना से आगरा को रणनीति के साथ कार्यान्वित किया गया है कि यह न केवल यात्रियों को दोनों के बीच किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि कम समय में सामान्य दूरी तय करने के साथ–साथ औद्योगिक और शहरी विकास के अवसर भी खुलने का मार्ग प्रशस्त करता है।

यह 302 किमी लम्बी एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ को जोड़ता है। यह राज्य की राजधानी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी

को जोड़ता है। वर्तमान में यह छः लेन का तथा बाद में इसे आठ–लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ड्राइवर प्रति घण्टे 120 किमी की गति बनाये रख सकते हैं। यह आगरा भीतरी रिंग रोड से शुरू होता है और लखनऊ के बाहरी इलाके एसएच–40 पर समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अपने कार्यकाल में किया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्मित हो जाने से अब आगरा लखनऊ के बीच की दूरी कम हो गयी है और पहले से ही चालू यमुना एक्सप्रेसवे से उतरते ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़कर दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए भी लखनऊ की राह आसान हो गयी है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे है जिसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहते हैं। आगरा से लखनऊ के बीच बने इस एक्सप्रेसवे की दूरी 302 किलोमीटर है जो लखनऊ से कई शहरों को आगरा के बीच जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को रिकार्ड 23 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। देश के इस दूसरे सबसे लम्बे एक्सप्रेसवे को बनने में कुल 13200 करोड़ रूपये का खर्चा आया है। यह एक्सप्रेसवे दिसम्बर 2016 से आम जनता के लिए खोला गया।

इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 3500 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जिसमें 232 गांव व दस जिलों की जमीन को अधिग्रहीत किया गया था। तत्कालीन सरकार द्वारा बताया गया है कि इस जमीन का अधिग्रहण किसानों और सरकार के बीच आपसी सहमति के बाद ही किया गया था। अधिग्रहण में 30,000 किसानों ने अपनी जमीन अपनी पूर्ण सहमति से दी थी।

इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से विकास के नये रास्ते भी खुले हैं। एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी और कन्नौज और किसान मण्डी की भी स्थापना की गयी है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट सिटी लॉजिस्टिक पार्क और फिल्म सिटी भी बनाये जाने की योजना है।

पर्यावरण का भी इस एक्सप्रेसवे पर खास ख्याल रखा गया है। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ही ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ पांच लाख

पेड़–पौधे लगाये गये हैं। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 132 ओवरब्रिज हैं। जबकि 59 अंडरपास बनाये गये हैं जिससे कि इस रूट पर बसे गांवों और शहरों के लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।

ऐसा दावा किया जा रहा है कि लखनऊ से आगरा के बीच की दूरी महज 3.5 घन्टों में तय की जा सकती है। जबकि लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी को 5–6 घण्टों में तय की जा सकती है। जिससे ना सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी।

चित्र– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे

यह एक्सप्रेस इसलिए भी अन्य एक्सप्रेस वे से खास हो जाता है क्योंकि इस पर आपात समय में फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जिस वक्त यह जेट लैंड करेंगे उस वक्त सड़क पर चल रहा यातायात बिल्कुल भी बाधित नहीं होगा और दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता रहेगा। इसके लिए 3.3 किमी की हवाई पट्टी अलग से इस एक्सप्रेसवे पर बनायी गयी है।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सफर से पहले हम आपको बता रहे है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का पूरा रोड मैप आगरा के एत्मादपुर मदरा से शुरू होता है और लखनऊ की मोहान रोड के समीप सरोसा–भरोसा गांव पर खत्म होता है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा,

औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव और हरदोई होता हुआ गुजरता है। यह एक्सप्रेसवे आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिये ग्रेटर नोयडा और दिल्ली एनसीआर तक आपको पहुंचाएगा।

SL. No.	Station	Inter Station distance in KM.	Change in KM from Agra
1.	Agra	0.00	0.00
2.	Firozabad	24	24
3.	Shikohabad	45	70
4.	Mainpuri	17	87
5.	Kannauj	80	165
6.	Mohan	85	260
7.	Lucknow	10	302

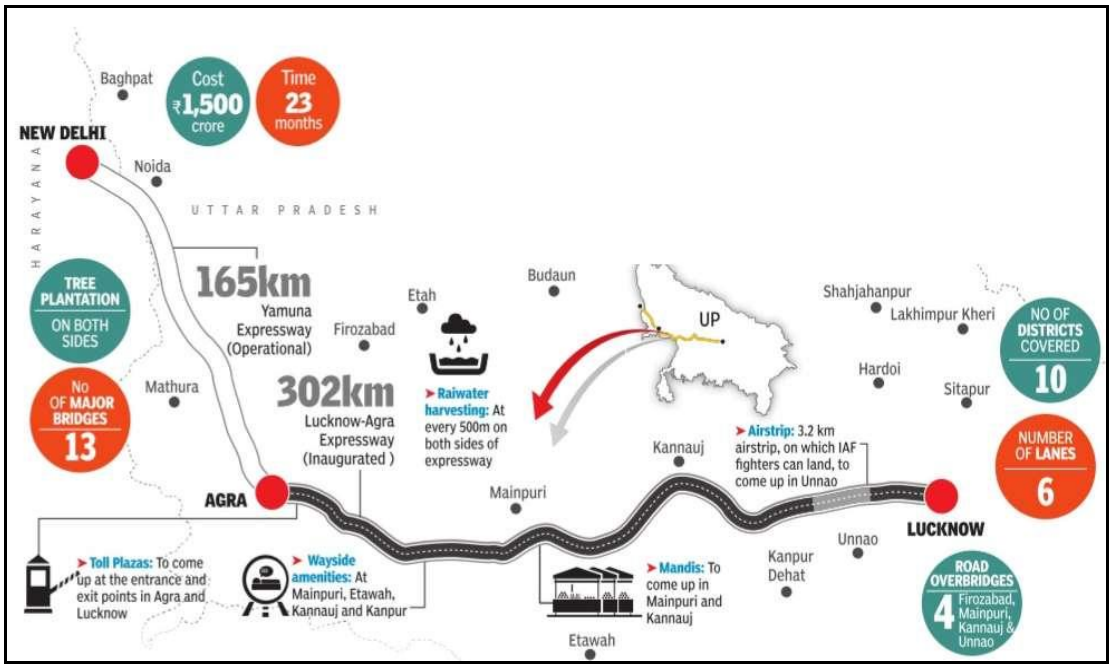

चित्र– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे

किसी भी कार्य के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। आगरा– लखनऊ एक्सप्रेसवे के नकारात्मक पहलू यह है कि जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि 302 किमी लम्बे ग्रीन फील्ड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हरियाली का ख्याल ही नहीं रखा गया। 10 जिलों से होकर गुजरे एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कुल 65,342 पेड़ काटे गये लेकिन हैरतंगेज पहलू ये है कि जनवरी

2015 में निर्माण कार्य शुरू किया गया और सभी दस जिलों के डीएफओ ने इन पेड़ों के काटने की अनुमति जून 2016 में दी। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी दिसम्बर 2016 में कर दिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन पेड़ों को अनुमति मिलने से पहले ही काट दिया गया। जब तक अनुमति मिली तब तक 60 फीसदी काम भी पूरा हो चुका था। यही नहीं आगरा, कन्नौज और इटावा के डीएफओ ने पेड़ काटने की गोलमोल अनुमति दी जिसमें न तो पेड़ काटने की संख्या स्पष्ट की गयी और न ही संरक्षित वन भूमि। बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण के लिए आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ की 14.55 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि और 109.27 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग और उसमें बाधक बन रहे 65,342 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गयी लेकिन लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, मैनपुरी और फिरोजाबाद में कुल मिलाकर 58,581 पेड़ों की ही मंजूरी दी गयी है।

आगरा, कन्नौज और इटावा के प्रभागीय वनाधिकारियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में न तो जमीन का ब्योरा दिया और न ही पेड़ काटने की संख्या ही दी। करीब सात हजार पेड़ों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। आगरा के डीएफओ के.के. सिंह के मुताबिक आगरा में एक्सप्रेसवे में पेड़ नहीं थे बल्कि केवल घास और झाड़ियां ही थी। एक्सप्रेसवे में काटे गये पेड़ों के एवज में पेड़ लगाने की मॉनिटरिंग पर्यावरण मंत्रालय करेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इटावा और कन्नौज में सात हजार पेड़ काट दिये गये जबकि इटावा में एक्सप्रेसवे 17 किमी और कन्नौज में 80 किमी में गुजरा है।[13]

गौरतलब है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सपा सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया था। जमीन अधिग्रहण में भी खूब खेल हुए। इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए सपा सरकार के बाद बनी भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस योजना के तहत जमीन अधिकग्रहण और निर्माण गुणवत्ता की जांच चल रही है।

[13] ब्यूरो/अमर उजाला आगरा अपडेटेड, शनि, 10 जून 2017

आगरा में भी तय रेट से अधिक दर पर मुआवजा देने के आरोप लगे। इन्हीं सबके चलते एक्सप्रेसवे से जुड़ी फाइलें चोरी होने का मामला जून 2017 में प्रकाश में आया। जोकि काफी संवेदनशील हो गया है। यही वजह है कि मामला उजागर होने के तुरन्त बाद अधिकारी हरकत में आ गये। आगरा में 371.76 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। एसडीएम सदर रजनीश मिश्रा ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी और 15 दिन में रिकार्ड देने को कहा, जिससे जल्द ही सच्चाई सामने आ जायेगी।[14] लेकिन सच्चाई कैसे सामने आयेगी जब उक्त कार्य से सम्बन्धित फायले ही चोरी हो गयी।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमीन से जुड़ी फाइले ही क्यों चोरी हुई? यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। इससे यह बात और साफ हो जाती है कि इस निर्माण में जरूर लम्बा घोटाला हुआ है। जिसे छुपाने के लिए फाइलें ही गायब की जा रही हैं। उपरोक्त निर्माण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को सोंचना होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमीन से जुड़ी फाइले चोरी होने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुॅचने के बाद उपजिलाधिकारी सदर रजनीश ने मिश्रा पूरे मसले की जांच को तहसीलदार सदर रजनीकांत के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है।

15 दिन में इस कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपनी होगी। इधर, पुलिस ने भी चोरी के इस मामले की झानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि एत्मादपुर मदरा के लेखपाल नारायण दास ने थाना सिकंदरा में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इस बाइक के बैग में मदरा से जुड़ी जमीनों के खसरा और खतौनी भी थे। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ी जमीनों के कागजात थे।

मामले का खुलासा हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ–साथ पुलिस महकमे में भी हड़कम्प मच गया। चोरी में गयी फाइलों से सम्बन्धित पुराने रिकार्ड तहसील सदर में तलाशना शुरू कर दिये गये। इसके साथ ही एसडीएम सदर ने

[14] ब्यूरो/अमर उजाला आगरा अपडेटेड वृहस्पति, 8 जून 2017, 8.28

तहसीलदार रजनीकांत के नेतृत्व में कानूनगो कुंडौल आरएन भदौरिया और श्यामो के लेखपाल बिनोद कुमार को जांच सौंपी।

यह कमेटी लेखपाल नारायण दास के बयानों और एक्सप्रेसवे से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। वहीं, थाना सिकंदरा पुलिस ने बाइक और कागजात चोरी की जांच शुरू कर दी। लेखपाल के बयान के आधार पर घटनास्थल का मुआयना किया गया। एएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि लेखपाल ने कारगिल पेट्रोल पंप के सामने से बाइक चोरी की बात कही थी। यहां जांच करायी गयी लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग सका। यहां आस–पास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। जिससे कि पूरे घटनाक्रम को उजागर किया जा सके, हालांकि पुलिस ने कई बड़े अधिकारी घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच कर रही है। नारायण दास का बयान दर्ज कर लिया गया है। इस प्रकार इसके निर्माण में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं देखी गयी।

इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेसवे–

इलाहाबाद बाईपास द्रुतगामी मार्ग 84.708 किमी (52.635 मील) लम्बा उपयोग नियंत्रित राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लम्बा बाईपास होने के साथ वह स्वर्णिम चतुर्भुज का एक हिस्सा भी है। इस राजमार्ग के बन जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 2 पर चलने वाले वाहनों को इलाहाबाद नगर के भीतर से होकर नहीं जाना पड़ता है तथा इससे नगर की यातायात व्यवस्था सुधरने के साथ–साथ ही लोगों के समय व ईंधन की बचत भी हो जाती है।

इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग–2 का हिस्सा है और स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। जो चार मुख्य भारतीय मेट्रोपॉलिटन शहरों– दिल्ली, कोलकाता, मुबई और चेन्नई को जोड़ता है भारत सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किये गये देश में बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से के रूप में प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क विकसित कर रही है।

85 किमी लंबी, चार लेन लेनहरी दोहरी कैरिजवे एक्सप्रेसवे देश में सबसे लंबी बाईपास है। इसका उद्घाटन 2009 में हुआ था और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था। विश्व बैंक ने परियोजना को वित्त पोषित किया है।

एनएच–2, जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड है, दिल्ली को पश्चिम बंगाल में कोलकाता से जोड़ता है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और बिहार राज्यों से गुजरता है। यह देश में सबसे लंबा और व्यस्ततम राजमार्ग है।

एनएच 2 यूपी में इलाहाबाद शहर से गुजरता है और इस जंक्शन में केवल दो लेन के साथ सबसे भीड़ वाली सड़कों में से एक है। इलाहाबाद बाईपास एनएच 2 पर कोखराज में शुरू होता है और इलाहाबाद शहर के उत्तर में स्थित हैंडिया में समाप्त होता है। कानपुर के औद्योगिक शहर से प्रमुख पर्यटक शहर और धार्मिक तीर्थस्थल वाराणसी से यातायात को भी इलाहाबाद में भीड़ वाले एनएच 2 से गुजरना नहीं पड़ता है और इसके बजाय बाईपास ले सकता है जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है और यातायात ब्लॉक से परहेज किया जा सकता है। वाराणसी से आने के दौरान बाईपास 93 किमी दूर है और कानपुर से आने के दौरान बाईपास शहर से बाहर निकलने से 149 किमी दूर है।

चित्र– इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेसवे

(चित्र स्त्रोत– www.mapsofindia.com)

कृषि भूमि के साथ एक तटबंध पर बनाया गया बाईपास, एनएच 2 से अलग एक सुंदर मार्ग से गुजरता है। कम यात्रा के समय के अलावा, यह धीरे–धीरे घुमावदार सड़क पर एक सुखद सड़क यात्रा भी बनाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने प्रयाग को नये साल पर करोड़ों रूपये की परियोजनाओं की सौगात दी है। इलाहाबाद बाईपास से प्रतापगढ़ तक नेशनल हाईवे 96 को चार लेन बनाने का फैसला किया है। जिसके तहत प्रतापगढ़ में चार लेन का बाईपास भी बनेगा। इसकी जानकारी को प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या के कार्यालय से जारी किया गया है। इलाहाबाद से जुड़ी सड़क और पुल की परियोजनाओं का शिलान्यास 20 दिसम्बर को केपी ग्राउन्ड में केन्द्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की इन परियोजनाओं से प्रयाग वासियों को नये साल का तोहफा दिया गया। एक पत्रिका के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों से किये गये प्रयासों से प्रयाग को करोड़ों रूपये की सौगात मिल रही है। लखनऊ और फैजाबाद को जोड़ने के लिए फाफामऊ में गंगा नदी पर छः लेन के नये पुल का शिलान्यास केन्द्रीय मंत्री ने किया था। इस पुल के निर्माण में 300 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्चा होने की सम्भावना है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 96 के इलाहाबाद– प्रतापगढ़ सेक्शन को 599.34 करोड़ रूपये की लागत से चार लेन का बनाया गया।

<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे–</u>

बुंदेलखण्ड क्षेत्र की प्रगति एवं विकास के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया है। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के जिले चित्रकूट में 297 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी। जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां उपस्थित थे।

2019 की शुरुआत में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया था और आवश्यक 3,700 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 95 प्रतिशत अधिग्रहित की जा चुकी है और शेष भूमि का अधिग्रहण अगले कुछ माहों में पूरा कर लिया जाएगा।

किसानों के विरोध के बिना 10 महीनों के काल में 3,440 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया था जिससे यह प्रदेश का सबसे तेज भूमि अधिग्रहित करने वाला एक्सप्रेसवे बन गया। कुशल भूमि अधिग्रहण के कारण योगी सरकार ने लागत को 12 प्रतिशत बढ़ने से रोक लिया। रियल–टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से अपनी भूमि बेचने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि दे दी है। इस प्रक्रिया में लाल–फीताशाही को भी नियंत्रित किया गया। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 14,850 करोड़ रुपये है और निर्माण कार्य पर 8,870 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। इस राशि में 7,000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा) विभिन्न बैंकों से लिए ऋणों के माध्यम से देगा तथा शेष राशि राज्य सरकार देगी। 2019 के बजट में इस एक्सप्रेसवे को 1,000 करोड़ रुपये दिए गए थे और 2020 के बजट में इसे 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

इस परियोजना का प्रारम्भ झांसी–इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या–35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट से होगा तथा परियोजना का अन्तिम स्थल आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास जनपद इटावा होगा। इस परियोजना की लम्बाई कुल 296.070 किमी0 होगी। परियोजना से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरेया, इटावा प्रदेश के आदि जिले लाभान्वित होगे।[15]

[15] उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण, 21–01–2020

चित्र– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे

बुंदेलखण्ड के लिए विकास की रीढ़ बनने जा रहे बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। मिट्टी भराई का काम ज्यादातर जिलों में 45 से 60 फीसद तक पूरा हो गया है जबकि चित्रकूट में ये स्थिति सौ फीसद है। छोटे–बड़े पुलों के निर्माण का काम भी अंतिम चरण पर है। अफसरों के मुताबिक वर्ष 2021 के अंत तक वाहन फर्राटा भरने लगेंगे।

बुंदेलखण्ड के विकास के लिए शुरू से की प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य राजनीति होती आई है पर अभी तक इसका उतना विकास हो नहीं पाया है। जिसका सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण करते आए है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान भाजपा की योगी सरकार बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का समय से निर्माण कर इसे वहॉ की जनता के बीच चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं रहेगी।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे–

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक 90 किमी लम्बा निर्माणाधीन द्रुतगामी मार्ग है जो कि दिल्ली से प्रारम्भ होकर मेरठ पर खत्म होता है। यह राजमार्ग अभिगम नियंत्रण द्रुतगामी मार्ग होगा। इस द्रुतगामी मार्ग पर 14 लेन दिल्ली से डासना तक होगी।

तथा 6 लेन डासना से मेरठ तक होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसम्बर 2015 को इस मार्ग का उद्घाटन किया था। इस मार्ग की कुल लागत 7,855.87 करोड़ भारतीय रूपये हैं।

यूपी गेट से डासना तक 8 लेन का हाईवे आएगा। छह लेन का एक्सप्रेसवे भी साथ चलेगा। डासना से मेरठ आने के पूर्व एक्सप्रेसवे दो शाखाओं में बंट जाएगा। एक शाखा जुर्रानपुर–हापुड़ रोड की तरफ निकल जाएगी जबकि दूसरी शाखा भूड़बराल के पास नौ किमी होगी। यह भी छह लेन का होगा। बाद में 14 लेन तक के विस्तार का विकल्प रखा जाएगा।

ये भारत का प्रथम 14 लेन का राजमार्ग होगा। इस तरह से यह निर्माण पूर्ण होने के बाद भारत का सबसे चौड़ा राजमार्ग बन जाएगा। इस हाईवे पर 14 लेन के अलावा 2.5 मी का साइकिल ट्रैक भी होगा। देश के सबसे चौड़े इस सड़क पर बीच में छह लेन का एक्सप्रेसवे होगा और दोनों तरफ 4 लेन के हाईवे होंगे ताकि शहर के ट्रैफिक को बाहर से आने जाने वाले ट्रैफिक से अलग किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण करीब नौ किमी का है, जिसमें यमुना पुल पर वर्टिकल गार्डेन और सड़कों पर सोलर लाइट भी लगेंगे। सड़क के किनारे 40,000 पौधे भी लगाए जायेंगे।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार खोड़ा पहला पुश्ता के पास वाहन अंडर पास बनेगा। इससे आधा किमी आगे चलकर दूसरा अंडर पास होगा। फिर हर अंडरपास 400 से छह सौ मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी एक अंडरपास से दूसरे की दूरी आधा किमी से भी कम होगी। हरनंदी पुल के बाद दो अंडरपास लिंक रोड और नोएडा एक्सटेंशन के पास बनेंगे। इसके बाद अगले दो अंडर पास तीन और चार किमी की दूरी पर बनाए जाएंगे और यूपी बार्डर पर नया ओवर ब्रिज बनेगा। यमुना सेतु के अलावा अक्षरधाम, गाजीपुर व फ्रेट काम्पलेक्स (मछली मंडी) ओवर ब्रिजों को चौड़ा किया जाएगा। मेट्रो लाइन व गाजीपुर नाले के निकट छोटे पुल, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर व गाजीपुर के निकट अंडरपास तथा रिंग रोड व अक्षरधाम के निकट ओवरपास चौड़े होंगे। एक सीआईएसएफ–विजयनगर के बीच और दूसरा लालकुआं

के पास, दो नए बड़े ब्रिज बनाए जायेंगे। कई अंडरपास, फुट ओवरब्रिज व बस स्टैण्ड बनाए जायेंगे। इनमें खोड़ा, साईं मन्दिर, शिप्रा मॉल, विजयनगर शामिल है।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। निजामुद्दीन से उप्र सीमा तक 10 किमी तक मार्ग बन जाने से को इसे भी आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। 14 लेन के इस एक्सप्रेसवे के उप्र सीमा तक मार्ग शुरू हो जाने से नोयडा, गाजियाबाद से जाने वाले लाखों लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 50 हजार से ज्यादा वाहन दिल्ली आते हैं। जिसकी वजह से सुबह से जाम लग जाता है। जो उनकी वापसी के समय रात दस बजे तक लगा रहता है। इस मार्ग के खुलने से लोगों को जाम से राहत मिलने लगेगी। दिसम्बर 2020 तक इसे पूरा किया जाना था, कोविड–19 के चलते इसका निर्माण बाधित हुआ है तथा 2021 तक इसके निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे–

देश का पहला छह लेन का अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल से लोगों के लिए शुरू हो गया। 135 किमी लम्बा एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले पूरा किया गया। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू होने से दिल्ली पर पड़ने वाला भारी वाहनों का दबाव कम हो गया है। इस एक्सप्रेसवे पर यातायात नियंत्रण लंदन जैसा व्यवस्थित होगा। इसके साथ 14 लेन के बन रहे दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो गया है, इसे भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखें तो यह कार्य सिर्फ कागजों में ही पूरा दिखाई देता है।

केन्द्र सरकार ने दिल्ली को यातायात जाम व प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाली ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे योजना को 400 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। दावे के मुताबिक मार्च 2017 में इस पर वाहन दौड़ने लगेगें लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कंट्रैक्ट एग्रीमेंट दस्तावेजों में परियोजना पूरी होने की मियाद 910 दिन (जून 2018) है। ताजा स्थिति यह है कि मिट्टी समतल करने का दस फीसदी काम हो सका है। इस रफ्तार को देखते हुए एक्सप्रेसवे के 2018 तक पूरा होने में संदेह है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को 400 दिनों में पूरा करने का दबाव है। जबकि कंट्रैक्ट एग्रीमेंट 910 दिनों का है। इसके मुताबिक जून 2018 को परियोजना पूरी होगी। उन्होंने बताया कि 400 दिनों के तय लक्ष्य में काम पूरा करने के लिए परियोजना को छः निर्माण कंपनियों को ठेका दिया गया है। भूमि अधिग्रहण का 96 फीसदी काम पूरा किया जा चुका है। लेकिन अभी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने ने बताया कि 135 किमी लम्बे एक्सप्रेसवे पर मिट्टी डालने का काम 10 फीसदी पूरा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि परियोजना में छह लेन चौड़ी सड़क बनाने के अलावा फुटओवर ब्रिज, रेलवे ओवर, अंडरपास–ओवरपास आदि का प्रबन्ध है। जटिल कार्य होने के कारण इनको बनाने में काफी वक्त लगता है। इसीलिए 2018 में एक्सप्रेसवे के पूरे होने की संभावना कम लगती है।

135 किमी लम्बे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत 7558 करोड़ है। इसके बनने से दिल्ली पर चालीस फीसदी गैर जरूरी ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात आदि जाने वाले व्यावसायिक व निजी वाहन एक्सप्रेसवे से दिल्ली के बाहर अपने गन्तव्य तक जा सकेंगे। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 25 हजार ट्रक व 45 कारें दिल्ली से होकर अपने गन्तव्य तक जाते हैं। एक्सप्रेसवे के बीच में वाहन नहीं घुस पायेंगे।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा–कुडली (एनएच–1) से शुरू होकर वाया गाजियाबाद होते हुए हरियाणा–पलवल (एनएच–2) पर समाप्त होगा। 135 किमी लंबा एक्सप्रेसवे एनएच–58, एनएच–24, एनएच–91 (दादरी के नजदीक) को जोड़ेगा। इससे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत व पलवल के स्थानीय निवासियों को होगी सहूलियत।

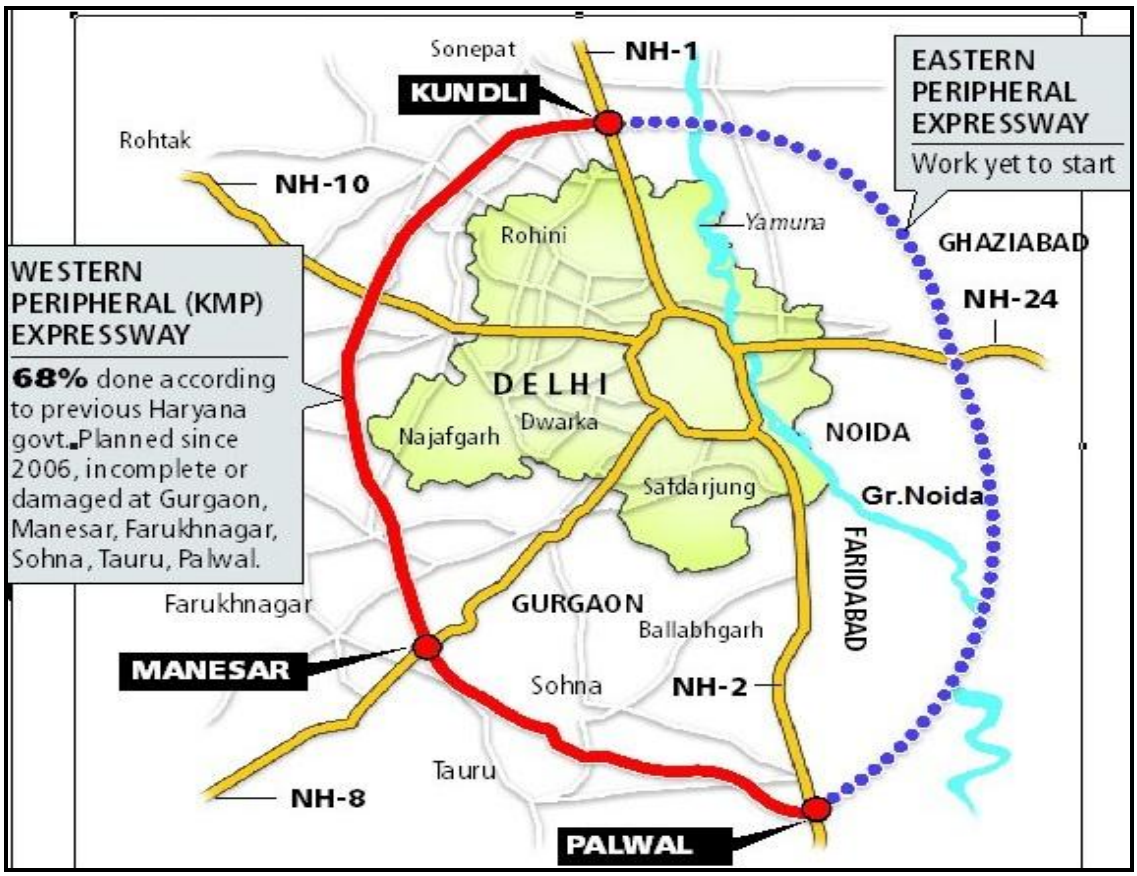

चित्र– ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे मानचित्र

(चित्र स्त्रोत– https://images.app.goo.gl/)

ईस्टर्न पेरिफेरल को बनाने का सपना 2006 में देखा गया था। उस समय एक निजी कंपनी बीओटी टोल के तहत महज 2700 करोड़ में एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए तैयार थी। इससे सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होता और महज 20 करोड़ प्रति किमी की लागत से परियोजना पूरी हो जाती लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसमें टांग अड़ा दी। नतीजा यह कि 11 साल बाद भी एक्सप्रेसवे नहीं बन सका है। और परियोजना की लागत बढ़कर 7558 करोड़ हो गयी। अब 60 करोड़ प्रति किमी की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है।

दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार 136 किमी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना रही है। इसका 94 फीसदी काम पूरा हो गया है। योजना की लागत 2274 करोड़ है। कुंडली मानेसर–पलवल (वेस्टर्न पेरिफेरल) तैयार होगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुबारका चौक से पानीपत आठ लेन बनाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 31 मई 2018 से पहले करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। एनएचएआई ने बचाव में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन प्रस्तावित था। लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से सम्भव नहीं हो सका। पीठ ने कहा, कि आखिर आपको प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों है। न्यायमूर्ति मदन बी0 लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अब तक एक्सप्रेसवे नहीं खोले जाने पर नाराजगी जताई पहले यह जानकारी दी गई थी कि 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। पीठ ने कहा कि, दिल्ली यातायात समस्या से जूझ रही है। ऐसे में अगर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 31 मई 2018 से पहले नहीं किया जाएगा तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाए।

शीर्ष अदालत ने एनएचएआई को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 31 मई 2018 तक एक्सप्रेसवे शुरू हो जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के निर्देश के तहत दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए 2006 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया था। दोनों को 2016 तक शुरू किया जाना था। हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वेस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे का 81 फीसदी काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि कुंडली, मानेसर और पलवल को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य फरवरी 2019 रखा गया था। लेकिन इस वर्ष जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

नितिन गडकरी, केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया है। इसका प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।[16]

[16] अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ सिटी, 11 मई 2018

उपरोक्त दोनों एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ही किया गया था। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे चुनौती के रूप में लिया। और जो समय निर्धारित किया गया था। उससे पहले काम को पूरा कराकर नया रिकार्ड बनाया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 910 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसे 500 दिनों के रिकार्ड समय में पूरा किया गया। हालांकि इन दोनों एक्सप्रेस वे के निर्माण के कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम लम्बे समय तक इसीलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से अड़ंगा लगा दिया गया था। किसी तरह वह मामला सुलझा तब जाकर कार्य प्रारम्भ हो सका।

ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे कुंडली (एनएच–1) से शुरू होकर यमुना नदी को पार करते हुए मवीकलां (एसएच–57) होते हुए दुहाई (एनएच–58) होकर डासना (एनएच–24) से बील अकबरपुर (एनएच–91) को जोड़ते हुए कासना–सिकंदरा रोड (सिरसा) से गांव फैजपुर खादर (हरियाणा) में यमुना पार कर अटाली–चासना रोड से होते हुए पलवल (एनएच–02) में जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड से आने–जाने वाले वाहनों को अब दिल्ली शहर के अन्दर से नहीं जाना पड़ेगा।

गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और पलवल को जोड़ने वाले 135 किमी लम्बे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 20 अप्रैल तक किया जाना था। शीर्ष अदालत ने कहा इसे अब तक जनता के लिए न खोला जाना आश्चर्यजनक है। उच्चतम न्यायालय ने को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि नवनिर्मित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 31 मई 2018 से पहले किया जाए।

जानकारी के मुताबिक यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां राजमार्ग यातायात प्रबन्ध प्रणाली (एचटीएमएस) से लैस किया गया है। इसमें व्हेरिएबल मेसेज साइन्स (वीएमएस) सीसीटीवी, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम

(वीआईडीएस) चेतावनी उपकरण, स्पीड चेकिंग सिस्टम, वजन मापने वाली मशीन, फुटपाथ मैनेजमेंट सिस्टम और फाइबर आप्टिक नेटवर्क लगाया गया है। इन सभी जानकारी को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण कक्ष में सेंन्ट्रल सर्वर लगाया गया है। किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना होने पर अलार्म ट्रिगर दब जाएगा। और वीएमएस संदेश बदल देगा।

पूरे एक्सप्रेसवे पर लाइट के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है। एक्सप्रेसवे में 2.5 लाख वृक्ष लगाये गये हैं, जिनकी सिंचाई ड्रिप से होगी। एक्सप्रेसवे निर्माण पर 4.5 करोड़ क्यूबिक मी मिट्टी इस्तेमाल हुई है, जिसमें से 1.5 क्यूबिक मी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। 20,000 ट्रकों ने प्रतिदिन की ढुलाई का काम किया। पांच लाख टन सीमेन्ट का उपयोग किया गया है। जिसमें काम के हिसाब से एक दिन में एक लाख से अधिक सीमेन्ट बैग की खपत हुई है।

एक्सप्रेसवे में छः स्थानों पेट्रोल पंप, मोटल, विश्राम गृह, वॉश रूम, रेस्टोरेंट, दुकान, वाहन रिपेयरिंग सेंटर की सुविधा होगी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ प्रत्येक 500 मी की दूरी पर वर्षा जल संचयन बनाया गया।

ईस्टर्न पैरीफेरल में मुख्य स्ट्रक्चर

1. मेजर ब्रिज– 4 यमुना नदी, हिंडन नदी और आगरा कैनाल,
2. छोटे ब्रिज 45
3. रेल ओवर ब्रिज–06
4. फ्लाई ओवर–05
5. इंटरचेंजेस–09
6. अंडरपास–55
7. पेडस्ट्रियन अंडरपास–152
8. कल्वट्रस्–113
9. वे–साइड एमेनिटीज–02

27 मई 2018 से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे–

एनसीआर की सबसे विलंब परियोजनाओं की फेहरिस्त में एफएनजी (फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद) हाइवे का नाम सबसे ऊपर है। तीन शहरों और दो राज्यों को जोड़ने के लिए 18 साल पहले बनाई गई योजना आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। एनएच–24 गाजियाबाद से नोयडा होकर फरीदाबाद तक करीब 28 किमी. लम्बा हाईवे प्रस्तावित है। इसका 19.9 किमी हिस्सा नोयडा की सरहद में आता है। जिसका महज 40 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई सरकारें बदल गईं, लेकिन एफएनजी का अधूरा सफर आज तक पूरा नहीं हो पाया। नोयडा प्राधिकरण को इसका निर्माण करना है। एक ही एजेंसी पर जिम्मा होने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है।

यमुना पर ब्रिज बनाकर हरियाणा के फरीदाबाद को इस हाईवे से कनेक्ट करने की योजना है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अधिकारियों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। दो राज्यों के बीच तालमेल न होना भी इस योजना की बड़ी अड़चन बन गया है। रूका पड़ा प्रोजेक्ट का काम पहले जमीन की अड़चन के कारण एफएनजी प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी लेकिन अब नया पेंच फंस गया है। दलअसल, एक साल पहले केंद्र सरकार ने एफएनजी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की इच्छा जताई थी। नोयडा प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा चुकी है।

एफएनजी नेशनल हाईवे बनेगा या नहीं अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन नोयडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को करीब पांच से छह किमी पूरा करके काम रोक दिया है। बताया जाता है कि अगर एफएनजी को नेशनल हाईवे का दर्जा मिला तो अधूरे प्रोजेक्ट का काम एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को पूरा करना होगा। इसमें बिल्डरों ने जमकर फायदा उठाया। करीब दो दशक पहले फरीदाबाद, नोयडा, गाजियाबाद की दूरी कम करने के लिए एफएनजी हाईवे की योजना बनी थी लेकिन ईस्टर्न पेरीफेरल योजना को ध्यान में रखते हुए

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एफएनजी प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं समझी और योजना को रद्द कर दिया। इसके बाद भी नोयडा की सरहद में एफएनजी के नाम से प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा।

सूत्रों की मानें तो नोयडा और ग्रेटर फरीदाबाद की बिल्डर लॉबी ने एफएनजी के नाम से निवेशकों को महंगे दाम पर फ्लैट बेचकर जमकर फायदा उठाया। आज तक एफएनजी तो बना नहीं, नोयडा, ग्रेटर नोयडा वेस्ट और ग्रेटर फरीदाबाद के अधिकांश निवेशकों के आशियानें का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। एनसीआर का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एफएनजी को अगर नेशनल हाईवे बनाया जाता है तो यह एनसीआर का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। इससे न केवल फरीदाबाद से नोयडा और गाजियाबाद सीधे जुड़ेगा, बल्कि फरीदाबाद से सोहना रोड तक सड़क का विस्तार कर इसे गुड़गावं तक हाईवे का रूप देने की योजना भी बनी थी। हालांकि, फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से में ही काम को रफ्तार नहीं दे पा रही है। यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो एनएच–2, दिल्ली और नोयडा की सड़कों से ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

एफएनजी के प्रोजेक्ट की अड़चनें–

1. यमुना पर पुल में भी देरी एफएनजी मार्ग को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए सेक्टर–168 के पास यमुना पर पुल बनाया जाना है। नोयडा प्राधिकरण इसके लिए हाईड्रोलिक स्टडी का दावा कर रहा है, जबकि हुडा को इसकी जानकारी ही नहीं है।
2. एनएच–24 ट्रैफिक रोटरी नोयडा से गाजियाबाद को जोड़ने के लिए हाईवे पर छिजारसी कट के पास करीब 800 करोड़ रूपये की लागत से ट्रैफिक रोटरी बनाया जाना है। यह प्रोजेक्ट एनएचएआई के पाले में जाकर फंस गया है।
3. एफएनजी ऐलिवेटेड रोड एफएनजी मार्ग का बड़ा हिस्सा हिंडन किनारे से गुजरेगा। ऐसे में रिवर फ्रंट एरिया को बचाने के लिए नोयडा सेक्टर–112 से

सेक्टर–140 तक करीब 6.5 किमी लम्बे ऐलिवेटेड रोड का रास्ता साफ नहीं हुआ है।

4. एक्सप्रेस वे ट्रैफिक रोटरी एफएनजी को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए नोयडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोटरी बनाने की योजना है। इसे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाना है। लेकिन इसका प्रस्ताव भी फायलों में धूल फांक रहा है। एफएनजी का रास्ता एफएनजी हाईवे गाजियाबाद के एनएच–24 को नोयडा के छीजारसी, बहलोलपुर, सोरखा, सेक्टर–112, सेक्टर–140, एक्सप्रेसवे सेक्टर–168 होकर फरीदाबाद के गांव लालपुर में आकर निकलेगा। फरीदाबाद से नोयडा की कनेक्टिविटी की योजना जरूर है, लेकिन किसी भी स्तर पर इस योजना को शुरू करने की कोई तैयारी फिलहाल नहीं है।

अजय यादव, उपाध्यक्ष, ग्रेटर फरीदाबाद रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि एफएनजी बन जाए तो इसे आम जनता को काफी सहूलियत मिल जाएगी। गाजियाबाद, नोयडा या हापुड़–बुलंदशहर जाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। खासकर भारी वाहनों का दबाव दिल्ली, फरीदाबाद और नोयडा से कम होगा। सुभाष कौशिक, महासचिव, ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एफएनजी प्रोजेक्ट एनसीआर की बड़ी जरूरत है। ददसिया गांव के नजदीक से ही दोनों शहरों की कनेक्टिविटी होनी है। इसीलिए गांव की पंचायत के माध्यम से इस मामले को नोयडा प्राधिकरण और हुडा के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे संपत्ति बाजार : एक सिंहावलोकन

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रेसवे 56 किमी लम्बी प्रस्तावित है, कुल क्षेत्रफल के वितरण के साथ : नोयडा–ग्रेटर नोएडा में 19.9 किमी, गाजियाबाद में 8 किमी और शेष 28.1 किमी फरीदाबाद में है। यदि एक्सप्रेसवे 75 किमी की लम्बाई तक बढ़ाया जाता है, सुहाना रोड के आसपास के गांवों को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

एक्सप्रेसवे, सम्पत्ति डेवलपर्स और बिल्डरों के निर्माण के पूरा होने से पहले इस विकासशील क्षेत्र के बड़े अवसरों को समझना बहुत जरूरी है। किफायती दामों पर विभिन्न शानदार परियोजनाओं के निर्माण में निवेश करके, मुनाफा बनाने की आशा में तेजी से सक्रिय होना तथा अग्रणी डेवलपर्स और एफएनजी एक्सप्रेसवे में बिल्डर्स जैसे अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओमेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और पुरी कंस्ट्रक्शन, इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के साथ आ रहे हैं।

फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे इलाकों के साथ कनेक्टिविटी

नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा एनएच–24 और एनएच–2 के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के माध्यम से फरीदाबाद से जुड़े हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन निकटतम स्टेशन है जो इस क्षेत्र को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है।

स्कूलों में फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे और अन्य सामाजिक सुविधाएं

प्रतिष्ठित एफएनजी एक्सप्रेसवे में स्कूल में एपीजे स्कूल और अग्रणी कालेजों में एफएनजी एक्सप्रेसवे में वाईएमसीए विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लिंगाया विश्वविद्यालय शामिल हैं।

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के पास रोजगार केन्द्र

- निकट भविष्य में फरीदाबाद में एक आर्थिक बूम के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, जिसने निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित किया है।
- सेवाओं में वृद्धि और औद्योगिकीकरण की वृद्धि की संभावना है डेलीबहुल सेक्टर।
- फरीदाबाद में डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, लाफार्ज और यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड जैसी कई बड़े पैमाने पर कंपनियां हैं।
- इसके अलावा, फरीदाबाद में करीब 25,000 लघु उद्योग हैं बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों को आकर्षित करने के अलावा, भावी जोर आईटी पर होगा।

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे में भौतिक बुनियादी ढांचे

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 2.2 लाख से अधिक वाहनों के लाभ की उम्मीद है इसके अलावा, यह मेरठ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और हापुड़ से फरीदाबाद और आगरा में जाने वाले लोगों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। यह यात्रा के समय में कटौती करेगा और एनएच–58, एनएच–24 और एनएच–2 वाले क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करेगा जो दिल्ली क्षेत्र में आते हैं।

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे में निवेश करने के कारण

क्षेत्र के जबरदस्त विकास को देखते हुए और एफएनजी एक्सप्रेसवे में कीमत के रूझान के कारण इस क्षेत्र को एक प्रमुख निवेश स्थल होने की संभावना है। गुड़गांव से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों में यातायात की भीड़, फरीदाबाद, नोयडा और गाजियाबाद, इस क्षेत्र की प्रमुख खामी है। हालांकि, एक्सप्रेसवे के संचालन में आने के बाद, क्षेत्र की कामकाजी आबादी दिल्ली में प्रवेश किये बिना गाजियाबाद से फरीदाबाद तक आधे घंटे में यात्रा कर सकती हैं। यह गाजियाबाद, नोयडा, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे प्रमुख आवासीय क्षेत्रों के रूप में उभरने वाले क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे जल्द ही एनसीआर शहरों को जोड़ने के लिए–

एनएचआई ने 75 किमी के लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए डीपीआर या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है जो गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से गुजर जाएगी।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एफएनजी या फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेस के गैर–परिचालन 43 किमी के विस्तार को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में बदलने के फैसले को पिछले साल केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने

लिया था। हरियाणा राज्य में पड़ा हुआ हिस्सा एनएचआई द्वारा बढ़ाया जाएगा, इसे 75 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित किया जाएगा।

नोयडा अथॉरिटी ने नोएडा में 17 किमी लम्बी एफएनजी एक्सप्रेसवे खिचाव पर काम का 70 प्रतिशत पूरा कर लिया है। कई कारणों से बाकी एक्सप्रेसवे पर काम अभी भी अधूरा है। सीपीई के मुताबिक, नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, श्री एके गोयल, एनओसी या नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट को यूपी सरकार ने परियोजना के लिए पहले ही जारी कर दिया है। एनएचएआई के अनुसार 75 किमी एनएच के लिए डीपीआर की तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। एक बार परियोजना पूरी होने के बाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को सहज कनेक्टिविटी का अनुभव होगा। हरियाणा से यूपी यात्रा करते समय मोटर चालकों को दिल्ली में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।

डीपीआर 2016 के अंत तक अधिकारियों के अनुसार तैयार होने की उम्मीद थी, और परियोजना 2017 तक पहली छमाही तक पहुंचने की उम्मीद थी। एफएनजी एक्सप्रेसवे डीपीआर के मुताबिक, एक्सप्रेसवे हरियाणा में पलवल को एनएच–58 गाजियाबाद से जोड़ने के लिए था लेकिन योजना में बदलाव के कारण 75 किमी एनएच अब सोहना गुड़गांव को एनएच–58 से जोड़ देगा।

परियोजना लगभग 2.2 लाख वाहनों के लिए बेहद फायदेमंद होने की उम्मीद है, और गाजियाबाद, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, हापुड़ और गुड़गांव से यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग साबित हुआ है। एनएच–24 विस्तार और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के साथ–साथ यह नया राजमार्ग रहने वाले लोगों के जीवन या इन शहरों में स्थानान्तरित करने की योजना के लिए सुविधा लाएगा।

समय बचत यात्रा, आस–पास की सुविधा और निकट भविष्य में संपत्तियों की कीमत उन्नति जैसी अच्छी कनेक्टिविटी के लाभों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय में इनमें से किसी भी स्थान पर सम्पत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इस राजमार्ग का उपयोग करने के लिए यात्रा का समय 1/3 तक गिरने की उम्मीद है जिससे एनएच–58, एनएच–24 और एनएच–2 पर दिल्ली क्षेत्र

में यातायात दबाव कम हो रहा है। वर्तमान में मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ के यात्रियों को आगरा और फरीदाबाद पहुंचने के लिए इन तरीकों को लेना आसान होगा।

वर्तमान में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा फरीदाबाद से एनएच–2 और एनएच–24 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जो अत्यधिक आबादी वाले इलाके हैं। एफएनजी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने दावा किया है कि इसके निर्माण में आ रही बाधाएं दूर हो गई हैं। उनका कहना है कि शीघ्र इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा अधिकारियों का दावा है कि डेढ़ साल में इसे पूरा कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पर 2650 करोड़ रूपये के बजट के व्यय का अनुमान है। इसमें किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी शामिल है।

हरियाणा ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के पूर्व चेयरमैन करण सिंह दलाल के अनुसार इस प्रोजक्ट में 56 किमी हाईवे का निर्माण होना है। इसमें 24 किमी यूपी क्षेत्र में और बाकी हरियाणा में है। इसके निर्माण में अनसुलझे रहे ज्यादातर मुद्दों पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच सहमति बन चुकी है। बैठकों का दौर खत्म होने को है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट हाईवे एनएच–2 और एनएच–24 के साथ–साथ कुंडली मानेसर लिंक एक्सप्रेस हाईवे को भी जोड़ेगा। इसके लिए लेआउट प्लान व अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रोजेक्ट के तहत यमुना पर भी पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसका काम भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद के नहरपार इलाके, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के क्षेत्रों में विकास के नए अध्याय की शुरूआत होगी। फरीदाबाद में लालपुर विलेज के पास यह एनएच–2 से मिलेगा। इसके दोनों तरफ न्यू टाउनशिप विकसित होगी, जिसके लिए बिल्डरों ने पहले से काफी जमीनें खरीदी हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इसके दोनों तरफ रेजिडेंशल और कमर्शल सेक्टर विकसित करेंगी। यह ड्रीम प्रोजेक्ट वर्ष 1993 से अधर में लटका हुआ है। वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश व हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फाइनल बातचीत हुई थी। तब इसके निर्माण के लिए सहमति बन गई थी, परंतु काम शुरू नहीं हो पाया। शुरू में इस प्रोजेक्ट पर 791 करोड़ रूपये खर्च होने

का अनुमान था। अब यह बढ़कर करीब 2650 करोड़ रूपये हो गया है। इसके निर्माण से जहां तीनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं तीनों शहरों के लोग एक दूसरे के इलाकों में सर्विस व बिजनेस आसानी से कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से इलाके में मंदे पड़े प्रोपर्टी मार्केट में भी बूम आने की संभावनाएं बलवती होने लगी हैं। करण सिंह दलाल का कहना है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद हरियाणा के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

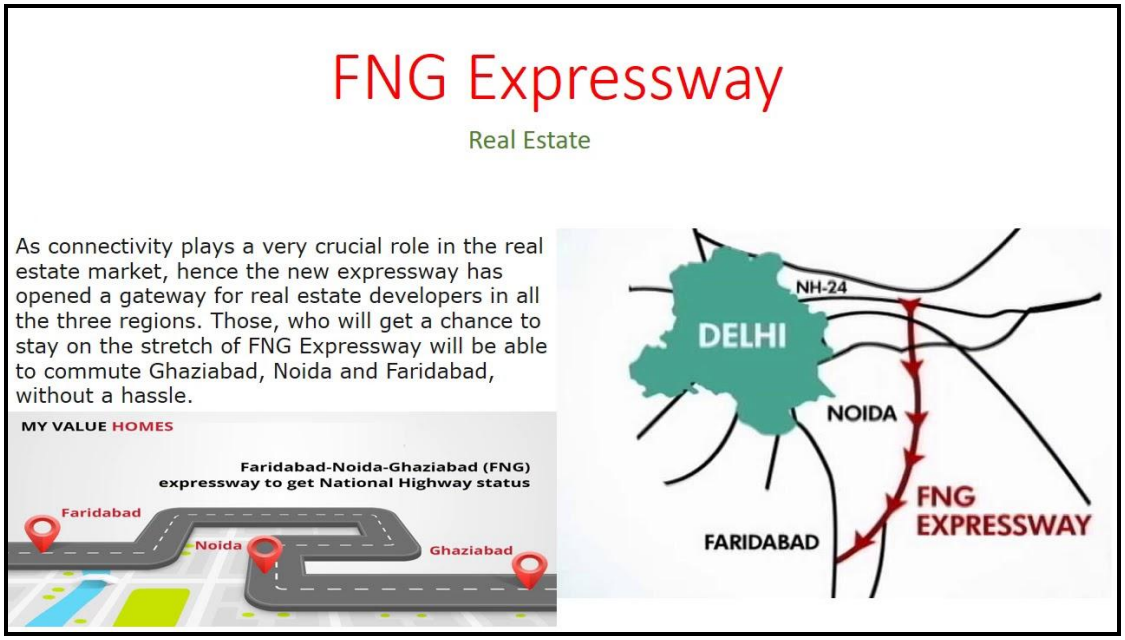

चित्र– एफएनजी एक्सप्रेसवे

हरियाणा पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के फाइनेंस कमिश्नर सुदीप सिंह ढिल्लो ने बताया कि हाल ही में इसे लेकर दिल्ली व उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी। इसमें इसका निर्माण तेजी से किए जाने पर सहमति बनी है। इसका निर्माण एनएचएआई करेगी और इसके लिए एनएचएआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

गंगा एक्सप्रेसवे–

मुख्यमंत्री मायावती की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में 1047 किमी लम्बी आठ लेन एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजना की घोषणा की थी। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे देश में सबसे लम्बा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोयडा को बिहार के साथ अपनी सीमा के पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया से जोड़ने के लिए था। साथ ही गंगा नदी के बाएं किनारे के साथ चल रहा था और मार्ग पर प्रमुख शहरों को जोड़ रहा था। मार्ग के कस्बों में वाराणसी, इलाहाबाद, रायबरेली, कानपुर, शाहजहांपुर, बुलंदशहर और बदायूं शामिल है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे वास्तव में राज्य की चौड़ाई को पार करने वाले पूर्व और पश्चिम यूपी को प्रभावी रूप से कनेक्ट करेगा और राज्य को अपने प्रमुख शहरों और शहरों के बीच चिकनी कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली से इलाहाबाद और वाराणसी, यूपी में प्रमुख धार्मिक पर्यटक और तीर्थ स्थलों के रास्ते से यात्रा के समय को भी कम कर देगा।

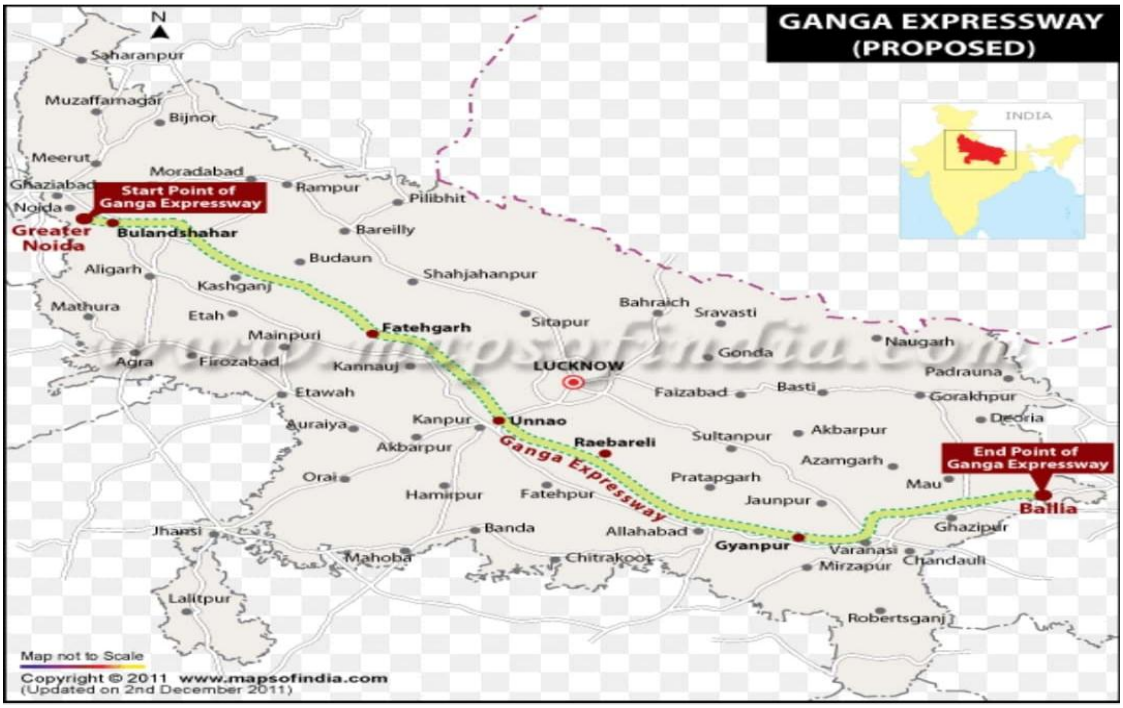

चित्र– गंगा एक्सप्रेसवे मानचित्र

(चित्र स्त्रोत– www.mapsofindia.com)

इसके अलावा, राज्य सरकार के अनुसार, एक्सप्रेसवे को उठाए गये तटबंध पर बनाया जायेगा। यह तटबंध गंगा नदी के बायें किनारे पर लगातार बाढ़ के खिलाफ बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में भी कार्य करेगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में रियायतकर्ता जेपी एसोसिएट्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए), राज्य सरकार एजेंसी एक्सप्रेसवे के प्रभारी, 40 हजार करोड़ रूपये की महत्वकांक्षी योजना थी।

हालांकि 2009 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को परियोजना शुरू करने से रोका। केन्द्र सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा गया। क्योंकि सड़क पारिस्थितिक के रूप में संवेदनाशील गंगा बाढ़ मैदानों पर सड़क का निर्माण किया जाना था। पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के वगैर एक्सप्रेसवे पर काम किया गया था। यूपी अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद इस पर कुछ काम हुआ और इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस योजना को पूरा करने में अपनी रूचि ली है। और 2025 तक इसको पूरा होने की उम्मीद है।

<u>नोएडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे–</u>

नोएडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नोयडा के दो उपनगरों को जोड़ता है। नोयडा, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यह कई आवासीय कालोनियों के साथ यहां स्थित कई कंपनी कार्यालय के साथ एक आद्यौगिक और शैक्षणिक केन्द्र है। नोयडा दक्षिण पूरब दिल्ली के नजदीक है।

ग्रेटर नोयडा, एक नया उपनगर, यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में नोयडा से 20 किमी दूर स्थित है। यह तेजी से बढ़ती योजनाबद्ध औद्योगिक टाउनशिप भी है जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है। जिसके कार्यालय यहां हैं। कई शैक्षणिक संस्थान और आवासीय उपनिवेश और परिसर भी हैं। विश्व स्तरीय प्रदर्शनी मार्ट, सांस्कृतिक केन्द्र और शहर में रात की सफारी बनाने की योजना है। यमुना

एक्सप्रेसवे शहर को आगरा से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास ग्रेटर नोयडा में एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस और रेलवे स्टेशन के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और परिवहन केन्द्र का निर्माण करने की योजना है।

400 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित नोयडा–ग्रेटरनोयडा एक्सप्रेसवे, नोयडा के टाउनशिप को ग्रेटर नोयडा के इस योजनाबद्ध नए टाउनशिप से जोड़ता है। चूंकि ग्रेटर नोयडा दिल्ली से केवल 40 किमी दूर है, इस एक्सप्रेसवे ने यात्रा केन्द्र को वाणिज्यिक केन्द्रों और आवासीय परिसरों में कम कर दिया है। एक्सप्रेसवे के मार्ग के साथ शैक्षणिक संस्थानों, पांच सितारा होटल, मॉल, अस्पतालों पर वाणिज्यिक केन्द्रों के निर्माण के तरीके में बहुत सारे रियल एस्टेट विकास हैं।

एक्सप्रेसवे में छः लेन हैं और लम्बाई 25 किमी है। यह नोयडा के सेक्टर 15 ए में शुरू होता है और ग्रेटर नोयडा में अल्फा वाणिज्यिक बेल्ट पर समाप्त होता है। 24 इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों के साथ एक ज्ञान पार्क इस अंत में बनाये जाने का प्रस्ताव है।

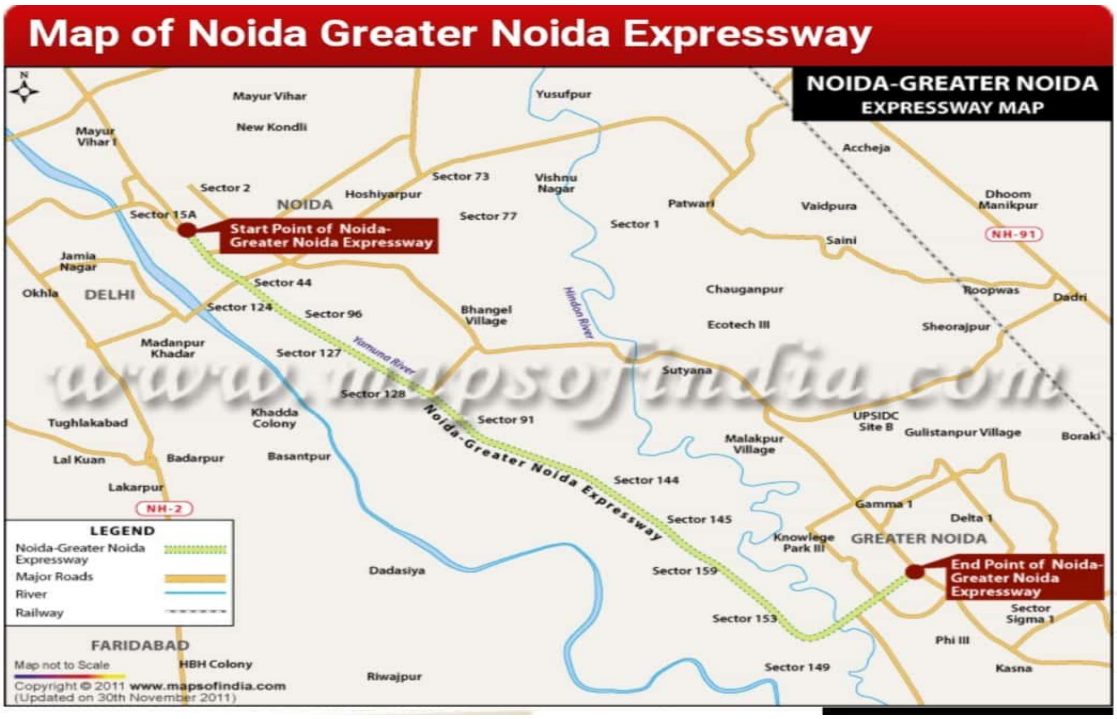

चित्र– ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे

(चित्र स्त्रोत– www.mapsofindia.com)

चूंकि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोयडा में शुरू होता है। यह मार्ग आगरा, ताजमहल के घर और देश के शीर्ष पर्यटन स्थल के लिए एक चिकनी निर्बाध ड्राइव प्रदान करता है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे एनएच–2 की तुलना में कम भीड़ है जो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के भीड़ वाले शहरों के माध्यम से आगरा के रास्ते में चलता है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे–

अखिलेश सरकार ने लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया था। अब योगी सरकार लखनऊ से गाजीपुर तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लखनऊ से गाजीपुर के 353 किमी लंबी इस रोड परियोजना की लागत करीब 25 हजार करोड़ रूपए आने का अनुमान है। इसे मार्च 2021 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के दस जिलों, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर से गुजरेगा।। अब लिंक रोड की वजह से गोरखपुर, अयोध्या, संतकबीरनगर और वाराणसी भी इस एक्सप्रेसवे से जाएंगे। इससे पहले रामनगरी अयोध्या को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक करने का प्लान तैयार किया गया था। इसके तहत करीब 25 किमी का लिंक रोड तैयार होगा, जो कि अयोध्या से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ से बलिया को जोड़ने वाले छह लेन के पूर्वांचल के लिए ली गई मुआवजे की जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आजमगढ़ जिले के किशनपुर गांव निवासी विवेक राय व अन्य की याचिका पर दिया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जहां आपात स्थिति में विमानों

की लैंडिंग हो सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उप्र रेल कार्पोरेशन के गठन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।[17]

प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 25 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं। ये धनराशि आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के जिलाधिकारियों को एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद और अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 15 करोड़ रूपये डीएम आजमगढ़ और दस करोड़ डीएम अंबेडकर नगर को उपलब्ध कराए गए हैं।[18]

यह एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे बाद में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी मदद से लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा 4 घंटे में पूरी होगी। जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर से लिंक रोड से जोड़ा जायेगा। लिंक रोड का निर्माण यूपी का लोक निर्माण विभाग या एनएचएआई कर सकता है। बजट सत्र के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। करीब ढाई साल में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

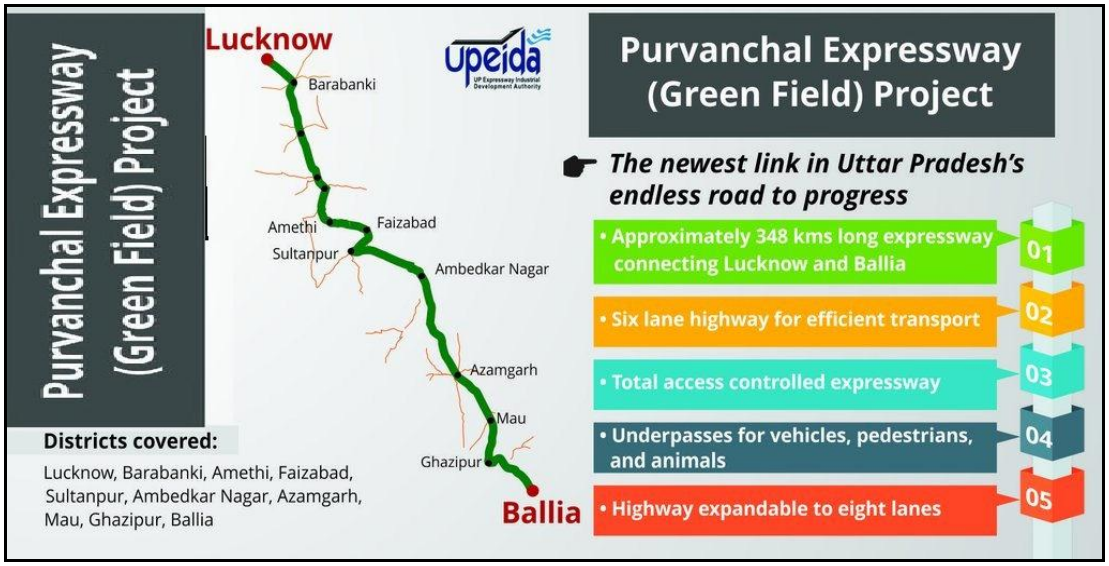

चित्र– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

17 खास खबर, 3 जनवरी 2018

18 हिन्दुस्तान पेपर, 12 अक्टूबर 2017

योगी सरकार जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनवाने जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 22000 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। यानी प्रति किमी एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 70 करोड़ रूपए का खर्चा आयेगा। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लम्बाई 302 किमी है। इसके निर्माण में प्रति किमी की लागत 50 करोड़ रूपए थी। ऐसे में इस लिहाज से योगी सरकार में बनने वाले लखनऊ–गाजीपुर के एक्सप्रेसवे की प्रतिकिमी की लागत 20 करोड़ रूपए अधिक है। आखिर ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से प्रति किमी इतना बड़ा अंतर आ रहा है।

एक्सप्रेसवे के निर्माण में बढ़ी लागत की बड़ी वजह है, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान। यूपी सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि बढ़ी कीमत की वजह भूमि अधिग्रहण में अधिक मूल्य दिया जाना है। उन्होंने बताया कि लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण के लिए तकरीबन 2900 करोड़ रूपए खर्च किये गये, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में कुल 7058 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। अधिकारी का कहना है कि यूपी की जमीन काफी उपजाऊ है लिहाजा सरकार ने किसानों को इसकी अच्छी कीमत देने का फैसला लिया है।

लखनऊ से गाजीपुर के बीच भारत का ये सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जनता के पैसों का दुरूपयोग किया है। भाजपा ने कहा था कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है और जब वह सत्ता में आयेगी तो वह इसकी जांच कराएगी।

देश में यमुना एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है। मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे की भी बात होती है लेकिन आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, इससे पहले मायावती की सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था और अब योगी सरकार लखनऊ से गाजीपुर तक देश

का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत यह होगी कि ये सभी बाजारों के नजदीक से होकर गुजरेगा, इसका फायदा यह होगा कि आप कहीं भी जाम में नहीं फंसेंगे।

हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अखिलेश यादव ने अक्टूबर 2015 में डीपीआर को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। फरवरी 2016 में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 2000 करोड़ रूपये का बजट दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अखिलेश यादव ने दिसम्बर 2016 में किया था और लगभग 60 प्रतिशत की जमीन अधिग्रहण का काम एसपी सरकार के कार्यकाल में हो गया था। मई 2017 में योगी सरकार ने सपा सरकार के टेंडर को निरस्त कर दिया। जमीन अधिग्रहण का काम अभी भी चल रहा है। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर हाल ही में बैठक हुई, जिसमें रास्ते में पड़ने वाले गांव, स्कूल, बिजली के खंभे आदि को स्थापित करने को लेकर चर्चा की गयी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और गाजीपुर के लोगों को राहत देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू करने को हरी झण्डी दे दी है। योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की तारीख 19 मार्च 2018 तय की थी।

एक्सप्रेसवे बनाने के लिए यूपीडा 9 जिलों में 85 प्रतिशत से ज्यादा जमीन अधिग्रहीत कर चुकी है। यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 90 प्रतिशत जमीन होने की स्थिति में ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को 4335.67 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करनी है। अब तक कुल 3329. 91 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है। इसमें 438 हेक्टेयर जमीन का पुनर्ग्रहण होना है। एक्सप्रेसवे के लिए 9 जिलों में जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बैंकों के कंसोर्सियम से 5000 करोड़ रूपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया यूपीडा ने शुरू कर दी है।

यूपी की योगी सरकार गोरखपुर से एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान कर रही है। ये लिंक एक्सप्रेसवे 110 किमी का होगा जो गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ में प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा– ये लिंक रोड गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ने का काम करेगा। इसे 4 लेन में बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक रोड के जरिए जोड़ने का प्लान है। यह लिंक रोड आजमगढ़ से जुड़ेगा। जिसकी दूरी 80 किमी होगी। इस तरह से पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी है।

गोरखपुर से आजमगढ़ तक बनने वाले लिंक रोड के खर्चे को लेकर यूपी सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से लिंक रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सर्किल रेट के हिसाब से लागत का आंकलन करने में जुटी है। ऐसी चर्चा है कि सरकार सर्किल रेट से चार गुना अधिक तक खर्च करने का प्लान कर चुकी है।

इससे पहले रामनगरी अयोध्या को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक करने का प्लान तैयार किया गया था। इसके तहत करीब 25 किमी का लिंक रोड तैयार होगा, जो कि अयोध्या को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार मार्च 2021 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने की उम्मीद है।

अवर गंगा केनाल एक्सप्रेसवे–

यूपी सरकार द्वारा ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे 8719 करोड़ रूपये प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है। यह ऊपरी गंगा नहर के दाहिने किनारे पर एक आठ घण्टे का उपयोग नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे यूपी और उत्तराखण्ड सीमा के पास मुजफ्फरनगर जिले में बुलंदशहर जिले में पुणजाजी से सानौता पुल को जोड़ देगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) ने इस एक्सप्रेसवे को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।

मूलरूप से हिंडन एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यह एक्सप्रेसवे हिंडन नदी के साथ भूमि अधिग्रहण के साथ परेशानी में पड़ गया था। इसके बाद 2009 में, यूपी सरकार ने हिंडन नदी के बजाय ऊपरी गंगा नहर के साथ इसे संरेखित करने के लिए मूल मार्ग बदल दिया और सहारनपुर के बजाय मुजफ्फरनगर और रूड़की के माध्यम से इसे घुमाकर मार्ग 80 किमी तक भी छोटा कर दिया गया था।

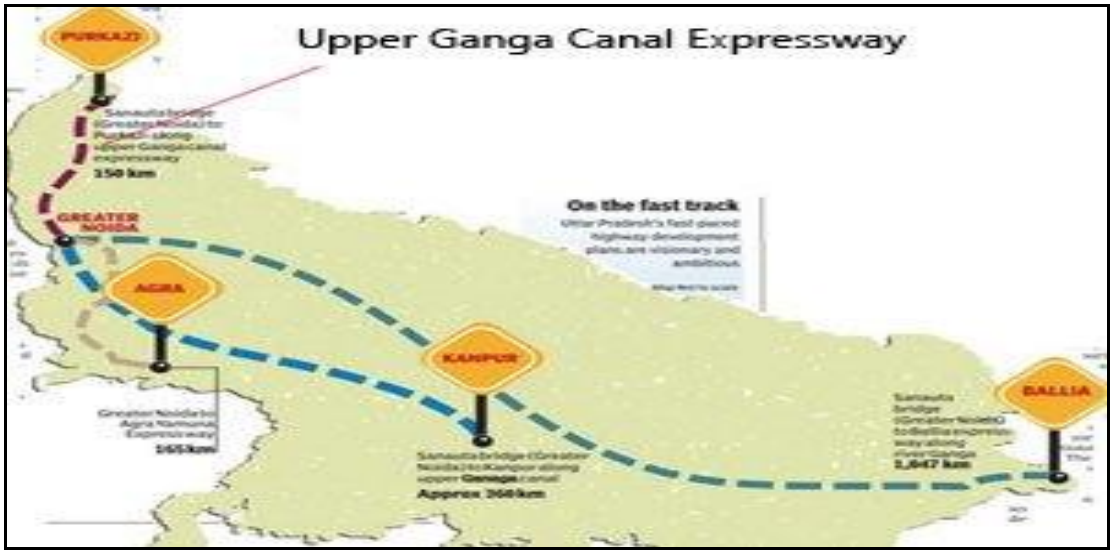

चित्र–अवर गंगा केनाल एक्सप्रेसवे

150 किमी लंबी एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से शुरू होगी। यह शहर नोयडा, ग्रेटर नोयडा और गाजियाबाद के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यूपी में इन सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित शहरी नोड्स है। नोयडा और ग्रेटर नोयडा के उपग्रह उपनगरों में क्षेत्रों में सबसे बड़ा आवासीय और औद्योगिक परिसर हैं। ग्रेटर नोयडा के आस–पास एक विमानन और परिवहन केंद्र की योजना बनाई गई है। ग्रेटर नोयडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा का सीधा लिंग भी है।

ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे इन क्षेत्रों को मेरठ के माध्यम से पश्चिम यूपी से जोड़ देगा। यह मार्ग बुलन्दशहर, गौतम बुद्धनगर (ग्रेटर नोयडा), गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिलों को पार करेगा। एक्सप्रेसवे

उत्तराखण्ड सीमा पर समाप्त होता है और इसलिए नोयडा और ग्रेटर नोयडा से उत्तराखण्ड में हरिद्वार से सीधा सम्पर्क करेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे–

उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया था। उस समय बसपा की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नोएडा और आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे 165 किमी लम्बा है और उत्तर प्रदेश में दिल्ली और आगरा के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन हैं और दोनों शहरों के बीच 50 प्रतिशत तक यात्रा के समय को कम कर दिया है। एक्सप्रेसवे पर पुश गाड़ियां और बैल गाड़ियां जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइट वाहन 100 किमी प्रति घण्टा की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं जबकि भारी वाहन एक्सप्रेसवे पर 60 किमी प्रति घण्टा रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं।

यात्रा के समय को कम करने के अलावा एक्सप्रेसवे पास के क्षेत्रों के विकास और प्रगति में मदद करेगा। दिल्ली, राजधानी शहर और आगरा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शहर और आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल का शहर होने के नाते स्थित नोयडा के बीच यातायात का निरंतर आंदोलन है। अक्सर पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। नोयडा भी भारत में व्यापार का उभरता केन्द्र है। यमुना एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यातायात को कम करने में मदद करेगा। जो पहले दिल्ली और एनसीआर (नोयडा समेत राजधानी क्षेत्रों के पास) और फरीदाबाद और पलवल जैसे क्षेत्रों से आगरा की ओर निर्देशित सभी यातायात को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है।

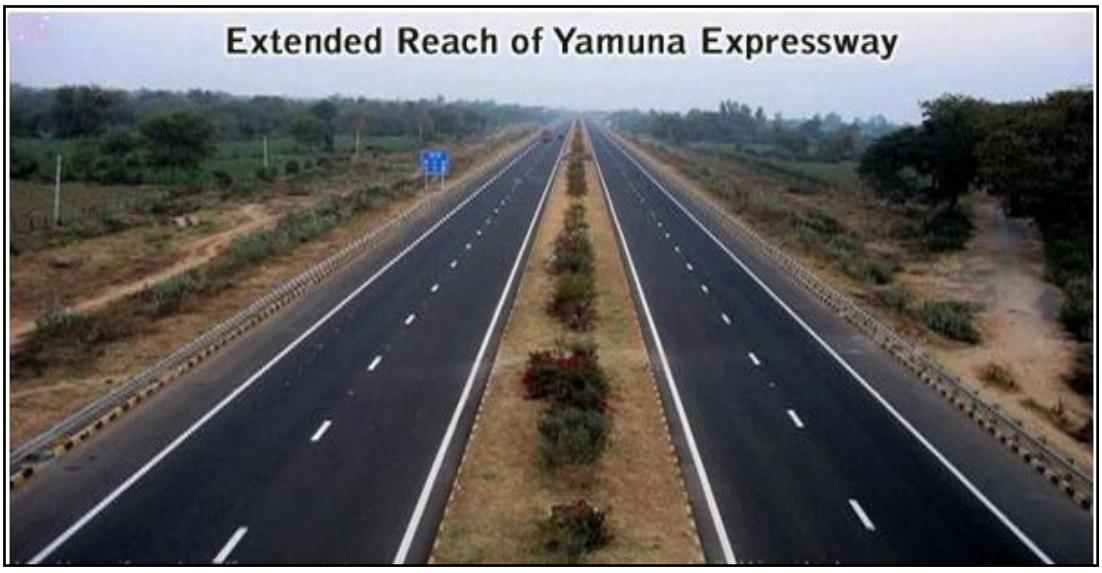

चित्र– यमुना एक्सप्रेसवे

यमुना एक्सप्रेसवे जेपी समूह की एक योजना है। यात्रियों की सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यह यातायात आंदोलन का ट्रैक रखने के लिए सीसीटीवी और मोबाइल रडार से पूरी तरह सुसज्जित है। मई 2012 से यमुना एक्सप्रेसवे चालू है।

पड़ोसी शहरों से यमुना एक्सप्रेसवे तक दूरी

दिल्ली	38 किमी
नोयडा	18 किमी
गुडगाँव	67 किमी
गाजियाबाद	33 किमी
हापुड़	60 किमी
फरीदाबाद	43 किमी
बुलंदशहर	41 किमी
पलवल	32 किमी
अलीगढ़	46 किमी
मथुरा	12 किमी
फिरोजाबाद	31 किमी

इस प्रकार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर यमुना एक्सप्रेस वे के लगभग 50 किमी0 के दायरे में आ रहे है। जो कि महत्वपूर्ण है।

सीतापुर से लखीमपुर फोरलेन सड़क निर्माण में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत संदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने लखनऊ–मुजफ्फरपुर नेसनल हाइवे के निर्माण में कार्य किया है। प्रदेश में निश्चित रूप से एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश के विकास में तेजी आ रही है। एक्सप्रेस वे के निर्माण में रूट निर्धारण में राज्यों में राजनीतिक हितों को ध्यान में रखा जाता है परन्तु नेशनल हाइवे में ऐसा नहीं होता है। इन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार नेसनल हाईवे के निर्माण में प्राकृतिक पर्यावरण हेतु विशेष ध्यान में रखती है। इसके लिये विश्व बैंक आर्थिक अनुदान भी प्रदान करती है। एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु पेंड़ो को काटने से पहले वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया कि 40 किमी0 सीतापुर से लखीमपुर फोरलेन सड़क निर्माण हेतु लगभग 40 हजार पेंडो को काटा गया। इसके बदले में 3–4 करोंड़ रूपये वन विभाग को दिये गये। काटे गये पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग जिम्मेंदार होता है।

लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी सीनियर इंजीनियर के पद पर तैनात एम0 डी0 राय जी ने बताया कि एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान जो पेड़ काटे जाते है। उनकी क्षतिपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। इसके लिये हम लोग वन विभाग को 1 पेंड़ = 1500रू मुआवजा देते हैं और इसके बदले में वन विभाग द्वारा 10 पेंड़ लगाने का प्रावधान होता है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि एक्सप्रेस–वे के निर्माण में रूट निर्धारण में राजनीतिक हितों को कम ही ध्यान में रखा जाता है बल्कि इसके लिये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मण्डी, यूनिवर्सिटीज एवं व्यापारिक केन्द्रों आदि को प्राथमिकता में रखा जाता है। इसके साथ ही इन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण हेतु बाजार मूल्य का लगभग 60 से 70 फीसदी तक उचित मुआवजा दिये जाने की बात स्वीकार की।

लोक निर्माण विभाग, सीतापुर में आर0 रतन इंजीनियर के पद पर तैनात ने बताया कि प्रदेश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चलते तीव्र विकास की आवश्यकता पड़ी है। जिसके चलते तीव्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। औद्योगिक कारखानों में तेजी से वृद्धि हुई यही नहीं बढ़ती जनसंख्या के निवास हेतु शहरीकरण में वृद्धि हुई है जिसके चलते तीव्र गति से सड़कों का विकास हुआ है।

महानगरों एवं शहरों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गो एवं एक्सप्रेस वेजों के निर्माण मे तेजी आयी है। साथ ही में इनके निर्माण के दौरान जिन पेड़ों की कटाई की जाती है उसके लिये वन विभाग जिम्मेंदार होता है तथा उसके लिये नये पौधों को लगाने का काम वन विभाग ही करता है तथा समय समय पर सरकार के निर्देश पर अन्य विभाग भी इस महत्वपूर्ण कार्य सहयोग करते हैं।

निष्कर्ष–

उत्तर प्रदेश व इससे सटे प्रदेशों में बने एक्सप्रेसवे में आपको कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल जाएगीं। प्रदेश के विकास का एजेंडा उठाने वाली सरकारें किस तरह से विफल सिद्ध हो रहीं हैं। जिस तरह के एजेंडे का प्रारूप तैयार किया जाता है। उससे यही लगता है कि प्रदेश अब दिन–ब–दिन तरक्की करेगा और रोजगार के अवसर आदि का मार्ग आसानी से प्रशस्त होगा, पर क्या उन प्रस्तावों को पूरी तरह पूर्ण किया जाता है, नहीं। किसी भी निर्माण को लेकर बने प्रस्ताव अधिकतर कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं और जब तक उस प्रस्ताव को लाने वाली सरकार का कार्यकाल रहता है उसमें हीला–हवाली होती रहती है। तत्पश्चात् जब सरकार बदल जाती है तो दूसरी सरकार आकर उस पर काम करने के बजाये तंज कसने का काम करती है। दूसरी सरकार आकर उस प्रस्ताव पर राजनीति करते हुए उसके नाम और काम में बदलाव करके उसे अपने तरीके से तैयार करने का एजेंडा उठाती है। इस तरह से एक के बाद एक सरकार आकर चली जाती हैं और उस योजना को उसका मूल रूप नहीं मिल पाता है।

आखिर इस तरह की ढीली प्रक्रिया में किसका नुकसान होता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है वह भोलीभाली जनता का ही है। आपने देखा कि किस तरह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हुआ जिसमें आखिर जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद फाइल चोरी आदि का भी मामला सामने आया। अगर किसी भी कार्य को निष्पक्ष तरीके से किया जाता है तो उसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण से किसी भी देश एवं प्रदेश के विकास में तेजी आती है। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण के काम में तेजी आई है। माना जा रहा है कि इससे सूबे में रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधरेगी। इससे लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे, ये सभी उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर के लिए भी 3700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरी उम्मीद है कि इन सभी एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश को एक नई दिशा मिलने जा रही है।

कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे ये सभी उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते से जोड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

2007 में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री मायावती ने यमुना एक्सप्रेस वे को चुनावी मुद्दा बनाया था। वहीं तीन साल पुरानी यूपी की योगी सरकार फिलहाल चार बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिन्हें वह 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करना चाहती है। यह सरकार भी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने से नहीं चूकना चाहेगी।

और अन्त में निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण से आम जनता को कितना अधिक लाभ मिलता है, यह कहना उचित ही है। क्योंकि एक्सप्रेसवे के निर्माण से समय की बचत, ईंधन की बचत व रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। जहॉ तक आवश्यक हो सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान हरे–भरे पेंड़ों को

काटने से बचना चाहिए। सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान यदि पेडों को काटा गया है तो उनके स्थान पर सड़क के दोनों ओर नये पौधों को अतिशीघ्र रोपित कर देना चाहिए ताकि काटे गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति भविष्य में हो सके। प्रदेश भर में सड़क एवं एक्सप्रेसवेज का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिससे प्रदेश का विकास भी तेजी से हुआ है। परन्तु एक्सप्रेसवेज निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मुद्दों को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिए एवं इन राजनीति पर नहीं होनी चाहिए।

अध्याय–पंचम

उत्तर प्रदेश में खनन व राजनीति

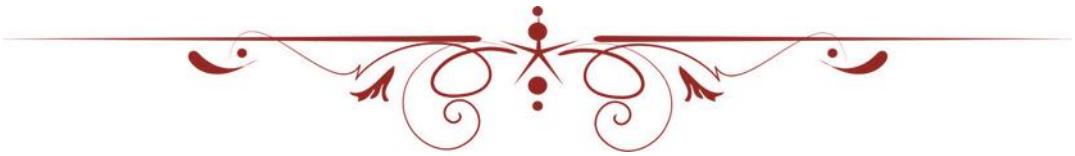

अध्याय–पंचम

उत्तर प्रदेश में खनन व राजनीति

खनिकर्म का अर्थ– पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकर्म या खनन (Mining) कहलाता है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गयी है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती जा रही है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी–बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव भी हुआ है। फलस्वरूप खनिकर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है इसीलिए इसको खनन इंजीनियरी कहते हैं।

संसार के अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसीलिए छोटी–छोटी खान ही पर्याप्त थी। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहां पानी निकल आया करता था, वहॉ नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं थे।

किसी भी प्रकार के खनन विकास के लिए खनन के पूर्व की दो अवस्थाएं–पूर्वेक्षण (Prospecting) तथा गवेषणा (Exploration) बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पूर्वेक्षण के अन्तर्गत खनिजों तथा अयस्कों की खोज, निक्षेपों का सामान्य अध्ययन तथा खनन की संभावनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन तथ्यों की जानकारी के लिए किन साधनों की सहायता ली जाए, यह उस क्षेत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। गवेषणात्मक कार्य के अन्तर्गत संभाव्य निक्षेपों का विस्तार और क्षेत्र, उनकी औसत मोटाई, खनिज की संभाव्य मात्रा तथा मूल्य, निक्षेपों के अन्तर्गत खनन योग्य क्षेत्रों का विस्तारण, खान को खोलने, विकसित करने तथा खनन को प्रभावित करने वाली अवस्थाएं एवं खान के विकास के लिए

उपयुक्त विधि का निश्चय आदि महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित हैं। गवेषणा के तीन मुख्य अंग हैं :– तलीय गवेषणा, वेधन (Drilling) तथा भूमिगत गवेषणा।

खनिकर्म के मुख्य विभाग–

खनिकर्म को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है।

- तलीय खनन (Surface Mining)
- जलोढ़ खनन (Alluvial Mining)
- भूमिगत खनन (Underground Mining)

<u>तलीय खनन (Surface Mining)</u> –

इस प्रकार के खनन में धरातल के ऊपर जो पहाड़ आदि हैं, उनकों तोड़कर खनिज प्राप्त किये जाते हैं, जैसे चूने का पत्थर, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, लौह अयस्क आदि। इस विधि में मुख्य कार्य पत्थर को तोड़ना ही है। शिलाएं कठोरता, मजबूती तथा दृढ़ता में भिन्न होती हैं। जो शिलाएं कोमल होती हैं, उनको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसी शिलाओं के उदाहरण जिप्सम, चीनी मिट्टी, सेलखड़ी आदि हैं। जिन शिलाओं में धातुएं मिलती हैं वे अत्यंत कठोर होती हैं, जैसे ग्रेनाईट, डायोराइट आदि। इन शिलाओं को विस्फोटक पदार्थों द्वारा तोड़ा जाता है। प्राचीन तथा मध्यकालीन युगों में खनन की विधियां नितांत अनुपयुक्त थी, धीरे–धीरे खनन विधियों का विकास हुआ और उनमें बारूद आदि का उपयोग होने लगा। विगत एक शताब्दी में डायनेमाइट, जेलिग्नाइट, नाइट्रोग्लिसरीन आदि अनेक प्रकार के अन्य विस्फोटक पदार्थों का विकास हुआ। खनन में विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने के लिए पहले शिलाओं में छिद्र बनाया जाता है तथा उसमें ये विस्फोटक जो कारतूस के रूप में मिलते हैं, रख दिये जाते हैं और विद्युत द्वारा या फ्यूज लगाकर उसमें आग लगा दी जाती है। विस्फोट के साथ ही पत्थर के टुकड़े–टुकड़े हो जाते हैं। फिर इनकों घन आदि से तोड़कर और छोटा कर लिया जाता है, जिससे उन्हें हटाने में सुविधा हो। पत्थरों में छिद्र बनाने के लिए जैक हैमर आदि अनेक प्रकार के वेधन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये यंत्र संपीडित

वायु अथवा किसी द्रव्य ईंधन द्वारा संचालित होते हैं। छिद्रों की गहराई 3–4 फुट तक तथा व्यास डेढ़ इंच से लेकर ढाई इंच तक होता है। कभी–कभी शिलातल पर ऐसे बहुत से छिद्र कर दिये जाते हैं और सब में विस्फोटक कारतूस भर दिये जाते हैं तथा विद्युत द्वारा सभी को एक साथ ही जला दिया जाता है। इससे पूरे का पूरा पहाड़ टूट जाता है। भारत में इस प्रकार के तलीय खनन के उदाहरण चूना पत्थर तथा लौह अयस्क आदि हैं। पत्थरों को हटाने के लिए बड़ी खानों में रेल की पटरियां बिछाकर ठेलों का उपयोग किया जाता है। इस काम में यांत्रिक खुरपे भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुये हैं। ये खुरपे उन पत्थरों को उठाकर बड़े ट्रकों में भर देते हैं। भारत में इस प्रकार के खनन की लागत 5 रूपये से लेकर 9–10 रूपये प्रति टन तक पड़ती है। तलीय खनन में 40–50 फुट गहराई के पत्थर निकाले जाते हैं।

खुले हुए गड्ढों से खनन करके अयस्क तथा खनिज निकालने की विधि तांबा, लोहा, कोयला, चूना पत्थर तथा अन्य औद्योगिक खनिजों के उत्खनन में प्रयुक्त होती है। कुछ अंशों तक यह विधि सोने, चांदी, जस्ता तथा सीसे के खनन में सहायक सिद्ध हुई है। इस प्रकार के खनन में खुदाई करने वाले विशाल यंत्र अयस्क या खनिज को लादकर खान से बाहर ले जाने वाले यंत्र प्रमुख हैं। खुदाई के लिए शक्तिशाली यांत्रिक खुरपों का उपयोग होता है। यह खुरपे विस्फोट द्वारा उड़ाये हुए पत्थरों के टुकड़ों को ट्रक अथवा मालगाड़ी के डिब्बो में भर देते हैं। कम दूरी के लिए खनन गाड़ियों तथा ट्रकों का उपयोग किया जाता है। जो लदे हुए पत्थरों को स्वचालित ढंग से किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। खुली हुई खनिजों के रूप में खनन करने के पूर्व उस क्षेत्र की स्थलाकृति के मानचित्र बनाये जाते हैं और फिर खाइयाँ, परीक्षाणात्मक गड्ढे तथा वेधन द्वारा निक्षेप की मोटाई तथा खनिज की उपलब्ध मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। पानी के निकास की दिशाओं पर भी सावधानी से विचार किया जाता है। खनन कार्य प्रारम्भ होने पर सबसे पहले निक्षेपों पर स्थित मिट्टी हटाने का काम होता है। कभी–कभी बड़ी खानों को खोलने के लिए मिट्टी हटाने में 2–3 वर्ष तक लग जाते हैं। खनन कार्य चोटी से प्रारम्भ होता है तथा एक के बाद एक सपाट बेंचें तब तक काटी जाती हैं जब तक तलहटी नहीं आ जाती। आजकल आधुनिक बोरिंग यत्रों के अविष्कार के

फलस्वरूप 25–30 फुट तक मोटाई की बेंचे काटना सरल हो गया है। इन बेंचों के ऊपर हल्के ट्रक तथा लोहे की पटरियों पर चलने वाले ठेलों के आने–जाने का प्रबन्ध किया जाता है। साधारणतया बेंच बनाने के लिए शिलाओं में कई छिद्र किये जाते हैं तथा विस्फोट करने के लिए लचकीली विस्फोट टोपिकाओं का उपयोग किया जाता है। एक पौंड विस्फोटक पदार्थ से 4 से 15 टन तक शिलाएं टूट सकती हैं। यह मात्रा शिलाओं की दृढ़ता पर निर्भर करती है।

भारत में खुली हुई खानों के रूप में खनन की प्रणाली मुख्यतः चूना पत्थर आदि के लिए बड़े स्तर पर प्रयुक्त होती हैं। जिन खानों में सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर निकाला जाता है। वहॉ 2000 हजार टन तक का दैनिक उत्पादन असामान्य नहीं समझा जाता। बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा आदि में लौह अयस्क उत्खनन में भी इसी विधि का प्रयोग होता है। अन्य अयस्कों तथा खनिजों के अतिरिक्त इस प्रकार खनन प्रणाली कोयले के लिए भी वहॉ प्रयुक्त की जा सकती है जहां कोयले के स्तरों की गहराई अधिक न हो। इस प्रकार कोयले के स्तर की मोटाई से यदि उस पर स्थित मिट्टी की मोटाई दस गुनी तक अधिक होती है तो भी इस प्रकार का खनन आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त ही समझा जाता है।

<u>जलोढ़ खनन</u> –

कुछ प्राचीन नदियों में जो अवसाद एकत्रित हुए हैं उनमें कभी–कभी बहुमूल्य धातुएं भी निक्षिप्त हो जाती हैं। इन अवसादों को तोड़कर धातुओं की प्राप्ति करना इस प्रकार के खनन के अंतर्गत आता है। कभी भी ये धातुएं नदी की तलहटी में मिलती हैं और कई बार इनमें सोने जैसी बहुमूल्य धातुएं पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। कुछ अवस्थाओं में ये अवसाद दूसरे नए अवसादों से ढक भी जाते हैं। तब उन्हें हटाकर धातुओं की प्राप्ति की जाती है। विशेष परिस्थितियों में ये धातुएं संपीडित शैलों (Conglomerates) में भी एकत्रित हुई देखी गई हैं प्रक्षालन निक्षेपों (Placer deposits) के खनन में विशेष रूप से इसे प्रयुक्त किया जाता है। ये शिलाएं मलवा निर्मित (Detrital) होती हैं तथा इनके कणों का आकार भी भिन्न होता है। प्रक्षालन निक्षेपों के प्रमुख उपयोगी खनिज सोना, टिन, प्लैटिनम तथा विरल मिट्टियां हैं।

शिलाओं में इन धातुओं की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। इस विधि में ऊँचे दबाव पर पानी बड़े वेग के साथ नॉजल से निकलता है और शिला पर टकराता है। पानी के टक्कर के फलस्वरूप शिला टूट जाती है तथा सूक्ष्म कणों में विच्छिन्न हो जाती है। पानी की धारा के साथ ये कण आगे चल देते हैं, जहां पानी स्लूस बक्सों जिनमें बाधक प्लेटें लगी रहती हैं, प्रवाहित किया जाता है। बाधक प्लेटों के समीप भारी धातुएं एकत्रित हो जाती हैं तथा धातु कणों से विहीन पानी विछिन्न शिला को लिए आगे बढ़ जाता है।

जलोढ़ खनन विधि में प्रमुख आवश्यकता विशाल मात्रा में जल की होती है। पानी का दबाव 50 से 600 फुट तक हो सकता है। खनन का मूल्य भी कम होता है, क्योंकि इसमें पानी से उत्पन्न शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार खनित पदार्थों की माप घन गजों में की जाती है। बड़े निक्षेपों के खनन में यांत्रिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है तथा कभी–कभी इस विधि से 30 फुट मोटाई के निक्षपों तक का खनन होता है। भारत में जलोढ़ व्यवहॉर में नहीं है। कुछ क्षेत्रों में रेत छानकर तथा धोकर सोना आदि प्राप्त किया जाता है। बिहार में स्वर्णरेखा नदी के तट पर रहने वाले निवासी इस प्रकार सोने की प्राप्ति किया करते हैं।

जलोढ़ खनन की एक अन्य विधि में एक विशेष प्रकार की यांत्रिक नौकाओं का भी प्रयोग होता है। इन नौकाओं में घूमने वाली बाल्टियों की व्यवस्था रहती है जो तलहटी से बालू को खरोच कर नाव पर ला देती है। इस बालू के साथ ही अनेक अपघर्षी खनिज भी आ जाते हैं। जिनकों उपयुक्त विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। बर्मा और मलाया के टिन क्षेत्रों के प्रक्षापालन निक्षेपों के खनन में यही विधि प्रयुक्त की गई है। इस खनन में शक्ति की आवश्यकता तथा इसकी लागत भी यथेष्ट पड़ती है। ये नौकाएं 20 फुट की गहराई तक की बालू खरोंच सकती हैं। इसमें प्रयुक्त बाल्टियों का समावेशन 1/2 से 14 घनफुट तक का होता है।

भूमिगत खनन–

उन अनेक प्रकार के खनिजों तथा अयस्कों के उत्खनन में भूमिगत खनन का सहारा लेना पड़ता है जिनका खुली हुई खानों के रूप में खनन, गहराई पर स्थित होने के कारण आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त अथवा असंभव होता है। यद्यपि भूमिगत खनन में भी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तथापि इन निक्षेपों के खनन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। भूमिगत निक्षेप दो प्रकार के हो सकते हैं।

- **जो स्तर रूप में मिलते हैं, जैंसे कोयला तथा**
- **धात्विक पट्टिकाएं**

इन दोनों प्रकार के निक्षेपों की प्रकृति नितांत भिन्न होती है। इसलिए इनके खनन की विधियां भी सुविधानुसार अलग–अलग होती है। खानों में कार्य आरम्भ होने से पहले पूर्वेक्षण तथा गवेषणात्मक कार्यों को सावधानी से समाप्त कर लिया जाता है। इसके पश्चात् खान का विकास कार्य प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम कूप (Shaft) बनाये जाते हैं। इसका व्यास 10–12 फुट तक हो सकता है। यदि निक्षेपों की गहराई कम होती है। तो प्रवणकों का ही निर्माण कर लिया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो भूमिगत मार्ग तथा गैलरियां भी बना ली जाती हैं जिन शिलाओं से होता हुआ कूप जाता है, यदि वे सुदृढ़ नहीं होती तो इस्पात, सीमेंट आदि के अस्तर की भी आवश्यकता पड़ती है। भूमिगत खनन में कूपों का बड़ा महत्व है, क्योंकि कर्मचारियों का खान में आना जाना, खनित पदार्थों का बाहर आना, वायु का संचालन तथा खान से पानी बाहर फेंकने के लिए पंपों का स्थापन इन्हीं से संचालित होता है। किसी भी खान में कम से कम दो कूप अवश्य होते हैं।

खनिजों तथा अयस्कों को तोड़ने में फावड़े, कुदाली तथा सब्बल अथवा यंत्रों या विस्फोटक पदार्थों की सहायता ली जाती है। प्रयत्न इस बात का किया जाता है कि खनिज की अधिकाधिक मात्रा निकाल ली जाय। किंतु इससे खान में शिलाओं का संतुलन बिगड़ने लगता है। यह बहुत कुछ अंशों तक शिलाओं के लचीलेपन तथा उनकी शक्ति पर निर्भर करता है। खान में शिलाओं का संतुलन बिगड़ने से

बचाने के लिए खान की दीवारों तथा छत को सहारे की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिस स्तर पर कार्य चल रहा है उसमें स्तंभ छोड़ दिए जाते हैं और आसपास से खनिज निकाल लिया जाता है। किंतु इसमें खनिज की काफी मात्रा का ह्रास होता है। इसलिए आजकल प्रयत्न किया जाता है कि खाली स्थानों में बालू अथवा वैसा ही कोई अन्य पदार्थ भर दिया जाए तथा उन स्तंभों का खनिज भी निकाल लिया जाय। यह विधि अधिकांश भारतीय कोयला खानों में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त, लकड़ी, लोहा, कंक्रीट, पत्थर, ईंट आदि भी प्रयुक्त होते हैं। खनिज पदार्थ को खान से ऊपर लाने के लिए पिंजड़े के आकार का झूला, इस्पात के रस्से तथा वाइंडिंग इंजन की आवश्यकता होती है। खानों के अंदर खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए ट्रालियां प्रयुक्त होती हैं, जो अधिकतर लोहे की पटरियों पर चलती हैं। कूप से होकर खान के कर्मचारी भी खान में इन्हीं झूलों से उतरते हैं। कुछ खानों में सीढ़ियां भी काम में आती हैं, जैसे कोडर्मा (बिहार) की अभ्रक खानों में।

भूमिगत खानों में उपयुक्त प्रकाश तथा शुद्ध वायु के आवागमन का प्रबन्ध अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश खानों में अब विद्युत प्रकाश उपलब्ध है। अभ्रक आदि के खानों में मोमबत्तियां भी प्रयुक्त होती हैं। वायु के आवागमन के लिए वायु मार्ग बड़े होने चाहिए तथा वायु का प्राकृतिक प्रवाह नहीं रूकना चाहिए। कुछ स्थितियों में इसके लिए कुछ यात्रिक साधनों की भी आवश्यकता होती है। ये यंत्र खान में शुद्ध वायु का संचालन करते हैं।

खान में कूप खोदते समय, अथवा जल पटल आ जाने पर पानी का प्राकृतिक प्रवाह प्रारम्भ हो जाता है। यह पानी नाली बनाकर एक जगह ले जाया जाता है तथा वहॉ से पम्प द्वारा खान के बाहर निकाल दिया जाता है।

<u>भूमिगत खानों में दुर्घटनाए</u> –

भूमिगत खानों में दुर्घटनाएं भी बड़ी भयावनी होती हैं। इनमें आग लगना एक बड़ी समस्या है। आग की दुर्घटनाएं विषाक्त गैसों के अचानक विस्फोट से, विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से या किसी अन्य कारणवश हो सकती हैं। कोयले की

खानों में आग बुझाना बहुत जटिल होता है। झरिया क्षेत्र की कुछ खानों में वर्षों से आग लगी हुई है। किंतु अभी तक उनकों बुझाया नहीं जा सका है। कुछ दुर्घटनाएं खान में बैठने से या उसमें अचानक पानी भर जाने से हो जाया करती हैं। विगत 27 दिसम्बर 1975 को धनबाद से 27 किमी दूर स्थित चासनाला कोयला खान के 80 फुट ऊपर स्थित पानी के एक विशाल हौज में अकस्मात् 8.35 मीटर छेद हो गया और पानी बड़ी तेजी के साथ भरने लगा। फलतः उस समय खान के भीतर जो 372 मजदूर काम कर रहे थे। वे सब खान के भीतर ही प्रवाह में फंस गये और किसी भी प्रकार से निकाले ना जा सके।[1] इस दुर्घटना से पहले 1973 में जितपुर में 40 मजदूर मर गये थे। हजारीबाग के प्योरीखान में हुई दुर्घटना में 238 मजदूर मरे थे। 1958 में चनाकुटी में एक दुर्घटना हुई थी। जिसमें 176 लोग मरे थे।

खनन इंजीनियरी के आधुनिक विकास के फलस्वरूप इन दुर्घटनाओं तथा अन्य सभी समस्याओं को कम करने के यथासाध्य सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन खनन सैन्य दल, जो पूर्ण रूप से सुसज्जित रहा है, धन और जन की रक्षा में अपूर्व सहयोग देता है। प्रत्येक खनन क्षेत्र में इस सेवा के लिए केंद्रों की व्यवस्था रहती है। चासनाला की दुर्घटना में पानी के निकास के लिए अनेक देशों ने पंपादि यंत्र भेजकर सहायता की।

खानों का काम सुचारू रूप से संचालित होता रहे इसके लिए देशों की सरकारें कानून बनाती हैं। इन कानूनों में कर्मचारियों की सुरक्षा स्वास्थ्य, खनन में उपयुक्त विधियों का उपयोग तथा अन्य संबन्धित विषय रहते हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए भी प्रत्येक देश में और लम्बे समय से भारत में भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। जिससे उनके सुख, सुविधा और सुरक्षा के साधनों में वृद्धि हो।

<u>खनन राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा</u> –

उत्तर प्रदेश में खनन का काला कारोबार राज्य की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बसपा सरकार में मायावती के घरेलू सेवक से मंत्री बने

[1]DR. S.H. Garg, Disaster Management, 2018 , Page no.82

बाबूसिंह कुशवाहा और अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में गरीबी की रेखा से नीचे वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से खनन मंत्री बने गायत्री प्रसाद प्रजापति की राजनीतिक हैसियत अपनी अपनी सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों जैसी हो गई थी। दोनों मंत्रियों के ऊपर अपनी अपनी सरकारों में खनन के काले कारोबार में अकूत सम्पदा कमाने के और अपने राजनीतिक आकाओं तक भी पहुॅचाने के भी आरोप लगाये गये। यह अलग बात है कि इन दोनों को अलग–अलग कारणों से जेल जाना पड़ा था। लेकिन खनन के अवैध कारोबार के लिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई उल्टे सरकारों की ओर से इन्हें संरक्षण ही दिया गया।

अखिलेश सरकार के काल में खनन की अवैध कारगुजारियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत हुई थी। अदालत ने खनन के गोरखधंधे की सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2013 के एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन के नए आवेदनों की मंजूरी पर रोक लगा दी थी। फिर भी अवैध खनन रूका नहीं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने के साथ सरकारी खजाने को भी चपत लगती रही। जिससे खनन के काले कारोबारी अरबपति बनते रहे। और अपनी राजनीति शक्ति बढ़ाते रहे।[2]

चुनावी साल में यूपी की राजनीति के खिलाड़ियों की 'ऊपरी' आमदनी का एक बड़ा स्रोत सूखने लगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश ने अवैध खनन में लगे माफियाओं, राजनेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने की उम्मीद जगा दी। मनोज कुमार की उपकार में एक गाना था, 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे–मोती।' बहुत साल तक यह गाना सरकारी और गैर–सरकारी कार्यक्रमों में देशभक्ति के आदर्श गीत की तरह बजता रहा। देश की धरती का तो पता नहीं लेकिन, हाल के वर्षों में इस गीत के बोल कुछ शाब्दिक बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की नदियों के लिए एकदम सार्थक साबित हो गए हैं। अवैध बालू और मौरम खनन के जरिए इन नदियों से रोज करोंड़ों की काली कमाई की जा रही है।

[2] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 11 मार्च 2018

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश ने उम्मीद जगा दी कि बालू–मौरम से अपने घर सोना भरने वाले माफियाओं, राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस सकेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह छः सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। जांच के दायरे में सरकारी अधिकारियों की भूमिका को भी शामिल करने को कहा गया है।

एक अनुमान के मुताबिक इस काले कारोबार के जरिए उत्तर प्रदेश में हर महीने 100 से 200 करोड़ रूपए की ऊपरी कमाई हो रही है। बांदा, हमीरपुर और महोबा जिलों में ही हर महीने 10 हजार से ज्यादा ट्रक और 1500 से ज्यादा डम्पर नदियों से निकली मौरम की ढुलाई में लगे हुए हैं। सहारनपुर, बागपत और नोएडा जैसे जिले भी अवैध खनन में इन जिलों से पीछे नहीं हैं और कुछ यही हाल जालौन, चित्रकूट, झांसी, उरई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर और फतेहपुर आदि जिलों का है।

हाल के वर्षों में निर्माण उद्योग में तेजी से विकास के साथ अवैध खनन का कारोबार भी परवान चढ़ा। इसे राजनेताओं का भी वरदहस्त मिला। मायावती की सरकार के दौरान उनके विश्वस्त माने जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा खनन मंत्री के रूप में इस अवैध कारोबार को संगठित संरक्षण देते रहे। इसके बाद सरकार बदली और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई मगर यह काला कारोबार जस का तस बरकरार रहा। बसपा से जुड़े जो लोग तब इस कारोबार के कर्ता–धर्ता थे, वे या तो बरकरार रहे या फिर उनकी जगह नए समाजवादी नेताओं ने ले ली।[3]

कुल मिलाकर राज्य के राजस्व पर गहरी चोट करने वाला और सूबे के पर्यावरण तथा नदियों की पारिस्थितिकी को तबाह करने वाला काली कमाई का यह गोरखधंधा चलता रहा। हां इस धंधे में 'ऊपर का हिस्सा' कुछ ज्यादा भारी हो गया। सपा की सत्ता के दौरान बार–बार सरकार और सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापती पर अवैध खनन को संरक्षण देने और अवैध खनन में

[3] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 04 अगस्त 2016

हिस्सेदार होने के आरोप लगते रहे। मगर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। उल्टे गायत्री प्रसाद प्रजापति का रूतबा पार्टी और सरकार में बढ़ता चला गया। उनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत गई तो उसे अनदेखा कर दिया गया। एक शिकायत कर्ता नूतन ठाकुर ने जब मामले को ज्यादा तूल देने की कोशिश की तो उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर को बलात्कार के एक फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास हुआ।

सीएजी के 2011 की रिपोर्ट में सिर्फ बुन्देलखण्ड से ही खनिज रॉयल्टी के रूप में 258 करोड़ रूपए की चोरी पकड़ी गई थी और वन विभाग को 300 करोड़ की हानि होने की बात कही गयी थी। तब इस बात को लेकर काफी हल्ला हुआ, मगर यह कारोबार रूकने के बजाय और बढ़ता चला गया। इस अवैध खनन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाई न होने के कारण अनेक संगठनों ने अदालत का सहारा लिया है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अवैध खनन के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देकर एक उम्मीद सी जगा दी है। अदालत ने इस मामले को अपनी निगरानी में रखने का निर्देश दिया है। इससे भी खनन अपराधियों में खलबली मची है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को एक आदेश के जरिए उत्तर प्रदेश में नदियों से खनन के सारे पट्टे रद्द कर दिए गये। कायदे से इसके बाद यह खनन बंद हो जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अदालत के सामने राज्य सरकार ने कहा कि सूबे में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। अदालत ने सैटेलाइट मैपिंग के जरिए अवैध खनन की जांच का निर्देश दिया था। मगर सरकार ने उस पर भी असमर्थता जाहिर की। इसी सब को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर अदालत की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। मामले की गंभीरता और सरकार की नियति देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी के शुक्ला एवं न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी की पीठ ने विजय कुमार द्विवेदी और कुछ अन्य की ओर से दायर एक

जनहित याचिका के परिपेक्ष में 28 जुलाई 2016 को अपनी निगरानी में प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए।[4]

हालांकि प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट के उपरोक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अगर सीबीआई जांच शुरू होती तो सबसे ज्यादा मुश्किलें उसी के लिए होनी हैं क्योंकि इस गोरखधंधे में 'ऊपर' का हिस्सा सबसे भारी होता है। परन्तु सरकार को मुँह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।[5]

सामान्यतः एक ट्रक में 25 से 30 टन मौरम भरी जाती है। पहले नौ टन की ही इजाजत थी मगर डबल पर्ची के जरिए अब उससे तिगुनी मौरम डाली जाती है। इस अवैध कारोबार का नियम यह है कि ट्रक को बाहर ले जाने के लिए यह सबसे पहले ट्रक में लदे असली वजन पर 90 रूपए प्रति घन मीटर के हिसाब से एक 'कोडेड' पर्ची प्राप्त करनी होती है। यही पर्ची 'ऊपर' का हिस्सा है और इसमें किसी तरह की हेराफेरी नहीं की जा सकती है। इसके हासिल हो जाने के बाद ही रॉयल्टी की सरकारी पर्ची कटती थी। जो 60 रूपए घनमीटर की होती थी। इस पर्ची में मात्रा कम ज्यादा भी हो सकती थी। और इन दिनों तो यह काटी ही नहीं जा रही थी। सरकार के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक पिछली सरकार में 'ऊपर' का हिस्सा 20 से 30 रूपए प्रति घनमीटर था। और उसमें भी हेराफेरी की गुंजाइश थी। लेकिन अब रेट भी बढ़ गया है और कोडेड पर्ची के कारण बेईमानी की गुंजाइश भी खत्म हो गई।

हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद खनन माफिया और खनन अधिकारियों में हलचल हुई और खनन के गड्ढों को उन्हीं मशीनों से भरने की कोशिश की गयी, जिनसे उन्हें खोदा गया था। साथ ही खनिज विभाग के रिकार्डों में भी हेराफेरी करने का काम शुरू हो गया।

[4] Https:/khabar.ndtv.com, 28 july 2016 23:27 IST
[5] www.india24X7.online, 12 jan 2017

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के विरूद्ध आवाज उठाने वाले जिला हमीरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं एडवोकेट विजय द्विवेदी अपने दिये गये साक्षात्कार में बताया कि जिला हमीरपुर में अवैध को बढ़ावा देने में पूरा प्रशासन खनन माफियाओं का सहयोग करता है। हांलाकि इसको रोकने के लिये सरकार ने समय–2 पर अनेक कदम उठाये परन्तु वो सब कागजों पर ही रहे यथार्थ स्थल पर अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। उन्ही की एक याचिका पर अवैध खनन पर सुनवाई करते हुए 2015 में हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश के खनन पर रोक लगा दी थी। इस पर सरकार ने विकास का हवाला देकर कोर्ट से खनन बहाल करने की मॉग की। साथ ही सरकार ने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।

हमीरपुर में खनन की स्थिति यह है। कि वहॉ खनन धड़ल्ले से होता है वैध एवं अवैध दोनों ही प्रकार से। खनन हेतु सरकारी नियम के अनुसार तीन फुट गहराई तक ही खनन किया जा सकता है। परन्तु वहॉ पर तो सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खनन हेतु दो सौ फुट गहराई तक से भी अधिक खनन कर दिया जाता है तथा उन गढ्ढों में नदी के पानी को काटकर भर दिया जाता है पानी भरा होने के कारण वहॉ पर अवैध खनन की गहराई का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है ऐसे में यदि वहॉ पर कोई मनुष्य, जानवर आदि आ जाये तो उसकी उस गढ्ढे में डूबकर मौत होना आम बात है। उसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। बरसात के मौसम में जब खनन बन्द कर दिया जाता है और नदियों में बाढ़ के चलते वो गढ्ढे पुनः रेत से भर जाते है और इस तरह से खनन के अवैध कारनामों नदियों की रेत द्वारा हर बार दफना दिया जाता है।

चित्र– उत्तर प्रदेश में अवैध खनन को बयां करती, हमीरपुर जिले की तस्वीरें

यही नहीं जिन क्षेत्रों में बालू और मौरम होते हैं वो वहॉ के जलस्तर को ऊपर बनाये रखने में मदद करते है। ऐसे में यदि उन क्षेत्रों में भारी मात्रा में इनका

खनन किया जाये तो वहॉ के जल स्तर में भी कमी हो जाती है और हमीरपुर सहित पूरा बुन्देलखण्ड इसी समस्या से जूझ रहा है।

वैसे इस मोटी कमाई के गोरखधंधे से जिस तरह के तत्व जुड़े हैं वे सीबीआई की आंखों में भी धूल झोंकने का प्रयास जरूर करेंगे। पहले भी खनन माफिया इस धंधे के खिलाफ कार्यवाई करने वाले अधिकारियों को निपटा चुके हैं या हटवा चुके हैं। वे कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आतंकित करके चुप करवा चुके हैं। फिर हाईकोर्ट का आदेश भी ऐसे वक्त में आया। जब बरसात के कारण खनन बंद होता है और खनन के ज्यादातर दाग नदियों के बड़े हुए जलस्तर के साथ खुद–ब–खुद मिट जाते हैं। मगर चूंकि अब मामला हाईकोर्ट की निगरानी में होने वाली सीबीआई जांच का था। इसलिए यह सम्भावना बढ़ गई कि खनन के दागियों पर नकेल कसेगी। इससे यह भी कहा जा सकता है कि इस चुनावी वर्ष में राजनीति के खिलाड़ियों की 'ऊपरी' आमदनी का एक बड़ा स्रोत अब सूखने लगा।[6]

पिछली सरकारों की तरह योगी सरकार भी अवैध खनन के मोर्चे पर नाकाम क्यों दिखने लगी है? यह प्रश्न वाकई में सरकार पर सीधा कटाक्ष करता है, क्योंकि घोषणा पत्र के वादे के कारण ही यह पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। लोगों को लगता था कि सच में समाज को नई विकास की राह मिलने वाली है, एक ऐसी राह जिस पर विकासरूपी फूल ही फूल होंगे भ्रष्टाचार रूपी कांटों का कहीं नाम तक नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कई बातें थीं। इनमें से एक थी राज्य में समाजवादी सरकार के दौरान सरकारी संरक्षण में चल रहे अवैध खनन को पूरी तरह से बंद करने के साथ–साथ खनन माफियाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की घोषणा। भारी बहुमत

[6] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 04 अगस्त 2016

के साथ मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को दोहराते हुए राज्य को अवैध खनन से निजात दिलाने का वादा किया था।[7]

मगर योगी सरकार के तीन साल पूरा होने के बाद भी स्थितियां जस की तस हैं। बल्कि व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो आम लोगों की तकलीफें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। भवन निर्माण सामग्री के दामों में भी कोई खास गिरावट नहीं आई। खनन माफियाओं की हरकतें भी ज्यादा बेलगाम हो गई हैं। नई सरकार माफियाओं पर अंकुश लगाने में इस कदर असफल दिख रही है कि अब कई इलाकों में ग्रामीणों से खनन माफियाओं का सीधा टकराव शुरू हो गया है।

बागपत को ही लें, यहां के निवाड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों किसान खनन माफियाओं के खिलाफ आर–पार की लड़ाई के लिए लामबंद हो रहे हैं। बागपत में खनन माफियाओं का विरोध करने पर खनन कर रहे गुंडो ने अंधाधुंध फायरिंग की थी जिससे कई किसान घायल हो गए। इस पर किसान भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब किसानों ने पंचायत कर फैसला किया है कि चाहे उनकी जान चली जाए पर वे अब वहॉ अवैध खनन होने नहीं देगें।

फरवरी (2018) के अंतिम हफ्ते में एक और अहम खबर आई, राज्य के महाराजगंज जिले की फरेंदा तहसील के एसडीएम आरबी सिंह को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापामारी के दौरान कुचल कर मार डालने का प्रयास किया गया। वे स्थानीय पुलिस के साथ बरातगाढ़ा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए गये थे। लेकिन खनन माफिया ने उन्हें ठीक उसी तरह से कुचल कर मार डालने का प्रयास किया जिस तरह 2009 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या ट्रैक्टर से कुचल कर की गई थी।

इससे पहले बीती 31 दिसम्बर 2017 को आई एक खबर ने भी सबका ध्यान खींचा था। लखनऊ में एक शख्स अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने कूद गया था। श्याम मिश्रा नाम के इस युवक का आरोप था कि सोनभद्र

[7] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 11 मार्च 2018

में भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष अवैध खनन में शामिल है और उसकी शिकायत की कहीं सुनवाई नहीं हो रही।

उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति– 2017

नई खनन नीति के तहत योगी सरकार ने खनन नीति, 2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ नामक एक अधिनियम बनाया है। इस खनन नीति के तहत खनन नीति के मूलमंत्र, खनन नीति के उद्देश्य, परिचय, उद्देश्य पूर्ति की रणनीति, खनिज अन्वेषण, खनिज विकास की वर्तमान स्थिति, खनन प्रशासन की विधिक व्यवस्था, खनिज परिहार स्वीकृत करने की नीति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन, खनन प्रशासन का सुदृढ़ीकरण आदि की व्यवस्था की गई है।

खनन नीति के मूलमंत्रः–

राज्य सरकार द्वारा सुशासन (Good Governance) एवं भ्रष्टाचार मुक्त (Anti curruption) के मूल मंत्रों पर आधारित नीति बनाने का संकल्प है जिसमें निम्न मंत्र हैं–

क. पारदर्शिता **ख.** कानून का राज **ग.** समता **घ.** प्रभावी

ड. आम सहमति **च.** उत्तरदायी **छ.** भागीदारी।

उपरोक्त मंत्रों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा खनिज सेवा के सभी निम्नलिखित तत्वों को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

क. खनिजों के विषय में जागरूकता (Awareness)

ख. सर्व सामान्य की खनन एवं खनिजों तक पहुॅच (Accesibility)

ग. सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता (Abailability)

घ. खनिजों का मूल्य जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो (Affordablity)

ड.उपरोक्त के आधार पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता (Acceptability)

खनन नीति के उद्देश्यः–

खनन नीति 2017 को निम्न उद्देश्यों के लिए प्रख्यापित की गई है।

(i) खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास (Sustainable Soico Economic Development)

(ii) खनिजों का संरक्षण (Mineral Conservation)

(iii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology) का संतुलन बनाए रखना।

(iv) खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश (State's Own Reasouces) 1.85 प्रतिशत को बढ़ाकर आगामी 05 वर्षों में 3 प्रतिशत किया जाना है।

(v) अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की कार्यवाही।

(vi) खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा।

(vii) खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।

(viii) खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित है, हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना।

(ix) इच्छुक उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना/आंकड़ों की उपलब्धता कराना।

(x) खनिज विकास प्रक्रिया में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास।

(xi) खनिज विकास हेतु आधुनिक अन्वेषण तकनीक के माध्यम से नये खनिज भण्डारों के अन्वेषण में तीव्रता।

(xii) खनिजों के परिहार की स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ई–टेण्डरिंग/ई–नीलामी/ई–विडिंग प्रणाली लागू किये जाने तथा खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरलीकृत करते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।

(xiii) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन।

नई खनन नीति एवं सरकार– इस तरह से योगी सरकार ने राज्य को अवैध खनन मुक्त बनाने के लिए इसी तरह की योजनाएं चलाई। जिससे राज्य का उत्तम विकास हो सके और जन जन तक रोजगार और उसके अवसर प्राप्त हो सकें। लेकिन क्या योगी सरकार ऐसी योजनाओं को लागू करके प्रदेश को अवैध खनन के प्रकोप से बचा पाने में सक्षम सिद्ध हुई है या नहीं।

2017 के विधानसभा चुनाव में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा था और भाजपा ने उसे खूब हवा भी दी थी। सरकार बनने के बाद पार्टी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में तीन मंत्रियों की एक समिति बनाकर उत्तर प्रदेश के नई खनन नीति का प्रस्ताव तैयार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सहमति के बाद 30 मई 2017 को नई खनन नीति की घोषणा की गई। इस नीति में ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन, सरकारी निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी खनन, रेत, मौरम आदि का उल्लेख है। उपखनिजों तथा इमारती पत्थर व ग्रेनाईट आदि के खनन के लिए नई व्यवस्था लाई गई। खनन पट्टों के लिए **ई–टेंडरिंग** व्यवस्था लागू की गई। अवैध खनन अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय गठित करने की बात भी इस नीति में थी।

नई नीति में अवैध खनन पर प्रति हेक्टेयर जुर्माना पच्चीस हजार से बढ़ाकर पांच लाख रूपए और अधिकतम सजा 6 महीने से बढ़ाकर 5 साल करने की भी बात कही गई थी। इस नीति के जरिए राज्य में कुल राजस्व में खनन की आय का

हिस्सा 1.3 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इस नीति के तहत जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए थे और ओवर लोडिंग पर रोक की भी बात की गई थी।[8]

नई नीति में ई–टेंडरिंग के जरिए माफियाओं पर रोक लगाने की बात भी कही गई थी। लेकिन दिसम्बर 2017 में इसके लागू होने के बाद से स्थितियां और उलझ गईं हैं। ई–टेंडरिंग के कारण दूसरे राज्यों से खनन के और बड़े खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। बड़े खिलाड़ियों ने टेंडर की दरें मौजूदा दरों से तीन से चार गुना भरी हैं। इसके कारण पहले से काला कारोबार कर रहे स्थानीय खिलाड़ी कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गये लेकिन अब ये पुराने धंधेबाज नए इलाकों में अवैध खनन करके हर महीने करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। और सरकार की नीति को मुंह चिढ़ा कर अपनी कमाई बरकरार रखने में जुट गए हैं। जाहिर है इस काम में उन्हें स्थानीय पुलिस से लेकर राजनेताओं का सहयोग मिल रहा है।

खनन माफिया की धमक इसी बात से समझी जा सकती है कि बागपत में भाजपा विधायक और पार्टी के ही एक दूसरे नेता के हितों का टकराव किसानों से ताजा संघर्ष का कारण बना है। इसी तरह राजस्व बढ़ाने के लिए कई जिलों में संवेदनशील इलाकों में भी खनन पट्टे दिये जा रहे हैं। कुशीनगर जिले में तो गंडक के अहिरौलीदान पिपराघाट के तटबंध पर खनन पट्टा जारी करने के खिलाफ बाढ़ अनुसंधान के मुख्य अभियन्ता ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पट्टा रद्द करने की मांग तक कर डाली है। इसी तरह की शिकायतें अन्य कई जिलों से भी आ रही हैं।

हालांकि सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ओवर लोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। लेकिन, पुराने खिलाड़ी इससे बचने के लिए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। झांसी में गठौरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने नदी तट से अवैध खनन रोकने के लिए बालू लाने वाले रास्तों में मशीनों से बड़े गड्ढे खुदवा दिए ताकि ट्रकों की आवाजाही बंद हो जाए। योगी सरकार ने अवैध खनन के

[8] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 11 मार्च 2018

खिलाफ छापेमारी भी तेज की है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल न होने के कारण नाममात्र के काम कर रहे हैं। खनिज विभाग की लचर कार्यवाई के चलते इसका कोई प्रभावी असर दिख नहीं रहा है।

योगी सरकार के लिए यह मुद्दा गले की हड्डी बनता जा रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार में खुद योगी आदित्यनाथ के पास ही खनन विभाग की जिम्मेदारी है। जबकि खनन के काले कारोबारी और उनके चेले नई सरकार में या तो चोला बदलकर भगवा हो गए हैं या फिर उन्होंने आसानी से अमीर बनने के प्रलोभन के जरिए सत्ता के रंग वाले लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। कांग्रेस के विधायक और विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अखिलेश सरकार के दौरान रामपुर में अवैध खनन पर कार्यवाई न करने के आरोप में वर्तमान में गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रोतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राजेश कुमार प्रथम के खिलाफ कार्यवाई का आदेश दिया गया था। उस पर योगी सरकार दो महीने तक चुप्पी साधे रही। अब फिर जब हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है तो 26 जनवरी 2018 को उन्हें आरोप पत्र दिया गया। ये सरकार अवैध खनन रोकने में कितनी गम्भीर है, इसका पता इस बात से चल जाता है।''

राज्य सरकार बालू–मौरम आदि के दामों में पिछले डेढ़ वर्ष में हुई तीन गुनी से ज्यादा वृद्धि को रोक भी नहीं पा रही है। न ही वह खनन माफियाओं पर नकेल कस सकी है। हालांकि सरकार अब भी दावा कर रही है कि वह हर हाल में अवैध खनन बंद करके दम लेगी। मगर खनन माफियाओं को उम्मीद है कि उसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समिट के बाद राज्य में होने जा रहे सम्भावित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामाग्री का एक लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होना है। खनन माफियाओं के अच्छे दिन आने के सपने पर कैसे पानी फेरा जाए, योगी सरकार के लिए यह निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है।[9]

[9] गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 11 मार्च 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 30 मई 2017 को हुई कैबिनेट बैठक में नई खनन नीति को मंजूरी दी गई।[10] अब प्रदेश के कुल राजस्व में खनन की हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार खनिजों की निकासी पर अब 1 प्रतिशत अतिरिक्त सेस भी वसूलेगी। सरकार ने खनन की मियाद भी बढ़ा दी है। अवैध खनन पर जीपीआरएस के जरिए निगाह रखी जाएगी। साथ ही खनन के लिए पट्टे ई–टेंडरिंग, ई–बिल्डिंग और ई–ऑक्शन के जरिए ही दिए जाएंगे।[11]

खनन नीति का मुख्य उद्देश्य खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास, खनिजों का संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना, खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के अंश को 1.8 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी पांच वर्षों में तीन प्रतिशत किया जाना, अवैध खनन व परिवहन पर तकनीकी के प्रयोग से नियंत्रण एवं इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना, खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाना, खनिज उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, खनिज आधारित आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने, खनन विकास पूंजी निवेश एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, खनिजों के परिहार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई–टेंडरिंग, ई–ऑक्शन एवं ई–वेडिंग की प्रणाली को लागू करना आदि है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खनिजों के व्यावसायिक रूप से दोहन के लिए उनके अन्वेषण में तीव्रता लाना, निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना, खनन प्रशासन की प्रक्रिया को सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना, उप खनिजों के खनन में खनन पट्टों तथा अनुज्ञा पत्रों को ई–टेंडर, ई–नीलामी एवं ई–बिडिंग के माध्यम से दिया जाना, खनिज आधारित सूचना के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आधारभूत सुविधाएं जैसे–प्रत्येक जनपद

[10] http://m.patrika.com, 31 may 2017 , 07:19 pm (IST)
[11] नवभारत टाइम्स, 30 मई 2017, 10:47 आईएसटी

में एक लाभ रहित न्यास जिला खनिज फाउण्डेशन की स्थापना, अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल तथा विभागीय सुरक्षा बल के गठन की रणनीति बनाई गई है।

योगी सरकार ने खनिज प्रशासन के सम्बन्ध में भारत सरकार संगत अधिनियम एवं नियमावलियों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने सम्बन्धी नियमों में किए गये संशोधनों, भारत सरकार की मॉडल खनन नीति एवं अन्य राज्यों में प्रभावी खनन नीतियों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्र पर आधारित अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं खनिजों के विषय में जागरूकता लाने, सर्वसामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच एवं उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह सुदृढ़ एवं पारदर्शी नीति तैयार की गई है।

अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार सैटेलाईट मैपिंग, जीपीएस और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। खनन में लगे वाहनों की निगरानी जीपीएस के साथ सीसीटीवी से होगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए रॉयल्टी जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही खानों, खनन पट्टों और खनिज ढोने वाले वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अवैध खनन और उसका ट्रांसपोर्ट रोकने के लिए विभागीय पुलिस बल और सचल दल बनाया जाएगा।

अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग एक मोबाइल ऐप भी डेवलप करेगा, जिस पर नागरिक अवैध खनन की शिकायत कर सकेंगे। अवैध खनन की जानकारी देने वाले नागरिकों को इनाम भी दिया जाएगा।

पुराने पट्टा धारकों का रिनिवल नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हें ई–ऑक्शन में कुछ सुविधाएं दी जाएगी। टेंडर खुलने के बाद सबसे ऊँची बिड लगाने वाले से पुराना पट्टेदार ज्यादा बिड ऑफर करता है, तो पट्टा उसे दे दिया जाएगा। विभाग ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं की सूची बनानी शुरू कर दी है। इस सूची में डिफाल्टर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ रणनीति बनाकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने 20 दिन के भीतर खनन पट्टों के लिए 'ई–टेंडरिंग' प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों से कहा कि ''अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ रणनीति बनाकर काम किये जाने की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा, ''प्रदेश में खनन पर लगी रोक से विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि अल्प अवधि में अधिकतम 10 मई 2017 तक खनन पट्टों के लिए ई–टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया पूरी किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, ''यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस पर कोई उंगली न उठा सके और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान भी न हो। कार्यवाई ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाई के लिए एक अच्छी टीम लगाकर पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए और खनन पट्टों के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग राजस्व का बड़ा स्रोत हो सकता है। किन्तु विभाग से राजस्व की प्राप्तियां काफी कम हैं। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का उल्लेख है। इसमें साफ कहा गया है, ''अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सुदृढ़ खनन नीति की

रचना की जाएगी और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अब तक के अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दंडित किया जाएगा।[12]

सरकार के सख्त रवैये के बावजूद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के सख्त रवैए के मद्देनजर बांदा पुलिस के गोपनीय अभियान में बालू से भरे 125 ट्रकों को जब्त किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल ने बताया कि बीजेपी सरकार के निर्देश पर यह कार्यवाई की गई। इस दौरान बालू से भरे 125 अवैध ट्रक जब्त किये गये थे।

उन्होंने बताया कि खनन माफियों को इस कार्यवाई की भनक लग गई थी। वरना और भी ट्रक जब्त हो सकते थे। गौरतलब है कि पदभार संभालते ही डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने बांदा जिले के गिरवां क्षेत्र में गोपनीय ढंग से दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भेजा था, जिन पर बालू माफिया और पुलिस कर्मियों ने हमला कर दिया था। तभी से डीजीपी की त्योरियां चढ़ी हुई थीं।[13]

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पार्टी के विधायक अजय सिंह लल्लू के जेल भेजे जाने के विरोध में योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवरिया जिले में हो रहे अवैध बालू खनन का पार्टी विधायक लल्लू ने विरोध किया तो योगी सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। जिस जगह पर अवैध बालू खनन हो रहा है। उससे करीब 36 गांवों की जनता प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर एवं वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि नियम के विपरीत देवरिया में बालू खनन हो रहा है। जबकि गांव के पास 200 फिट के अंदर खनन नहीं होना चाहिए पर 185 फिट के अंदर खनन हो रहा है। जिसका योगी सरकार ने लाइसैंस दे रखा है। इसी के विरोध में पार्टी के विधायक अजय सिंह लल्लू ने विरोध कर धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद उन्हें उल्टा जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि तीन दिन के

[12] एनडीटीवी, 19 अप्रैल 2017, 11:54 आईएसटी
[13] एनडीटीवी इंडिया, 9 फरवरी 2018 6:24 आईएसटी

अंदर अजय सिंह लल्लू को जमानत मिलती है तो ठीक है नहीं तो कांग्रेस प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी।[14]

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन के चलते पूरे प्रदेश में मौरम और बालू पर सालों से लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। विकास कार्यों को तेज रफ्तार देने के लिए इसको 1 अक्टूबर 2017 से खनन करने का ऐलान किया गया। इस संबन्ध में विभागीय कार्यवाई की गयी।[15]

जानकारी के मुताबिक खनन विभाग की ओर से इस पर सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बालू और मौरम की उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2017 से पुनः खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं खनिकर्म विभाग के डायरेक्टर डॉ. बलकार सिंह के अनुसार 1 अक्टूबर से पूर्व स्वीकृत लगभग 200 खनन परमिटों के क्षेत्रों में खनन दोबारा शुरू हो जाने से बालू और मौरम की कमी पूरी हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्षा काल में खनन कार्य प्रतिबंधित होने के कारण बालू और मौरम की उपलब्धता में कमी आ जाती है। मौरम और अन्य उप खनिजों के खनन योजना तत्काल स्वीकृत होने के लिए भूतत्व निदेशालय द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जा चुकी है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र जल्द ही नियमानुसार दिए जाएंगे।

वहीं खनन पर लगी रोक हटने से दामों में भारी कमी आएगी क्योंकि अभी प्रदेश भर में कंट्रक्शन फील्ड में जोरदार डिमांड के चलते बालू और मौरम मध्य प्रदेश से मंगवाया जाता है। जिसकी वजह से महंगा पड़ता है। इसका असर सीधे तौर पर निर्माण पर भी पड़ता है। अब यूपी में खनन शुरू हो जाने से इनके दामों में कमी आएगी जिससे निर्माण सस्ते होंगे।[16]

---

[14] पंजाब केसरी, 12 अप्रैल 2018

[15] पंजाब केसरी, 20 सितम्बर 2017

[16] पंजाब केसरी, 20 सितम्बर 2017

अवैध खनन में रोक लगने के बाद बालू और मौरम की उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2017 से फिर से खनन कार्य शुरू किये गये। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में रियल स्टेट कारोबार के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जग गयी।

खनन पर रोक लगने से बालू और मौरम के दाम आसमान छूने लगे थे। मौरम की कीमत 55 रूपए से बढ़कर 140 रूपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई थी। ऐसे में लोगों के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया था। वहीं मकान बनाने का सपना संजोये लोगों के लिए यह खबर राहत देने वाली साबित हुई।

गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के रमवापुर निवासी रेत कारोबारी अजय मिश्रा (32 वर्ष) बताते हैं कि, ''इधर कुछ महीनों से धंधा पूरी तरह से खराब हो गया है। पहले दो से तीन ट्राली मौरम रोज बेंच देता था, लेकिन अब तो आधी ट्राली बेंचने में सप्ताह भर का समय लगता है। खनन से रोक हटाने के बाद अब उम्मीद जगी है। एक बार फिर निर्माण कार्य में तेजी आयेगी।

कासगंज के सोरों के गांव मिर्जापुर निवासी ओमप्रकाश का कहना है कि, ''बालू न मिलने के कारण हमारे मकान का निर्माण कार्य रूका हुआ है। अगर एक अक्टूबर को बालू खनन पर रोक हट जाएगी और दुकानों पर बालू आ जाएगी तो फिर हम अपना मकान बनवाना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्देशक डॉ. बलकार सिंह बताते है कि, ''1 अक्टूबर से पूर्व स्वीकृत लगभग 200 खनन परमिट के क्षेत्रों में पुनः खनन कार्य शुरू हो जाने से मौरम की कमी पूरी हो जाएगी। वर्षाकाल (जुलाई से सितम्बर माह) में खनन कार्य प्रतिबंधित होने के कारण मौरम की उपलब्धता में कमी आ जाती है।

इस समय बाजार में निर्माण सामग्रियों में मौरम की भारी कमी है। जो मौरम मध्यप्रदेश से आ रही है, उसके दाम बहुत अधिक हैं। ऐसे में रियल स्टेट के कारोबारियों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। होल सेल के व्यापारी बहुत कम मौरम मांग रहे थे।

एमआई बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड के सीनियर सेल मैनेजर दिवेन्द्र सिंह बताते हैं कि, ''खनन पर रोक लगाने से रियल स्टेट कारोबार में काफी मंदी आ गयी थी। अब खनन से रोक हट रही है तो उम्मीद है कि काम रफ्तार पकड़ लेगा। हमारे कई साइट पर काम रूके थे, जिनके शुरू होने की संभावना है।''

खनन पर रोक लगाने से इस महंगी मौरम की मार केवल बिल्डिंग बनवाने वालों पर ही नहीं पड़ी, बल्कि इससे सम्बन्ध रखने वाले ट्रेडर्स, मिस्त्रियों, श्रमिकों और इस व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यक्तियों पर पड़ी। खनन पर रोक हटाने पर जौनपुर के गोधना गांव के जिला पंचायत सदस्य भानुप्रताप सिंह का कहना है कि, ''मैने अपने मकान का निर्माण बंद करवा दिया था, खनन पर रोक हटने से बालू के उपलब्ध होने से सहूलियत मिलेगी। अब अगले महीने से काम शुरू कराऊंगा।

गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के गांव रक्षवापार निवासी वशिष्ठ ने बताया कि, ''मौरम का दाम इतना अधिक हो गया था कि मकान बनवाने की योजना धरी की धरी रह गयी थी। अब शायद बालू और मौरम के दाम में कुछ कमी आए तो घर बनवाया जाए।

वहीं जौनपुर के मछली शहर के बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर हनुमन्त पाण्डेय का कहना है कि, ''खनन पर रोक लगाने से दुकानदारी ठप हो गयी थी, ग्राहक वापस लौट रहे थे। अब कुछ उम्मीद जगी।

नियमों में किया गया संशोधन–

विभाग के निर्देशक डॉ. बलकार सिंह ने आगे बताया, ''जनहित कार्यों के लिए उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है। इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को खनिज क्षेत्र आवंटित किये जा रहे हैं। लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर, कारपोरेशन आदि को भी खनन क्षेत्र उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित करने का प्राविधान किया गया है। यूपीडा और एनएचएआई को खनन क्षेत्रों को आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की पांचवी बैठक में खनन माफियाओं पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया था। योगी सरकार ने हर जिले में खनन फाउन्डेशन बनाने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा गया था कि, ''अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सुदृढ़ खनन नीति की रचना की जाएगी और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अब तक के अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दंडित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पांचवी बैठक में खनन माफियाओं पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया था। बांदा के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर बताते हैं कि, ''जितना खनन वैध तरीके से होता है, उससे कई गुना ज्यादा अवैध तरीकों से होता रहा है। सरकार को एक नवम्बर से ही पांच सौ करोड़ का राजस्व पिछली बार मिला था। पत्थर से ज्यादा घोलमेल मौरम में होता है। केन और बेतवा नदियों में नियमों को ताक पर रख कर दोहन होता रहा है।

उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा इस मामले में अब सजा की अवधि भी बढ़ा दी गयी है। ऐसे मामले के दोषियों की सजा छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी गयी है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खनिज (परिहार) (42वां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर पच्चीस हजार रूपए के जुर्माने की राशि बढ़ाकर पांच लाख रूपए कर दी गई है। इसी तरह छह माह के सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

हमीरपुर : अवैध खनन से काली कमाई पर सीबीआई की नजर–

हमीरपुर मुख्यालय पहुंची सीबीआई की तीन सदस्यीय टीम ने मौरम के खनन में शामिल लोगों को मौदहा बांध के डाक बंगले में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। टीम ने शेयर धारकों और पट्टे धारकों को अलग–अलग बुलाकर पूछताछ

शुरू कर दी। टीम द्वारा बुलाए गए दस लोगों में से पांच लोग ही डाक बंगले पहुंचे।

अन्य को पुलिस अधीक्षक एवं खनन अधिकारी के माध्यम से सूचना देकर उपस्थित होने को कहा गया। गौरतलब है कि जुलाई 2016 में हाईकोर्ट ने मौरम की अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम के आने की जानकारी मिलने पर मौरम माफिया अंडरग्राउन्ड हो गये।

21 अप्रैल 2017 को सीबीआई की टीम ने मौदहा बांध के डाक बंगले में करीब एक सप्ताह तक डेरा डालकर पट्टाधारकों, शिकायतकर्ताओं और याचिका करने वालों से लम्बी पूछताछ की थी। टीम में डीएसपी के पी शर्मा के नेतृत्व में एसआई पीके त्रिपाठी व हेड कांस्टेबल वीरपाल शामिल थे। आये हुए लोगों से टीम ने अलग–अलग करीब दो घण्टे तक पूछताछ की हुई थी।[17]

सीबीआई टीम के आने की वजह अमर ''सिंह बनाम यूपी सरकार व सोनू बनाम यूपी सरकार के नाम से दायर दो पी.आइ.एल को माना गया। सिंडीकेट द्वारा बीते दस साल से की जा रही वसूली पर सीबीआई टीम की निगाह थी जिसकी और गहनता से जांच की गयी थी। वहीं अवैध खनन करने पर बड़ी कार्यवाई होने की संभावना थी। टीम के पास ऐसे पचास लोगों की सूची थी। इन सभी की सम्पत्ति व बैंक खातों की डिटेल खंगाली गयी।

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत में नदियों के तल से बगैर लाइसेंस या पर्यावरणीय इजाजत के रेत के खनन पर रोक लगा दिया है। समाचार एजेन्सी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल में अर्जी दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन सरकारी मशीनरी की 'मिलीभगत' से हो रहा है।

पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि इस याचिका में अहम पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं। हालांकि शुरूआत में राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल बेंच ने

[17] चन्द्रकांत मिश्रा, गांव कनेक्शन, 17 सितम्बर 2017

सिर्फ यमुना, गंगा, हिंडन, चंबल और गोमती नदियों के तले से रेत के खनन पर रोक लगाई थी।

लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि रेत के अवैध खनन का पूरे देश पर प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और संबन्धित पुलिस अफसरों से कहा है कि वे आदेश का पालन करवाएं।

पीटीआई के अनुसार राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन की अर्जी पर ट्राइब्यूनल ने सभी संबन्धित अधिकारियों से 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। बार एसोसिएशन की अर्जी में कहा गया है कि समाचारों से साफ है कि रेत में खनन का विरोध करने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसरों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है।

पीटीआई ने लिखा है कि बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील राज पंजावनी ने ट्राइब्यूनल के सामने कहा है कि अवैध खनन और लाखों टन रेत परिवहन से हर साल सरकारी खजाने को लाखों–करोंड़ रूपए का नुकसान हो रहा है।

ट्राइब्यूनल ने भी अपने आदेश में कहा है कि अवैध खनन से सरकार को होने वाला नुकसान लाखों करोड़ का हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि, 'अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।' और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 के अपने आदेश में रेत के खनन के बुरे प्रभावों का जिक्र किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि गौतमबुद्धनगर की एसडीएम दुर्गाशक्ति नागपाल को इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने अवैध रेत खनन करने वालों पर कार्यवाई की थी।[18]

बीजेपी शासित राज्य अवैध उत्खनन के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर, सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी– केन्द्र सरकार के ऑकड़ों के मुताबिक मोदी

[18] बीबीसी न्यूज, 05 अगस्त 2013

सरकार के कार्यकाल में बीजेपी शासित तीन अहम राज्यों में अवैध खनन के मामलों में सौ गुना तक इजाफा दर्ज हुआ है। केन्द्रीय खनन मंत्रालय द्वारा जारी ऑकडों में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गैरकानूनी माइनिंग की घटनाओं में क्रमशः 106,53 एवं 34 फीसदी इजाफा दर्ज हुआ है।[19] हांलाकि बीजेपी शासित कुछ राज्यों में अवैध खनन में कमी भी आयी है एवं इसके विरूद्ध शक्त कदम भी उठाये गये हैं।

नई खनन नीति से जुड़े पांच अहम बिन्दु

प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की खनन नीति–2017 को हरी झण्डी दिखा दी है। 30 मई 2017 को खनन नीति 2017 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी। नई खनन नीति के तहत अलग–अलग खनिजों के पट्टे 5 से 30 साल की अवधि के लिए मिलेंगे। वहीं इस बार खनन पर एक प्रतिशत शेष भी लगाने का अहम फैसला भी लिया गया है। नई खनन नीति से जुड़ी ये पांच बाते जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।

पांच मुख्य बिन्दु

1. अब तक इमारती पत्थर के खनन पट्टे दस साल के लिए दिये जाते थे, जिसका एक बार नवीनीकरण किये जाने की व्यवस्था थी लेकिन अब वर्तमान में स्वीकृत और चालू खनन पट्टे पूरी अवधि तक मान्य होंगे। अवधि खत्म होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं होगा। खाली और नये क्षेत्रों को बीस साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इसका पट्टा ई–टेंडर, ई–ऑक्शन या ई–वीडिंग के जरिए होगा।
2. नई खनन नीति के अन्तर्गत दीर्घ कालीन व्यवस्था में नदी तल के उप खनिजों बालू और मौरम व अन्य के लिए पांच हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टे दिये जाएंगे। इनकी अवधि कम से कम पांच साल की होगी। लेकिन दीर्घ कालीन अवधि के तहत पट्टा देना संभव न होने पर

[19] https://m.aajtak.in, 21 march 2018

अल्प कालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से अधिकतम छह महीने के लिए पट्टा दिया जाएगा।

3. साधारण मिट्टी के खनन के लिए अभी अधिकतम छह महीने के लिए अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है। निकासी की जाने वाली मात्रा पर रॉयल्टी जमा कराई जाती है। साधारण मिट्टी का बहुतायत में कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों में इस्तेमाल करती हैं ऐसे में कार्यदायी संस्थाओं से एक साथ रॉयल्टी जमा कराकर अनुज्ञा पत्र जारी किये जाएंगे।
4. ईंटा–भट्ठा मालिक काश्तकारों की सहमति से उनके खेतों से मिट्टी निकालते हैं। प्रदेश में वाणिज्य कर की तरह ईंट मिट्टी की रॉयल्टी के लिए एक मुश्त समाधान योजना वर्ष 2005 लागू है। इसे जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा किसानों को अपने खेतों से पूर्व की तरह दस ट्राली मिट्टी निकासी पर रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी।
5. ग्रेनाइट स्टोन खनिज के खनन पट्टे अभी अधिकतम 20 साल के लिए दिए जाते हैं। साथ ही इनका नवीनीकरण भी होता है। लेकिन अब वर्तमान में जारी इन खनन पट्टों की अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की समय सीमा 2 साल की होगी। खनिज उपलब्ध होने की स्थिति में पट्टा 30 साल के लिए दिया जा सकता है।[20]

निष्कर्ष–

शोधकर्ता द्वारा पाया गया कि प्रदेश में वैध खनन की आड़ में अवैध खनन का धन्धा भी चलता है। खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार और फिर इसकी काला बाजारी का धन्धा किसी से छिपा नहीं है। जो भी इसमें बाधा बनने की कोशिश करता है उसे रास्ते से हटाने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद हर तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। रसूखदार खननकर्ता के अवैध खनन कार्य को लेकर अगर कोई अधिकारी, समाजसेवी या जनता भी आड़े आना चाहती है तो उन्हें या तो चुप करा

[20] धीरेन्द्र सिंह, एम पत्रिका, प्रकाशित 31 मई 2017,

दिया जाता है। यदि वो नहीं मानते हैं तब उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश होती है। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी अवैध खनन को रोकने का प्रयास करता है तब कई बार उसका तबादला करा दिया जाता है। कई बार अधिकारियों को तो अवैध खनन रोकने पर अपनी जान ही गंवानी पड़ी है।

इसमें अक्सर सत्ता का संरक्षण देखा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें हस्तक्षेप करने से डरते रहते हैं। क्योंकि पीछे राजनीतिक वरदहस्त होता है इसलिए निगरानी कार्य नहीं होता। वहीं खनिज विभाग कई बार इस अवैध खनन की मिली शिकायत को नजरन्दाज कर देता है और अधिकारी समय समय पर कहते हैं कि वे अवैध रूप से खनिज का दोहन कर रहे लोगों पर कार्यवाई कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिस ठेकेदार को खनन का पट्टा मिला होता है अगर वह प्राकृतिक कारणों से या सरकारी कारणों से काम शुरू नहीं कर पाता तो उतना ही अतिरिक्त वक्त खनन के लिए उसे दिया जाता है। जहॉ खनन अवधि समाप्त होने के बाद भी फर्जी ढंग से बाधित अवधि बढ़ा दी जाती है। खनिज माफिया पहाड़, नदी, जंगल, मैदान किसी भी हिस्से में खनन करने से नहीं चूकते हैं। इन स्थानों में वैध एवं अवैध दोनों ही रूपों में खनिज संपदा का खनन किया जाता है। वहॉ जमीन को खोदकर कई एकड़ पर गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं। अवैध खनन बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है। इस अवैध खनन में पूरे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर अत्यन्त नीचे चला जाता है। जिससे वहॉ पर जल संकट की समस्या भी पैदा को जाती है।

अवैध खनन की वजह से सरकार को राजस्व की हॉनि के साथ ही तीव्र प्राकृतिक दैवीय खनिज की क्षति भी होती है। जिसको रोकने के लिए सरकार व जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। इस खनिज का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में पड़ता है। इस पर्यावरण में रहने की वजह से इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। नदियों व तालाबों से खनन करके लाई गई रेत या बालू का परिवहन खुले वाहनों में किया जाता है जो हवा के

साथ उड़कर पर्यावरण को दूषित करती है। रेत के सूक्ष्म कण हवा में फैलने से वह सांस लेने पर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। ये धूल के कण हमारी आंखों के लिए भी हॉनिकारक होते हैं। इतना ही नहीं कई बार रेत या बालू से भरे ट्रक, ट्रैक्टर आदि ओवरलोड होने की वजह से सड़क किनारे पलट जाते हैं जिससे सड़क पर जाम तो लगता ही है साथ ही अन्य वाहन आदि भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, तथा उसमें सवार मजदूरों की मौत तक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस अवैध खनन कारोबार को शासन व प्रशासन बंद कराने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे अकसर राजनीतिक संरक्षण देखा जाता है।

शाम होते ही अवैध खनन का धंधा शुरू हो जाता है। सड़कों पर रातभर ट्रैक्टर–ट्राली रेत, मिट्टी, बालू और मौरम आदि भरकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह होने से पहले यह गोरखधंधा बंद कर दिया जाता है। यह कारोबार पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फल–फूल रहा है। अच्छी कमाई होने के कारण खनन माफिया इस धंधे को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये खनन माफिया एक के बाद एक सरकार में अपना मुखौटा बदलकर बस अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। हॉलाकि वर्तमान खनन नीति जो 2017 में आयी है वह अवैध खनन को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, यदि प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा इसका पालन ईमानदारी से किया जाए। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने अवैध खनन पर बहुत हद तक अंकुश लगाया है। परन्तु इसमें अभी और कड़ाई बरतने की जरूरत है।

अध्याय–षष्ठम्

उपसंहार

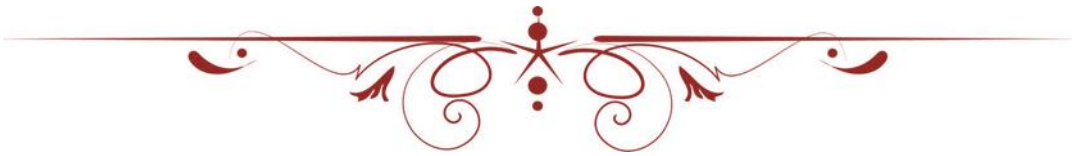

अध्याय–षष्ठम्

उपसंहार

भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। ऐसी राजनीति देश को या प्रदेश को ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि ऐसे धरातल पर लाकर छोड़ देती है, जहां से उबर पाना मुश्किल होता है। वर्तमान कालिक परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा बदलते हुए पर्यावरण से है। बदलते पर्यावरण के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौतियॉ बढ़ रही हैं, वहीं पर हमारी भावी पीढ़ियॉ भी इससे बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित होने के कगार पर हैं। इस समय वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने के साथ ही हमें सम्पूर्ण पृथ्वी पर आने वाली पीढियों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करना है, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हम अपने वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जनजीवन को दुर्लभ बना दें। इसलिए हमें पर्यावरण को लेकर अवश्य ही गंभीरता से सोचना चाहिए।

पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सर्वाधिक भय पर्यावरण के असंतुलन से ही है। दैनिक जीवन में प्राकृतिक दोहन की अधिकता से पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह गया है। प्रदूषण के कारण चतुर्दिक व्याप्त विषाक्तता से जीवन का संकट गहराता जा रहा है। अकल्पित व अचिन्तित रोगों की उत्पत्ति साध्य–साध्यता की विवेचनाएं सभी शोधों के बाद भी अपर्याप्त हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में पर्यावरण से सीधा सम्बन्ध रखने वाले तत्वों पर विधिवत विवेचना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में की गई है। उन तत्वों में जैसे पार्क, एक्सप्रेसवे तथा खनन आदि हैं और इन सभी का सीधा सरोकार पर्यावरण से ही है।

शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण–

परिकल्पना (Hypothesis)-1

पर्यावरण की राजनीति और पर्यावरण को लेकर राजनीति चल रही है और दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सम्बन्ध है।

इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिये शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श (Probability Sampling) के अन्तर्गत सोद्देशीय न्यादर्श (Purposive Sampling) के माध्यम कुल 250 लोगों को लिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चार भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थे। इन भागों में से एक–एक जिले जिसमें अवध से जिला सीतापुर, पूर्वांचल से जिला बहराइच, पश्चिमांचल से जिला शाहजहॉपुर, बुन्देलखण्ड से हमीरपुर जिले का चयन किया गया। इन जिलों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जिले पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले के अर्न्तगत एक–एक गॉव/कस्बे का चयन किया गया जो कि उन जिलों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे जिसमें जिला सीतापुर के अर्न्तगत रतौली गॉव, जिला बहराइच के अर्न्तगत नानपारा, जिला शाहजहॉपुर के अर्न्तगत पुवायां, हमीरपुर जिले से नगर हमीरपुर का चयन किया गया। इन सभी जगहों से 50–50 लोगों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से उनके विचार लिये गये। इसके साथ ही 10 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञों, 10 खनन के जानकारों एवं 10 सड़क एवं एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों तथा साथ ही 6 राजनीति विज्ञान विषय विशेषज्ञों एवं 4 अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञों को लिया गया। साक्षात्कार के माध्यम से एवं साथ ही सभी को शोधकर्ता द्वारा तैयार की गयी प्रश्नावली प्रदान की गयी जो कि उनके विषय से सम्बन्धित थी इस प्रकार कुल 200 जनता से एवं 50 विशेषज्ञों सहित कुल 250 लोगों से उनके विचार लिये गये। उनके द्वारा दिये गये उत्तरों के एवं उनके सुझाव के माध्यम से जो परिणाम निकलकर सामने आये वो इस निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाये गये हैं–

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	30	20
ळमीरपुर	50	35	15
बहराइच	50	24	26
सीतापुर	50	28	22
शाहजहॉपुर	50	26	24
कुल	**250**	**143**	**107**

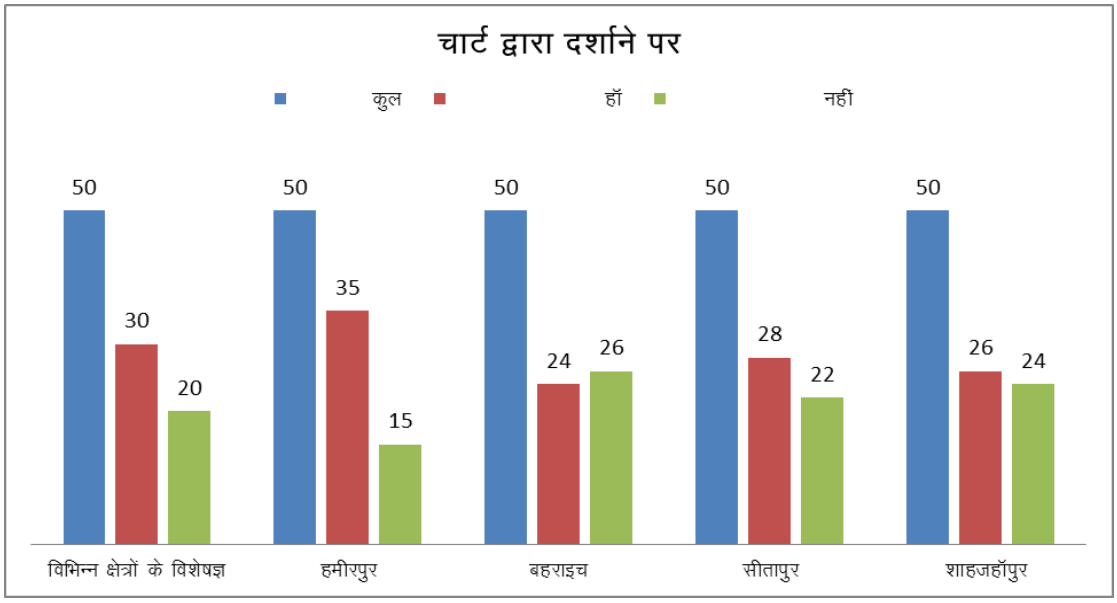

सभी आकड़ों को मिलाकर एक साथ पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाने पर निम्नलिखित परिणाम निकलकर सामने आये–

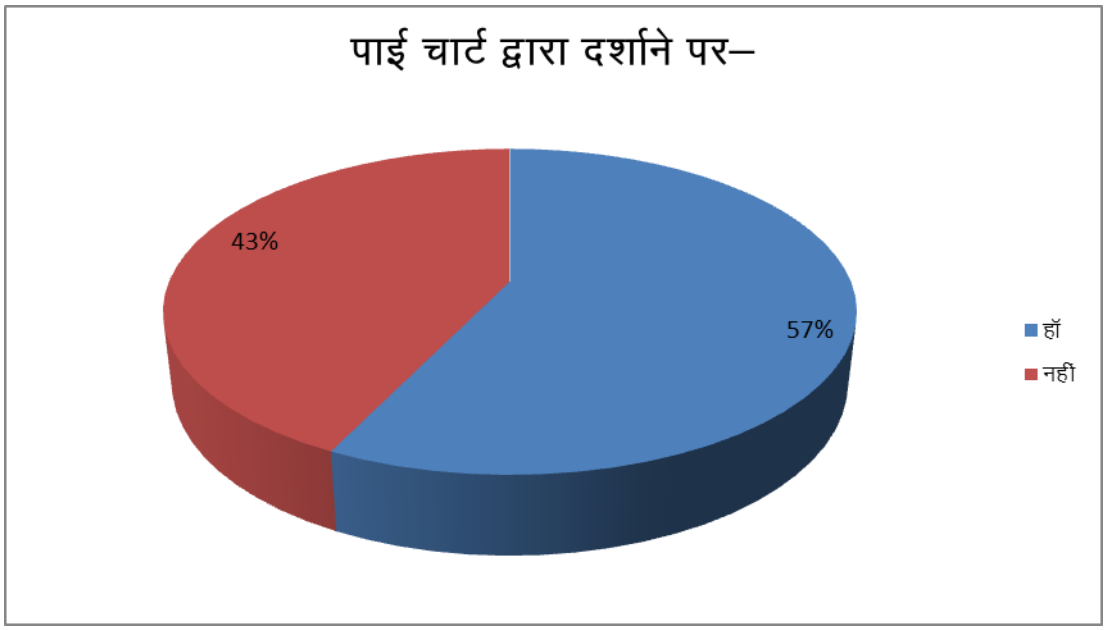

उपरोक्त दिये गये ऑकड़ों के हिसाब से पहली परिकल्पना एकदम सही साबित हुई है। इसमें लगभग 57 (57.2) प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को लेकर वाकई में राजनीति चल रही है। इसके साथ ही पर्यावरण एवं राजनीति में गहरा सम्बन्ध है। वही पर 43 (42.8) प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि प्रदेश में पर्यावरणीय मुद्दे पर राजनीतिक दलों के मध्य कोई राजनीति नहीं चल रही है। राजनीति एवं पर्यावरण के मध्य कोई राजनीति नहीं चल रही है। इसके साथ ही यह दोनों ही अलग–अलग विषय है। इनके अनुसार पर्यावरण को राजनीति के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं हैं।

<u>परिकल्पना (Hypothesis)</u>-2

उत्तर प्रदेश में लोगों में पर्यावरणीय राजनीतिक जागरूकता का अभाव है जिसके चलते नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से उसका प्रयोग निहित फायदे के लिए कर रहा है।

इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिये शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श (Probability Sampling) के अन्तर्गत सोद्देशीय न्यादर्श (Purposive Sampling) के माध्यम कुल 250 लोगों को लिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चार भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थे। इन भागों में से एक–एक जिले जिसमें अवध से जिला सीतापुर, पूर्वांचल से जिला बहराइच, पश्चिमांचल से जिला शाहजहॉपुर, बुन्देलखण्ड से हमीरपुर जिले का चयन किया गया। इन जिलों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जिले पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले के अर्न्तगत एक–एक गॉव/कस्बे का चयन किया गया जो कि उन जिलों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे जिसमें जिला सीतापुर के अर्न्तगत रतौली गॉव, जिला बहराइच के अर्न्तगत नानपारा, जिला शाहजहॉपुर के अर्न्तगत पुवायां, हमीरपुर जिले से नगर हमीरपुर का चयन किया गया। इन सभी जगहों से 50–50 लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से उनके विचार लिये गये। इसके साथ ही 10 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञों, 10 खनन के जानकारों एवं

10 सड़क एवं एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों तथा साथ ही 6 राजनीति विज्ञान विषय विशेषज्ञों एवं 4 अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञों को लिया गया। साक्षात्कार के माध्यम से एवं साथ ही सभी को शोधकर्ता द्वारा तैयार की गयी प्रश्नावली प्रदान की गयी जो कि उनके विषय से सम्बन्धित थी इस प्रकार कुल 200 जनता से एवं 50 विशेषज्ञों सहित कुल 250 लोगों से उनके विचार लिये गये। उनके द्वारा दिये गये उत्तरों के एवं उनके सुझाव के माध्यम से जो परिणाम निकलकर सामने आये वो इस प्रकार हैं–

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	18	32
हमीरपुर	50	23	27
बहराइच	50	19	31
सीतापुर	50	21	29
शाहजहॉपुर	50	17	33
कुल	**250**	**98**	**152**

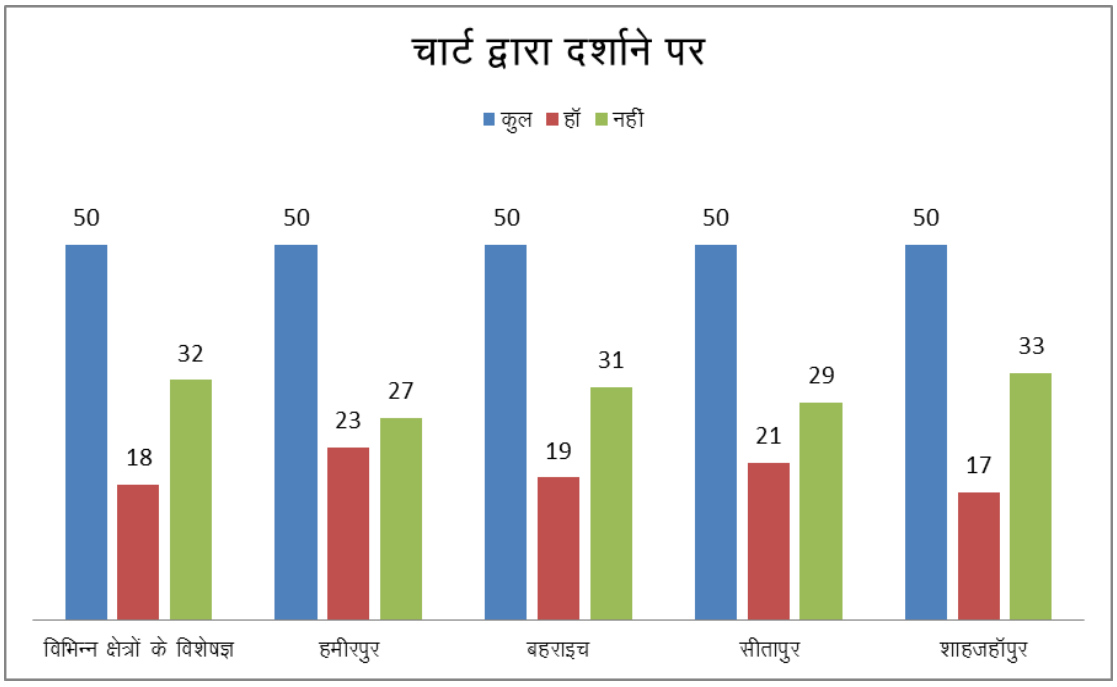

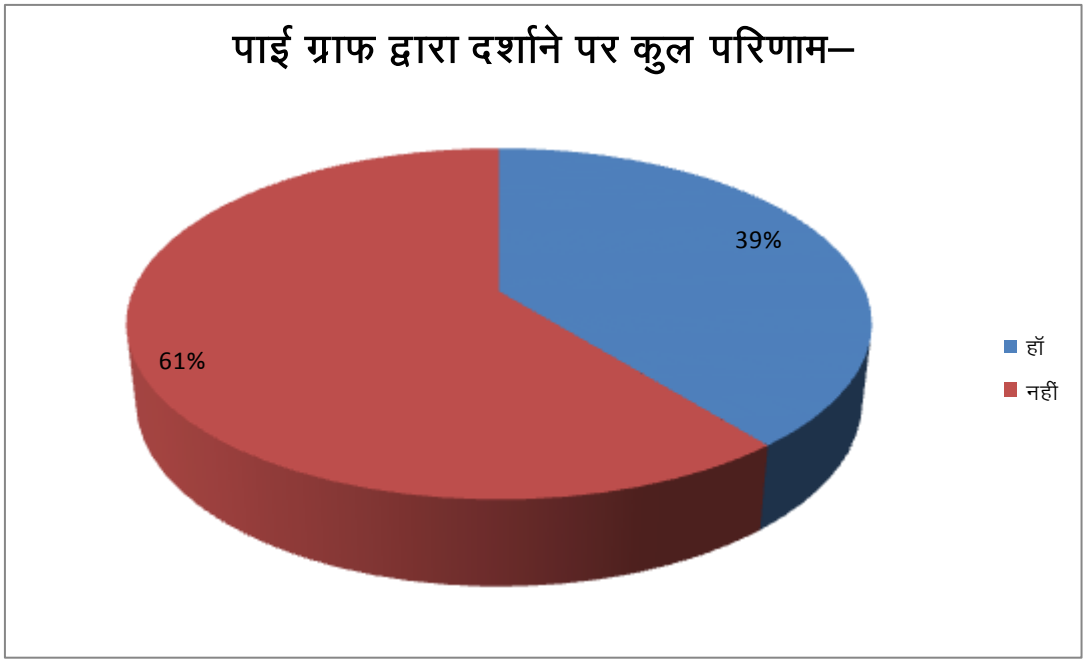

उपरोक्त परिणामों में कुल 250 लोगो में से 152 लोगों ने अर्थात् 61 (60.8) प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता का अभाव नहीं हैं बल्कि जैसे–जैसे प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियॉ बढ़ रही है, धीरे–धीरे यहॉ के लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। जब कि 98 लोगों ने अर्थात् 39 (39.2) प्रतिशत लोगों ने माना कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता में कमी है जिसके चलते प्रदेश में नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से इसका प्रयोग अपने निहित फायदों हेतु कर रहा है।

अतः यह कहना गलत होगा कि यहॉ के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव है तथा साथ ही वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी रूचि भी ले रहे है। भूमण्डलीकरण के पश्चात् जैसे–2 प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियों में वृद्वि हुई है। उनसे निपटने के लिये प्रदेश की सरकारों के साथ–2 जनता ने भी इसमें रूचि लेना प्रारम्भ किया है। केरल में शान्त घाटी आन्दोलन, मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आन्दोलन, उत्तराखण्ड में चिपको आन्दोलन कर्नाटक में एप्पिकों आन्दोलन इसके साथ ही वहॉ के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक आन्दोलन चलाये जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब पहले की अपेक्षा प्रदेश की जनता में अधिक पर्यावरण के प्रति एवं इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भूमण्डलीकरण के

बाद उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकारें रही हैं यदि उन्होंने प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियों को जाने या अनजाने में नजरन्दाज किया हैं या प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाया है तब प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव में नजरन्दाज अवश्य ही किया है शायद इसीलिये भूमण्डलीकरण के पश्चात् प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों में अस्थिरता देखी गयी और वे लगाातार सत्ता प्राप्त करने में असफल रही हैं।

<u>परिकल्पना (Hypothesis)</u>-3

वैधानिक नियमों की सक्रियता और निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से सार्थक सम्बन्ध है।

इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिये शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श (Probability Sampling) के अन्तर्गत सोद्देशीय न्यादर्श (Purposive Sampling) के माध्यम कुल 250 लोगों को लिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चार भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थे। इन भागों में से एक–एक जिले जिसमें अवध से जिला सीतापुर, पूर्वांचल से जिला बहराइच, पश्चिमांचल से जिला शाहजहॉपुर, बुन्देलखण्ड से हमीरपुर जिले का चयन किया गया। इन जिलों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जिले पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले के अर्न्तगत एक–एक गॉव/कस्बे का चयन किया गया जो कि उन जिलों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे जिसमें जिला सीतापुर के अर्न्तगत रतौली गॉव, जिला बहराइच के अर्न्तगत नानपारा, जिला शाहजहॉपुर के अर्न्तगत पुवायां, हमीरपुर जिले से नगर हमीरपुर का चयन किया गया। इन सभी जगहों से 50–50 लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से उनके विचार लिये गये। इसके साथ ही 10 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञों, 10 खनन के जानकारों एवं 10 सड़क एवं एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों तथा साथ ही 6 राजनीति विज्ञान विषय विशेषज्ञों एवं 4 अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञों को लिया गया। साक्षात्कार के माध्यम से एवं साथ ही सभी को शोधकर्ता द्वारा तैयार की गयी

प्रश्नावली प्रदान की गयी जो कि उनके विषय से सम्बन्धित थी इस प्रकार कुल 200 जनता से एवं 50 विशेषज्ञों सहित कुल 250 लोगों से उनके विचार लिये गये। उनके द्वारा दिये गये उत्तरों के एवं उनके सुझाव के माध्यम से जो परिणाम निकलकर सामने आये वो इस प्रकार हैं–

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	32	18
ळमीरपुर	50	34	16
बहराइच	50	30	20
सीतापुर	50	27	23
शाहजहॉपुर	50	26	24
कुल	**250**	**149**	**101**

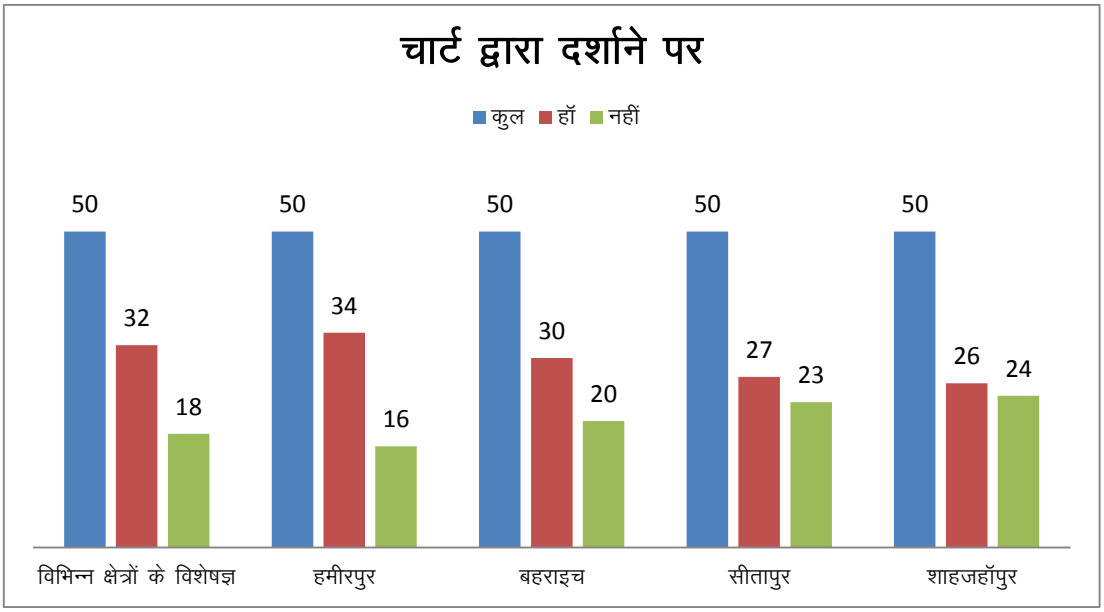

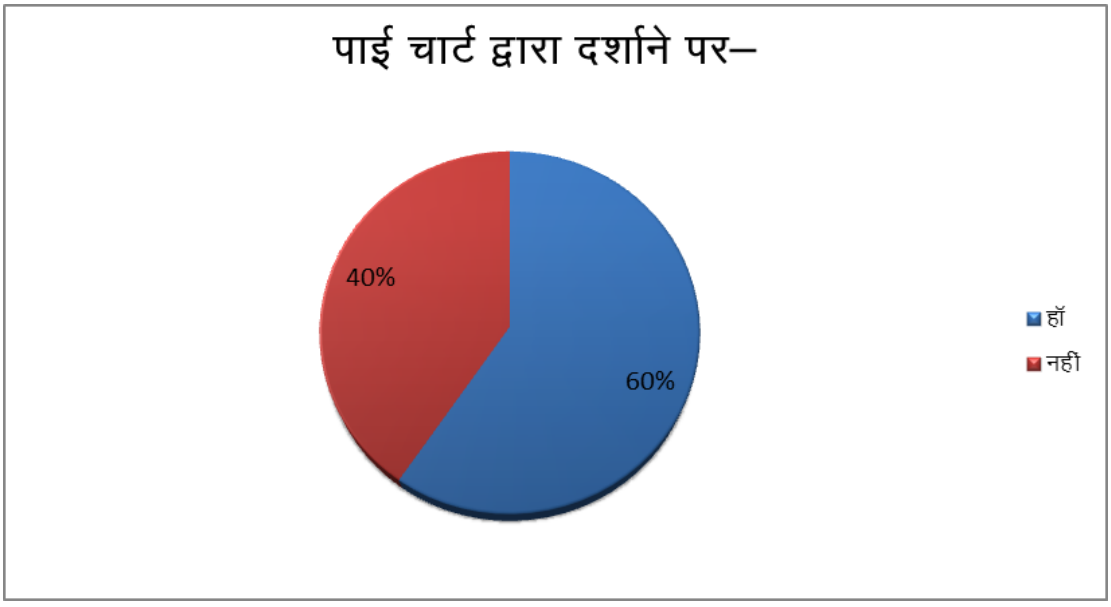

उपरोक्त परिणामों में कुल 250 लोगो में से 149 लोगों ने अर्थात् 60 (59.6) प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से व्यापक रूप से सम्बन्ध है। जब कि 101 लोगों ने अर्थात् 40 (40.4) प्रतिशत ने यह माना कि वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से कोई विशेष लेना देना नहीं है इस प्रकार यह परिकल्पना भी सही साबित हुई है।

इस प्रकार वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का भी पर्यावरण संरक्षण से व्यापक रूप से सम्बन्ध है। अपनी इस परिकल्पना को परीक्षण करने हेतु उत्तर प्रदेश के चार भागों अवध, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों का अवलोकन किया गया। जिसमें जहॉ पर्यावरणीय अधिनियमों का कड़ाई के साथ पालन को रहा था वहॉ पर पर्यावरणीय समस्यायें कम देखी गयी एवं जहॉ पर वहॉ के शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के पालन में ढील दी गयी थी वहॉ पर पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों का दोषपूर्ण दोहन हो रहा था। वहॉ पर पर्यावरण की तीव्र गति से क्षति देखी गयी। जिसमें बांदा, हमीरपुर, बहराइच और लखीमपुर प्रमुख जिले शामिल है। वहीं पर सीतापुर और लखनऊ जिलों में पर्यावरणीय अधिनियमों के पालन में कड़ाई देखी गयी तथापि वहॉ पर तुलनात्मक रूप से कम पर्यावरणीय समस्यायें दर्ज की गयी। पर्यावरण से सम्बन्धित नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का इस प्रकार व्यापक रूप से सम्बन्ध देखने को मिला।

विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक खनिज संसाधनों का अनियंत्रित दोहन होने पर उससे निकलने वाले कचरे व मलवे टनों में बाहर आते हैं तथा खनन की कार्यवाही में झाड़ियों एवं वृक्षों के अनियंत्रित कटान से समुचित संरक्षण के अभाव में पारिस्थितिकीय तन्त्र व जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसका प्रभाव स्थानीय व राष्ट्रीय न होकर विश्वव्यापी हो जाता है। क्योंकि जलवायु किसी देश की सीमा से बंधी नहीं होती है। प्रदूषण को अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति की समस्या के रूप में देखा गया है। पर्यावरणीय समस्याओं के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भी शुरूआत हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि

का विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का जो अवैज्ञानिक दोहन था उसमें सुधार हुआ तथा वैज्ञानिक नई तकनीक उपयोग में लायी गयी।

पर्यावरण के विषय में यदि हम इसकी मूल में जाएं तो विश्व स्तर पर दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच मतभेद ने तूल पकड़ ली, इसके साथ ही इनके मध्य शस्त्र एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाने लगा। परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं उनके प्रयोग को लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य जैसे होड़ सी मच गयी। अब यह तय था कि परमाणु अस्त्रों के अंधाधुंध प्रयोग से सम्पूर्ण मानवजाति एवं पर्यावरण के विनाश को लेकर खतरा भी बढ़ेगा। अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के फलस्वरूप राज्यों की संख्या बढ़ने लगी। जहाँ एक ओर अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को लेकर शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी, वहीं पर दूसरी ओर नव स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपने देश में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना प्रारम्भ कर दिया। अंधाधुन्ध शस्त्र प्रतिस्पर्धा एवं विकास को बढ़ावा देने से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् तीव्र गति से पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास प्रारम्भ होने लगा।

सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, राष्ट्रीय विधायन, घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णयन तथा विद्वत जन द्वारा लिखे गये लेख आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित होते हैं जो उपबंध (Norms) के रूप में स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रमाणस्वरूप होते हैं। सन् 1972 के स्टाकहोम घोषणा में एक ही पृथ्वी की भावना को स्वीकार किया गया तथा विश्व के 119 देशों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान, प्रदूषण तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन को खत्म करने के लिए साझा रणनीति तैयार कर वैश्विक सहयोग स्वरूप 26 सिद्धान्त घोषित किये गये। जिसके सिद्धान्त नं0 2 में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जिसमें हवा, पानी, भूमि, वनस्पति तथा जीव सम्मिलित हैं को सतर्कतापूर्ण योजना एवं प्रबन्ध के साथ वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किये जाने पर बल प्रदान किया गया है। सि़द्धान्त 21 में स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के पर्यावरणीय नीतियों के अनुपालन

में संसाधनों का दोहन करने का सम्प्रभु अधिकार है किन्तु इसके साथ यह दायित्व भी सुनिश्चित करें कि अपनी अधिकारिता के भीतर अथवा नियंत्रण में होने वाली कार्यवाहियों से राज्यों या राष्ट्रीय अधिकारिता की सीमा के परे क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अतः राज्यों के दोहन का प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि दायित्वाधीन है ताकि बाहरी क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव–जन्तुओं एवं पेड़ पौधों की खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण हेतु 1973 के अभिसमय के द्वारा व्यापार में कठोर विनियमन पर जोर दिया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में पर्यावरण एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए पोषणीय विकास को महत्व प्रदान किया गया ताकि लोगों के जीवन की उच्च गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार खनन की कार्यवाही पोषणीय विकास को दृष्टिगत रखकर किये जाने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखा जाना आवश्यक होता है कि सीमा पर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय छेड़–छाड़ के सम्बन्ध में प्रभावकारी निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु राज्य सद्भावपूर्वक दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे।

भूमण्डलीकरण के बाद प्रत्येक राष्ट्र में विश्व स्तर पर उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। प्रत्येक राष्ट्र ने चहुमुखी विकास के लिए अधिक से अधिक अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप विश्व में औद्योगीकरण को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। साथ ही औद्योगीकरण के बढ़ने पर राष्ट्रों की विकास की गति तेजी से बढ़ी। विश्व के लगभग सभी देशों ने पर्यावरण चिंता न करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में पर्यावरण का संतुलन धीरे–धीरे बिगड़ने लगा तथा भूमण्डलीकरण के पश्चात् विश्व में जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का ह्रास एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्यायें बढ़ने लगी। उपरोक्त सभी समस्याओं में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आयी। जिसके फलस्वरूप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें अनेकों दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सभी राष्ट्रों के मध्य राजनीति ने जन्म लिया और

इसी तरह यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक राष्ट्र स्तर पर फिर राज्य स्तर पर भी होने लगी।

भारत में भूमण्डलीकरण के पश्चात् जाति और धर्म केन्द्रित राजनीति की शुरूआत हुयी जिसके परिणाम स्वरूप पहचान की राजनीति का प्रादुर्भाव होने लगा। जिसके चलते भारत में 1989 के चुनाव के दौरान केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व घटने लगा तत्पश्चात् अनेक छोटे–बड़े दलों के मिश्रण से तैयार जनता दल सत्ता में आरूढ़ हुई और उसी के बाद मिलीजुली और गठबन्धन की सरकारों ने नये युग का सूत्रपात प्रारम्भ किया। फिर 1991 में राजीव गाँधी की निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी, पर एक कमजोर स्थिति में ही रही। वैश्विक बदलाव और दवाब के चलते कमजोर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में भारत में उदारीकरण की नीति को भी अपनाया। इसके पश्चात् केन्द्र में तो लगभग कांग्रेस का ही वर्चस्व बरकरार रहा पर भारतीय राज्यों में गठबन्धन की राजनीति के चलते क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी और जिसके फलस्वरूप उन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकारें आते ही देश के अनमोल संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना आरम्भ किया जिससे कि सभी अपने राज्य का समुचित विकास कर सकें और साथ ही अपनी जेबें भी भर सकें। इन पार्टियों ने ऐसी नीतियों को पास करवाया जिससे अधिकाधिक लाभान्वित भी हो सकें। इस तरह यहीं से आरम्भ होता है भारत में पर्यावरण का क्षय और विनाश।

भारत देश में भी स्वतंत्रता के पश्चात् अनेकों योजनाओं ने जन्म लेना प्रारम्भ कर दिया था। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अपनाने के फलस्वरूप विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण को अपनाया गया। भारत में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने से पर्यावरणीय समस्यायें बढ़ने लगी। आजादी के बाद भारत में खाद्यान की समस्या उत्पन्न हुई तो उस समय खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिये हरित क्रन्ति कार्यक्रम अपनाया गया जिससे खाद्यान्न उत्पादन में तो वृद्धि हुयी, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्रफल का विस्तार होने से वनों का विनाश भी

बड़ी तेजी से हुआ। इन सब के कारण ही पर्यावरण पर बहुत ही भयावह प्रभाव पड़ा।

इसके उपरान्त भारत में पर्यावरण के चिन्तन को लेकर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। केन्द्र सरकार ने सन् 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। जिसके द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगायी गयी एवं इसके साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों एवं अभयारण्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। भारत में सन् 1974 में 'जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम' पारित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए जल प्रदूषण को रोकना था। इसी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 1977 में जल प्रदूषण पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से सन् 1980 में 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' पारित किया गया। इसके साथ ही भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अपनाया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क) में प्रावधान है कि 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।' अनुच्छेद 51 (क) में उपबन्ध है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।'' पर्यावरण संरक्षण हम सभी का मूल कर्त्तव्य है क्योंकि पर्यावरण समस्त जीवधारियों के जीवन का आधार है। पर्यावरण के बिना समस्त जीवधारियों के जनजीवन की परिकल्पना करना असम्भव है। क्योंकि जीवधारियों एवं पर्यावरण के बीच आदिकाल से ही अभिन्न सम्बन्ध रहा है। इसके साथ ही जीवधारियों ने पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने में अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। जीवधारियों में पशु–पक्षियों ने पर्यावरण संरक्षण में अपना निष्पक्ष सहयोग दिया है। बल्कि मनुष्य ने अपने ज्ञान से पर्यावरण का अधिक दोहन किया है। मनुष्य ने इतना ही नहीं बल्कि जो पशु–पक्षी या जीव–जन्तु पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, वह उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिसके अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे– 1. गिद्ध– जो प्रकृति में सफाईकर्मी के तौर पर सबसे अच्छा घटक

माना जाता है, आज वह विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में आ गया है। 2. केंचुआ– जो किसान का सबसे अच्छा मित्र था, अधिक रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण खेतों में उसकी भी कमी महसूस होने लगी है। 3. चीता या शेर– जो वन के रक्षक होते हैं, वह भी विलुप्त प्राणी की श्रेणी में गिने जाने लगे हैं। इस तरह से वर्तमान समय के मनुष्य का प्रकृति के साथ सम्बन्ध सकारात्मक न होकर विध्वंसात्मक होता जा रहा है। इसलिये पर्यावरण को लेकर जो समस्यायें उत्पन्न हुयी हैं। वो स्थानीय या राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक हो गयी है।

विज्ञान हमारे लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा साबित हो रही है। विज्ञान की प्रगति एवं नये आविष्कारों में वृद्धि होती जा रही है। जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही पर्यावरण की उपेक्षा अधिकाधिक होने लगी है। इसके साथ ही पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट भी तेजी से हो रहा है। जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि एवं शहरीकरण के विस्तार हेतु पेड़–पौधों का गला ही रेता जा रहा है। अतः पर्यावरण का विनाश होना स्वाभाविक है। पर्यावरण घटकों के क्षरण से ही अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। इसी कारण पर्यावरण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चिंता का विषय बन गया है।

विकास की दौड़ में प्रकृति का असीमित दोहन न केवल मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिये खतरे की घण्टी है अपितु अन्य जीवों के लिये भी विनाश की चेतावनी है। वर्तमान समय की भयावह समस्यायें जिनमें प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य को अपनी जीवनशैली पर विचार करने हेतु विवश कर रही हैं। उन समस्याओं में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प व सुनामी आदि हैं। इस समय यह अतिआवश्यक है कि सम्पूर्ण मानव जाति को इन उभरती पर्यावरणीय समस्याओं पर अपनी आँखे खोल लेनी चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब सम्पूर्ण मानवजाति इसकी चपेट में आ जायेगी।

लगभग पिछले सौ वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसके कारण विशेषकर– रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं में भारी वृद्धि हुई है इसके साथ ही बिजली, सड़क, वाहन एवं अन्य वस्तुओं में भी वृद्धि हुई

है। जिसकी पूर्ति हेतु हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा है, परिणाम स्वरुप प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन हुआ है जिससे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अन्य पर्यावरणीय समस्यायें जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जैव विविधता ह्रास, ओजोन परत ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं।

उपरोक्त प्रकार के बढ़ते प्रदूषण के कारण ही सर्वप्रथम सन् 1985 ई. में अन्टार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था जिसके आकार में लगातार बढोत्तरी हो रही। हम सभी को इसका कारण पता होने के बावजूद भी हम लोग अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इस ओजोन परत के विघटन के लिये हानिकारक गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। इन गैसों में लगातार वृद्धि के लिये सन् 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक राष्ट्रों के मध्य कान्फ्रेंस हुई जिसे ''वियना कान्फ्रेंस'' के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण पर चिन्तन व्यक्त करना था। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह होती जा रही है कि वह चिन्तन व्यक्त तो बहुत करता है पर उस पर प्रतिक्रिया बहुत ही कम करता है। कनाड़ा की राजधानी मांट्रियल में 1987 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 33 देशों के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। जिसे मांट्रियल प्रोटोकाल के नाम से जाना जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य ओजोन परत को हॉनि पहुँचाने वाली क्लोरो–फ्लोरो कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी की जा सके ताकि पृथ्वी पर जीवन दायी ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान की जा सके और जनजीवन को बचाया जा सके।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में पिछली शताब्दी की अपेक्षा इस शताब्दी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। एक अन्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2080 तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री से लेकर 3.5 डिग्री तक की वृद्धि की सम्भावना है यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 100 वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर में 15 सेमी. से 95 सेमी. तक की वृद्धि हो सकती है

इसके परिणाम भयावाह हो सकते है। इसलिए हमें इस पर कुछ उचित कदम अवश्य उठाने चाहिए।

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में हमने पर्यावरण राजनीति, पार्क और उस पर राजनीति, एक्सप्रेसवे और उस पर राजनीति तथा खनन और उस पर हो रही राजनीति के बारे में तह तक गये। तो पाया कि किस तरह से हमारे प्रदेश की सरकारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदेश की भोली भाली जनता का पैसा अपनी जेबों में भरने का गोरखधंधा चला रहे हैं।

भूमण्डलीकरण के प्रारम्भ से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा एवं बसपा का वर्चस्व कायम रहा है। इन पार्टियों की सरकारों ने लगभग जो भी नीतियॉ एवं कानून बनाये जिसमें उनका मुख्य मकसद रहा कि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ पा सकें। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है इसके अन्तर्गत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, संस्कृति एवं हम सभी लोग आ जाते हैं। अब यदि सरकारों द्वारा जो भी निर्णय लिये जाएंगे उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त में से किसी न किसी पर अवश्य प्रभाव पड़ता है।

यदि हम राजनीतिक तौर पर देंखे तो राजनीति का परम लक्ष्य यही होता है कि वह शासन व्यवस्था को इस प्रकार से चलाये जिससे कि सकारात्मक, स्वाभाविक तथा निर्विवाद रूप से चलती रहे। सत्ता प्राप्ति का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता से ही नहीं होता है बल्कि सत्ता के विभिन्न रूपों से है, जैसे– धर्म, अर्थ, संस्कृति, जाति इत्यादि। ये सभी तत्व प्रत्यक्षतः राजनीति से सम्बन्धित होते हैं।

राजनीति के इस खेल में उत्तर प्रदेश में सन् 2002 में ताज कॉरीडोर योजना बसपा सरकार के कार्यकाल में आयी, इसमें ताजमहल के सौन्दर्यीकरण के लिए बसपा सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च किए, परन्तु जब पता चला कि इस योजना में घोटाला हुआ है साथ ही पर्यावरण विभाग की मंजूरी न लेना भी यह विवाद का विषय रहा। यह मामला कोर्ट गया और सीबीआई जांच भी हुई, न्यायपालिका की सुनवाई के बाद तत्कालीन सरकार के खिलाफ आरोप साबित नहीं

हुए और फाइल बन्द कर दी गयी। बसपा के कार्यकाल में ही गंगा एक्सप्रेस–वे प्लान आया जिसका भी राजनीतिकरण हो गया और पूरी परियोजना को रोकना पड़ा। हांलाकि वर्तमान भाजपा सरकार ने उस योजना को पुनः पूरा कराने का बीड़ा उठाया है इसी प्रकार से इसके कार्यकाल में अम्बेडकर पार्क एवं अन्य पार्कों का निर्माण कराया गया जिसमें भी अरबों के खर्चे को लेकर जांच पड़ताल हुई। इस प्रकार बसपा सरकार के कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये उनका जाने अनजाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। जबकि सरकार ने अपने हिसाब से पार्क व स्मारकों का निर्माण कर पर्यावरण को सुधारने का काम ही किया था, पर इस तरह के घोटाले क्यों उजागर हुए। क्या इस तरह के समाजसेवी कार्यों में भी लोगों को पैसा हड़पने में कोई हिचक नहीं होती है।

अन्य सरकारें भी इसी प्रकार से कार्य करती रहीं हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में भी अनेक योजनायें चलायी गई। जिसमें इटावा में लायन शफारी, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया गया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न शहरों में यातायात में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये सड़कों के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ''क्लीन यूपी–ग्रीन यूपी'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में लाखों की संख्या में नये पौधे लगाये गये है। लेकिन इन सब के बावजूद जांच में यही पाया गया कि इन सब कार्यों में भी राजनीतिक हित को आगे रखा गया तथा इसमें घोटाले भी प्रकाश में आये।

पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक राज्य का मौलिक कर्त्तव्य है कि उस राज्य में पार्कों और उद्यानों का विकास करना और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सौन्दर्यीकरण को लेकर कहा जाता है कि एक ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जिसने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्क और स्मारकों को लेकर काफी अच्छा विकास किया। बसपा की मुखिया सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में यह अद्वितीय निर्माण करवाया है। समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करने हेतु तथागत गौतम बुद्ध के महान मानवतावादी

दर्शन एवं आदर्श के प्रति समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक कार्य किया है। लेकिन क्या इस पार्टी ने इस विकास में कोई राजनीति नहीं की या इस पर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया?

इन प्रश्नों के उत्तर हमें कहीं न कहीं से जरूर मिल जाते हैं। क्योंकि आधुनिक प्रेस मीडिया, मल्टीमीडिया तथा मॉस मीडिया आदि के माध्यम से इस तरह के तथ्य उजागर हो ही जाते हैं। बसपा सरकार की योजनाओं के तहत चार नये जनपदों में गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, श्रावस्ती और कौशाम्बी का गठन किया गया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बौद्ध विहार शान्ति उपवन तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आदि प्रमुख पार्क बनवाये थे। इन पार्कों के निर्माण में कितना अधिक बंदरबांट हुआ यह किसी से कहने की या बताने की जरूरत नहीं है सब को ज्ञात है कि इससे सम्बन्धित मामले हाईकोर्ट से लेकर सीबीआई तक लम्बित हैं।

लेकिन यदि हम देंखे तो आजादी से लेकर अब तक यदि किसी सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में पैदा हुए महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों की स्मृति में भव्य स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां व पार्क आदि स्थापित करवाएं तो वह मात्र एक बसपा सरकार ही है। परन्तु लोगों द्वारा यह भी सवाल उठाया जाता है कि लखनऊ शहर में शारदा नहर के किनारे लगभग 27 एकड़ क्षेत्र पर ''बौद्ध विहार शांति उपवन'' बनाने के बजाय यदि इस स्थान पर स्कूल, कालेज या हास्पिटल बनवाये जाते तो लोगों का कल्याण ज्यादा हो सकता था। लेकिन शायद इन लोगों को यह नहीं पता कि बौद्ध विहार शान्ति उपवन जैसे स्थानों की क्या उपयोगिता है। इस तरह के स्थानों पर विपश्यना होती है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना–विधि है। जो जैसा है, उसे ठीक वैसा ही देखना–समझना विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे सार्वजनीन रोग के सार्वजनीन इलाज, जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया था। इस सार्वजनीन साधना–विधि का उद्देश्य विकारों का संपूर्ण निर्मूलन एवं परमविमुक्ति की

अवस्था को प्राप्त करना है। इस साधना का उद्देश्य केवल शारीरिक रोगों को नहीं बल्कि मानव मात्र के सभी दुखों को दूर करना है।

विपश्यना आत्म–निरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। अपने ही शरीर और चित्तधारा पर पल–पल होनेवाली परिवर्तनशील घटनाओं का तटस्थ भाव से निरीक्षण करते हुए चित्तशोधन का अभ्यास हमें सुख–शान्ति का जीवन जीने में मदद करता है। हम अपने भीतर शांति और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। हमारे विचार, विकार, भावनाएं, संवेदनांएं जिन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलते हैं, वे स्पष्ट होते हैं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे बंधन बंधते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सजग, सचेत, संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। इस विपश्यना केन्द्र पर इतना ही नहीं इसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है जो हमें अनेक प्रकार की दुर्लभ पुस्तकों से अवगत कराती है। इस तरह से यह बुद्ध विहार हमारे समाज के लिए कितना लाभकारी साबित होगा, यह शायद इन आलोचकों को नहीं पता है। लेकिन यदि इन विहारों का राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने लाभ के लिए या पार्टी मीटिंग के लिए इस्तेमाल होगा तो यह समाज हित में नहीं होता है।

आधुनिक समय में लोग योग चिकित्सा को महत्व दे रहे हैं। मोदी सरकार ने तो 21 जून को 'योग दिवस' के रूप में मनाने का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी योग को बहुत अधिक महत्व दिया है। संस्कृत भाषा में योग का जो कार्य व अर्थ है वही कार्य और अर्थ बौद्ध धर्म में विपश्यना का होता है। इसीलिए यह बौद्ध विहार समाज के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है।

पर्यावरण का ध्यान देने के साथ ही इन पार्कों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों एवं किस्मों की सब्जियों, फलों–फूलों के उत्पादन करने के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इससे बागवानी के साथ–साथ वातावरण भी शुद्ध रहता है। लेकिन इन सरकारों ने इस पर अपनी राजनीति करके माहौल को खराब किया है। जिस प्रकार अंबेडकर पार्क में अनेक महापुरुषों की मूर्तियों को स्थान दिया गया है, वह अद्वितीय कार्य अवश्य है। इन महापुरूषों में ज्योतिराव फुले, नारायण गुरू,

विरसा मुंडा, शाहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम के जीवन और यादों का सम्मान किया गया है। इन महापुरुषों ने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अब इन महापुरूषों द्वारा समाज के लिए किए गये अद्वितीय योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके नाम पर स्मारक व पार्क बनवाना बिल्कुल भी गलत नहीं है परन्तु इस पर राजनीति करना ठीक कहा जा सकता है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर इन स्मारकों को कानूनी लड़ाई में शामिल क्यों किया गया? आखिर लोगों के सवाल इसके निर्माण पर क्यों खड़े हुए? अगर इन पार्कों की गुणवत्ता की बात करें तो ये पार्क पर्यावरण के लिए लाभकारी होने के साथ–साथ फिल्म जगत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इन पार्कों में अनेक प्रकार की फिल्मों की शूटिंग भी की गई है जैसे 'दावत–ए–इश्क' आदि। रवि किशन ने अंबेडकर मेमोरियल पार्क के लिए भोजपुरी फिल्म के लिए अपनी शूटिंग को अंजाम दिया था। मीका सिंह और उर्वशी रोतेला ने भी अपने नये संगीत वीडियों के लिए अम्बेडकर सामाजिक परिर्तन स्थल पर शूटिंग की थी।

अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जनेश्वर मिश्र पार्क के निर्माण में 168 करोड़ रूपए खर्च किये गये। पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया। पार्क तकरीबन 376 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क इमामबाड़ा, भूल–भुलैया, रूमी गेट की तरह ही लखनऊ की आन–बान और शान में शामिल हो गया है। लेकिन इस पार्क के निर्माण को लेकर भी मीडिया काफी गरम रही थी। इसके निर्माण में भी करोड़ों के घोटाले की बात प्रकाश में आयी थी।

पार्क निर्माण के बाद हम बात करते हैं प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण किन सरकारों ने कैसे करवाया? फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई होता हुआ लखनऊ पहुंचने वाला एक्सप्रेसवे का नाम आगरा एक्सप्रेसवे है। यह अखिलेश सरकार द्वारा बनवाया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे के निर्मित हो जाने से आगरा से लखनऊ के बीच की दूरी तो कम हो गयी है परन्तु आगरा–लखनऊ

एक्सप्रेसवे के नकारात्मक पहलू यह है कि जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि 302 किमी लम्बे ग्रीन फील्ड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हरियाली का ख्याल ही नहीं रखा गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह पर्यावरण से सम्बन्धित मामला था। यह कार्य किसी एक के हित या लाभ की बात नहीं बल्कि इसमें सम्पूर्ण समाज का हित था। इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए सपा सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस योजना के तहत भूमि अधिग्रहण और निर्माण गुणवत्ता की जांच चल रही है। और अब लगभग पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे योजना को पूरा करने का काम प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के निर्माण का श्रेय भी योगी सरकार को जा रहा है।

यह बात एक दो किमी0 की होती तो कोई बात नहीं थी, यहां तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक यही धांधली मची हुई थी। आगरा में भी तय रेट से अधिक दर पर मुआवजा देने के आरोप लगे। इन्हीं सबके चलते एक्सप्रेसवे से जुड़ी फाइलें चोरी होने का मामला काफी संवेदनाशील हो गया था। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की बदलती सरकारों ने केन्द्र सरकार से मदद लेकर यहां की सड़कों को संवारने और उनके विकास के लिए अपना खजाना तो खोल दिया परन्तु उस खजाने का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। इनमें से किसी भी परियोजना को समय पर पूरा करने के वादे कभी पूरे नहीं हो सके।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख तीनों सरकारें क्रमशः बसपा, सपा और भाजपा ने एक दूसरे पर अपनी बेहतरी को सिद्ध करने के लिए कई एक्सप्रेसवे बनवाये। जिनमें बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे, सपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे तथा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे बनवाये जा रहे हैं। सभी सरकारों ने अपना उत्तम प्रदर्शन देने की कोशिश की, पर

इसमें जो कमाने की राजनीति थी उसको आगे ही रखा। इसीलिए इनके निर्माण में इतनी खामियां नजर आयीं और जांच कराने की भी आवश्यकता पड़ी।

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण से आम जनता को कितना अधिक लाभ मिलता है, यह कहना उचित ही है। क्योंकि एक्सप्रेसवे के निर्माण से समय की बचत, ईंधन की बचत व रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। जिस दिन सरकारें अपना कोई भी निर्माण कार्य निष्पक्ष तरीके से करने लगेगी और अपनी झोली भरने को नहीं सोंचेगी उस दिन प्रदेश के विकास के साथ–साथ देश का भी विकास होगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तकरीबन 25 हजार करोड़ रूपए की लागत से लखनऊ से गाजीपुर देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत राज्य की पिछली अखिलेश यादव सरकार की ओर से आगरा से लखनऊ बनाये गये छह लेन वाले एक्सप्रेसवे की प्रति किमी लागत से भी ज्यादा होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा ने अखिलेश यादव पर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी रकम खर्च करने का आरोप लगाते हुए इसे 'घोटाला' करार दिया था। साथ ही इस मामले में जांच के भी आदेश दिये गये थे।

लखनऊ से गाजीपुर के बीच 353 किमी0 के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव अखिलेश यादव ने किया था। इसकी लागत 24,627 करोड़ (70 करोड़ रूपये प्रति किमी) आंकी जा रही है। जबकि 302 किमी लम्बे आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे की लागत 14397 करोड़ (50 करोड़ रूपये प्रति किमी) थी।

आज भौतिकवादी विचार धाराओं में लिप्त मनुष्य सभ्य बनने का भ्रम पाल रहा है, किन्तु वास्तव में वह मनोहर, रमणीय प्रकृति से शीतल स्वच्छ जल–वायु, उत्तुंग पर्वत शिखर, पवित्र नदियां, वृक्ष–लतादि और उन चहचहाते अनेक पक्षियों, हमारे सहायक पशुओं जलचर, नभचर ये सभी प्राणी जो प्रदूषण रूपी राक्षस से अनेक प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं उनसे दूर होता जा रहा है। प्रकृति भौतिक पदार्थों का अपरिमित भण्डार है। मनुष्य इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों (Valuable Natural Resources) को पृथ्वी से निकाल–निकाल कर

उसे अपने अनुकूल भोग्य पदार्थों में परिवर्तित कर सुख के साधन जुटाता जा रहा है। वह विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है कि विकास के साथ कहां कितना विनाश हो रहा है, उस ओर उसका दुर्लक्ष्य हो रहा। अब जब चारों ओर से घिर गए हैं तो सभी देश जागे हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सचेत हो रहे हैं तथा आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं।

अवैध खनन को रोकने के लिए योगी सरकार ने खनन नीति, 2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ नामक एक अधिनियम बनाया था। इसमें ई– टेण्डरिंग के जरिए पट्टा देने की व्यवस्था है। इस तरह से योगी सरकार ने राज्य को अवैध खनन से मुक्ति दिलाने की हर सम्भव कोशिश की है। अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है, जिस पर नागरिक अवैध खनन की शिकायत कर सकेंगे और अवैध खनन की जानकारी देने वाले नागरिकों को इनाम भी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण एवं विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में पर्यावरण एवं पर्यावरण की राजनीति हुई जिसमें मुख्य गतिरोध पर्यावरण एवं विकास, साथ ही सतत् संपोषणीय विकास अथवा समावेशी विकास को लेकर समस्या है, 1989 में भारत की राजनीति में सत्ता में विमर्श राजनीति का विकास हुआ, जिसके चलते विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहचान की राजनीति का तथा विभिन्न जातियों का उभार हुआ एवं उनके संगठनों के द्वारा सत्ता की प्राप्ति का भरकस प्रयास किया गया। उस दौरान अनेक छोटे–छोटे दलों का भी निर्माण हुआ। जिसके चलते केन्द्रीय सरकारों ने राज्यों के विकास को नजरअंदाज कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के एजेंडे के साथ ही विकास को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। शक्ति, सत्ता एवं प्रदर्शन को लेकर राजनीति होने लगी। इसके साथ ही राजनीति जाति एवं धर्म केंद्रित हो गई।

1989 से 2017 तक विकास के नाम पर राजनीति हुई परन्तु प्रदेश का उतना अधिक विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था हॉ 21वीं सदी के आरम्भ से जब केन्द्र एवं प्रदेश में स्थाई सरकारों का बनना शुरू हुआ है। तब से प्रदेश का

तेजी से विकास संभव हुआ है। बसपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्कों का निर्माण कराया गया इसके साथ ही उनके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई जिसमें सर्वाधिक विवादित गंगा एक्सप्रेसवे रही। इसी प्रकार अखिलेश सरकार के द्वारा प्रदेश में मेट्रो रेल, आगरा एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे महत्वपूर्ण योजनाए रही जिन पर भी राजनीति हुई।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्रीय सरकार के सहयोग से प्रदेश का चौतरफा विकास किया है। वर्तमान में यह पहली बार है जब केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह सभी लोग एक ही प्रदेश (उत्तर प्रदेश) का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके चलते केंद्रीय सत्ता एवं राज्य सरकार के बीच राजनीतिक तालमेल बहुत ही बेहतर बैठ रहा है जिसके कारण केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को समय–समय पर उसके तेजी से विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है अतः केंद्रीय सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य का बहुत तेजी से विकास हुआ है साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु जो सतत् सम्पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाया गया है वह भी पर्यावरण के संरक्षण में कारगर सिद्ध हो रहा है। 2017 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश का बहुत तेजी से विकास किया है तथा प्रदेश के विकास के साथ–साथ उन्होंने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को भी उचित वरीयता दी है साल 2017 से लेकर अब तक हर साल मानसून सत्र में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक भारत की कुल इकोनामी 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस लक्ष्य को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उत्तर प्रदेश की कम से कम 1 ट्रिलियन इकोनामी नहीं हो जाती। अतः उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होना आवश्यक है जिस पर केंद्र सरकार भी तेजी से ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोड मैप को तैयार करने एवं उसके निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है। अतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व

में आज प्रदेश के विकास के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अतः विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में तालमेल बैठाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केंद्र एवं केंद्र की नीतियों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास किया है प्रदेश में महिला उज्जवला योजना के तहत 1 लाख 72 हजार परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं, इससे पहले इन घरों में लकड़ी या कोयले से भोजन पकता था जिससे निकलने वाला धुआं घरों एवं पर्यावरण को प्रदूषित करता था। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 75 जिले खुले में शौच मुक्त घोषित किए गये हैं। अकेले 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय दिए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का भब्य आयोजन लगातार दो वर्ष गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया। मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव–दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है 133 करोड़ रुपए से अयोध्या का समेकित पर्यटन विकास किया जा रहा है। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के पैतृक स्थल बटेश्वर का विकास किया जा रहा है। गोरखपुर में रामगढ़ पार्क में वाटर स्पोर्ट्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा चंदौली में देवदरी –राजदरी वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है। मात्र तीन वर्षों के कार्यकाल में 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड पर्यटकों का आगमन हुआ है रामायण सर्किट के अंतर्गत 69.45 करोड़ रुपए से चित्रकूट एवं श्रंगेश्वरपुर का पर्यटन विकास किया जा रहा है, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत श्रावस्ती, कपिलवस्तु एवं कुशीनगर का विकास किया जा रहा है।

प्रदेश के पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 341 किमी0 लम्बे–चौड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण पूरा हो रहा है बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 297 किमी0 लम्बे बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराया जा रहा है जो बुंदेलखण्ड क्षेत्र को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली को जोड़ेगा। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस–वे का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इसके साथ ही कानपुर, झांसी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो का रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के तहत लगभग 23 किमी0 कॉरिडोर का संचालन प्रारम्भ हो चुका हैं।

वर्तमान युग व्यापारिक युद्ध (ट्रेड वॉर) का चल रहा है यह व्यापारिक युद्ध चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा एवं व्यापारिक मतभेदों के चलते पैदा हुआ। दोनों ही देश अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने हेतु एक दूसरे के आयातों को कम करने का प्रयास कर रहे है। इसके लिए एक दूसरे की आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं। इन सब के बावजूद अमेरिका मंदी की चपेट से जूझ रहा है चीन का हमेशा से ही यही लक्ष्य रहा है कि वह वैश्विक बाजार एवं प्रतिस्पर्धा में अपना प्रभुत्व स्थापित करे। दोनों देशों के व्यापारिक युद्ध का खामियाजा केवल दोनों देश ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, रूस, ब्राजील, सिंगापुर जैसे औद्योगिक देश भी भुगत रहे हैं यह देश भी मंदी की चपेट में आ चुके हैं इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े अपने देश भारत पर भी होगा, जिससे एक तो अमेरिका एवं चीन दोनों ही देश भारत के निर्यातों को अपने देश में बढ़ाने को मजबूर होंगे साथ ही इन देशों में जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ व्यापारिक युद्ध के दुष्प्रभाव से गुजर रही हैं वह भारत में निवेश हेतु आगे आएंगी। जिससे यहॉ पर बड़े तौर पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में औद्योगिक हब स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है वर्तमान में 40 से अधिक देशी–विदेशी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने हेतु तत्पर हैं जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र में चौतरफा तेजी से विकास होगा। जिसके चलते प्रदेश की सड़कों का विकास भी पहले की अपेक्षा और तेजी से होगा। ऐसे में प्रदेश सरकार के समक्ष प्रदेश के विकास के साथ–साथ प्रदेश के पर्यावरण को बचाये रखने की चुनौती होगी। प्रदेश के पर्यावरण नुकसान को कम करने हेतु बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी की स्थापना की भी जरूरत होगी तथा इसके साथ ही इन औद्योगिक इकाइयों में हाई क्वालिटी की मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होगी जिनसे कम से कम प्रदूषण फैलता हो और वह पर्यावरण के अनुकूल (इकोफ्रेंडली) हो। प्रदेश में ग्रीन ग्लोबल इकोनॉमी की अवधारणा को

अपनाना होगा, ताकि प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो।

जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में कुल 11 करोड़ पौधे लगाए गए, इसी प्रकार से 2019 में 22 करोड़ पौधे एवं 2020 में 25 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। अतः उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे प्रदेश का बहुत ही तेजी के साथ विकास कर रही है तथा विकास के साथ–साथ उसने पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है, जिससे कि सतत् सम्पोषणीय विकास की अवधारणा को कारगर बनाया जा सके।

पर्यावरण का मुद्दा एक बहुआयामी विषय है। इसके साथ ही पर्यावरण पर राजनीतिकरण भी आम बात हो गयी है। आज भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद पर्यावरण संरक्षण जो विकास की भेंट चढ़ रहा है और राजनीतिक लाभ जो वास्तव में आर्थिक लाभ से जुड़ता जा रहा है।

प्रदेश में भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के बाद यथार्थ की राजनीति पर अधिक जोर दिया गया। परन्तु निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु राजनीतिक पार्टियों ने यथार्थवादी पक्ष को अपनाया। प्रदेश में विकास को लेकर जो भी नीतियाँ बनायी गईं उन सब में उनका निजी स्वार्थ ही था। इसका मुख्य कारण यही है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की बात को ध्यान में न रखते हुए मात्र अपनी तिजोरी भरने का ही काम किया गया। इन राजनीतिक दलों के स्वार्थमय रवैये के कारण प्रदेश में पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

अब यदि पर्यावरण की बात पर ध्यान दिया जाए तो हम सब भी इसके विध्वंस के जिम्मेदार हैं। प्रदेश में कोई भी विभाग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से दो समूह आते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र एवं दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्यायें इसलिये पैदा हो रही हैं क्योंकि वहाँ के लोगों में पर्यावरण की उतनी अधिक जानकारी नहीं

हैं और न ही वे लोग अपने आपको इस विषय से प्रभावित समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों का ह्रास, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, सिंचाई हेतु असंतुलित जल का प्रयोग, जानवरों का अधिक शिकार आदि देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के काम जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं जैसे कूड़ा–करकट, नालियों में प्रतिदिन साफ–सफाई का अभाव एवं औद्योगिक अवशिष्ट तथा अत्यधिक यातायात के साधनों का प्रयोग आदि होता है। शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जीवन की गुणवत्ता, असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र एवं खाद्य श्रृंखला, बाढ़ एवं सूखा, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आदि उत्पन्न हो रही हैं। यदि इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब पृथ्वी जीवन के अनुकूल नहीं बचेगी।

पर्यावरण की चिंता अकेले किसी एक देश अथवा महाद्वीप की समस्या नहीं है और न ही कोई अकेला देश इस समस्या से निपटने हेतु उपाय कर सकता है। वैश्विक समुदाय को पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और यह समस्या भी वैश्विक समुदाय की ही है। इसलिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मिलजुल कर इस समस्या से निपटने के उपाय तलाशें और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुॅचाने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करें। दुर्भाग्यवश अभी तक पर्यावरण सुरक्षा पर आयोजित किसी भी वैश्विक सम्मेलनों एवं वार्ताओं के दौरान इसके लिए ईमानदार प्रयत्न नहीं दिखा है। वर्तमान में विकास की दुहाई देकर पर्यावरण का जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है उसका दूरगामी दुष्परिणाम भी विकास पर ही देखने को मिलेगा। आज आवश्यकता है कि विकास के लिए पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बैठाया जाए। आरम्भ में विकास और पर्यावरण को दो अलग–अलग अवधारणा के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि विकास और पर्यावरण को दो अलग–अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। पर्यावरणीय सुरक्षा के बिना विकास का कोई महत्व नहीं है और बिना विकास के पर्यावरण निरर्थक होगी। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट में स्थायी विकास की परिभाषित संकल्पना ''आवर कॉमन फ्यूचर–1987'' में स्पष्ट रूप से विकास के लक्ष्यों को पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ने

पर जोर दिया गया है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास के लिए हरित विकास या हरित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को मूर्त रूप देना होगा। इसके लिए सतत् सम्पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाया जा सकता है ताकि विकास भी धीमा न हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। साथ ही हमें विकास के लिए उपयोग किए जा रहे प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्भरण के प्रति भी सचेत प्रयास करने होंगे।

औद्योगीकरण के साथ हम यदि हरित अर्थव्यवस्था को साकार रूप देंगे तो विकास और मानव अस्तित्व को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता हैं। सतत् सम्पोषणीय विकास की अवधारणा भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। आज हमारे सामने विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा है और दोनों में से किसी को भी त्यागना संभव नहीं, इसलिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक हितों को साझा किया जाना चाहिए। साथ ही यह एक ऐसी समस्या है जिसमें बिना जनसमूह की भागीदारी के सफलता नहीं हासिल की जा सकती है। इसलिए जरूरत जनसमूह की जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की है, क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है और यह बात पर्यावरण रक्षा के मामले में भी लागू होती है।

इसलिए समाज के विभिन्न समूहों युवा, महिलायें, बच्चे, बूढ़े आदि लोगों को चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, इन दोनों ही स्तरों पर लोगों को पर्यावरण के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना होगा। यदि हम देखें तो इसके प्रति जागरूकता लाने में ग्रामीण स्तर पर अपना विशेष योगदान ग्राम प्रधान एवं इसके सहयोगी अंग, स्कूल अध्यापक, कृषक, मजदूर, नेता, गांव के शिक्षित व्यक्ति आदि दे सकते हैं। इसी प्रकार से शहरी स्तर पर विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, कवि, अभिनेता, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न संस्थाओं यथा मीडिया, स्कूल, एन0सी0सी0 ग्रुप, युवा समूह एवं खेल समूह, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को योगदान देने की आवश्यकता है। इस तरह से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की बात होनी चाहिए। परन्तु यदि समाज में देखें तो लगभग ये सभी समुदाय कुछ न

कुछ योगदान अवश्य देते हैं, अगर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बात करें तो विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने भी इसमें रूचि ली है अतः पर्यावरण संरक्षण एवं उभरती पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु इसमें सरकारों के साथ–साथ सभी संस्थाओं, सभी वर्ग के लोगों की भूमिका आवश्यक है। तभी हम पर्यावरण को अपने वर्तमान प्रयोग के साथ–साथ इसे भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रख पायेगें।

सुझाव–

वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय अधिनियमों को और अधिक कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज प्रदेश में अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु एसटीएफ काम कर रही है उसी की तर्ज पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण कानूनों को और कड़ाई से पालन कराने हेतु ईपीएफ (एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स) की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हो। उसमें विशेषज्ञता के आधार पर लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए ताकि ईपीएफ के द्वारा जहां कहीं भी प्रदेश में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो, वह तत्काल उस पर कार्यवाही करे एवं जिनके द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुॅचाया जाता रहा है। उनमें ईपीएफ का भय बना रहे।

अन्त में शोधकर्ता द्वारा अपने शोध में यह पाया गया कि भूमण्डलीकरण के पश्चात् प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण के अवनयन हेतु सरकारों के साथ–साथ जनता भी इसके लिये जिम्मेदार है। अतः पर्यावरण के संरक्षण का विचार तब तक कारगर नहीं हो सकता है जब तक कि सरकारों के साथ–साथ आम जनता इसके संरक्षण में रूचि न ले। अतः शोधकर्ता द्वारा सरकारों एवं आम जनता दोनों का ही पर्यावरण संरक्षण हेतु अलग–अलग निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिये गये हैं–

सरकारों को सुझाव–

1. सरकार द्वारा पेड़–पौधों के संरक्षण सम्बन्धी कानूनों को अधिक कड़ाई से लागू किया जाए। साथ ही सरकार को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु

जिम्मेंदार एजेंसियों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो।

2. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार को विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार का सहारा लेना चाहिए। साथ ही सरकार को हरें भरे पार्कों के निर्माण, वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्कों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. खनन जहॉ आवश्यक हो सरकार को वही पर खनन करवाना चाहिए, मानक से अधिक गहराई तक खनन नहीं होना चाहिये। खनन के दौरान पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए।

4. जहॉ तक आवश्यक हो सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान हरे–भरे पेंडों को काटने से बचना चाहिए। सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान यदि पेडों को काटा गया है तो उनके स्थान पर सड़क के दोनों ओर नये पौधों को अतिशीघ्र रोपित कर देना चाहिए ताकि काटे गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति भविष्य में हो सके।

5. सरकार को कूड़ा–कचड़ा, प्लास्टिक, एवं अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शहरों के नालों से निकलने वाले गन्दे जल एवं अवशिष्ट पदार्थो को नदियों में नहीं गिराना चाहिए उसके निस्तारण हेतु सरकार को उचित प्रबन्ध करना चाहिए।

6. सरकारों को स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को और कड़ाई से लागू करना चाहिए तथा स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उन्हीं लोगों को कालोनी, राशन कार्ड एवं अन्य सुविधाए इत्यादि मुहैया कराया जाना चाहिए जो लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे तथा निर्धारित मानक में पेंड़ों को लगाये तथा उनका संरक्षण एवं संवर्धन करें।

आम जनता को सुझाव–

1. पर्यावरण संरक्षण के लिये यह बहुत जरूरी है कि लोगों को इसके लिये विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जागरूक किया जाये तथा साथ ही उनके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिये प्रेरित किया जाये।
2. कृषि में कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाये उनके स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाये। कृषकों को खेतों में पलाव इत्यादि को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।
3. पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। जन्म दिवस, शादी–ब्याह, दीपावली आदि होने पर पटाकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या पटाकों के स्थान पर गुब्बारों के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए।
4. परम्परागत ऊर्जा के स्थान पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये। अपने घरों में उजाले के रूप में परम्परागत बल्ब के प्रयोग के बजाए आधुनिक सी0एफ0एल0 एवं एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ए0सी0, एवं फ्रिजों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।
5. पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारों की जिम्मेदारी के साथ साथ जनमानस को भी अपनी जिम्मेंदारी समझनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक या दो पेंड़ अवश्य ही लगाने चाहिए।
6. हमें पेंड़–पौधों एवं सभी जीव जन्तुओं के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए तथा उनका संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

छाया चित्र

छाया चित्र

शोध के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहॉपुर तहसील पुवायां के गॉव भरतापुर में –

शोधकार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर के गॉव रतौली में –

शोधकार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तहसील नानपारा के ग्राम मेहरबाननगर में–

शोध कार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में वरिष्ठ वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता विजय द्विवेदी जी से भेंट करते हुए

शोध कार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में उपप्रभागीय वनाधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय जी से भेंट करते हुए–

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमतीनगर लखनऊ के पर्यावरण विशेषज्ञ श्री के0 एन0 राय जी से भेंट करते हुए–

उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में शोध कार्य के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक मा. राकेश राठौर जी से भेंट करते हुए–

शोध कार्य के दौरान बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग कि प्रो0 डी0 पी0 सिंह जी से भेंट करते हुए–

संदर्भित ग्रन्थ–सूची

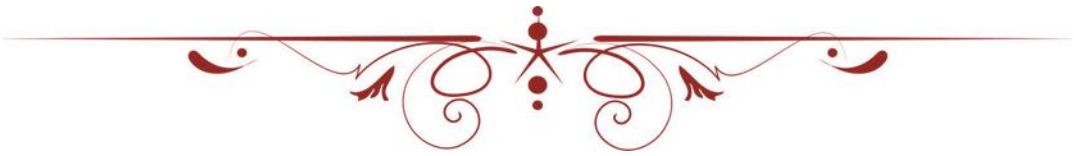

संदर्भित ग्रन्थ–सूची

English-

- Sumeker, E.F.- Small is Beautiful (New Yark 1973).
- Carter, Neil- The politics of the Environment : Thinking, Activities and policy (New Delhi, 2007).
- C.M. Jariwala- Environment and Justic-2004
- Joan Martinez-Alier-The Environmentalism of the poor-2005
- Sunsan, Bakingham and Mike Turner- Understanding Environmental Issues-2008
- Normal J. Vig and Michael E. Kraft- Environmental Policy- New Direction for the 21st century-2015
- Arun Venkat-Environmental Law and Policy- 2011
- Elena Blamco and Jona Razzaque- Globlization and Natural Resources Law-2011
- Ronald B. Mitchell- International Politics and The Environment- 2010
- Bell, Michael Mayerfeld- An Invitation to Environmental Society, 4th edtion, 2012
- Walter A. Rosenbaum- Environmental Politics and Policy-2014, University of Florida
- Hegade, N.G.- Strategies for Creating Environmental Awarness, 2011

- Agrwal, Arun- Environmentality , Oxford University press 2006
- Singh, Benu- Principles of International Environmental Law 1st Edtion,(Delhi,2012) p. 68
- Manish K, Verma- Golblization and Environment, 2015 New Delhi
- Frechette, Kristin Shrader- Environmnetal Justice: Creating Equality, Reclaiming,Democracy , (New Delhi, 2002).
- Carter, Nile - politics of Environment, june 2012
- Speth,J.G.-Global Enviromental Changes, 1st Edtion (New Delhi, 2004) p.140
- Goyal, Sunil- Mannual Pollution Law in India, 1st Edition (New Delhi, 1986).
- Bhatt, Anil- Development and Social Justice (New Delhi, 1989).
- Speth,J.G.-Global Enviromental Changes, 1st Edtion (New Delhi, 2004) p.140
- Bhatt, Chandi Prasad- Chipko Movement : the Hug that saves (Madras, 1991)
- Mccormic, John – The Global Enviromental Movement (New Delhi,1992)p. 125
- Mellor,J.W. -The New Economics of Groth : A Strategy for India and The Devoloping World (New York,1976)

- Rechard T. Wright & Dorothy F. Boorse- Environmental Science: Toward a Sustainable Future, 11th edtion, 2011, page no. 10
- S.N. Pawar, R.B. Patil, S.A. Salunkhe- Environmental Movements in India, 2005 , New Delhi, p. 84
- Robert A. Dahal, Who governs, 1963
- Dr. anand s. bal - An introduction to environmental managemet, third edtion, 2009, new delhi, p. 258-259
- Raman singha- Environment in historical perspective, frist edtion, 2007, new delhi. Page no. 238-239
- A. kannan- Golble Environmental Governance and desertification, New delhi page no.8-9
- Manish k. verma- Globlization and environment: Discorce, policies and practices , 2015, New delhi, p. no.- 28-29
- Tietenberg,T./ Lewis,Lyme - Enviroment and Natural Resources Economics,9th Edtion (New York,2012) p.16
- Mellor,J.W. -The New Economics of Groth : A Strategy for India and The Devoloping World (New York,1976)
- Ramachandra Guha- Environmentalism : A Global history, 2018
- Mahatama Gandhi- Hind swaraj, 1st Edtion (Ahemedbad,1838)
- Gupta, P.D.- The Environment and Emerging Development Issues, 1st Edtion (New Yark, 1997)

- Singha, R.K.- Environment and Sustainable development (New Delhi, 2000)
- Wordsworth- environmental science California IBSN-0534 -21588-2
- Varshney, C.K. and Sardesai, D.R.- E environmental challenges, wiley eastern limited New Delhi ,1993
- Srivastava, A.B.- protect global environment chugh publication Allahabad , 1994
- Baviskar, Amita- fate of the forest conversion and tribal rights, economic and political weekly vol.29 no. 38
- Guha, Ramchandra, Ideological trends in Indian environmentalism, 1988
- B.D. Sharma- whither tribal areas: constitutional amendments and after, Sahyog pustak Kutir: New Delhi.
- Bhatt, Anil -development and social justice micro action by weaker section, New Delhi sage publications, 1989
- Bhatt, Chandi Prasad- Chipko movement: The hug that saves, the Hindu survey of the environment, Madras,1980
- Patil R.B.- Conflicting goal and consenus over environmental issues: a case study of Dutta paper plant, shirol, Rawat publications, Jaipur and New Delhi,2005
- M.N. Parmar and Jagdish Solanki- NGOs and the prevention of environment: a case study of clean Baroda movement, 2005

- Francis D' britto: State, people and environmental movements, 2005
- Forest report, Annual report of forest in India, department of forest Dehradun, 2019
- Bhosale, L.J.- Environmental movements: Government's efforts, 2005
- Arshad Ali, M.Wasim Yusuf Mohammed Iqbal sadik- Environmental pollution: legislation and remedial measures, journal of Environmental protection and sustainable development, vol- 1, 2015
- B.L. Chavan, S.A. Pujari and S.H. pawar- Environmental pollution and remedial measures,2005
- Elena paoletti , pierre simcard -Global challenges of air pollution and climate change to forests, publisher-elsevier, June 2016.
- Andrew, Richard N.L.l managing the environment, Managing overselves: A History of American environmental policy. 2nd edition New heaven, CT, Yale University press 2006.
- Daynes, Byron w., and Holly O. Hughes, White House politics and the environment: Franklin D. Roosvelt to George w bush, College station Texas A&M University, 2010

- Lomborg, bjorn. the skeptical Environmentalism measuring the real state of the word, New York cambrige University press 2001.
- Mazmanian, Daniel A and Michael craft. Towards sustainable communities traditional and transformations in environmental policy, second edition ,Cambridge ,2009
- Madhav Gadgil, Ramchandra Guha,The use and abuse of nature, Oxford press, 2004 p. no.12-16
- Bill MC kinben, The global warming reader: A century of writing about climate change, USA penguin publisher, 2012
- Naomi Klein, This change everything: capitalism vs The climate, USA, 2015.
- Wallance, David- The Uninhabitable Earth story of the nature, first edition, USA, 2009, p.no. 165-69
- Molinsky, Steven- Express ways: English communication, 1987
- Mining and minors and diggers and Priggers,
- World Bank policy research report,Globalisation growth and poverty: building an inclusive world economy, Oxford University press, 2002, p. No. 121-127
- Belt Jesper Christensen, Carsten Kowalczyk- Globalization: strategies and effects, Massachusetts, USA, 2017, p.no.1-10

- Ed. Stefant Schirn- Globalization: State of the art and perspectives, first edition, New York, 2007, p. no. 92-110
- Ethan B. Capstein- Economic justice in an unfair world: toward a level playing field, Princeton University, 2006, p. no. 154-157
- Biplab Das Gupta-Globalisation India's adjustment experience, saze publication, New Delhi, first edition, 2005, p.no. 129-145
- Shabecoff, Philip. A fierce green fire- the American environmental movement Washington DC, Island press, 2003.
- Ramchandra Guha and John Martin, varieties of Environmentalism: Essay North and South, March 1997, p. no.50-55
- Jedediah Purdy, After nature: A Politics for the Anthropocene. Harvard University, press, 2019 p.no. 97-98
- Bruno Latour, down to earth politics in the new climate region ,2018 p.no. 46-50
- Aanna cowenhaupt, Art of living in a damaged planet: Ghosts and monsters of the Anthropocene.3rd edition, University of Minnesota press, 2017
- Rob Nixon, The slow violence and the Environmentalism of the poor, Haward University ,2013

- Edward B. Barbier, The economics of environment and development USA, 1998, p.no. 5-12
- Peter Bartelmus, Environment and development, London,1986.
- Gruber, Deborah Lynn, The grassroots of green revolution Cambridge, December, 2002 p.no.55-60
- Layzer, Judith-The environmental case translating value into policy, second edition Washington DC, CQ press, 2005
- Charles O. Jones, An Introduction to public policy (North scituate, MA: Duxbuey press, 1978) page no. 38-40
- Kamieniecki,Seldon, and Michael E. Kraft- Business and environmental policy: corporate interests in the American system. Cambridge MA. MIT press, 2007
- Syed Ussain Saheb-Environment and Their Legal Issues in India, October, 2012
- Shreekant Gupta, Environmental Policy and governance in a Federal Franwork: Perspectives From India, 2016
- Keller, Ann Campbell- Science in environmental policy: The politics of objective advise. Cambridge, MA: Mit Press, 2009
- A. K. Tewari, Environmental Law in India ,New Delhi, 2006
- Justice Yatindra Singh, The Green Pathway, 2010

- Scheberle, Denise- federalism and environmental policy: trust and the politics of implementation. Washington DC Georgetown University press 2004
- Bryant, Bunyan- Environmental issues policies and solutions. Washington DC, lsland press 1995
- Davies, J. Clarence, ed- Comparing environmental risks: tools for setting governmental priorities, Washington DC resources for the future, 1996
- Keller, Ann Campbell-science in environmental policy: The politics of objective advice, Cambridge, MA, MIT press, 2009
- Heal, Geoffrey -nature and the market place capturing the value system services, Washington DC, England press, 2001 p.no. 45
- Portney, Paul R. and Robert N. Stavins - Public policies for Environmental protection second edition Washington DC, resources for the future, 2000
- Steven C. Hackett- Environment and natural resources economics: theory policy and sustainable society, fourth edition, June, 2010. P.no. 344
- Bryner, Gray C. Blue skies- Green politics:The clean air act and its Implementation, second edition,Washington, DC, CQ press, 1995.
- Rogers, Peter- America's water: Federal rule and responsible teach Cambridge, MA, MIT press 1999.

- Sharpstien, Bill- Dirty water: one man's Fight to clean up one of the world's most polluted bays. Berkeley, University of California press , 2010 p.no. 20-23
- Thornton, Joe-Pandora'sj position: Chlorine, Health and a new Environmental strategy.i Cambridge, MA, MIT press, 2000
- Francis E. Rourke- bureaucracy, Politics and public policies (Boston: little, brown, 1969), p. No. 105
- Rahm, Dianne, ed.- Toxic, Waste and Environmental policy in the 21st century United States. Jeffer on, NC: McFarland, 2002.
- S.C. Sharma- Environmental Science, Kolkata, 2013, p.no. 3-24
- DR. S.H. Garg, Disaster Management, 2018 , Page no.82

ACTS, STATUTES AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS

- The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
- The Forest Conservation Act, 1980
- The Air (Prevention And Control of Pollution) Act, 1981
- The Wildlife Protection Act, 1972
- The Environmental Protection Act, 1986
- The Biological Diversity Act, 2002
- National Green Tribunal Act, 2010

- Mines and minerals (Development and Rugulation) Act 1957
- National Environment Policy, 2006
- The Constitution of India, 1950
- National Green Tribunal (Practices and Procedures) Rules, 2011
- The Indian Forest Act, 1927
- The Factories Act, 1948
- Consumer Protection Act, 1986
- United Nations Conference on The Human Environment,(Stockholm), 1972
- The Earth Summit- United Nations Conference on Environment And Development, 1992(Rio de Janeiro)
- The Johannesburg Declaration on Sustainable development, 2002
- The Kyoto Protocol, 1997
- Paris Agreement, 2015
- United Nations Climate Change Conference,1995 (Paris)
- E- Waste (Management and Handling) Rules, 2011

Hindi-

- डा0 वसीम अहमद खान, पर्यावरणीय समस्यायें, प्रथम संस्करण, रजत पब्लिकेशन,नई दिल्ली, 2012, पृ. 115
- चन्द्रा, समर – पर्यावरण संरक्षण, प्रथम संस्करण, (नई दिल्ली, 2011)।

- डा0 रविशंकर पाण्डे, 2011– पर्यावरण चिंतन,प्रथम संस्करण, शुलभ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.21
- डा0 मंजू सिंह– पर्यावरण संरक्षण, 2014
- त्रिपाठी, दयाशंकर, ''पर्यावरण अध्ययन'', प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, वर्ष– 2005
- एम. सालवी दिलीप, ''पर्यावरण प्रश्नोत्तरी'', प्रकाशकः सत्साहित्य प्रकाशन, वर्ष 2003,
- गोविंद पंत राजू, सत्याग्रह, प्रकाशित 11 मार्च 2018
- तिवारी, महेन्द्र कुमार– पर्यावरण शिक्षा, प्रथम संस्करण (2013, नई दिल्ली) पृष्ठ. 3
- डा0 बी. एल. शर्मा, 2012,– पर्यावरण शिक्षा
- कुमार, अरूण–पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण (2012, दिल्ली) पृष्ठ. 13
- चन्द्रकांत मिश्रा, गांव कनेक्शन, 22 सितम्बर 2017
- रमेश सिंह,(2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, सातवां संस्करण, नई दिल्ली
- सिंह, एस0 के0– सामान्य अध्ययन, षष्ठ संस्करण(2011, पटना) पृष्ठ. 197
- प्रो. सोहन राज तातेड़ एण्ड डा. विजेन्द्र सिंह, 2016– पर्यावरण शिक्षण, प्रथम संस्करण, जयपुर, पृ.18
- ओझा, एस0 के0– पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्यारहवा संस्करण(2017, इलाहाबाद) पृ.265
- अनुपम मिश्र, जीवन संपदा और पर्यावरण, नई दिल्ली, 2017, पृ. 67
- अरूण कुमार, पर्यावरण चेतना, प्रथम संस्करण, 2012 नई दिल्ली
- पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, तृतीय संस्करण, 2012, पृ. 108
- जे. सी. जौहरी, आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, 2012, पृ. 2
- ज्ञान सिंह संधु, राजनीति सिद्धांत, 2009, पृ. 25

- राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओ.पी. गाबा, 2010
- द्विवेदी शशांक, ''राजनीतिक दलों के ऐजेंडे में शामिल ही नहीं है पर्यावरण'', सम्पादक : विज्ञानपीडिया डॉट कॉम, वर्ष 2015, नीमराना, राजस्थान
- सिंह, महेन्द्र प्रसाद– भारतीय शासन और राजनीति (हैदराबाद, 2014)।
- दलजीत गुप्ता, मंजू जैन, स्वर्णा गुप्ता– पर्यावरण अध्ययन, प्रथम संस्करण, 2002, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 12–14
- बी0 खान– पर्यावरण और आत्मनिर्भरता नई दिल्ली 1993, पृष्ठ सं0 12–68
- डॉ0 एस0 एल0 वर्मा– आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि,राजस्थान विश्वविद्यालय ,द्वितीय संस्करण ,1988
- दामोदर शर्मा, हरीश चंद्र शर्मा– आधुनिक जीवन और पर्यावरण, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ सं0 103–121
- डॉ0 मधु अस्थाना –पर्यावरण एवं संक्षिप्त अध्ययन, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ सं0 117
- आर0 राजगोपालन– पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017
- रवि पी0 अग्रहरि– पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधताः कल एवं आज में फर्क, 2017, नई दिल्ली
- सुधीर पचौरी– भूमंडलीकरण और उत्तर सांस्कृतिक विमर्श, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 48–50
- हरीश चंद्र व्यास एवं कैलाश चंद्र व्यास– जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण, साहित्य प्रकाशन, 2009, पृष्ठ सं0 102–105
- सुकदेव प्रसाद– पर्यावरण और हम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृष्ठ सं0 45–47
- हरीश चंद्र व्यास– जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण, प्रभात प्रकाशन, राजस्थान, जयपुर, 2009, पृष्ठ सं0 32–40

- विजय कुमार गुप्ता, गौतम सपरा– वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 7–9

समाचार पत्र व पत्रिकाए–

- दैनिक जागरण, सम्पादकीय, ''पानी का प्रतिशोध'' 7 दिसम्बर 2015, लखनऊ, पृ0–12
- दैनिक जागरण, ''पेरिस समझौते में न्याय की जीतः मोदी'' 14 दिसम्बर 2015, सोमवार, लखनऊ, पृ0–15
- दैनिक जागरण, '' धरती को बचाने की अहम बैठक'' 29 नवम्बर 2015, लखनऊ, पृ0 10

Web Sources-

- http//policy.greenparty.org.uk/philosophical-basis.html
- http//www.downtoearth.org.in
- http//www.unenvironment.org
- http//www.unep.org
- https://greentribunal.gov.in
- http://www.uppcb.com
- http://upforest.gov.in

अखबार–

- Times of India
- दैनिक जागरण
- हिन्दुस्तान
- अमर उजाला

न्यूज चैनल–

- आजतक
- एनडीटीवी
- एबीपी न्यूज
- इटीवी उत्तर प्रदेश

प्रकाशित शोध पत्र

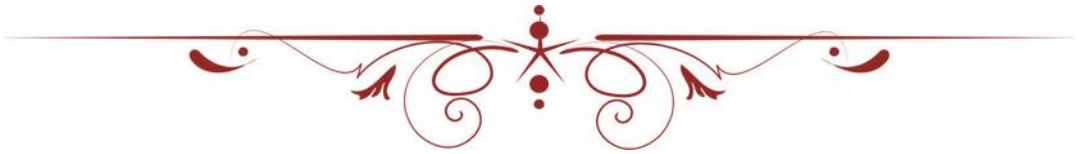

प्रकाशित शोध पत्र

शोध पत्र

1. **Avneesh Kumar Gautam** (2018). The Role of Dr. Ambedkar in Social Environment Progress. International Journal of Creative Thoughts, 6(2): (ISSN: 2320-2882).

2. **Avneesh Kumar Gautam** (2018). Women's Role in Political Environment Progress. International Journal of Creative Thoughts, 6(2): (ISSN: 2320-2882).

परिशिष्ट

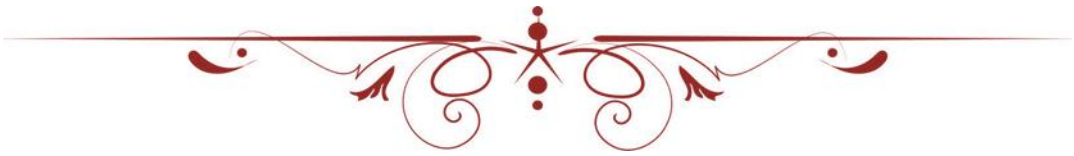

परिशिष्ट–1

साक्षात्कार अनुसूची–1

प्रस्तुत साक्षात्कार सूची का प्रयोग शोध कार्य हेतु किया गया है। प्राप्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी। प्रार्थी आपके सहयोग के लिये सदैव आभारी रहेगा।

शोध छात्र– अवनीश कुमार गौतम

पर्यावरण एवं राजनीति

1. क्या प्रदेश में भूमण्डलीकरण के पश्चात् पर्यावरण को लेकर विभिन्न पार्टियों

   के मध्य राजनीति तेज हुयी है–

   (क) हां (ख) नहीं

2. क्या विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में

   रखकर पर्यावरणीय नीति बनाती हैं–

   (क) हां (ख) नहीं

3. क्या पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर प्रदेश की अधिकांश जनता में जागरूकता है–

   (क) हां (ख) नहीं

4. क्या प्रदेश में पर्यावरण को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने

   चुनाव चिन्हों का उपयोग किया गया है–

   (क) हां (ख) नहीं

5. भूमण्डलीकरण का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है–

(क) हां (ख) नहीं

6. भूमण्डलीकरण के पश्चात् प्रदेश के पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुचा है–

(क) हां (ख) नहीं

7. वर्तमान में प्रदेश में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम सक्रियता से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है–

(क) हां (ख) नहीं

8. प्रदेश में औद्योगिक विकास के चलते पर्यावरणीय समस्याये जन्म ले रही हैं–

(क) हां (ख) नहीं

9. प्रदेश में पर्यावरण समस्यायें धीरे–धीरे बढ़ रही हैं क्या इसके संरक्षण के प्रति लोगो में जागरूकता बढ़ी है–

(क) हां (ख) नहीं

10. राजनीतिक यथार्थ के चलते प्रदेश की विभिन्न पार्टियों की सरकारों द्वारा

पर्यावरण को जो क्षति पहुची है क्या जनता चुनाव में इनको नजरन्दाज कर रही है–

(क) हां (ख) नहीं

11. क्या प्रदेश में जो क्लीन यूपी. ग्रीन यूपी. कार्यक्रम चलाया जा रहा है हाल

ही के वर्षो में अपने मकसद में कामयाब हो पाया है–

(क) हां (ख) नहीं

12. प्रदेश जैसे–जैसे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है पर्यावरणीय समस्यायें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं–

(क) हां (ख) नहीं

खनन एवं राजनीति

13. क्या प्रदेश में जो पिछली सरकार द्वारा खनन नीति बनायी गयी थी, उसमें खामिया थी–

(क) हां (ख) नहीं

14. अवैध खनन में क्या सरकारी मशीनरी की सहभागिता रहती है–

(क) हां (ख) नहीं

15. अवैध खनन को क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है–

(क) हां (ख) नहीं

16. क्या जनहित को ध्यान में रखकर खनन नीति सरकार द्वारा बनायी जाती
है–

(क) हां (ख) नहीं

17. अवैध खनन में क्या स्थानीय लोगों की सहभागिता पायी जाती है–

(क) हां (ख)

18. क्या अवैध खनन के प्रति स्थानीय जनता में जागरूकता पायी जाती है–

(क) हां (ख) नहीं

19. खनन से क्या पर्यावरण को हांनि होती है–

(क) हां (ख) नहीं

20. क्या वर्तमान खनन नीति– 2017 अवैध खनन को रोकने में कारगर है–

(क) हां (ख) नहीं

21. खनन नीति राजनीतिक यथार्थ को ध्यान में रखकर बनायी जाती है–

(क) हां (ख) नहीं

22. अवैध खनन से क्या स्थानीय वातावरण को खतरा रहता है–

(क) हां (ख) नहीं

23. अवैध खनन को लेकर जो सरकार द्वारा कानून बनाये जाते है वो कारगर

सिद्ध हुए है–

(क) हां (ख) नहीं

24. क्या भूमण्डलीयकरण के पश्चात् प्रदेश में अवैध खनन में वृद्धि हुयी है–

(क) हां (ख) नहीं

पार्क निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नावली

25. उत्तर प्रदेश में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पार्को का निर्माण कराया है इससे प्रदेश के पर्यावरण को फायदा हुआ है–

(क) हां (ख) नहीं

26. आपकी दृष्टि में उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा पार्क कौन सा है–

(क) जनेश्वर मिश्र पार्क (ख) अम्बेडकर पार्क

(ग) कांसीराम बॉटनीकल गार्डेन (घ) अन्य

27. लखनऊ में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे बेहतर पार्को का निर्माण करवाया –

(क) सपा (ख) भाजपा

(ग) बसपा (घ) कांग्रेस

28. क्या आप डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बारे में जानते हैं–

(क) हां (ख) नहीं

29. यह पार्क सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण के आधार पर लाभकारी है–

(क) हां (ख) नहीं

30. क्या आप जनेश्वर मिश्र पार्क के विषय में जानते हैं–

(क) हां (ख) नहीं

31. क्या उपरोक्त दोनों पार्क आपकी कसौटी पर खरे उतरते हैं, अर्थात् क्या इनका निर्माण कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कराया गया है–

(क) हां (ख) नहीं

32. उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टियों द्वारा कराये गये पार्कों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है–

(क) हां (ख) नहीं

33. मीडिया की जानकारी के आधार पर इन पार्कों के निर्माण में हुए घोटालों की बात–

(क) असत्य है। (ख) सत्य है।

34. विकास एवं पर्यावरण दोनो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं क्या पर्यावरण को हॉनि पहुचाये बिना विकास सम्भव है–

(क) हां (ख) नहीं

35. प्रदेश में पर्यावरण को लेकर जो राजनीति चल रही है क्या उसका सम्बन्ध राजनीतिक यथार्थ से है–

(क) हां (ख) नहीं

36. क्या प्रदेश में जो पार्को का निर्माण किया गया है उसका राजनीतिक स्वार्थ से लेना देना है–

(क) हां (ख) नहीं

एक्सप्रेस निर्माण एवं राजनीति

37. क्या प्रदेश में भूमण्डलीकरण के पश्चात् एक्सप्रेस वे निर्माण में तेजी आयी है–

(क) हां (ख) नहीं

38. क्या एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु पेड़–पौधों की जो कटाई की जाती है उनकी क्षतिपूर्ति हो पाती है–

(क) हां (ख) नहीं

39. क्या एक्सप्रेस वे निर्माण से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है–

(क) हां (ख) नहीं

40. क्या एक्सप्रेस वे निर्माण के परिपेक्ष में सरकार द्वारा राजनीतिक हित को ध्यान में रखा जाता है–

(क) हां (ख) नहीं

41. एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा दिया जाता है–

(क) हां (ख) नहीं

42. एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु इसके ठेकेदारी के आवंटन में निष्पक्षता बरती जाती है–

(क) हां (ख) नहीं

43. एक्सप्रेस वे के निर्माण में प्रदेश के विकास में तेजी आयी है–

(क) हां (ख) नहीं

44. एक्सप्रेस वे के निर्माण में क्या विकास के साथ–साथ जनहित को ध्यान में रखा जाता है–

(क) हां (ख) नहीं

45. क्या एक्सप्रेस वे के निर्माण में सरकारें अपने यथार्थ राजनीतिक मकसद को ध्यान में रखती हैं–

(क) हां (ख) नहीं

46. क्या एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान पर्यावरण मानक के अनुसार उसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है–

(क) हां (ख) नहीं

47. क्या एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास में तेजी आयी है–

(क) हां (ख) नहीं

48. क्या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकारों ने प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया है–

(क) हां (ख) नहीं

परिशिष्ट–2

जनपद–..... तहसील–.....गॉव–.....

नाम–..... लिंग–..... आयु.....

शिक्षा का स्तर–.....

प्रश्नावली–

1. क्या आप अपने आस –पास के पर्यावरण से परिचित हैं–

   (क) हां (ख) नहीं

2. पर्यावरण शब्द मिलकर बना है–

   (क) परि + आवरण (ख) पर्या + वरण (ग) मालूम नहीं

3. पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं–

   (क) जल, थल ,वायु (ख) समस्त पेंड़ पौधे, समस्त जीवधारी (ग) उपरोक्त दोनों (घ) मालूम नहीं

4. समस्त जीवधारियों के श्वसन हेतु कौन सी गैस आवश्यक है–

   (क) आक्सीजन (ख) कार्बनडाई–आक्साइड (ग) नाइट्रोजन (घ) मालूम नहीं

5. आक्सीजन गैस हमें मिलती है–

   (क) पेड़–पौधों से (ख) मृदा से (ग) सूक्ष्म जीवों से (घ) मालूम नहीं

6. हम लोग कौन सी गैस श्वसन की प्रक्रिया में निकालते है–

   (क) आक्सीजन (ख) कार्बनडाई–आक्साइड (ग) नाइट्रोजन
   (घ) मालूम नहीं

7. पेड़–पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते है–

   (क) आक्सीजन (ख) कार्बनडाई–आक्साइड (ग) नाइट्रोजन
   (घ) मालूम नहीं

8. वर्षा करने में सहायक होते है–

(क) वन (ख) उद्योग (ग) मृदा (घ) मालूम नहीं

9. वायुमण्डल में सर्वाधिक मात्रा में पायी जाने वाली गैस है–

(क) आक्सीजन (ख) नाइट्रोजन (ग) कार्बनडाई आक्साइड (घ) मीथेन

10. पेड़–पौधों का हमारे जीवन में है–
(क) कम महत्व (ख) अधिक महत्व (ग) बिल्कुल महत्व नहीं (घ) मालूम नहीं

11. क्या आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण की चुनौतियों से परिचित है–

(क) हां (ख) नहीं

12. वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक प्रदूषण का रूप है–

(क) जल प्रदूषण (ख) वायु प्रदूषण (ग) मृदा प्रदूषण (घ) मालूम नहीं

13. निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है–

(क) नगरीकरण (ख) जनसंख्या विस्पोट (ग) अधिक साक्षरता (घ) औद्योगिकीकरण

14. क्या आप यहॉ के स्थानीय पर्यावरणीय खतरों से परिचित हैं–
(क) हां (ख) नहीं

15. यहॉ के स्थानीय पर्यावरणीय को जो भी नुकसान पहुॅचाता है क्या आप उसका समर्थन करते हैं–
(क) हां (ख) नहीं

16. प्रदेश के विकास के लिये खनन जरूरी है–
(क) हां (ख) नहीं

17. खनन से स्थानीय लोगों का वास–स्थान खतरे में पड़ता है–
(क) हां (ख) नहीं

18. खनन से स्थानीय लोगों को आजीविका मिलती है–
(क) हां (ख) नहीं

19. क्या स्थानीय संस्थायें यहॉ के उभरते पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूक है–
(क) हां (ख) नहीं (घ) मालूम नहीं

20. क्या आप पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर रहे है–
(क) हां (ख) नहीं

21. क्या आप पॉलीथीन के प्रयोग को वरीयता देते हैं–
(क) हां (ख) नहीं

22. क्या आप पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाली प्रदेशीय सरकारों की नीतियों से परिचित है–
(क) हां (ख) नहीं

23. क्या आप उनको नजरन्दाज करते हैं जिन्होंने प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाया है–
(क) हां (ख) नहीं

24. क्या आप उनको वरीयता देते हैं जिन्होने प्रदेश के पर्यावरणीय विकास को वरीयता दी है–
(क) हां (ख) नहीं

दिनांक– **हस्ताक्षर–**

परिशिष्ट–3

जिला–.....तहसील–.....गॉव का नाम–.....

नाम–..... उम्र–..... लिंग.....

शिक्षा का स्तर–.....

प्रश्नावली

1. क्या आप पर्यावरण से परिचित है–

   (क) हां (ख) नहीं

2. क्या आप वैधानिक नियमों/अधिनियमों के अर्थ से परिचित है–

   (क) हां (ख) नहीं

3. क्या आप पर्यावरण से सम्बन्धित सामान्य नियमों/अधिनियमों से परिचित हैं–

   (क) हां (ख) नहीं

4. वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण हेतु वैधानिक नियम पर्याप्त हैं–

   (क) हां (ख) नहीं (ग) मालूम नहीं

5. सरकार द्वारा बनाये गये पर्यावरणीय वैधानिक नियम पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी साबित हो रहे हैं–
   (क) हां (ख) नहीं (घ) मालूम नहीं
6. क्या पर्यावरणीय वैधानिक नियमों का पालन ईमानदारी से हो पाता है–
   (क) हां (ख) नहीं (घ) मालूम नहीं

7. पर्यावरणीय हरास के कारण हैं–
   (क) जनाधिक्य (ख) औद्योगिकीकरण में तीव्र वृद्धि (ग) शहरीकरण का तीव्र विस्तार (घ) उपरोक्त सभी
8. पेंड़ों का कटान नियमों से किया जाता है–

   (क) हां (ख) नहीं (ग) उपरोक्त दोनों (घ) मालूम नहीं

9. क्या यहॉ पर जिनके द्वारा पर्यावरण को यदि नुकसान पहुॅचाया गया हैं उनको वैधानिक नियमों के दायरे में लाया गया है–

(क) हां (ख) नहीं (ग) उपरोक्त दोनों (घ) मालूम नहीं

10. क्या पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाली पालीथीन पूरी तरह से प्रतिबन्धित है–

(क) हां (ख) नहीं

11. आपके इलाकों में सर्वाधिक खनन किन किन चीजों का होता है–

(क) बालू (ख) मौरम (ग) मिट्टी (घ) मालूम नहीं

12. क्या खनन आवंटन में नियमों का पालन होता है–

(क) हां (ख) नहीं

13. क्या खनन करने के दौरान नियमों को ध्यान में रखा जाता है–

(क) हां (ख) नहीं

14. क्या खनन से स्थानीय लोगों को फायदा है–

(क) हां (ख) नहीं

15. क्या खनन से स्थानीय पर्यावरण को फायदा है–

(क) हां (ख) नहीं

16. क्या यहॉ पर कोई पर्यावरण संरक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थान (NGOs) काम कर रहे है–

(क) हां (ख) नहीं

17. यदि हॉ तो क्या यहॉ पर गैर सरकारी संस्थान (NGOs) पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं–

(क) हां (ख) नहीं

18. जिन इलाकों में पर्यावरणीय कानूनों का पालन कड़ाई से नहीं होता है वहॉ पर अधिक पर्यावरणीय क्षति हुई है–

(क) हां (ख) नहीं

19. क्या पर्यावरण संरक्षण में केवल सरकार की ही जिम्मेंदारी बनती है–

(क) हां (ख) नहीं

20. सरकारी नियमों की निष्क्रियता से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुये हैं–

(क) हां (ख) नहीं

21. क्या पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्थानीय सरकार सक्रिय भूमिका निभाती है–

(क) हां (ख) नहीं

22. क्या स्वार्थवश सरकारी पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है–

(क) हां (ख) नहीं

23. क्या आप पर्यावरणीय नियमों के पालन में रूचि रखते है–

(क) हां (ख) नहीं

24. क्या आप उभरते पर्यावरणीय संकटों से निपटने हेतु अपना योगदान देने में रूचि रखते हैं–

(क) हां (ख) नहीं

दिनांक– **हस्ताक्षर–**